मुकम्मल व मुदल्लल

मसाइले तरावीह

कुरआन व हदीस की रौशनी में

हज़रत मुफ़्तियाने किराम दारूलउलूम देवबंद की तस्दीक़ व ताईद करदा

मुअल्लिफ़

मौलाना क़ारी मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी

(मुदर्रिस दारूलउलूम देवबंद)

मुकम्मल व मुदल्लल

मसाइले तरावीह

कुरआन व हदीस की रौशनी में

हज़रत मुफ़्तियाने किराम दारुलउलूम देवबंद की तस्दीक़ के साथ

मुअल्लिफ़

मौलाना क़ारी मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी
(मुदर्रिस दारुलउलूम देवबंद)

लिप्यान्तरः
मो० मोकर्रम ज़हीर

नाशिर

अन्जुम बुक डिपो

मटिया महल, जामा मस्जिद (दिल्ली)

किताब का नामः... मुकम्मल व मुदल्लल मसाइले तरावीह

मुअल्लिफ़ः........ मौलाना कारी मुहम्मद रफ़अत क़ासमी

लिप्यान्तरः........ मो० मोकर्रम ज़हीर

ज़ेरे निगरानीः..... शकील अन्जुम देहलवी

तादादः........... 1100

Masaile Traveeh

By:Maulana Qari Md. Rafat Qasmi

Published by

Anjum Book Depot

Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi - 6

फ़ेहरिस्ते उन्वानात "मसाइले तरावीह"

उन्वान सफ्हात

पहला बाब

दूसरा बाब

तीसरा बाब

चौथा बाब

पाँचवाँ बाब

छटा बाब

सातवाँ बाब

आठवाँ बाब

सज्दा तिलावत

नवाँ बाब

तहज्जुद व शबीना के ब्यान

दसवाँ बाब

ख़त्म के दिन मुख़्तलिफ़ रिवाज के ब्यान में

ग्यारहवाँ बाब

बारहवाँ बाब

वित्र का सुबूत और मसाइल

तेरहवाँ बाब

इज़ाफ़ा फ़ेहरिस्ते उनवानात

इंतिसाब

मैं अपनी इस काविश को सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म (रज़ि) की तरफ़ मनसूब करने की सआदत हासिल कर रहा हूं, जिन्होंने बाक़ाएदा जमाअते तरावीह का एहतिमाम व इंतिज़ाम फ़रमाया, आप ही के बारे में सैयदना हज़रत अली (रज़ि.) का ये इरशाद है:
"अल्लाह तआ़ला उनकी क़ब्र को ऐसे ही नूर से भर दे जिस तरह उन्होंने हमारी मसाजिद को मुनव्वर फ़रमाया।"

❖❖❖

जदीद एडीशन के बारे में

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوْلِهِ الکریم

मेरे वहम व गुमान में भी ये बात न गुज़री थी कि मुझ जैसे बेमाया बंदए नाचीज़ की किताबें (मुकम्मल व मुदल्लल मसाइले रोज़ा, मुकम्मल व मुदल्लल मसाइले तरावीह, मुकम्मल व मुदल्लल मसाइले एतेकाफ़, मुकम्मल व मुदल्लल मसाइले इमामत और मसाइल व आदाबे मुलाक़ात) इस क़दर मक़बूलियत हासिल करेंगी, बिफ़ज़्लिही तआ़ला इसमें तवक़्क़ो से ज़्यादा कामियाबी हुई, और हिन्द व बैरूने हिन्द से बंदा की हौसला अफ़्ज़ाई व पज़ीराई की गई। मैं समीमे क़ल्ब से अपने उन तमाम ख़ैरख़्वाहों का शुक्रगुज़ार हूं।

एक तरफ़ जब मैं अपनी बेबज़ाअ़ती व कम इल्मी और दूसरी तरफ़ किताबों की मक़्बूलियत को देखता हूं तो मेरा सर बेइख़्तियार आसतानए ख़ुदावंदी पर सज्दा रेज़ और दिल हम्देबारी से लबरेज़ हो जाता है, कि उसने अपने फ़ज़्ल व करम से एक आजिज़ व नातवाँ को दीन की ख़िदमत की तौफ़ीक़ बख़्शी, इतनी कम मुद्दत में मुकम्मल व मुदल्लल तरावीह का तीसरा एडीशन तस्हीहे अग़लात के साथ पेश किया जा रहा है। इससे अंदाज़ा होता है कि ख़्वास व अ़वाम में ये सिलसिला मक़्बूल है और वह इससे मस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। यक़ीनन ये सब फ़ज़्ले ख़ुदावंदी के बाद असातिज़ए किराम की दुआवों और दारुलउलूम देवबंद के फ़ैज़ का नतीजा है। अल्लाह

तआ़ला ख़ाकसार की हक़ीर ख़िदमत को क़बूल फ़रमाए और मेरे लिए ज़ादे आख़िरत व फ़लाहे दारैन का ज़रीआ बना कर आइंदा भी ख़िदमत करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आमीन!

मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी
15 रजब 1410 हिजरी

❑❑❑

इरशादे गिरामी

हज़रत मौलाना मुफ़्ती महमूदुलहसन साहब दामत बरकातुहुम

मुफ़्तिए आज़म दारुलउलूम, देवबंद

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نحمدهٗ و نصلّی علٰی رسُوله الکریم. امابعد

ज़ेरे नज़र किताब "मसाइले तरावीह व इमामते तरावीह"। मुरत्तबा अज़ीज़म मौलाना मौलवी मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी मुदर्रिस दारुलउलूम देवबंद जिनका एक साला दरसी तअल्लुक़ बंदा से भी है। अपने मौज़ूअ़ पर निहायत मुफ़ीद और जामेअ़ किताब है। मौसूफ़ ने बहुत से मुस्तनद फ़तावा और दीगर मुतअ़ल्लिक़ा कुतुब का निहायत अर्क़ रेज़ी के साथ मुतालआ कर के कम व बेश चार सौ मसाइले तरावीह व इमामते तरावीह यकजा तौर पर बाब और उनवानवार निहायत सलीक़ा से जमा कर दिए हैं। बिला मुबालग़ा मेरी नज़र में अब तक कोई ऐसी किताब नहीं आ सकी जिसमें मसाइले तरावीह व इमामते तरावीह, इतनी कसीर तादाद में ब्यान किए गए हों। इसलिए मैं मौसूफ़ सल्लमहू को उनकी इस बेनज़ीर काविश पर तहे दिल से मुबारक बाद देता हूं।

इन मसाइल की हर रमज़ानुलमुबारक में ज़रूरत पेश आती है और चूंकि साल भर में महज़ एक माह तरावीह पढ़ने पढ़ाने का

सिलसिला रहता है। इसलिए अ़वाम तो अ़वाम, बाज़ मरतबा बहुत से ख़्वास और अह्ले इल्म भी ग़लती कर जाते हैं और उन्हें मसाइले मुतअल्लिक़ा का तलाश करना दूभर हो जात है।

अल्लाह तआ़ला मुअल्लिफ़ को जज़ाए ख़ैर दे, जिन्होंने "मसाइले तरावीह व इमामते तरावीह"। इतने कसीर तादाद में यकजा तौर पर जमा कर दिए कि अब शायद ही इस मौज़ूअ़ पर कोई अहम मस्अला होगा जो इस किताब में ब्यान न किया गया हो। ये किताब अ़वाम व ख़्वास दोनों के लिए यकसाँ तौर पर मुफ़ीद और नफ़ा बख़्श है। दुआ़ है कि अल्लाह तआ़ला इसे ज़्यादा से ज़्यादा नाफ़ेअ़ और मक़्बूल बनाए और मुअल्लिफ़ सल्लमहू को आइंदा भी इस तरह की ख़िदमत का मौक़ा अता फ़रमाए।

आमीन या रब्बलआलमीन!

अलअ़ब्द
महमूद ग़ुफ़िरलहू
22—8—1406 हिजरी

□□□

राए आली

हज़रत मौलाना मुफ़्ती निज़ामुद्दीन साहब मद्दज़िल्लहुलआली

सदर मुफ़्ती दारुलउलूम, देवबंद

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

الحمد لولیه والصلوٰة علیٰ اهلها محمدن المصطفیٰ و علیٰ اٰله
و اصحابه و ازواجه واللاحقین بهم الی یوم القرار۔ وَ بعد

पेशे नज़र रिसाला (मसाइले तरावीह व इमामते तरावीह) मुअल्लिफ़ मौलाना मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी सल्लमहू, मुअल्लिफ़ सल्लमहू की बेनज़ीर काविश व मेहनत का समरा है। तरावीह व इमामते तरावीह से मुतअ़ल्लिक़ तक़रीबन चार सौ मुफ़्ता बिही जुज़्ई मसाइल का मअ़ मोतबर किताबों के हवाले के इकट्ठा कर दिया है, जिसकी ज़रूरत हर शख़्स को हर साल रमज़ान में पेश आती है और साल में महज़ एक मरतबा ज़रूरत पेश आने की वजह से उमूमन मुस्तहज़र न रहने से लोग ग़लतियों में मुब्तला हो जाते हैं।

इस रिसाला की बड़ी ख़ुसुसियत ये भी है कि मुअल्लिफ़ मौसूफ़ ने हर मस्अला का उनवान क़ाइम कर के सफ़्हावार फ़ेहरिस्त भी मुरत्तब कर दी है। जिससे तलाशे मस्अला में बेहद सहूलत हो जाती है।

इन ख़ुसूसियात की वजह से ये रिसाला अवाम व ख़्वास सब

के लिए बेहद मुफ़ीद और नाफ़ेअ़ हो गया है, ये मसाइल यकजा तौर पर उमूमन इस तरह नहीं मिलते। इसलिए इसकी इफ़ादियत और भी बढ़ गई है, दुआ है कि अल्लाह तआला मुअल्लिफ़ मौसूफ़ की इस सई को सअ़ये मक़बूल बना दें और आइंदा इसी तरह की और ख़िदमात का मौक़ा अता फ़रमाऐं। आमीन सुम्मा आमीन!

फ़क़त
बंदा
निज़ामुद्दीन
मुफ़्ती दारुलउलूम, देवबंद
4—11—1406 हिजरी
12—7—1987 ई०

❑❑❑

तक़रीज़

हज़रत मौलाना मुफ़्ती ज़फ़ीरुद्दीन साहब ज़ीदा मज्दुहुम

मुफ़्ती दारुलउलूम, देवबंद

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله و کفیٰ و سلام علیٰ عباده الذین اصطفیٰ

अलहम्दुल्लिह मुसलमानों में दीन से रग़बत बढ़ती जा रही है और इसी के साथ अहकाम व मसाइल की जुस्तजू और तलाश भी जारी है। ये एक अच्छी अलामत है, अल्लाह तआ़ला इन नेक जज़्बात में ज़्यादा से ज़्यादा इज़ाफ़ा फ़रमाए।

हर दौर में ज़माने के तक़ाज़े के मुताबिक़ इस्लामी अहकाम व मसाइल के मजमूअ़े मुरत्तब हो कर शाए होते रहे और मुसलमान उनसे इस्तिफ़ादा करते रहे हैं। ये बात हम सब के लिए बाइसे मुसर्रत है कि दारुलउलूम, देवबंद के एक उस्ताज़ क़ारी मुहम्मद रफ़अ़त साहब ने ज़रूरत महसूस की कि तरावीह से मुतअ़ल्लिक़ मसाइल जो फ़तावा की किताबों में बिखरे हुए हैं। उनको एक ख़ास तरतीब के साथ जमा कर दिया जाए, ताकि ख़्वास व अवाम बाआसानी उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। और बवक़्ते ज़रूरत ये मजमूआ़ हर मुसलमान अपने पास रख सके, चूंकि तरावीह के मसाइल की ज़रूरत साल के सिर्फ़ एक महीना में उमूमन हर नमाज़ी को पेश

आती है और आम तौर पर ज़ेहन में वह मसाइल मुस्तहज़र नहीं होते, किताब पास होगी तो ख़ुद वरक़ उलट कर देख लेंगे।

चुनांचे मौसूफ़ ने फ़तावा दारुलउलूम, देवबंद मुदल्ल व मुकम्मल, किफ़ायतुलमुफ़्ती, मजमूआ फ़तावा अब्दुलहई फ़िरंगी महली और दूसरे मजमूआए फ़तावा को सामने रख कर उन तमाम मसाइल को यकजा कर देने की जद्दोजेहद की है, जिनका तअल्लुक़ नमाज़े तरावीह या इमामते तरावीह से है, और इस तरह सैकड़ों मसाइल मतअद्दद किताबों के हवालों से मौलाना मौसूफ़ ने यकजा फ़रमा दिए हैं।

कोई शुब्हा नहीं कि ये काम बहुत काफ़ी मेहनत तलब था और काफ़ी जाँफ़शानी को चाहता था, मुरत्तिब की मेहनत और काविश क़ाबिले दाद है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और अपनी मुसलसल मेहनत जारी रखी और बिलआख़िर कामियाबी से हमकिनार हुए।

वाक़िआ है कि मौसूफ़ हम सब की तरफ़ से शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने इस फ़रीज़ा से उलमा को सुबुकदोश कर दिया और एक क़ीमती मजमूआ मुसलामनों के सामने पेश कर दिया। इससे सिर्फ़ अवाम व ख़्वास नहीं बल्कि इंशाअल्लाह उलमा ओर मुफ़्तीयाने किराम भी बवक़्ते ज़रूरत मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। दुआ है कि अल्लाह तआला मौलानाए मोहतरम की ये मेहनत व काविश क़बूल फ़रमाए और उनके लिए ज़ादे आख़िरत बनाए।

आमीन!

तालिबे दुआ
मुहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन उफ़िया अन्हु
मुफ़्ती दारुलउलूम, देवबंद

❑❑❑

अर्ज़े मुरत्तिब

نحمده ونصلى علىٰ رسوله الكريم۔ اما بعد

पेशे नज़र किताब में तरावीह, इशा और वित्र के मसाइल को एक ख़ास तरतीब के साथ पेश करने की कोशिश की गई है।

किताब में अरबी इबारत से इज्तिनाब करते हुए, सिर्फ़ मुफ़्ताबिही क़ौल को लिया गया है, ताकि आम पढ़ने वालों को मसाइल समझने में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़ा।

बंदा की ये किताब, हज़रत मुफ़्तियाने किराम दारुलउलूम, देवबंद के फ़ैज़ का नतीजा है। इस वक़्त आम्मतुलमुस्लिमीन की ख़िदमत में पेश करते हुए दिल बारी तआला की हम्द व सना से लबरेज़ है, जिसने महज़ अपनी तौफ़ीक़ व इनायत से इस ख़िदमत को मुझ जैसे बेबज़ाअ़त और कमतरीन बंदा से ले लिया।

दुआ है कि ख़ुदाए बख़्शिन्दा अपने फ़ज़्ल व करम से इस हक़ीर ख़िदमत को क़बूल फ़रमाए, और अपने शुक्रगुज़ार बंदों में इस हक़ीर का नाम भी दर्ज फ़रमाए। आमीन या रब्बलआलमीन!

मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी
मुदर्रिस दारुलउलूम, देवबंद
1405 हिजरी

□□□

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

पहला बाब

रोजे और तरावीह बाइसे मग़फ़िरत

عن ابی ھریرۃؓ قال قال رسول اللّٰہ صلّی اللّٰہ علیہ وسلم مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِیْمَاناً وَاِحْتِسَاباً غُفِرَلَہٗ مَاتَقَدَّمِ مِنْ ذَنْبِہٖ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِیْمَاناً وَاِحْتِسَاباً غُفِرَلَہٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِہٖ وَمَنْ قَامَ لَیْلَۃَ الْقَدْرِ اِیْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَلَہٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِہٖ (بخاری، مسلم)

तर्जुमाः हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमाया जो लोग रमज़ान के रोज़े ईमान व एहतिसाब के साथ (सवाब की ग़रज़ से) रखेंगे उनके सब गुज़श्ता गुनाह मआफ़ कर दिए जाऐंगे। और ऐसे ही जो लोग ईमान व एहतिसाब के साथ रमज़ान की रातों में नफ़्ल, तरावीह पढ़ेंगे उनके भी सब पिछले गुनाह मआफ़ कर दिए जाऐंगे और इसी तरह जो लोग शबे क़द्र में ईमान व एहतिसाब के साथ नवाफ़िल पढ़ेंगे उनके भी सारे पिछले गुनाह मआफ़ कर दिए जाऐंगे।

तशरीहः इस हदीस से रमज़ान में रोज़ों और उसकी रोतों के नवाफ़िल और ख़ुसूसियत से शबेक़द्र की नवाफ़िल को पिछले गुनाहों की मग़फ़िरत और मआफ़ी का वसीला बताया गया है। बशर्ते कि ये रोज़े और नवाफ़िल ईमान व एहतिसाब के साथ हों। ये ईमान व एहतिसाब ख़ास दीनी इस्तिलाह है। इनका मतलब यही होता है कि जो नेक अमल किया जाए उसका मुहर्रिक बस अल्लाह और रसूल

को मानना और उनके वादे वईद पर यक़ीन लाना है और उनके बताए हुए अज्र व सवाब की तमअ़ और उम्मीद हो। कोई दूसरा जज़्बा और मक़्सद उसका मुहर्रिक न हो। यही ईमान व एहतिसाब हमारे आमाल के क़ल्ब व रूह हैं, अगर ये न हों तो फिर ज़ाहिर के लिहाज़ से बड़े से बड़े आमाल भी बेजान और खोखले हैं, जो ख़ुदा नाख़ास्ता क़यामत के दिन खोटे किक्के साबित होंगे। और ईमान व एहतिसाब के साथ बंदे का एक अमल भी अल्लाह के यहां इतना अ़ज़ीज़ और क़ीमती है कि उसके सदक़े और तुफ़ैल में उसके बरसहा बरस के गुनाह मआ़फ़ हो सकते हैं। अल्लाह तआ़ला ईमान व एहतिसाब की सिफ़त अपने फ़ज़्ल से नसीब फ़रमाए। आमीन!

रोजा औन क़ुरआन की शफ़ाअ़त

عَن عبـد الله بن عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الـصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ. يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ اِنِّىْ مَنَعْتُهُ الـطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِـالـنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ. وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ. (البيهقى فى شعب الايمان)

तर्जुमाः हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमायाः रोज़ा और क़ुरआन दोनों बंदा की सिफ़ारिश करेंगे (यानी उस बंदे की जो दिन में रोज़ा रखेगा और रात में अल्लाह के हुज़ूर हो कर उसका पाक कलाम मजीद पढ़ेगा या सुनेगा।) रोज़ा अर्ज़ करेगा ऐ मेरे परवरदिगार मैंने इस बंदा को खाने पीने और नफ़्स की ख़्वाहिश पूरा करने से रोके रखा था। आज मेरी सिफ़ारिश उसके हक़ में क़बूल फ़रमा। (उसके साथ मग़फ़िरत और रहमत का मआ़मला फ़रमा)

कुरआन कहेगा मैंने उसको रात में सोने और आराम करने से रोके रखा था। खुदावंदा, आज उसके हक़ में मेरी सिफ़ारिश क़बूल फ़रमा। (उसके साथ बख़शिश और इनायत का मआमला फ़रमा) चुनांचे रोज़ा और कुरआन दोनों की सिफ़ारिश उस बंदा के हक़ में क़बूल फ़रमाई जाएगी। (उसके लिए जन्नत और मग़फ़िरत का फ़ैसला फ़रमा दिया जाएगा।)

तशरीहः किसी को क़ुर्बान कर के नहीं, अपनी जान व माल दे कर नहीं, सेहत व तंदुरुस्ती ख़त्म कर के नहीं बल्कि थोड़ा सा आराम तर्क कर के और नफ़्स पर थोड़ा सा जब्र कर के हुज़ूर (स.अ.व.) का बताया हुआ इलाज करें तो हम को ये नेमत हासिल हो सकती है।

कैसे ख़ुशनसीब हैं वह बंदे जिनके हक़ में उनके रोज़ों की और नवाफ़िल में उनके पढ़े हुए या सुने हुए कुरआन पाक की सिफ़ारिश क़बूल होगी, ये उनके लिए कैसी मुसर्रत और फ़रहत का वक़्त होगा?

(मआरिफुलहदीस जिल्द–4 सफ़्हा–108)

एहितमामे तरावीह और तादादे रक्आत

हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) का आम एलान था कि मेरी इताअत उस वक़्त तक है जब तक कि मैं अल्लाह और उसके रसूल (स.अ.व.) और सीरते सिद्दीक़ पर अमल करता रहूं। जहाँ ख़ालिक़ की मासीयत हो वहां किसी मख़लूक़ की इताअत जाइज़ नहीं है।

ये एलान रस्मी नहीं था बल्कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने लोगों को आज़माने के लिए बरसरे मिम्बर एलान फ़रमाया लोगो! अगर मैं सुन्नते नबवी (स.अ.व.) और सीरते सिद्दीक़

(रज़ि.) के ख़िलाफ़ हुक्म दूं तो तुम लोग क्या करोगे? लोग ख़ामोश रहे, फिर दोबारा ये एलान फ़रमाया तो एक नौजवान तलवार लेकर खड़ा हो गया और तलवार की तरफ़ इशारा कर के बरजस्ता कहाः "ये फ़ैसला करेगी।" हज़रत उमर (रज़ि.) ने ख़ुश हो कर फ़रमायाः "जब तक अवाम में ये जुरअत बाक़ी है उस वक़्त तक उम्मत गुमराह नहीं हो सकती।"

एक तरबता आप (रज़ि.) तक़रीर फ़रमा रहे थे, मजमा बहुत कसीर था, आपने फ़रमायाः "सुनो और अमल करो।" एक आम शख़्स ने खड़े हो कर बरजस्ता कहाः "आपकी बात नहीं सुनेंगे और न अमल करेंगे, इसलिए कि आप ने माले ग़नीमत की तक़्सीम में मुसावात नहीं की है। क्योंकि ये कपड़ा जो आप के जुब्बा में है, हम को भी मिला है मगर उसमें से चादर और तहबंद नहीं हो सके और आपका जुब्बा कैसे बन गया? हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने जवाब देने के बजाए अपने बेटे को तलब किया। उन्होंने बतायाः ये कपड़ा हम को भी मिला था, लेकिन वालिद मोहतरम के पास सिर्फ़ एक ही कुर्ता था, जुमा के लिए उसके धोने और सुखाने में देर हो जाती थी, इसलिए मैंने अपना हिस्सा भी उनको दे दिया था, इसलिए दोनों को मिला कर एक जुब्बा तैयार हो गया था।"

और बहुत से वाक़िआत इसी क़िस्म के मिलेंगे कि ये हज़रात ख़िलाफ़े सुन्नत ज़रा सी बात भी बरदाश्त नहीं करते थे। सब आँहज़रत (स.अ.व.) की सुन्नतों के दिलदादा और आशिक़ थे। बिदअत और ख़िलाफ़े सुन्नत फ़ेल से ऐसे बेज़ार थे कि उम्मत का कोई शख़्स उनकी नज़ीर

पेश नहीं कर सकता। ऐसे सख़्तगीर पाबंदे सुन्नत और मुत्तबेअ़ शरीअ़त हज़रात, मसलन हज़रत उस्मान ग़नी (रज़ि.), हज़रत अली (रज़ि.), हज़रत इब्न मसऊद (रज़ि.), हज़रत इब्न अब्बा़स और उनके साहबज़ादे हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) और हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.), हज़रत मआज़ (रज़ि.) और उनके अलावा तमाम मुहाजिरी़न व अन्सार रज़ि़अल्लाहुअन्हुम अजमईन की मौजूदगी में हज़रत उमर फ़ारुक़ (रज़ि.) ने हज़रज उबैय बिन कअ़ब (रज़ि.) को बीस रकआत तरावीह पढ़ाने के लिए मुक़र्रर फ़रमाया और किसी ने भी उन पर एतेराज़ या नुकताचीनी और तरदीद नहीं की, बल्कि सब ने आप (रज़ि.) का तआउन किया और आपकी मुवाफ़क़त और ताईद ही की और उसको जारी व राइज किया। (तमाम सहाबए किराम (रज़ि.) पाबंदी से तरावीह में शरीक होते थे) यहाँ तक कि हज़रत अली (रज़ि.) ने हज़रत उमर (रज़ि.) की तारीफ़ और उनके लिए दुआ़ए ख़ैर की। आप हज़रत उमर (रज़ि.) की वफ़ात के बाद फ़रमाया करते थे कि अल्लाह तआला हज़रत उमर (रज़ि.) की क़ब्र को नूर से भर दे जिस तरह उन्होंने हमारी मस्जिदें मुनव्वर की हैं।

जो हज़रात बीस रकअ़ते तरावीह बिदअ़ते उमर (रज़ि.) कहते हैं अगर उसको सहीह मान लिया जाए तो फिर हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माने में कसरत से सहाबा का बीस रकअ़तों पर इत्तिफ़ाक़ कैसे हुआ? अगर हज़रत उमर (रज़ि.) ने ही बीस रकअ़त अपनी तरफ़ से ईजाद फ़रमाई थीं तो वह जम्मग़फ़ीर और कसीरुत्तादाद सहाबा (रज़ि.) कहां थे जिनमें से एक अदना से अदना सहाबी को ये

जुरअत थी कि हज़रत उमर (रज़ि.) को ज़रा सी बात पर खुतबा पढ़ने की हालत में भी टोक दे।

हज़रत सअद बिन अबी वक़ास (रज़ि.) की वफ़ात पर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने चाहा कि नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में हो जाए, ताकि में भी उसमें शरीक हो जाऊँ। लेनि उम्मुलमुमिनीन (रज़ि.) की इस फ़रमाइश या हुक्म को इसलिए क़बूल नहीं किया गया कि मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा ख़िलाफ़े सुन्नत है, जबकि हज़रत सअद बिन अबी वक़ास (रज़ि.) फ़ातेहे इरान होने के साथ साथ अशरए मुबश्शरा भी थे।

हज़रत इब्न उमर (रज़ि.) के सामने एक शख़्स को छींक आई। उसने कहा "الحمد لله والصلوة على رسول الله" यहाँ "والصّلوة على رسول الله" ज़ाएद था। अगरचे मफ़हूम के एतेबार से बहुत ही अच्छा था कि आप (स.अ.व.) पर सलाम है। मगर ख़िलाफ़े सुन्नत होने की वजह से हज़रत इब्न उमर (रज़ि.) ने उसको फ़ौरन तंबीह फ़रमाई कि ये ख़िलाफे सुन्नत है। हज़रत अमीर मुआविया (रज़ि.) ने ख़ानए कअ़बा के तमाम कोनों को बोसा दिया। हज़रत इब्न अब्बास (रज़ि.) ने फ़ौरन पकड़ की कि हजरे असवद के सिवा कोई बोसा सुन्नते नबवी नहीं है, आप ने ये ख़िलाफ़े सुन्नत अमल कैसे किया है। हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने अपने इस फ़ेल से रुजूअ़ किया।

ये हज़राते सहाबए किराम (रज़ि.) ज़रा भी ख़िलाफ़े सुन्नत अमल को बरदाश्त नहीं करते थे, अवाम से हो या बादशााहे वक़्त से फ़ौरन पकड़ कर लेते थे, तो क्या इन हज़रात से ये मुमकिन है कि वह मस्जिदे नबवी और

मस्जिदे हराम में तरावीह की बीस रकअ़त को बरदाश्त करते जो इन्फ़िरादी नहीं बल्कि इजतिमाई तौर पर हो रही थीं?

उन हज़रात के बारे में ये ख़्याल करना कि ये मजबूरन ख़ामोशी से शिरकत करते रहे और उनकी ज़बान से ख़ौफ़ की वजह से कोई कलिमा न निकल सका।

(मआज़ल्लाह)

इस क़िस्म का ख़्याल करना न सिर्फ़ हज़रत उमर (रज़ि.) पर बदगुमानी है, बल्कि उनके अलावा तमाम सहाबा व ताबईन और अइम्मए मुजतहिदीन रज़िअल्लाहु अनहुम्अजमईन के ख़िलाफ़ बदज़नी और बदगुमानी का दरवाज़ा खोल देना है, जो इस मस्अला पर ख़लीफ़तुलमुस्लिमीन के साथ मुत्तफ़िक़ और उनके साथ इस अमल (तरावीह) में शरीक थे। हम को हज़रत उमर (रज़ि.) और दीगर तमाम हज़राते सहाबा से हरगिज़ हरगिज़ ऐसी उम्मीद नहीं कि वह सब हुज़ूर (स.अ.व.) के ख़िलाफ़ किसी फ़ेल पर ऐसा इत्तिफ़ाक़ करें, बात ये है कि हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माना से पहले भी बीस रकअ़त तरावीह पढ़ी जाती थी। मुतफ़र्रिक़ तौर पर मुख़्तलिफ़ इमामों के साथ, या अलग अलग पढ़ा करते थे। सिर्फ़ हज़रत उमर (रज़ि.) ने जमाअ़त का ख़ास एहतेमाम फ़रमाया तो उससे ये कैसे लाज़िम हुआ कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने तरावीह की बिदअ़त जारी फ़रमाई।

ख़ुलासए कलाम

अहादीस से मालूम होता है कि आँहज़रत (स.अ.व.) ने तरावीह को जमाअ़त के साथ पढ़ा है, ताकि उसका मसनून होना मालूम हो जाए। उसके बाद उसको तर्क फ़रमाया

कि मबादा फ़र्ज़ न हो जाए। अगर फ़रज़ियत का अंदेशा न होता तो आप (स.अ.व.) हमेशाा पढ़ते रहते। आँहज़रत (स.अ.व.) ने सहाबा (रज़ि.) को घरों में तरावीह पढ़ने का हुक्म फ़रमाया था और चूंकि आँहज़रत (स.व.अ.) की वफ़ात के बाद तरावीह के फ़र्ज़ होने का अंदेशा दूर हो गया, लिहाज़ा लाज़िम हुआ कि तरावीह को मसिज्दों में बाजमाअत पढ़ा जाए।

आँहज़रत (स.अ.व.) के बाद हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने तरावीह को जमाअत से पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, उसकी वजह ये थी कि आप (रज़ि.) उससे भी ज़्यादा अहम काम में मशगूल व मसरूफ़ रहे, यानी आप नुबूवत के दावेदारों और मुरतद्दीन का मुक़ाबला करने में मसरूफ़ रहे, मुद्दते ख़िलाफ़त भी निहायत मुख़्तसर यानी दो साल चंद माह ही रही, जिसकी वजह से आप को जमाअ़ते तरावीह का एहितमाम करने की फ़ुरसत नहीं मिली। हज़रत उमर (रज़ि.) को भी अपनी ख़िलाफ़त के इब्तिदाई ज़माना में मशगूलियत ज़्यादा रही, उसके बाद जब इंतिज़मात दुरुस्त व मुस्तहकम हो गए और सतहे ज़मीन पर अम्न का फ़र्श बिछ गया तो उस सुन्नत के क़ाइम करने की तरफ़ हज़रत उमर (रज़ि.) की तवज्जोह हुई, चुनांचे बुख़ारी ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुलक़ादिर से रिवायत की है, कि मैं एक शब हज़रत उमर (रज़ि.) के साथ मस्जिद में गया, देखा कि लोगा इधर उधर मुतफ़र्रिक़ तौर पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई तन्हा और कोई किसी के साथ चंद नफ़र। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया अगर इन सब को एक हाफ़िज़ के पीछे जमा कर दूं तो ज़्याद

अच्छा होगा, फिर इसी ख़्याल को पुख़्ता कर के हज़रत उबैय बिन कअ़ब (रज़ि.) का सब को मुक़्तदी बना दिया। उसके बाद दूसरी शब में हज़रत उमर (रज़ि.) के साथ गया तो देखा कि आदमी जमाअ़त की सूरत में अपने इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनको देख कर हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़रमायाः "बहुत अच्छी है ये बिदअ़त।"

अल्लामा क़ारी (रह.) कहते हैं, कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने जो तरावीह को बिदअ़त कहा सिर्फ़ सूरत के एतेबार से फ़रमाया। क्योंकि ये इजतिमाअ़ आपकी (स.अ.व.) वफ़ात के बाद हुआ, वरना हक़ीक़त के एतेबार से ये बिदअत नहीं है क्योंकि आँहज़रत (स.अ.व.) ने ही सहाबए किराम को घरों में पढ़ने का हुक्म फ़रमाया था ताकि फ़र्ज़ न हो जाए।

अहादीस से आप (स.अ.व.) का तरावीह की बीस रकअ़त पढ़ना साबित है, लेकिन इतने एहितमाम और जमाअ़ते कसीरा के साथ नहीं पढ़ी जाती थी। हज़रत उमर (रज़ि.) ने सब को एक इमाम के साथ पढ़ने का एहितमाम फ़रमाया।

बइत्तिफ़ाक़े अइम्मा सहीह ये है कि तरावीह में जमाअ़त ही अफ़ज़ल है, बल्कि बाज़ उलामा ने इसके मुतअल्लिक़ इजमाअ़ का दावा किया है, कि जुमला सहाबा का इस पर इजमाअ़ हो गया है, क्योंकि मुहाजिरीन व अन्सार में से किसी ने भी इनकार या एतेराज़ नहीं किया सब ने इसमें शिरकत फ़रमाई।

आँहज़रत (स.अ.व.) के इरशादे ग्रामी "عَليكمْ بُسنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْن. الخ" से दोनों सुन्नतों को मामूल बनाना

वाज़ेह तौर पर मालूम होता है। आप ने ये हुक्म नहीं फ़रमाया कि मेरी सुन्नत को लेकर ख़ुलफ़ा की सुन्नत को तर्क कर दो बल्कि दोनों का इलतिज़ाम करो।

इमामे आज़म अबूहनीफ़ा (रह.) से सवाल

इमाम आज़म अबूहनीफ़ा (रह.) से सैयदना उमर (रज़ि.) के इस अमल (तरावीह) के मुतअल्लिक़ दरयाफ़्त किया गया तो उन्होंने कहा कि तरावीह सुन्नते मुअक्कदा है। हज़रत उमर (रज़ि.) का मन माना फ़ेल नहीं है। उन्होंने कोई बिदअ़त नहीं की और जब तक इस हुक्म की अस्ल उनके हाथ नहीं आई तो उन्होंने उस पर अमल करने का हुक्म नहीं दिया। (किताबुलफ़िक़्ह अललमज़हिबिलअरबआ़ जिल्द–1 सफ़्हा–443)

अगर किसी साहब को तफ़सील देखनी हो तो मुन्दरजा ज़ैल किताबें मुलाहज़ा फ़रमाएं।

1– अनवारुलमसाबीहः मुअल्लिफ़ हज़रत मौलाना मुहम्मद क़ासिम साहब नानौतवी (रह.)।

2– रकआ़ते तरावीहः मुअल्लिफ़ मौलाना हबीबुर्रहमान आज़मी दामत बरकातुहुम।

3– फ़तावा रहीमिया जिल्द–1।

4– फ़तावा रशीदिया कामिल।

5– किताबुलफ़िक़्ह अललमज़ाहिबिलअ़रबा।

तरावीह सब के लिए सुन्नत है

तरावीह मर्दों और औरतों के लिए मसनून है। जमाअ़त से तरावीह पढ़ना सुन्नते किफ़ाया है और तरावीह का वक़्त इशा की नमाज़ के बाद है और तरावीह पर वित्र का मुक़द्दम करना भी सहीह है और मुअख़्ख़र करना भी,

तिहाई रात तक तरावीह को मुअख़्ख़र करना मुस्तहब है और सहीह मज़हब के बमोजिब निस्फ़े शब के बाद तक भी तरावीह का मुअख़्ख़र करना मकरूह नहीं है। तरावीह की बीस रकअ़त हैं दस सलामों के साथ और हर चार रकअ़त के बाद उन चार रकअ़त की मिक़्दार बैठना मुस्तहब है। तरावीह के अन्दर माहे रमज़ान में एक मरतबा ख़त्मे कुरआन करना मसनून है। (नूरुलईज़ाह सफ़्हा–99)

तरावीह मर्दों और औरतों सब के लिए सुन्नते मुअ़क्कदा है। मगर औरतों के लिए जमाअ़त सुन्नते मुअक्कदा नहीं है। (किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–361)

हाफ़िज़े कुरआन का तरावीह में कुरआन सुनाना

सवालः हाफ़िज़ को तरावीह में कुरआन सुनाना वाजिब है या मुस्तहब? वाजिब होने की सूरत में अगर कोई शख़्स पढ़ते वक़्त रिया व नुमूद से बचने की अपने में कूवत न रखता हो तो उसको सुनाना जाइज़ है या नहीं? जाइज़ न होने की सूरत में सुनाने से कुरआन शरीफ़ का कोई हक़ या मुवाख़्ज़ा उसके ज़िम्मे बाक़ी रहेगा तो छुटकारे की क्या सूरत है?

जवाबः तरावीह में कुरआन शरीफ़ सुनाना और सुनना सुन्नत और मुस्तहब है और ख़ौफ़े रिया व उज्ब की वजह से छोड़ा न जाए और हत्तलवुसअ़त कोशिश हुसूले इख़लास की की जाए और लिवज़हिल्लाह बिला मुआ़वज़ा सुनाया जाए। ये बड़े अज्र व सवाब का काम है और इसी में फ़ज़ीलत है। बाक़ी अगर किसी उज़्र से तरावीह में किसी हाफ़िज़ ने कुरआन शरीफ़ न पढ़ा और वैसे तिलावत करता रहा तो मुवाख़्ज़ा से बरी है।

"قال الله تعالىٰ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا"

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–248)

क्या तरावीह पढ़ाना इमाम की ज़िम्मादारी है?

सवालः इमाम साहब पाँचों वक़्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ाते हैं मगर तरावीह में सुनाने की आदत नहीं रही है। बाज़ कहते हैं कि तरावीह पढ़ाना इमाम की ज़िम्मादारी है।

जवाबः तरावीह में जब कि इमाम साहब कुरआन शरीफ़ सुनाने से आजिज़ और क़ासिर हैं तो "اَلَمْ تَرَ كَيْفَ" से पढ़ाने के ज़िम्मादार हैं।

अगर मुक़्तदी हज़रात तरावीह में कुरआन पाक सुनने की सआदत हासिल करना चाहते हैं तो उसका इंतिज़ाम मुक़्तदी हज़रात ख़ुद करें, इमाम साहब को मजबूर न करें।

लिवज्हिल्लाह तरावीह पढ़ाने वाला न मिल सके तो किसी हाफ़िज़ को रमज़ान के लिए नाइब इमाम मुक़र्रर कर लें। इशा वग़ैरा एक दो नमाज़ें उसके जिम्मे कर देनी चाहिएं और वह तरावीह भी पढ़ाए तो उजरत देने की गुंजाइश निकल सकती है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–349)

तरावीह में इमामत का हक़

सवालः बकर एक मस्जिद में इमाम मुक़र्रर हुआ है और हाफ़िज़े कुरआन है। ज़ैद भी हाफ़िज़े कुरआन है। वह ज़मानए बईद से उस मस्जिद में तरावीह पढ़ाता था। अब बकर कहता है कि मैं इमाम मुक़र्रर हुआ हूं तरावीह पढ़ाने का हक़ मुझ को है। ज़ैद कहता है कि मेरा क़दीमी हक़ है तो किस को हक़ है?

जवाबः सूरते मसऊला में जबकि बकर इमाम मुक़र्रर

हो गया है तो तरावीह की भी इमामत का हक़ उसी को हासिल है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–282, बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–522 बाबुलइमामत)

तरावीह के लिए हाफ़िज़ का तक़र्रुर

सवालः जिस तरह पंज वक़्ता नमाज़ों के लिए इमाम मुक़र्रर करना जाइज़ है क्या उसी तरह तरावीह के लिए भी हाफ़िज़ मुक़र्रर कर सकते हैं?

जवाबः चूंकि मस्अला ये है कि "اَلْاُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا" और ये भी है कि "اَلْمَعْرُوْفُ كَالْمَشْرُوْطِ" पस अगर किसी हाफ़िज़ को ख़त्मे कुरआन शरीफ़ के लिए तरावीह का इमाम बनाया जाए तो ज़ाहिर है उससे मक़्सूद इमामत नहीं है, बल्कि कुरआन शरीफ़ का ख़त्म है। लिहाज़ा उस पर जो उजरत दी या ली जाएगी वह ख़त्मे कुरआन शरीफ़ की वजह से है न कि महज़ इमामत की वजह से, पस हस्बे क़ाएदा "لَايَجُوْزُ اَخْذُ الْاُجْرَةِ عَلٰى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ" तरावीह में ख़त्मे कुरआन पर उजरत लेना और देना जाइज़ न होगा। नीज़ शामी जिल्द–5 सफ़्हा–35 पर है कि बिला उजरत मुक़र्रर करना इमामे तरावीह का दुरुस्त व अफ़ज़ल है। अलबत्ता उजरत पर जाइज़ नहीं। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–247, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–5 सफ़्हा–47, किताबुलइजारा, मतलबुलइजारा फ़ित्ताअ़ति)

एक शख़्स दो जगह तरावीह पढ़ा सकता है या नहीं?

सवालः बाज़ हाफ़िज़ ऐसा करते हैं कि एक मस्जिद में तरावीह पढ़ा कर आते हैं फिर दुसरी मस्जिद में पढ़ा देते हैं, इसका शरअ़न क्या हुक्म है?

जवाबः अगर दोनों जगह पूरी पूरी तरावीह पढ़ाए तो मुफ़्ता बिही क़ौल के मुताबिक़ दूसरी मस्जिद वालों की तरावीह दुरुस्त नहीं होगी, आलमगीरी में सराहत मौजूद है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–288, बहवाला आलगीरी जिल्द–1 सफ़्हा–289)

नोटः इसकी एक सूरत ये निकल सकती है कि हाफ़िज़ दस रकअत एक मस्जिद में तरावीह पढ़ाऐं, और बक़िया तरावीह बजाए हाफ़िज़ साहब के मुक़तदियों में से कोई साहब दूसरी सूरतों से पूरी कर दें।

मुहम्मद रफ़अत क़ासमी (मुरत्तिब)

तरावीह में मुआवज़ा की शरई हैसियत

सवालः रमज़ान शरीफ़ में ख़त्मे कुरआन शरीफ़ की ग़रज़ से हाफ़िज़ साहब का लेने देने की नीयत से सुनना सुनाना और बाद में लेना देना कैसा है, नीयत दोनों की लेने देने की होती है बग़ैर उसके सुनता सुनाता नहीं है। अगर किसी मस्जिद में कुरआन शरीफ़ न सुनाया जाए महज़ तरावीह पढ़ने पर इक्तिफ़ा किया जाए तो वह लोग फ़ज़ीलते क़यामे रमज़ान से महरूम होंगे या नहीं?

जवाबः उजरत पर कुरआन शरीफ़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है और इसमें सवाब भी नहीं है और बहुक्मे "अलमारूफ़ कलमशरूत जिसकी नीयत लेने देने की है वह भी उजरत के हुकम में है और नाजाइज़ है। इस हालत में सिर्फ़ तरावीह पढ़ना और उजरत का कुरआन शरीफ़ न सुनना बेहतर है और सिर्फ़ तरावीह अदा कर लेने से कयाम रमज़ान की फ़ज़ीलत हासिल हो जाएगी।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–246, बहवाला

रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–660, मबहसुत्तरावीह)

तरावीह की उजरत बतौर नज़राना

सवालः एक मौलवी साहब बहुत दीनदार, परहेज़गार औ हाफ़िज़े कुरआन हैं, वह हर साल रमज़ान में एक क़स्बा की मस्जिद में जा कर नमाज़े तरावीह सुनाया करते हैं, ख़त्म के बाद मुक़्तदी वग़ैरा हस्बे मिक़्दार बिला जब्र व इकराह और बिला गुफ़्तगू हिस्बतन लिल्लाह हाफ़िज़ को कुछ देते हैं और हाफ़िज़ भी बख़ुशी क़बूल करते हैं और कहते हैं कि मेरा मक़्सूद इससे माल और कस्बे दुनिया नहीं है। मेरा मक़्सद सवाब और अदाए सुन्नते मुअक्कदा है और याददाश्ते कुरआन मजीद है, रुपये पैसा होना न होना मेरे नज़दीक बराबर है। और तफ़सीरे अज़ीज़ी की एक इबारत से जवाज़े उजरत अललइबादात मालूम होता है इसलिए इस सूरत में शरअन क्या हुक्म है?

जवाबः फ़ुक़हा ने ये क़ाएदा लिख दिया है कि "المعروف كالمشروط" (كذافى الشامى وغيره) पस अगर उन हाफ़िज़ साहब को मालूम है कि उनके कुरआन शरीफ़ सुनाने पर मस्जिद से रुपया मिलेगा और लेना देना मारूफ़ है तो उन हाफ़िज़ साहब को कुरआन शरीफ़ ख़त्म कर के कुछ लेना दुरुस्त नहीं है वरना पढ़ने और सुनने वाले दोनों सवाब से महरूम हैं। और शाह अब्दुलअज़ीज़ (रह.) की तहरीर का मतलब ये है कि इस इबादत पर कुछ लेना देना मारूफ़ न हो ताकि कलामे फ़ुक़हा और इरशादे शाह साहब में तआरुज़ न हो।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–264, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–287)

हाफ़िज़े तरावीह को आमदोरफ़्त का किराया पेश करना और खाना खिलाना

सवाल: एक हाफ़िज़ साहब को शाबान के आख़िर में बुलाया गया और सब लोगों ने चंदा कर के आमदोरफ़्म का किराया दिया और रमज़ान शरीफ़ के पूरे महीने उन को उमदा खिलाया पिलाया तो ये सूरत कुरआन शरीफ़ सुनने की बिला एवज़ शुमार होगी या ये सूरत नाजाइज़ है और उनको कुछ ज़ाइद उसके एवज़ में नहीं दिया जाता, अगर ये सूरत न की जाए तो हाफ़िज़ साहब सुनाते नहीं हैं।

जवाब: आमदोरफ़्त का किराया दे कर हाफ़िज़ को बाहर से बुलाना और उसका कुरआन शरीफ़ बिला मुआवज़ा सुनना जाइज़ और मोजिबे सवाब है। और जब कि वह बाहर से आया हो और बुलाया हुआ मेहमान है तो उसको उमदा खिलाना जाइज़ है। फ़क़त

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–295)

अगर हाफ़िज़ साहब के दिल में लेने का ख़्याल न था और फिर किसी ने दिया तो दुरुस्त है। और जो हस्बे रिवाज व उर्फ़ देते हैं और हाफ़िज़ भी लेने के ख़्याल से पढ़ता है अगरचे ज़बान से कुछ नहीं कहा तो दुरुस्त नहीं है। (फ़तावा रशीदिया कामिल सफ़्हा–324)

तरावीह पर मुआवज़ा की गुंजाइश

सवाल: हुफ़्फ़ाज़े किराम तरावीह के लिए रुपये मुतअैयन करते हैं या मुतवल्ली से कहते हैं कि जो आप चाहें दे दें या मुतवल्ली साहब कहते हैं कि हम अपनी ख़ुशी से जो चाहेंगे देंगे तो इस तरह की तअ़यीन जाइज़ है या नहीं?

जवाबः तरावीह में उजरत लेना देना नाजाइज़ है, लेने देने वाले दोनों गुनहगार होते हैं इससे अच्छा ये है कि "اَلَمْ تَرَ كَيْفَ" से पढ़ाई जाए।

लिवज्हिल्लाह पढ़ना और लिवज्हिल्लाह इमदाद करना जाइज़ है मगर इस जमाना में ये कहां है? एक मरतबा पैसे न दिए जाऐं तो हाफ़िज़ साहब दूसरी दफ़ा नहीं आऐंगे।

अस्ल मस्अला यही है, मगर वह मुशकिलात भी नज़र अंदाज़ न होनी चाहिऐं जो हर साल और तक़रीबन हर एक मस्जिद के नमाज़ी को पेश आती हैं। क़ाबिले अमल हल ये है कि जहां लिवज्हिल्लाह तरावीह पढ़ाने वाला हाफ़िज़ न मिले, वहां तरावीह पढ़ाने वाले को माहे रमज़ान के लिए नाइब इमाम बनाया जाए और उसके ज़िम्मे एक या दो नमाज़ सिपुर्द कर दी जाऐं तो मज़कूरा हीला से तनख़्वाह लेना जाइज़ होगा, क्योंकि इमामत की उजरत को जाइज़ क़रार दिया है।

मुफ़्तीए आज़म हज़रत मौलाना मुफ़्ती किफ़ायतुल्लाह (रह.) का फ़तवा ये है कि अगर रमज़ानुलमुबारक के महीने के लिए हाफ़िज़ को तनख़्वाह पर रख लिया जाए और एक दो नमाज़ों में से उसकी इमामत मुतऐयन कर दी जाए तो ये सूरत जवाज़ की है, क्योंकि इमामत की उजरत की फुक़हा ने इजाज़त दी है।

(मुहम्मद किफ़ायतुल्लाह देहली 27 शाबान 1350 हिजरी किफ़ायतुल मुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–350)

नोटः हज़रत मुफ़्ती महमूदुलहसन साहब दामत करबातुहुम फ़रमाते हैं कि अस्ल मज़हब तो अदमे जवाज़ ही है, लेकिन हालते मज़कूरा में हीलए मज़कूरा की

गुंजाइश है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–350)

नीज़ एक सूरत ये भी निकल सकती है कि मसल्लियों में से अगर कोई साहबे ख़ैर हाफ़िज़ साहब के इफ़्तार व सहरी वग़ैरा का इंतिज़ाम कर दें और आख़ीर में बतौर हदीया या बतौर इमदाद कुछ पेश कर दें तो ये क़ाबिले एतेराज़ नहीं है। बतौर उजरत देना ममनूअ़ है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–433)

बिला तअैयुन दे दिया जाए और न देने पर कोई शिकवा शिकायत न हो तो ये सूरत उजरत से ख़ारिज और हद्दे जवाज़ में दाख़िल हो सकती है।

(किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–350)

नाबालिग़ हुफ़्फ़ाज़ का क़ुरआन पुख़्ता करने के लिए नवाफ़िल में जमाअ़त और उसमें शिरकत का हुक्म

सवाल: एक नाबालिग़ हाफ़िज़ नफ़्ल में क़ुरआन शरीफ़ सुनाना चाहता है तो ऐसे नाबालिग़ हाफ़िज़ की इक़्तिदा बग़रज़े इसलाह कर सकते हैं या नहीं?

जवाब: नाबालिग़ हाफ़िज़ की इक़्तिदा तो तरावीह व नफ़्ल में भी दुरुस्त नहीं, अलबत्ता अगर वह अपना क़ुरआन पुख़्ता करने के लिए और तरावीह पढ़ाने की आदत डालने के लिए नवाफ़िले नमाज़ में क़ुरआन सुनाए तो लुक़्मा देने के लिए एक हाफ़िज़ और अगर एक काफ़ी न हो तो दो हाफ़िज़ तालीमन इक़्तिदा कर सकते हैं। फ़ज़ीलत हासिल करने की ग़रज़ से इक़्तिदा जाइज़ न होगी।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–286)

बच्चे के पीछे तरावीह का मस्अला

सवाल: अगर पन्द्रह साल से कम का बच्चा सिर्फ़

तरावीह पढ़ाए और फ़र्ज़ दूसरा शख़्स पढ़ाए तो क्या ये सूरत जाइज़ है या नहीं?

जवाबः बच्चे की तरावीह सिर्फ़ नफ़्ल है और बालिग़ की सुन्नते मुअक्कदा। दूसरे बच्चे की नफ़्ल शुरू करने से भी वाजिब नहीं होती और बालिग़ पर वाजिब हो जाती है पस बच्चे की ज़ईफ़ हो गई, उस पर बालिग़ की क़वी नमाज़ की बिना करना ख़िलाफ़े उसूल होने के सबब जाइज़ नहीं रहेगा। इमदादुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–361)

फ़तावा महमूदिया में है कि नाबालिग़ को तरावीह के लिए इमाम बनाना दुरुस्त नहीं है, अलबत्ता अगर वह नाबालिग़ों की इमामत करे तो जाइज़ है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–350)

बालिग़ हो गया मगर दाढ़ी नहीं निकली

सवालः अमरद लड़के के पीछे नमाज़ हो सकती है या नहीं? मुराद ये है कि बालिग़ हो गया है मगर दाढ़ी मोंछ कुछ नहीं आई, ख़्वाह हाफ़िज़ हो या इल्मे दीन का पढ़ने वाला हो, और मुक़्तदियों को बवज्हे लड़कपन, उसके इमाम होने में इख़्तिलाफ़ है। इसलिए शरई हुक्म क्या है?

जवाबः अगर वह ख़ूबसूरत है और उसको निगाहे शह्वत से लोगों के देखने का एहतेमाल है तब तो अगर वह हाफ़िज़ या तालिबे इल्म भी हो, तब भी उसकी इमामत मकरूह है। और अगर ये बात नहीं है सिर्फ़ अवाम की नापसंदीदगी है तो अगर वह सब मुक़्तदियों से इल्म व क़ुरआन में अच्छा हो तो उसकी इमामत मकरूह नहीं है। और अगर इतनी उम्र हो गई है कि अब दाढ़ी भरने की उम्मीद नहीं रही है तो वह अमरद नहीं रहा।

(इमदादुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–358)

एक माह कम पन्द्रह साल के लड़के की इमामत का मस्अला

सवाल: जिस लड़के की उम्र यकुम रमज़ान 1405 हिजरी को चौदह साल ग्यारह माह की हो गई उसकी इमामत जाइज़ है या नहीं?

जवाब: मस्अला ये है कि अगर लड़के में और कोई अलामत बुलूग़ की मसलन एहतेलाम व इंज़ाल न पाई जाए तो पूरे पन्द्रह बरस की उम्र होने पर शरअ़न बालिग़ समझा जाता है। पस जिसकी उम्र यकुम रमज़ान शरीफ़ को चौदह साल ग्यारह माह की हुई उसकी इमामत तरावीह और वित्र में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सही मज़हब इमाम अबूहनीफ़ा (रह.) का यही है कि नाबालिग़ की इमामत फ़राइज़ व नाफ़िल और वाजिब में दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर कोई अलामत बुलूग़ की पाई जाए तो दुरुस्त होगी।

नीज़ चौदह बरस की उम्र के लड़के के पीछे फ़राइज़ व तरावीह कुछ दुरुस्त नहीं जब तक कि पूरे पन्द्रह बरस का न हो जाए, अलबत्ता चौदह बरस की उम्र में बुलूग़ीयत के आसार पैदा हो चुके हों और वह कहे कि मैं बालिग़ हो चुका हूं तो उसके पीछे दुरुस्त है।

(फ़तावा दारुलउलूम ज़िल्द–4 सफ़्हा–226, 295, बहवाला रद्दुलमुह्ता॰ जिल्द–1 सफ़्हा–539, बाबुलइमामत)

किस उम्र का लड़का तरावीह पढ़ा सकता है?

सवाल: कितनी उम्र का लड़का कुरआन शरीफ़ तरावीह में सुना सकता है। एक लड़के की उम्र तक़रीबन सोला साल ख़त्म होने को आई, वह कलामुल्लाह तरावीह में

सुना सकता है या नहीं? उस लड़के के मुंह पर दाढ़ी वग़ैरा कुछ नहीं आई और ऐसा लड़का जो पन्द्रह सोला बरस का हो वह अगली सफ़ में बड़े आदमी के साथ खड़ा हो सकता है या नहीं। नीज़ चौदह साल का हो तो वह भी अगली सफ़ में खड़ा हो सकता है या नहीं?

जवाब: अगर दूसरी अलामत बुलूग़ की मसलन एहतेलाम वग़ैरा लड़के में मौजूद न हों तो शरअन पन्द्रह बरस की उम्र पूरी होने पर बुलूग़ का हुक्म दिया जाता है।

पस जिस लड़के को सोलहवाँ साल शुरू हो गया है उसके पीछे तरावीह और फ़र्ज़ नमाज़ सब दुरुस्त है अगरचे बेरीश हो और ऐसी उम्र का लड़का अगली सफ़ में भी खड़ा हो सकता है। और तेरह चौदह बरस का इमाम नहीं हो सकता लेकिन तरावीह में बतलाने की वजह से उसको अगली सफ़ में खड़ा कर सकते हैं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–247)

दाढ़ी मुंडे हाफ़िज़ की इमामत

सवाल: जो हाफ़िज़ दाढ़ी मुंडाता है उसके पीछे तरावीह पढ़ना कैसा है?

जवाब: दाढ़ी मुंडाना हराम है और दाढ़ी मुंडाने वाला अज़रूए शरअ फ़ासिक़ है। लिहाज़ा ऐसे हाफ़िज़ को तरावीह के लिए इमाम बनाना जाइज़ नहीं है। ऐसे इमाम के पीछे तरावीह पढ़ना मकरूहे तहरीमी है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–353, बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़्हा–523)

कुहनी तक कटे हुए हाथ वाले की इमामत

सवाल: एक हाफ़िज़े कुरआन का एक हाथ कुहनी के

पास से कट गया है, ऐसे हाफ़िज़ के पीछे तरावीह होगी या नहीं?

जवाबः ऐसे इमाम के पीछे तरावीह पढ़ना जाइज़ है मकरूह नहीं। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–383)

फ़ैशन परस्त हाफ़िज़ की इमामत

सवालः बाज़ हाफ़िज़ फ़ैशन परस्त होते हैं, लिबास वग़ैरा शरई नहीं होता, सर पर ख़िलाफ़े शरअ़ हिप्पी कट बाल रखते हैं और बरहना सर घूमते हैं, तो क्या ऐसे हाफ़िज़ों के पीछे तरावीह पढ़ सकते हैं या नहीं?

जवाबः अगर हाफ़िज़ अपनी क़बीह आदतों के छोड़ देने का अहद करे तो उसको इमामे तरावीह बना सकते हैं और अगर इनकार करे तो फिर ऐसा शख़्स इमामत के मनसब के लाइक़ नहीं और इस वजह से अगर नमाज़ी उससे नाराज़ हों तो उनकी नाराज़गी हक़ होगी। हदीस में है कि शरई सबब से अगर मुसल्ली इमाम से नाराज़ हों तो ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ मक़्बूल नहीं होती। अगर हाफ़िज़ अपने तर्ज़े ज़िन्दगी को बदलने के लिए तैयार हो तो उनको इमाम बनाया जा सकता है। वरना इमामत का मुक़द्दस मनसब उनके सिपुर्द न किया जावे।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–417, बहवाला दुर्रेमुख़्तार मअ़ शामी जिल्द–1 सफ़्हा–522)

तवाइफ़ के लड़के के पीछे तरावीह

सवालः एक हाफ़िज़ साहब हैं जो ख़ुश इल्हान नमाज़ी हैं, व रोज़ा के पाबंद और ख़लीक़ भी हैं, क़ुरआन शरीफ़ ख़ूब याद है, लेकिन वलदुज़्ज़िना हैं, यानी एक तवाइफ़ के लड़के हैं, क्या उनको इमाम बनाया जा सकता है।

उनके पीछे फ़र्ज़ नमाज़ और तरावीह पढ़ना जाइज़ है या नहीं?

जवाबः अगर ये हाफ़िज़ साहब सालेह और नेक और मुआशरत के लिहाज़ से महफूज़ हैं तो उनके पीछे नमाज़ जाइज़ है। वलदुज़्ज़िना होना ऐसी सूरत में मोजिबे कराहत नहीं। (किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–64)

अगर हाफ़िज़ की दाढ़ी एक मुश्त से कम हो

सवालः हमारे शहर में सिर्फ़ एक हाफ़िज़े कुरआन है, लेकिन उसकी दाढ़ी एक मुश्त से कम है, क्योंकि वह दाढ़ी को तराश लेता है, उसके पीछे तरावीह पढ़ना जाइज़ है या नहीं?

जवाबः अगर दूसरा इमाम उससे बेहतर मिल सकता है तो उसको इमाम न बनाया जाए। एक मुश्त दाढ़ी रखने के लिए उसको कहा जाए और वह दाढ़ी बढ़ा ले तो ठीक है। (किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–87)

इमदादुलमुफ़्तीन में दाढ़ी मुंडवाने या कटवाने वाले के मुतअ़ल्लिक़ है कि वह शख़्स फ़ासिक़ और सख़्त गुनहगार है, उसको इमाम बनाना नाजाइज़ है, क्योंकि उसके पीछे नमाज़ मकरूहे तहरीमी है और वह वाजिबुलइहानत है उसको इमाम बनाने में उसकी ताज़ीम है। इसलिए उसको इमाम बनाना जाइज़ नहीं है। इमदादुलमुफ़्ती जिल्द–1 सफ़्हा–261, बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़्हा–276 बाबुलइमामत फ़तावा दारुलउलूम में ये मस्अला दर्ज है कि–

हदीस से दाढ़ी का छोड़ना और ज़्यादा करना और मोंछों का कतरवाना साबित है और दाढ़ी का मुंडवाना और कतरवाना जब कि दाढ़ी एक मुट्ठी से ज़्यादा न हो

तो हराम है। जो शख़्स एक मुट्ठी से कम दाढ़ी को कतरवाता या मुंडवाता है वह फ़ासिक़ है और फ़ासिक़ की इमामत मकरूहे तहरीमी है। जिस शख़्स में अगर सब बातें मुवाफ़िक़े शरअ़ के हैं लेकिन एक बात में वह ख़िलाफ़ और फ़ेले हराम का मुरतकिब है तो वह फ़ासिक़ है उसको चाहिए कि वह फ़ेले हराम से भी तौबा करे और दाढ़ी न मुंडवाए और कतरवाए। अलबत्ता एक मुट्ठी से ज़्यादा हो तो उसका कतरवाना फ़ुक़हा ने जाइज़ लिखा है।

(फ़तावा दारुलउलूम अज़ीज़ुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–117)

मोहतात नाबीना की इमामत

सवालः क्या ज़ोअ़फ़े बसारत इमामत के लिए मानेअ़ हो सकती है?

जवाबः फ़ुक़हाए किराम ने ऐसे नाबीना की इमामत को जो ग़ैर मोहतात और नजासत से न बचता हो मकरूहे तंज़ीही क़रार दिया है, लेकिन ये हुक्म आम नहीं है, बल्कि ग़ैर मोहतात के साथ ख़ास है, लिहाज़ा जो नाबीना मोहतात हो और नजासत से बचने का पूरा एहतेमाम करता हो, पाक साफ़ और सुथरा रहता हो उसकी इमामत को बिला कराहत जाइज़ लिखा है।

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) का ब्यान है कि नबी करीम (स.अ.व.) ने ग़ज़वए तबूक में तशरीफ़ ले जाने के मौक़ा पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मकतूम (रज़ि.) को जो नाबीना थे मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ाने के लिए अपना क़ाइम मक़ाम बनाया था। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमैर (रज़ि.) बावजूद नाबीना होने के बनी हतमा के इमाम थे, वह फ़रमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के

मुबारक ज़माना में बनी हतमा का इमाम था, हालांकि मैं नाबीना था। (फ़ताव रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–363)

नोटः एक चश्म की इमामत जाइज़ है कोई वजह कराहत की नहीं है।

(किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–89)

तरावीह पढ़ाने वाला अगर पाबंदे शरअ न हो तो क्या हुक्म है

सवालः मुनदरजा ज़ैल सिफ़ात वाले हाफ़िज़ के पीछे तरावीह पढ़ना सही है या नहीं?

(1) ख़िलाफ़े सुन्नत दाढ़ी रखने वाले के पीछे।

(2) सरकारी मुलाज़िम या स्कूल के टीचर हाफ़िज़ के पीछे।

(3) दुकानदार हो यानी सूदी रक़म से बलैक मार्किट करता हो और नाजाइज़ तरीक़े से तिजारत करता हो तो उसके पीछे तरावीह पढ़ना सही है या नहीं?

जवाबः ख़िलाफ़े सुन्नत दाढ़ी वाला शख़्स, सूदी मआमला करने वाला, और नाजाइज़ तरीक़े से तिजारत करने वाला शख़्स इमामत के क़ाबिल नहीं, उसके पीछे नमाज़ मकरूह है। लेकिन हाज़रीन में कोई दूसरा शख़्स ऐसा भी न हो तो तन्हा नमाज़ पढ़ने के बजाए ऐसे इमाम के पीछे पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि जमाअत की बड़ी फ़ज़ीलत और ताकीद है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–3 सफ़्हा–84)

अगर हाफ़िज़ नमाज़ का पाबंद न हो तो क्या हुक्म है

सवालः (1) एक हाफ़िज़ कुरआन तो सही पढ़ता है मगर नमाज़ का पाबंद नहीं है ऐसे हाफ़िज़ के पीछे उन लोगें को तरावीह पढ़ना जो नमाज़ के पाबंद हैं बिला कराहत होगी या कराहत के साथ?

(2) एक हाफ़िज़ साहब की ज़बान से बजाए छोटे सीन के बड़ा शीन और बजाए जीम के ज़ो या ज़ाल या बिलअक्स अदा होते हैं। कोशिश के बावजूद वह उस पर क़ादिर नहीं तो ऐसे हाफ़िज़ के पीछे उन लोगो की तरावीह दुरुस्त होगी या नहीं जो कुरआन सही पढ़ते हैं?

जवाबः (1) तौबा से कराहत ज़ाइल हो जाती है क्योंकि इल्लत कराहत की फ़िस्क़ है और तौबा से फ़िस्क़ ज़ाइल हो जाता है।

(2) अहक़र के नज़दीक फ़राइज़ व वित्र में अदमे जवाज़ का हुक्म ज़्यादा एहतियात रखता है और तरावीह में जवाज़ का हुक्म औसअ़ है।

(इमदादुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–95)

माज़ूर हाफ़िज़ की इमामत

सवालः हाफ़िज़ अगर उज़्र की वजह से बैठ कर तरावीह पढ़ाए तो मुक़्तदी किस तरह पढ़ेंगे?

जवाबः अगर हाफ़िज़ साहब उज़्र की वजह से बैठ कर तरावीह पढ़ाएं और मुक़्तदी हज़रात खड़े हों तो बाज़ फ़ुक़हा ने कहा है कि सब के नज़दीक नमाज़ सही होगी और बाज़ फ़ुक़हा ने कहा है कि मुक़्तदियों को बैठना मुस्तहब है ताकि इमाम की मुताबअ़त बाक़ी रहे। मुख़ालफ़त की सूरत न रहे। (दोनों सूरतें जाइज़ हैं) तर्जुमाः फ़तावा आलमगीर जिल्द–1 सफ़्हा–189)

दो हाफ़िज़ों के मिल कर पढ़ने का हुक्म

सवालः दो हाफ़िज़ मिल कर तरावीह पढ़ाते हैं। दस रकअ़त में एक हाफ़िज़ साहब सवा पारह, दूसरी दस रकअ़त में दूसरे हाफ़िज़ साहब सवा पारह। क्या नमाज़

में कोई ख़लल तो नहीं आता?

जवाब: एक कुरआन से ज़्यादा न पढ़ा जाए ता वक़्तेकि लोगों का शौक़ न मालूम हो जाए। तरावीह हो जाएगी बशर्ते कि मुक़्तदी हज़रात को गिराँ न गुज़रे।

(मज़ाहिरे हक़ तरतीबे जददी 14)

गैर मुक़ल्लिद की इमामत

सवाल: अगर इमाम गैर मुक़ल्लिद और तरावीह बीस रकअ़त के बजाए आठ रकअ़त पढ़ाए तो हनफ़िया को किस तरह बक़िया तरावीह पूरी करनी चाहिए, आया वित्र इमाम के साथ पढ़ कर बक़िया तरावीह पूरी करें या वित्र छोड़ कर?

जवाब: बक़िया तरावीह वित्र के बाद पढ़ सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि वित्र इमाम के साथ न पढ़ें बक़िया तरावीह पूरी पढ़ लेने के बाद वित्र पढ़ें।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–274, बहवाला हिदाया जिल्द–1 सफ़्हा–134 बाबुन्नवाफ़िल, फ़स्ल क़यामे रमज़ान)

जिसने इशा की नमाज़ न पढ़ी उसकी इमामत

सवाल: इशा की जमाअ़त हो गई। उसके बाद जब तरावीह की जमाअ़त होने लगी तो हाफ़िज़ साहब जिन्होंने अभी इशा के फ़र्ज़ अदा नहीं किए थे नमाज़े तरावीह पढ़ाने के लिए खड़े हो गए और दो रकअ़त तरावीह पढ़ा दी, मुक़्तदियों में से बाज़ ने एतेराज़ किया तो हाफ़िज़ साहब को हटाया दिया गया, उसके बाद इमाम की इक़्तिदा में बक़िया तरावीह अदा की गई।

दरयाफ़्त तलब अम्र ये है कि मुक़्तदियों की पहली दो

रकअ़त सही हुईं या नहीं, अगर नहीं हुईं तो क्या उनका इआदा ज़रूरी है?

जवाबः सूरते मसऊला में तरावीह की दो रकअ़तें क़ाबिले इआ़दा थीं, क्योंकि तरावीह इशा के बाद है पहले नहीं। उसी वक़्त इआ़दा कर लेना था और अगर इआ़दा नहीं किया गया तो बाद में सुब्ह सादिक़ से पहले तन्हा तन्हा पढ़ी जा सकती थी। अब वक़्त निकल गया उसकी क़ज़ा नहीं है, इस्तिग़फ़ार करें और उन दो रकअ़तों में जितना कुरआन शरीफ़ पढ़ा गया था उसको लौटाया न हो तो दूसरे दिन लौटा लिया जाए। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–385, बहवाला कबीरी सफ़्हा–385)

मर्द की इक़्तिदा में औरतों की जमाअ़त

सवालः अगर कोई इमाम नमाज़े फ़र्ज़ या तरावीह पढ़ाता हो और औरतें किसी परदे या दीवर के पीछे फ़ासिले से मुक़्तदी बन कर नमाज़ पढ़ें तो औरतों की नमाज़ जाइज़ है या नहीं? और इमाम की नमाज़ में कुछ ख़लल तो नहीं आता?

जवाबः इन मस्तूरात की नमाज़ दुरुस्त है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–262)

औरतों की जमाअ़त तरावीह

सवालः चंद औरतें जो हाफ़िज़े कुरआन हैं, ये चाहती हैं कि तरावीह में कुरआन मजीद अपनी जमाअ़त से ख़त्म करें, उनका ये फ़ेल कैसा है। नीज़ ईदैन की नमाज़ भी चंद औरतें जमाअ़त से पढ़ सकती हैं या नहीं। क्या औरत औरतों की इमाम बन सकती है या नहीं?

जवाबः औरतों की जमाअ़त इस तरह कि औरत ही

इमाम हो मकरूह है, ख़्वाह तरावीह की जमाअ़त हो या गै़र तरावीह की सब में औरतों का इमाम होना औरतों के लिए मकरूह है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–266, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–528 बाबुलइमामत)

नोटः मौलाना अब्दुलहई (रह.) का औरतों की जमाअ़त की तरावीह के सिलसिले में फ़तवा ये है कि तरावीह में औरत अगर सिर्फ़ औरतों की इमाममत करे तो जाइज़ है। अगर कोई औरत हाफ़िज़ा हो और भूलने का अंदेशा न हो तो मौलाना अब्दुलहई के फ़तवे पर अमल कर लेने की गुंजाइश हो सकती है, वैसे आम औरतें जमाअ़त न करें।

(मुरत्तिबः रफ़अ़त क़ासमी)

हाफ़िज़ का क़ुरआन तेज़ पढ़ना

सवालः बाज़ हाफ़िज़ तरावीह में इस क़दर जल्दी क़ुरआन शरीफ़ पढ़ते हैं कि सिवाए "यामलून" और "तामलून" के और कुछ समझ में नहीं आता और बाज़ मुक़्तदी भी ऐसा तेज़ पढ़ने को तरावीह के जल्दी ख़त्म हो जाने की वजह से पसंद करते हैं, इन दोनों का क्या हुक्म है?

जवाबः दुर्रेमुख़्तार में है कि "وَيَجْتَنِبُ الْمُنْكَرَاتِ" यानी क़ुरआन में मुनकरात से बचे, यानी जल्दी पढ़ने से और अऊज़, बिस्मिल्लाह और इत्मीनान के छोड़ने से। इससे मालूम होता है कि ऐसा पढ़ना अम्रे मुनकर है जो बजाए सवाब के सबबे मासियत है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–257, बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–663 मबहसुत्तरावीह)

तादादे रकअ़त में इख़्तिलाफ़ वाक़ेअ़ हो जाए तो क्या हुक्म है

सवालः तादादे रकआ़त के बारे में मुक़्तदी हज़रात के

दरमियान इख़्तिलाफ़ हुआ, बाज़ कहते हैं अठारह हुई और बाज़ कहते हैं बीस हुई तो अब किस का क़ौल मोतबर होगा?

जवाबः इमामे तरावीह जिस तरफ़ होगा उस जमाअत का क़ौल मोतबर होगा और अगर सब को शक हो जाए तो दो रकअत और पढ़ ली जाऐं, लेकिन बाजमाअत नहीं अलाहिदा अलाहिदा पढ़ें।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–355)

फ़तावा महमूदिया में है कि–

अगर तमाम नमाज़ियों और इमाम को शक हुआ कि अड्ठारह रकअत तरावीह हुई हैं या बीस पूरी हो गई तो दो रकअ़त बिला जमाअ़त और पढ़ ली जाए। अगर तमाम मुक़्तदियों को तो शक हुआ, लेकिन इमाम को शक नहीं हुआ बल्कि किसी एक बात का यक़ीन है तो वह अपने यक़ीन पर अमल करे और मुक़्तदियों के क़ौल की तरफ़ कोई तवज्जोह न करे।

अगर बाज़ कहते हैं कि बीस पूरी हो गई और बाज़ कहते हैं नहीं बल्कि अड्ठारह हुई हैं तो जिस तरफ़ इमाम का रुजहान हो उस पर अमल करे।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–253)

अगर तरावीह की कुछ रकअ़त तहज्जुद में पढ़े तो क्या हुक्म है?

सवालः अगर हाफ़िज़ तरावीह में सोलह रकअ़त पढ़ा कर चार रकअ़त उस वक़्त न पढ़े और उनको कोई दूसरा शख़्स पढ़ा दे फिर हाफ़िज़ चार रकअ़त तहज्जुद में जमाअ़त से पढ़ाऐं तो जाइज़ है या नहीं? इस तरह कि खुद हाफ़िज़

साहब तो तरावीह की नीयत करें और बक़िया मुक़्तदी तहज्जुद की या वह भी बक़िया चार रकअ़त तरावीह की नीयत से पढ़ें तो जाइज़ है या नहीं? ख़ुसूसन जबकि बुला कर इज्तिमा किया जाता हो?

जवाबः तरावीह अगर चार करअ़त छोड़ दी और आख़िर शब में उसकी जमाअ़त कर ली तो दुरुस्त है। (क्योंकि तरावीह का वक़्त इशा के बाद से सुब्ह सादिक़ तक रहता है) सिवाए तरावीह के दीगर नवाफ़िल तदाई के साथ यानी तीन चार आदमी से ज़्यादा की जमाअ़त दुरुस्त नहीं है इसी तरह तहज्जुद की जमाअ़त भी मकरूह है। (फ़तावा दारुलउलूम ज़िल्द–4 सफ़्हा–284, बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–663 बाबुल वित्र व नाफ़िल सफ़्हा–659 मबहसुत्तरावीह)

अगर ख़ुदा नख़्वास्ता हाफ़िज़ का तरावीह में इंतिक़ाल हो जाए

सवालः अगर हाफ़िज़ साहब तरावीह में जाँबहक़ हो जाऐं तो मुक़्तदी नमाज़ किस तरह पूरी करें।

जवाबः वह नमाज़ फ़ासिद हो गई, फिर किसी को इमाम बना कर अज़ सरे नौ नमाज़ पढ़नी चाहिए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–553 बाबुलइमामत)

हाफ़िज़ ने सुनाना शुरू किया फिर किसी वजह से दरमियान में छोड़ दिया

सवालः अगर हाफ़िज़ साहब ने कुरआन शरीफ़ तरावीह मुें सनाना शुरू किया और किसी वजह से दरमियान में एक दो रोज़ न पढ़ा, मसलन दस पारे तक पढ़ा और उसके बाद दूसे हाफ़िज़ ने पन्द्रह पारे तक पढ़ा तो अब

हाफ़िज़े साबिक़ ग्यारहवें पारे से शुरू करे या सोलहवें पारे से शुरू करे?

जवाबः जब पहले हाफ़िज़ ने दस पारा पढ़े और फिर दूसरे ने पन्द्रह तक पढ़े, तो पहले हाफ़िज़ जब आऐं तो उनको इख़्तियार है ख़्वाह सोलहवें पारे से पढ़ें या ग्यारहवें से लेकिन अपना कुरआन पूरा करने के लिए बेहतर है कि ग्यारहवें पारे से शुरू करें।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–255)

इमाम का नमाज़ के लिए किसी ख़ास शख़्स का इंतिज़ार करना

सवालः जो इमामे मस्जिद ऐसा हो कि जिस वक़्त तक मस्जिद में एक या दो मख़सूस शख़्स न आ जाऐं चाहे नमाज़ का मुक़र्ररा वक़्त भी गुज़र जाए और वक़्त में भी ताख़ीर हो रही हो मगर अपने दुनियावी नफ़ा के बाइस या तअल्लुक़ात के सबब उन अशख़ास का इंतिज़ार करे तो ऐसे इममा के पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा है?

जवाबः अगर बेवजह दुनिया के किसी दीनदार रईस का इंतिज़ार करता है और हाज़रीन की रिआयत नहीं करता तो इमाम और मुकब्बिर दोनों गुनगहार हैं मगर नमाज़ उनके पीछे हो जाती है।

(फ़तावा रशीदिया कामिल सफ़्हा–288)

जमाअत में जो अपना इंतिज़ार चाहता हो

सवालः कोई मुतवल्लिये मस्जिद या ख़ादिमे मस्जिद वग़ैरा ये कहता है कि जब तक हम मस्जिद में न आ जाऐं जमाअत न खड़ी हो। तो ऐसे शख़्स के बारे में शरई क्या हुक्म है?

जवाबः जो ऐसा शख़्स मुतवल्ली हो कर अपने वास्ते ऐसी ताकीद करे और ताख़ीर करे वह गुनगहार है और आदमियों का इंतिज़ार भी दुरुस्त नहीं है। हाँ अवाम मुस्लिमीन का इंतिज़ार दुरुस्त है, बशर्ते कि दूसरों को जो हाज़िर हो चुके हैं तकलीफ़ न हो और वक़्त भी मकरूह न आ जाए, मगर रईस या दुनियादारों का इंतिज़ार न करे वक़्त पर सब आ जाएें या अक्सर आ जाएें तो नमाज़ पढ़ाए। (फ़तावा रशीदिया कामिल–287)

तहरीमा के सही अलफ़ाज़ क्या हैं

बाज़ इमाम तकबीर कहने में बड़ी बे एहतियाती करते हैं और "अल्लाहुअकबर" कहने के बजाए "अल्लाहु अकबार" कहते हैं, यांनी "बा" और "रा" के दरमियान अलिफ़ बढ़ा देते हैं। इसी तरह से बाज़ इमाम अल्लाह के शुरू में मद करते हैं और "आल्लाहु अकबर" कहते हैं। ये दोनों सूरतें बिल्कुल ग़लत हैं, इन दोनों सूरतों में नमाज़ फ़ासिद हो जाती है, और अगर तकबीरे तहरीमा में इस तरह कह दिया तो नमाज़ का शुरू करना ही सही न होगा।

(मसाइले सज्दए सह्व सफ़्हा–73 बहवाला सग़ीरी)

इमाम को तकबीरात किस तरह कहनी चाहिऐं

अक्सर व बेशतर इमामों को देखा जाता है कि नमाज़ पढ़ाते वक़्त तकबीराते इंतिक़ालिया, हरकते इंतिक़ालिया के साथ साथ नहीं क़हते, बल्कि कभी तो मुनतक़िल होने के बाद तकबीर कहते हैं और कभी दूसरे रुक्न तक पहुंचने से पहले ही तकबीर ख़त्म कर देते हैं, मसलन क़याम की हालत से मुनतक़िल हो कर रुकूअ़ में जाते हैं तो बाज़ इमाम झुकने के बाद अल्लाहुअकबर कहते हैं और बाज़

इमाम इस क़दर छोटा अल्लाहुअकबर कहते हैं कि रुकूअ में पूरे तौर पर पहुंचने से पहले ही अल्लाहुअकबर की आवाज़ ख़त्म हो जाती है और इसी तरह सज्दा में जाते वक़्त और सज्दा से दूसरी रकअत के लिए खड़े होते वक़्त भी करते हैं।

वाज़ेह रहे कि इन दोनों सूरतों में तकबीर की सुन्नते कामिल अदा नहीं हुई। कामिल सुन्नत उसी वक़्त अदा होती है जब कि एक रुक्न से दूसरे रुक्न की तरफ़ मुनतक़िल होने के साथ साथ तकबीर शुरू करे और ज्योंहि दूसरे रुक्न में पहुंचे तकबीर की आवाज़ बंद हो जाए। और बाज़ इमाम अल्लाहुअकबर को इस तरह खींचते हैं कि दूसरे रुक्न में पहुंच जाने के बाद कुछ देर तक उनकी तकबीर की आवाज़ आती रहती है इस दरजा तकबीर को खींचना मकरूह है।

(मसाइले सज्दए सह्व सफ़्हा–71, बहवाला कबीरी सफ़्हा–313)

❑❑❑

दूसरा बाब

तरावीह कहां पढ़ें?

नमाज़े तरावीह घर में पढ़ना अफ़ज़ल है या मस्जिद में

सवालः नमाज़े तरावीह घर में पढ़ना अफ़ज़ल है या मस्जिद में?

जवाबः इमामे आज़म अबूहनीफ़ा (रह.) और हज़रत इमाम शाफ़ई (रह.) और शवाफ़े उलमा की अक्सरीयत और बाज़ मालिकिया (रह.) हज़रात का मुत्तफ़िक़ा तौर पर मसलक है कि नमाज़े तरावीह का मस्जिद में ही पढ़ना अफ़ज़ल है, जैसा कि अमीरुलमुमिनीन हज़तर उमर (रज़ि.) और उनके बाद के दूसरे सहाबा (रज़ि.) ने उसको मस्जिद ही में पढ़ना मुक़र्रर किया है, और फिर उस पर तमाम मुसलमानों का हमेशा अमल रहा है, क्योंकि नमाज़े तरावीह शिआ़रे दीन है और नमाज़े ईद के मुशाबेह है।

(मज़ाहिरे हक़ जदीद तरतीब—14)

कुल तरावीह हनफ़ीया के नज़दीक बीस रकअ़त हैं उनको जमाअ़त से पढ़ना सुन्नत है। अगर तमाम अह्ले मुहल्ला तरावीह छोड़ दें तो सब तर्के सुन्नत के वबाल में गिरफ़्तार होंगे। अक्सर अह्ले मुहल्ला ने तो तरावीह जमाअ़त से पढ़ी मगर इत्तिफ़ाक़न एक दो शख़्स ने जमाअ़त से नहीं पढ़ी, बल्कि तन्हा मकान में पढ़ी तब भी सुन्नत अदा

हो गई। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–350, बहवाला कबीरी सफ़्हा–384)

तरावीह कौन सी मस्जिद में अफ़ज़ल है

सवालः नमाज़े तरावीह कौन सी मस्जिद में अफ़ज़ल है क्योंकि क़रीब में जामा मस्जिद भी है, जब कि जामा मस्जिद में नमाज़ का पढ़ना ज्यादा अफ़ज़ल बताया गया है?

जवाबः दुर्रेमुख़्तार में है कि मस्जिदे मुहल्ला अह्ले मुहल्ले के हक़ में जामा मस्जिद से अफ़ज़ल है और शामी ने भी यही लिखा है "لِاَنَّ لَهُ حَقًّا عَلَيْهِ، فَلْيُؤَدِّهِ" यानी मुहल्ले वाले पर मस्जिदे मुहल्ला का हक़ है उसको अदा करना चाहिए। (दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–617)

मुहल्ले की मस्जिद का हक़

सवालः हमारे मुहल्ले की मस्दिज में आठ रकअ़त तरावीह तक नमाज़ी रहते हैं, फिर कम होने शुरू हो जाते हैं, तो हम उस मस्जिद को छोड़ कर दूसरी मस्जिद में तरावीह अदा करें तो कैसा है कुछ हरज तो नहीं?

जवाबः बीस रकअ़त तरावीह बाजमाअ़त मुहल्ले की मस्जिद में होना ज़रूरी है, लिहाज़ा आप लोगों को अपनी मस्जिद में तरावीह पढ़नी चाहिए, चाहे नमाज़ी क़म हों। अगर मुहल्ले की मस्जिद में तरावीह न होगी तो सब गुनहगार होंगे। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–349, बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़्हा–660)

क्या अपनी मस्जिद छोड़ सकते हैं

सवालः अगर दूसरी मस्जिद में अच्छा हाफ़िज़ पढ़ने वाला है तो क्या उसको सुनने जा सकते हैं?

जवाबः अगर मुहल्ले की मस्जिद में इमाम ग़लत

पढ़ता हो तो अपनी मस्जिद को छोड़ देने ओर दूसरी मस्जिद में तरावीह पढ़ने में कोई मुज़ाएक़ा नहीं। और यही हुक्म उस सूरत में है जब दूसरा हाफ़िज़ क़िराअत में नर्म और आवाज़ में अच्छा हो। और अगर उसके मुहल्ले में ख़त्म न होता हो (यानी तरावीह में ख़त्म न होता हो, न पढ़ा जाता हो) तो उसको अपने मुहल्ले की मस्जिद छोड़ देना और दूसरी मस्जिद तलाश करना चाहिए। (तर्जुमाः फ़तावा आलमगीरी हिन्दीया जिल्द–1 सफ़्हा–186)

अगर अपनी मस्जिद का इमाम क़ुरआन शरीफ़ ख़त्म न करे तो फिर किसी दूसरी मस्जिद में जहाँ पर ख़त्म हो तरावीह पढ़ने में कोई मुज़ाएक़ा नहीं, क्योंकि ख़त्म की सुन्नत वहीं हासिल होगी।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–255)

नमाज़े तरावीह मस्जिद की छत पर अदा की जाए

सवालः हमारे यहाँ मौसमे गर्मा में नमाज़े इशा और तरावीह वग़ैरा मस्जिद की छत पर पढ़ी जाती है, जमाअ़त ख़ाने में नहीं पढ़ी जाती, उसका शरई हुक्म क्या है?

जवाबः गर्मी की वजह से मस्जिद के जमाअ़त ख़ाना या सेहन मस्जिद को छोड़ कर छत पर इशा और तरावीह वग़ैरा की जमाअ़त करना मकरूह है। हाँ! जिनको जमाअ़त ख़ाना और सेहन में जगह न मिले अगर वह छत पर जा कर नमाज़ पढ़ें तो बिला कराहत जाइज़ है कि ये मजबूरी है।

कअ़बा शरीफ़ के ऊपर नमाज़ पढ़ना (बेअदबी और बेहुरमती की वजह से) मकरूह है। हाँ! अगर तामीर और मरम्मत की वजह से चढ़ना हो तो मकरूह नहीं है। इसी तरह से कोई भी मस्जिद हो उसकी छत पर चढ़ना

मकरूह है और इसी बिना पर ये भी मकरूह है।

गर्मी की शिद्दत से छत पर जमाअत न करें, मगर ये कि मस्जिद में गुंजाईश न रहे तो इस मजबूरी की वजह से छत पर चढ़ना मकरूह न होगा। बहरहाल गर्मी की शिद्दत ज़रूरत और मजबूरी नहीं पैदा करती, क्योंकि इससे यही होता है कि मुशक़्क़त बढ़ जाती है और जब मुशक़्क़त बढ़ जाती है तो अज्र व सवाब भी ज़्यादा मिलता है, इसको मजबूरी नहीं कहा जा सकता। फ़तावा आलमगीरी जिल्द–5 सफ़्हा–322 पर है कि तमाम मसिज्दों की छतों पर पढ़ना मकरूह है। इसलिए सख़्त गर्मी में छत पर चढ़ कर जमाअत करना मकरूह है। हाँ अगर मस्जिद तंग हो और नमाज़ियों के लिए वुस्अत न हो तो ज़रूरतन बाक़ी लोगों का ऊपर चढ़ना मकरूह नहीं है।

गर्मी में सेहने मस्जिद में नमाज़ बाजमाअत बग़ैर हरज के सही है। अगर किसी जगह सेहन दाख़िले मस्जिद न हो, मस्जिद से ख़ारिज हो तो बानिए मस्जिद और अगर वह न हो तो जमाअत के लोग मुत्तफ़िक़ हो कर दाख़िले मस्जिद की नीयत करें। (तो वह मक़ाम दाख़िले मस्जिद हो जाएगा) और उस पर मस्जिद के जुमला अहकाम जारी होंगे।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–3 सफ़्हा–31, बहवाला कबीरी सफ़्हा–392 व मजमूआ फ़तावा सअ़दीया सफ़्हा–148)

दुकानों में नमाज़े तरावीह पढ़ना कैसा है?

सवालः किसी बाज़ार के नमाज़ी सिर्फ़ कारोबार के नुक़्सान का अंदेशा कर के दुकानों में ही अलग अलग जमाअ़ते तरावीह करें तो उनका ये फ़ेल कैसा है?

जवाबः नमाज़े तरावीह मस्जिद में पढ़ना और ख़त्मे तरावीह मसिज्दों में सुनना सुन्नत है। बिला उज़्र मस्जिद में न जाना और दुकानों पर तरावीह पढ़ना तर्के सुन्नत है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–269, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–660)

घर में तरावीह की जमाअत करना

सवालः तरावीह की नमाज़ घर में बाजमाअत अदा करना और मस्जिद में न जाना कैसा है?

जवाबः अगर कोई जमाअत इस तरह करे कि मस्जिद की जमाअत बंद न हो तो ये दुरुस्त है, मगर ये लोग मस्जिद की फ़ज़ीलत से महरूम रहेंगे। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–251, बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–660 व शामी जिल्द–1 सफ़्हा–521)

नमाज़े इशा बाजमाअत मस्जिद में पढ़े और तरावीह घर पर पढ़े तो क्या हुक्म है?

सवालः नमाज़े इशा बाजमाअत अदा करने वाला तरावीह घर में पढ़े तो गुनहगार है या नहीं?

जवाबः तरावीह बाजमाअत की अदाएगी सुन्नते मुअक्कदा अललकिफ़ाया है। मुहल्ले की मस्जिद में तरावीह बाजमाअत अदा होती हो और कोई शख़्स अपने मकान में तन्हा तरावीह अदा करे तो गुनहगार न होगा मगर जमाअत की फ़ज़ीलत से महरूम रहेगा।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–349, बहवाला दुर्रेमुख़्तार व शामी जिल्द–1 सफ़्हा–660)

एक हाफ़िज़ का चंद जगह ख़त्म करना?

सवालः बाज़ हाफ़िज़ पाँच सात रोज़ में एक मस्जिद

में कुरआन शरीफ़ तरावीह में ख़त्म कर के दूसरी मस्जिद में दूसरा ख़त्म, तरावीह में सुनाते हैं, ये दुरुस्त है या नहीं और दूसरी मस्जिद वालों की तरावीह हो जाती है या नहीं? हाफ़िज़ हज़रात और बाज़ आलिम इसे जाइज़ बतलाते हैं और बाज़ कहते हैं कि हाफ़िज़ का एक ख़त्म करना सुन्नत है, दूसरा ख़त्म नफ़्ल है और मुक़्तदी के वास्ते ख़त्म सुन्नत है। तो सुन्नत वालों की नमाज़ नफ़्ल वाले के पीछे कैसे होगी?

जवाबः एक मस्जिद में पाँच सात रोज़ में ख़त्म शरीफ़ कर के दूसरी मस्जिद में दूसरा ख़त्म हाफ़िज़ों को करना दुरुस्त है और दूसरी मस्जिद वालों की तरावही सही है क्योंकि तरावीह की नमाज़ तमाम रमज़ान शरीफ़ में सुन्नते मुअक्कदा है, पस दूसरी मस्जिद में जो हाफ़िज़ ने तरावीह पढ़ाई वह भी सुन्नते मुअक्कदा हुई और मुक़्तदियों की तरावीह भी सुन्नते मुअक्कदा हुई, लिहाज़ा दोनों की नमाज़ मुत्तहिद हुई। अलावा बरीं नफ़्ल पढ़ने वाले के पीछे सुन्नत भी हो जाती हैं। और ये शुब्हा ग़लत है कि ख़त्मे कुरआन शरीफ़ एक बार सुन्नते मुअक्कदा है। दूसरा और तीसरा ख़त्म नफ़्ल है। क्योंकि नमाज़ इमाम की सुन्नते मुअक्कदा है ख़त्म के सुन्नत न होने से वह नमाज़ सुन्नत होने से ख़ारिज नहीं हुई और मुक़्तदियों की नमाज़ में कुछ नुक़्सान नहीं आया, लेकिन अफ़ज़ल और बेहतर इस ज़माने में ये है कि इमाम हाफ़िज़ एक ख़त्म से ज़्यादा तरावीह में न पढ़े, ताकि मुक़्तदियों को गिराँ न हो।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–293, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–662)

तरावीह की दो जमाअतें करना

सवालः हुफ़्फ़ाज़ की ज़्यादती की वजह से ताकि उनको कुरआन शरीफ़ याद रहे इस मक़्सद से हम ने रमज़ानुलमुबारक में ये मामूल बना रखा है कि इशा की नमाज़ हम सब मुहल्ले की मस्जिद में बाजमाअत अदा करते हैं, उसके बाद कुछ हुफ़्फ़ाज़ मदरसे की इमारत में तरावीह पढ़ाते हैं, जहाँ पर थोड़े और मुसल्ली भी शामिल हो जाते हैं और बक़िया हुफ़्फ़ाज़ उसी मस्जिद में जहाँ नमाज़ इशा पढ़ी थी तरावीह पढ़ाते हैं। दरयाफ़्त तलब ये है कि कुरआन की हिफ़ाज़म की नीयत से इस तौर पर तरावीह की दो जमाअतें करना कैसा है?

जवाबः सवाले मज़कूरा में मस्जिद की जमाअत से तख़ल्लुफ़ मक़्सूद नहीं है, इस लिए ये सूरत जाइज़ है ममनूअ़ नहीं मदरसे में बाजमाअ़त अदा करने से जमाअ़त का सवाब तो मिल जाएगा अलबत्ता मस्जिद की फ़ज़ीलत हासिल न होगी। उसकी तलाफ़ी हिफ़ाज़ते कुरआन के मक़्सद से पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह तआ़ला।

(फतावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–415)

एक मस्जिद में दो हाफ़िज़ों का सुनाना

सवालः पानीपत करनाल में ये रिवाज है कि दो हाफ़िज़ तरावीह में कलाम मजीद पढ़ते हैं, दस रकअ़त में एक हाफ़िज़ और दस में एक हाफ़िज़, इस तरह जाइज़ है या नहीं?

जवाबः पानीपत में जैसा रिवाज है यहां पर भी बाज़ मसाजिद में ऐसा होता है, ये भी जाइज़ है, अगर दो हाफ़िज़ पढ़ाऐं तो मुस्तहब ये है कि हर एक हाफ़िज़ तरवीहा

पूरा कर के अलग हो, अगर एक हाफ़िज़ सलाम फेर कर बग़ैर तरवीहा पूरा किए हुए मसलन छः या दस रकअ़त के बाद जुदा हो गया तो ये मुस्तहसन नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–255 व तर्जुमाः फ़तावा आलमगीरी जिल्द–1 सफ़्हा–186)

चंद हुफ़्फ़ाज़ का मिल कर तरावीह पढ़ाना

सवालः हमारे यहां मस्जिद में चार हाफ़िज़ मिल कर तरावीह पढ़ाते हैं, पहले हाफ़िज़ साहब चार रकअ़त पढ़ाते हैं, दूसरे हाफ़िज़ साहब आठ रकअ़त पढ़ाते हैं, तीसरे चार रकअ़त, और चौथे चार रकअ़त, ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं?

जवाबः अफ़ज़ल ये है कि एक या दो हाफ़िज़ मिल कर तरावीह पढ़ाऐं, अगर ऐसे जैयद और बाहिम्मत न हों और मुतअद्दद हुफ़्फ़ाज़ तरावीह पढ़ाऐं तो ये भी दुरुस्त है तरावीह हो जाती है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–389, बहवाला आलमगीरी जिल्द–1 सफ़्हा–74)

दस दस रकअ़त दो मस्जिदों में पढ़ाना कैसा है?

सवालः एक मस्जिद में ख़तीब इमाम मुकर्रर है। तरावीह इस क़ाएदे से पढ़ाते हैं कि इशा के फ़र्ज़ दूसरा शख़्स पढ़ाता है और तरावीह की दस रकअ़त में सवा पारा हाफ़िज़ साहब पढ़ाते हैं, बाक़ी तरावीह को दूसरी सूतरों से तरावीह की जमाअ़त वालों में से एक शख़्स पढ़ाते हैं, उसके बाद वह हाफ़िज़ साहब दूसरी मस्जिद में जा कर वहां सवा पारा दस रकअ़त तरावीह में पढ़ाते हैं ये सूरत जाइज़ है या नहीं?

जवाबः आलमगीरी की रिवायत से मालूम होता है कि

दस दस तरावीह दो मसिज्दों में पढ़ाना दुरुस्त है मगर कुरआन शरीफ़ के ख़त्म पर मुआवज़ा दुरुस्त नहीं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–261, बहवाला आलमगीरी जिल्द–1 सफ़्हा–262, फ़स्ल फ़िलतरावीह)

एक मस्जिद में दूसरी जमाअ़त

सवालः तरावीह और वित्र की जमाअ़त हो गई, कुछ लोग बाद में आए तो दूसरी जमाअ़त करें या नहीं?

जवाबः दो बारा जमाअ़त उस मस्जिद में न करें दलील उसकी ये है कि एक ही मस्जिद में तरावीह की मुतअद्दद जमाअ़तों की वही नौईयत लौट आती है जिससे बचने के लिए ख़लीफ़ए सानी हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने मुतफ़र्रिक़ तौर पर पढ़ने वालों को एक इमाम की इत्तिबा में जमा फ़रमाया था। एक ही मस्जिद में मुतअ़द्दद जमाअ़तों का सिलसिला हस्बे इरशादे हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) के बेहतर तरीक़े के ख़िलाफ़ है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–300, बहवाला कबीरी सफ़्हा–383)

किसी मस्जिद में एक मरतबा तरावीह की जमाअ़त हो चुकी तो दूसरी मरतबा उसी शब में वहां तरावीह की जमाअ़त जाइज़ नहीं, लेकिन तन्हा पढ़ना दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–350)

एक मस्जिद में दो जगह तरावीह

सवालः एक मस्जिद में दो हाफ़िज़ अलग अलग तरावीह पढ़ाऐं और दरमियान में आड़ या रोक ऐसी कर दी जाए जिससे दूसरे की आवाज़ से हरज बाक़ी न हो। तो ये जाइज़ है या नहीं?

जवाबः मस्जिद में दो जगह तरावीह पढ़ना बशर्ते कि अज़राहे नफ़्सानियत न हो और एक का दूसरे से हरज न हो तो जाइज़ है। मगर अफ़ज़ल यही है कि एक ही इमाम के साथ सब पढ़ें।

(इमदादुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़हा–469)

तरावीह में एक ख़त्म से ज़्यादा पढ़ना कैसा है?

सवालः तरावीह में जो हाफ़िज़ तीन चार ख़त्म पढ़ते हैं ये कैसा है?

सुन्नते मुअक्कदा सिर्फ़ एक ख़त्म है, बाक़ी का क्या हुक्म होगा? नीज़ अगर एक हाफ़िज़ चंद मसाजिद में ख़त्म पढ़े तो क्या हुक्म होगा? और दूसरी मस्जिद वालों को ख़त्म का सवाब होगा या नहीं?

जवाबः दुर्रेमुख़्तार में है कि एक मरतबा ख़त्म सुन्नत है, दूसरी मरतबा फ़ज़ीलत है और तीन मरतबा अफ़ज़ल है। और दूसरी मस्जिद में भी दूसरा ख़त्म दुरुस्त है और दूसरी मस्जिद वालों को ख़त्मे सुन्नत का सवाब हासिल होगा। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़हा–274, बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़हा–662 बाबुलवित्र व नवाफ़िल, मबहस फ़िलतरावीह)

तरावीह में क़ुरआन शरीफ़ सुनने से क़ुरआन का सवाब मिलता है या नहीं?

सवालः ज़ैद कहता है कि तरावीह के अन्दर दो चीज़ें हैं। औवल क़िराअत जो फ़र्ज़ है, दोम सुन्नते मुअक्कदा, जब तरावीह के अन्दर क़ुरआन शरीफ़ पढ़ा गया तो दोनों चीज़ों में से सिर्फ़ एक चीज़ का सवाब हासिल हुआ, यानी अगर सुन्नते मुअक्कदा का सवाब हासिल किया तो

किराअत के सवाब से महरूम रहा। बाद इशा व तरावीह उसी वक़्त किसी से कुरआन पढ़वा कर सुन लिया जाए ताकि दोनों का सवाब हासिल हो जाएगा?

जवाबः ज़ैद का ये क़ौल ग़लत है। तरावीह में कुरआन शरीफ़ पढ़ने से कुरआन शरीफ़ का भी सवाब पढ़ने वाले और सुनने वाले को भी होता है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–249)

किसी शख़्स की रिआयत से अगले रोज़ कुरआन शरीफ़ का लौटाना कैसा है?

सवालः हाफ़िज़ किसी शख़्स की रिआयत से कुरआन शरीफ़ की तरतीब पूरी करे। यानी अगर किसी शख़्स का तरावीह में कुरआन शरीफ़ सुनना तर्क हो गया हो तो फिर उसको दुसरे दिन बीस रकअत में पढ़ना कैसा है? जब कि मुक़्तदियों को बार और तकलीफ़ नीज़ वक़्त की तंगी हो, हाफ़िज़ ऐसे शख़्स की अक्सर रिआयत करता हो तो ऐसे हाफ़िज़ के पीछे नमाज़ जाइज़ है या नहीं?

जवाबः नमाज़ तो उसके पीछे जाइज़ है, मगर खुद ये फ़ेल कि एक शख़्स की रिआयत करे और दूसरों को गिरानी हो मकरूहे तहरीमी है, अलबत्ता अगर वह शख़्स मुफ़्सिद है कि उससे ज़रर का अंदेशा है तो मकरूह नहीं है। (इमदादुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–489)

□□□

तीसरा बाब

समाअ़त

समाअ़त की उजरत

सवालः समाअ़ते कुरआन (सुनने) की उजरत और पढ़ने की उजरत में क्या फ़र्क़ है? पहली जाइज़ दूसरी नाजाइज़ क्यों है?

जवाबः समाअ़ते कुरआन की ग़रज़ ये है कि जहां हाफ़िज़ भूलेगा वहां सामेअ़ बतलाएगा। पस ये तालीम है और तालीम पर उजरत लेने के लिए जवाज़ पर फ़तवा है बरख़िलाफ़ सुनाने के, उसमें तालीम मक़्सूद नहीं है।

(मुलाहज़ा हो इमदादुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–496)

बिला सामेअ़ कुरआन शरीफ़ का पढ़ना

सवालः रमज़ान शरीफ़ में कुरआन शरीफ़ का तरावीह में बिल सामेअ़ के पढ़ना जाइज़ है या नहीं?

जवाबः अगर कुरआन शरीफ़ ख़ूब याद हो तो बिल सामेअ़ के भी पढ़ना दुरुस्त है, अगर कहीं भूला या शब्हा हुआ तो सलाम फेरने के बाद देख ले और अगर ग़लती हो तो लौटा ले, मगर बेहतर ये है कि सामेअ़ हो ताकि इत्मीनान रहे। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–254)

हाफ़िज़ को लुक़्मा कौन दे

सवालः हाफ़िज़ तरावीह में ग़लती करे और सामेअ़

अच्छी तरह न बतला सके तब दूसरी या तीसरी सफ़ में से कोई लुक़्मा दे तो कुछ हरज है?

हाफ़िज़ साहब फ़रमाते हैं अगर लुक़्मा देना है तो पहली सफ़ में खड़ा हो, तो अगर देर में आने वाले हाफ़िज़ को पहली सफ़ में जगह न मिले तो क्या उसको लुक़्मा देने का हक़ नहीं है?

जवाबः अगर सामेअ़ मुक़र्रर है तो उसको ग़लती बतलानी चाहिए, किसी दूसरे को जल्दी न करना चाहिए, इससे नमाज़ में इंतिशार और एक तरह की गड़बड़ हो जाती है, अलबत्ता अगर वह न बतला सके या अच्छी तरह न बतलाए तो अब जो भी अच्छी तरह बतला सके उस पर ग़लती की इसलाह करना फ़र्ज़ है ख़्वाह किसी सफ़ में खड़ा हो, क़रीब हो या दूर हो, उस पर फ़र्ज़ है कि ग़लती की इसलाह करे और इस्लाह न करेगा तो गुनहगार होगा।

अलबत्ता ये ज़रूरी है कि नमाज़ में हाफ़िज़ साहब के साथ शरीक हो (पहली सफ़ में हो या कसी भी सफ़ में हो) जो नमाज़ में शरीक न हो उसने अगर ग़लती बतलाई और इमाम ने उसकी ग़लती बताने से इस्लाह की तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–3 सफ़्हा–84)

छोटे सामेअ़ को कहां खड़ा करें?

सवालः सामेअ़ अगर छोटा है तो क्या उसको अगली सफ़ में खड़ा कर सकते हैं या नहीं?

जवाबः तेरह चौदह बरस का इमाम नहीं हो सकता अगर बालिग़ न हो लेकिन तरावीह में बतलाने की जवह

से उसको अगली सफ़ में खड़ा कर सकते हैं?

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–247)

क्या सामेअ़ को हाफ़िज़ के बराबर में खड़ा कर सकते हैं

सवालः तरावीह में अगर हाफ़िज़ साहब और सामेअ़ बराबर में खड़े हों, हाफ़िज़ साहब को उज़्रे समाअ़त हो या न हो कैसा है?

जवाबः अगर कुछ ज़रूरत हो मसलन ये कि हाफ़िज़ साहब की समझ में सामेअ़ का बतलाना दूर से न आए तो बराबर में खड़ा होना दुरुस्त है और बिला ज़रूरत अच्छा नहीं है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–295)

कुरआन शरीफ़ में देख कर समाअ़त करना

सवालः रमज़ानुलमुबारक में हाफ़िज़ तरावीह पढ़ाते हैं तो एक शख़्स कुरआन शरीफ़ खोल कर बैठता है वह अपने क़रीब के मुक़्तदी को जिसकी नज़र कुरआन शरीफ़ पर रहती है देख कर लुक़्मा देता है और कुरआन शरीफ़ दिखलाने वाला जमाअ़त में शरीक नहीं होता, जब हाफ़िज़ साहब दूसरी रकअ़त में रुकूअ़ करते हैं तो शरीक हो जाता है और एक रकअ़त (हाफ़िज़ साहब के सलाम के बाद अदा करता है इस तरीक़े से नमाज़ फ़ासिद हुई या नहीं?

जवाबः दुर्रेमुख़्तार में है कि कुरआन शरीफ़ में देख कर नमाज़ पढ़ना या देख कर सुनना दोनों सूरतों में नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। पस ये सूरत जो सवाल में दर्ज है उसमें भी नमाज़ के फ़ासिद होने का अंदेशा है लिहाज़ा इस तरह न किया जाए। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–68, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1

सफ़्हा–583, बाब मायुफ़्सिदुस्सलात व मा यकरहु फ़ीहा)

भूल जाने की वजह से ख़ामोश हो कर सोचना कैसा है?

सवाल: बाज़ हाफ़िज़ पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं तो कभी हालते क़याम में चुप खड़े हो कर सोचने लगते हैं कभी क़अ़दा में तशह्हुद से पहले या बाद में सोचने लगते हैं इसका क्या हुक्म है?

भूलते वक़्त इधर उधर से पढ़ना

बाज़ हाफ़िज़ साहब पढ़ते पढ़ते भूल कर ख़ामोश तो नहीं होते मगर कभी इस सूरत में और कभी उस सूरत में इधर उधर पढ़ते रहते हैं, अगर याद आ गया तो सही पढ़ने लगते हैं और अगर याद नहीं आया तो कुछ देर तक परेशान रह कर रुकूअ़ कर के नमाज़ ख़त्म कर देते हैं। मगर याद आने न आने दोनों सूरतों में सज्दए सह्व करते हैं आया सज्दए सह्व करना चाहिए या नहीं?

जवाब: इन दोनों सूरतों में सज्दए सह्व कर लेना चाहिए। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–257)

हाफ़िज़ सामेअ़ के बतलाने तक ख़ामोश रह सकता है या नहीं?

सवाल: हाफ़िज़ से ग़लती हो जाती है और सामेअ़ के बतलाने तक हाफ़िज़ ख़ामोश रहता है क्या इससे तरावीह में कोई ख़लल तो नहीं होगा?

नीज़ क्या सज्दए सह्व किया जाए अगर न किया गया तो नमाज़ के इआ़दा की ज़रूरत होगी या नहीं?

जवाब: तरावीह हो जाएगी एआ़दा की ज़रूरत नहीं, लुक़्मा सुनने के लिए हाफ़िज़ के ज़रूरतन ख़ामोश रहने से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती।

सज्दए सह्व की भी ज़रूरत नहीं, हाँ अगर पंज वक़्ती नमाज़ हो तो इमाम को चाहिए कि अगर तीन आयत से कम हुई तो लुक़्मा के इंतिज़ार में खड़ा न रहे बल्कि जहाँ से याद हो पढ़ ले अगर तीन आयतें हो गई हैं तो रुकूअ़ कर दे। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–393)

हाफ़िज़ को तंग करने का हुक्म

सवालः बाज़ हाफ़िज़ों की आदत होती है कि जो लड़का पहली मेहराब सुनाता है उसके सुनाने के वक़्त जा कर उसको घबराने के लिए और भुलाने के लिए ज़ोर से पाँव पीटते, खंकारते या खाँसते हैं ऐसे हाफ़िज़ों के लिए क्या हुक्म है?

जवाबः ऐसा करना जाइज़ नहीं है। हदीस शरीफ़ में रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने उग़लूतात से मना फ़रमाया है यानी जो उमूर किसी मुसलमान को ग़लती में डालें उनसे बचना ज़रूरी है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–256, बहवाला हदीस अबूदाउद व मिश्कात किताबुलइल्म सफ़्हा–35)

सिर्फ़ लुक़्मा देने की नीयत से तरावीह में शिरकत करना

सवालः जो शख़्स नमाज़े तरावीह में इस नीयत से शरीक हो कि हाफ़िज़ ग़लती कर रहा है। उसको बतला कर अलाहिदा हो जाऊँगा तो इस सूरत से वह मुक़्तदी हो गया या नहीं? अगर हाफ़िज़ लुक़्मा दे कर अलग हो गया तो हाफ़िज़ की नमाज़ हुई या नहीं?

जवाबः (तरावीह में शरीक होने वाला) मुक़्तदी हो गया और नमाज़ पूरी करना उसके ज़िम्मा लाज़िम हो गया। हाफ़िज़ तो लुक़्मा ले लेगा, उसको क्या ख़बर ये

बतला कर अलाहिदा हो जाएगा। नमाज़ इमाम की हो गई। इस नीयत से शरीक होना बुरा है वह नमाज़ उसके ज़िम्मा पूरी करनी लाज़िम है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–288, बहवाला हिदाया बाबुन्नवाफ़िल जिल्द–1 सफ़्हा–131)

तरावीह में ग़लत लुक़्मा दे कर परेशान करना

सवालः बाज़ पुराने हाफ़िज़ नए हाफ़िज़ को तरावीह में ग़लत लुक़्मा देकर परेशान करते हैं इसका क्या हुक्म है?

जवाबः ये भी उन्हीं अग़लात में से है जिनकी मुमानअत हदीस शरीफ़ में आई है। "رواه ابوداؤد عن معاوية قال اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْاُغْلُوْطَاتِ" यानी जो उमूर किसी मुसलमान को ग़लती में डालें उनसे बचना ज़रूरी है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–258, बहवाला मिश्कात किताबुलइल्म सफ़्हा–35)

नीयत बांध कर लुक़्मा दे, या बेवुज़ू लुक़्मा दे?

सवालः बाज़ हाफ़िज़ दूसरे हाफ़िज़ की क़िराअत को नमाज़ से ख़ारिज बैठे बैठे सुना करते हैं, जब वह भूल जाता है तो वह जल्दी से सफ़ में या क़रीब सफ़ के नीयत बाँध कर उसको बतला देते हैं और फिर फ़ौरन नीयत तोड़ कर बैठ जाते हैं और बाज़ नाख़ुदा तर्स ऐसी सूरत में कभी ऐसा भी करते हैं कि बग़ैर वुज़ू के या पानी पर कुदरत होते हुए तयम्मुम कर के नीयत बाँध कर बता देते हैं इन दोनों सूरतों में लुक़्मा देने और लेने का क्या हुक्म है?

जवाबः अगर नीयत बाँध कर बतलाऐंगे तो इमाम की नमाज़ में कोई ख़लल नहीं आएगा, मगर उस को नीयत

तोड़ने का गुनाह होगा और क़ज़ा लाज़िम होगी। और जो बेवुज़ू बतलाया या पानी के होते हुए तयम्मुम कर के बतलाया और इमाम ने लुक़्मा ले लिया तो उसकी नमाज़ फ़ासिद हुई और मुक़्तदियों की नमाज़ भी फ़ासिद हुई।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–258, बहवाला आलमगीरी किश्वरी बाब साबेअ़ मायुफ़्सिदुस्सलात जिल्द–1 सफ़्हा–90)

तरावीह के वक़्त पीछे बैठ कर गुफ़्तगू करना

सवालः बाज़ मुक़्तदी ऐसा करते हैं कि जब हाफ़िज़ तरावीह में दो तीन या और ज़्यादा पारे पढ़ता है तो ये सफ़ से दूर नमाज़ से बाहर ख़ामोश बैठे या लेटे रहते हैं या चुपके चुपके गप–शप किया करते हैं मगर ख़ामोशी की हालत में भी कुरआन शरीफ़ सुनना उनका मक़्सद हरगिज़ नहीं होता, उनको सुनने का सवाब मिलेगा या नहीं और इस फ़ेल का शरीअ़त में क्या हुक्म है?

ज़ाहिर हैं ऐसे वक़्त बात चीत करना गुनाह है और सवाब को ख़त्म करने वाला है और चुप लेटे या बैठे रहना अगरचे नीयत सुनने की न हो मगर कान में आवाज़ आती है तो सुनने का सवाब मिल जाएगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–259, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–509, फ़स्ल फ़िलक़िराअति)

तरावीह के वक़्त रुकूअ़ का इंतिज़ार करना

सवालः तरावीह के वक़्त बाज़ अफ़राद बैठे रहते हैं और हाफ़िज़ साहब जब रुकूअ़ में जाते हैं तो खड़े हो कर रुकूअ़ में शामिल हो जाते हैं इसका क्या हुक्म है?

जवाबः इस तरह करना मना है। (फ़तावा रहीमिया

जिल्द–1 सफ़्हा–354, बहवाला फ़तावा आलमगीरी जिल्द–1 सफ़्हा–119)

सामेअ न होने की मजबूरी पर कुरआन में देख कर सुनना कैसा है?

सवालः माहे रमज़ानुलमुबारक में अक्सर ऐसा मौक़ा हुआ करता है कि बजुज़ उसी हाफ़िज़ के जो तरावीह पढ़ाता है कोई दूसरा हाफ़िज़ सामेअ़ नहीं होता, अगर ऐसी सूरत में किसी मुक़्तदी ने जो ग़ैर हाफ़िज़ है कुरआन खोल कर समाअ़त कीं और ग़लती पर टोका और नमाज़ की पहली रकअ़त में मजबूरी की वजह से शामिल नहीं हुआ तो जाइज़ है या नहीं?

जवाबः जो शख़्स इमाम की नमाज़ में शरीक नहीं है वह इमाम को किराअत वग़ैरा में लुक़्मा नहीं दे सकता अगर लुक़्मा देगा और इमाम लुक़्मा लेगा तो इमाम की और जमाअ़त की नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी।

(किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–412)

शीआ हाफ़िज़ लुक़्मा दे सकता है या नहीं?

सवालः अगर तरावीह में हाफ़िज़ ग़लतियाँ करता है और सामेअ़ भी चूक जाता है और शीआ हाफ़िज़ मौजूद है अगर वह नीयत कर के इक़्तिदा में आकर बतलाए तो इमाम अबूहनीफ़ा (रह.) के नज़दीक जाइज़ है या नहीं?

जवाबः अगर शीआ ऐसा है कि न तबर्रा गो है और न मुनकिरे सोहबते हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) और न क़ाएले क़ज़फ़े हज़रत सिद्दीक़ा (रज़ि.) तो इस सूरत में लुक़्मा देना जाइज़ है और उसके बतलाने से लुक़्मा लेने वाले की नमाज़ और उसके मुक़्तदियों की नमाज़ सही है।

अगर वह शीआ ग़ाली है जिसमें उमूरे मज़कूरा मौजूद हों यानी तबर्राई हो और मुनकिरे सोहबते ख़लीफ़ए औवल (रज़ि.) हो और हज़रत सिद्दीक़ा (रज़ि.) के इफ़्क का क़ाएल हो ता चूंकि ऐसा शीआ मुरतद काफ़िर है इसलिए उसके बतलाने से और इमाम के लुक़्मा लेने से इमाम की नमाज़ और उसके मुक़्तदियों की नमाज़ बातिल हो जाएगी।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–249, बहवाला दुर्रेमुख़्तार फ़स्ल फ़िलमुहर्रमात जिल्द–1 सफ़्हा–398)

रुकूअ़ का इंतिज़ार करना

जमाअ़त हो रही है और एक शख़्स बैठा रहता है जब इमाम रुकूअ़ में जाता है तो फ़ौरन ये भी नीयत बाँध कर इमाम के रुकूअ़ में शरीक हो जाता है ये फ़ेल मकरूह है और तशब्बोह बिलमुनाफ़िक़ीन है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–354)

□□□

चौथा बाब

तरवीहा

तरवीहा क्यों होता है

तरावीह में हर चार रकअ़त के बाद थोड़ी देर बैठने को "तरवीहा" कहते हैं। तरावीह तरवीहा की जमा है, उसके अस्ली मानी इस्तिराहत के हैं, जो राहत से माख़ूज़ है चूंकि बीस रकअ़तों में पाँच तरवीहे होते हैं इसलिए इस नमाज़ को तरावीह कहा जाता है और इसकी वज्हे तस्मिया ये ब्यान की जाती है कि नमाज़ पढ़ना शरीअ़त की नज़र में राहत है, आँहज़रत (स.अ.व.) का इरशाद है–

"قُرَّةُ عَيۡنِیۡ فِی الصَّلٰوۃِ"

यानी मेरी आँखों की ठंडक नमाज़ में है। और एक दूसरी हदीस में आप (स.अ.व.) का इरशाद है: रोज़ादार के लिए दो फ़रहतें हैं, एक इफ़्तार के वक़्त और दूसरी ख़ुशी उस वक़्त जब अपने रब से मुलाक़ात करता है बज़ाहिर मुलाक़ात से मुराद तरावीह है। एक हदीस में आप का इरशाद है– "اَرِحۡنَا بِالصَّلٰوۃِ یَا بِلَالُ"

यानी ऐ बिलाल नमाज़ की तकबीर कह कर हम को आराम पहुंचाओ। बहरहाल इस क़िस्म की अहादीस की बिन पर ये कहा जा सकता है कि चार रकअ़त का नाम तरवीहा इसलिए है कि उससे राहत और रूहानी सुकून

हासिल होता है। तरवीहों के दरमियान में एक तरवीहा की मिक़्दार बैठना मुस्तहब है और अगर हाफ़िज़ समझे कि पाँचवें तरवीहे और वित्र के दरमियान में बैठना मुक़्तदियों को भारी होगा तो न बैठे, पाँचवें तरवीहे में इख़्तियार है।

(अशरफुलइज़ाह शरह नूरुलइज़ाह सफ़्हा–160)

तरवीहा में कितनी देर बैठना चाहिए?

सवालः मिक़्दारे तरवीहा यानी चार रकअ़त के बाद जो बैठते हैं उसकी क्या मिक़्दार है, इस तरवीहे से क्या मुराद है आया वह चार रकअ़त जिनमें पढ़ा गया है या जितनी देर में चार रकअ़त मुख़्तसर नफ़्ल पढ़ी जाऐं?

जवाबः "بَعْدَ كُلِّ اَرْبَعَةٍ بِقَدْرِهَا" से ज़ाहिरन मालूम होता है कि वह ख़ास रकअ़ात जितनी देर में पढ़ी गई हैं वह मुराद है। (इमदादुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–490)

तर्जुमाः आलमगीरी हिन्दी में है कि अगर नमाज़ियों को गिरानी और कमी जमाअ़त का अंदेशा हो तो इससे भी कम बैठना दुरुस्त है, लेकिन मुक़्तदियों की जल्दी और गिरानी के बाइस (तस्बीह) रुकूअ़ व सुजूद और "سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ" और दुरूद छोड़ना बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं अलबत्ता दुआ के छोड़ने में यानी "سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ الخ" वग़ैरा के छोड़ने में बशर्ते कि मुक़्तदियों को जल्दी हो तो कोई मुज़ाएक़ा नहीं है।

(तर्जुमा आलमगीरी हिन्दीया सफ़्हा–185)

तरवीहे के बाद बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ना

सवालः तरावीह की चार रकअ़त अदा करने के बाद तरवीहा में बाज़ हज़रात तस्बीह आहिस्ता पढ़ कर ख़्वाजए आलम के दुरूद के बाद बुलंद आवाज़ से मुहम्मद (स.अ.व.)

का नारा बुलंद करते हैं। इसकी अस्ल किसी किताब में शरअ़न पाई जाती है या नहीं?

जवाबः इसकी अस्ल हैअते कज़ाईया (हक़ीक़त) शरीअ़त में कुछ नहीं है। फ़ुक़हा (रह.) ने ये लिखा है कि तरावीह के तरवीहा में यानी चार रकअ़त के बाद इख़्तियार है कि तस्बीह पढ़े या रकआ़ते नफ़्ल पढ़े या कुरआन शरीफ़ पढ़े या कुछ न करे।

(फ़ताव दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–246, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–661 मबहसुत्तरावीह)

तरवीहा की दुआ का सुबूत है या नहीं

तरावीह में हर चार रकअ़त के बाद जो ज़िक्र मशहूर है वह किसी रिवायत और हदीस में नहीं मिलता, अलबत्ता अल्लामा शामी ने क़हक़ानी वग़ैरा के हवाले से नक़्ल किया है कि तरवीहा के बाद ये ज़िक्र किया जाए–

"سُبْحَانَ ذِی الْمُلْکِ وَالْمَلَکُوْتِ، سُبْحَانَ ذِی الْعِزَّةِ
وَالْعَظْمَةِ وَالْهَیْبَةِ وَ الْقُدْرَةِ وَالْکِبْرِیَآءِ وَالْجَبَرُوْتِ، سُبْحَانَ الْمَلِکِ
الْحَیِّ الَّذِیْ لَا یَنَامُ وَلَا یَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَاوَرَبُّ الْمَلٰئِکَةِ
وَالرُّوْحِ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَامِنَ النَّارِ یا مُجِیْرُ یَا مُجِیْرُ یَا مُجِیْرُ"

(शामी जिल्द–1 सफ़्हा–661)

हर चार रकअ़त पर दुआ मांगना

सवालः तरावीह में हर चार रकअ़त पर हाफ़िज़ और मुक़्तदियों के मिल कर दुआ करने का दस्तूर है तो क्या ये सुन्नत तरीक़ा है? हाफ़िज़ साहब ज़ोर से दुआ पढ़ते हैं कोई कुछ पढ़ नहीं सकता तो क्या तरवीहा में सिर्फ़ दुआ ही कर सकते हैं?

जवाबः तरावीह में हर तरवीहा के बाद हाफ़िज़ और

मुक़्तदियों का मिल कर दुआ करने का दस्तूर सुन्नत के मुताबिक़ नहीं है रस्मी और रिवाजी है।

शरीअ़ते मुतह्हरी ने इजाज़त दी है। इजाज़त में दख़ल बेफ़ाएदा है और दूसरे अज़कार मसलन तिलावत, तस्बीह, नफ़्ल वग़ैरा से रोकने के मुतरादिफ़ है, लिहाज़ा तरीक़ए मज़कूरा क़ाबिले तर्क है, जिसका जी चाहे पढ़े मगर इस तरह कि दूसरों का हरज न हो और न मना किया जाए इख़्तियार है चुप बैठा रहे या कलिमा पढ़े या तिलावत करे या दुरूद शरीफ़ पढ़े या नफ़्ल नमाज़ पढ़े, मगर जमाअ़त से मकरूह है या ये तस्बीह पढ़े– "سُبْحَانَ ذِی الْمُلْکِ"

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–252, बहवाला शामी मअ़ दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–661)

हर तरवीहे में हाथ उठा कर दुआ मांगना

सवालः तरावीह के हर तरवीहे में तस्बीह व तह्लील के बाद इमाम व मुक़्तदियों का हाथ उठा कर दुआ मांगना या सिर्फ़ मुक़्तदियों का हाथ उठा कर दुआ मांगना जाइज़ है या नहीं? नीज़ अगर हाफ़िज़ तरवीहे में दुआ इस ख़्याल से मांगता हो कि इसका सुबूत नहीं और उससे मुक़्तदियों का फ़रमाइश करना कि दुआ ज़रूर मांगे इसमें कोई मुज़ाएक़ा है या नहीं? हाफ़िज़ अगर मुक़्तदियों का कहा पूरा नहीं करता तो मुक़्तदी नाराज होते हैं तो इस सूरत में हाफ़िज़ साहब को क्या करना चाहिए?

जवाब तरावीह के हर एक तरवीहा में तस्बीह व तह्लील वग़ैरा और दुआए मासूरा का पढ़ना मनकूल है और हाथ उठा कर दुआ मांगना सिर्फ़ बीस रकअ़त के ख़त्म पर मामूल है, पस ऐसा ही करना चाहिए। हाफ़िज़

साहब को इस सूरत में मुक़्तदियों का कहना मानना ज़रूरी नहीं है और न मुक़्तदियों को अपने इमाम को ऐसा हुक्म करना चाहिए, क्योंकि इमाम मतबूअ़ होता है न कि ताबेअ़ जैसा कि मिश्कात की हदीस का मफ़हूम है कि इमाम इसलिए होता है कि उसकी इक़्तिदा की जाए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–1 सफ़्हा–279, बहवाला मिश्कात फ़स्ल औवल सफ़्हा–101)

फ़तावा रहीमिया में है कि इमाम और क़ौम का इजतिमाई दुआ करने को ज़रूरी समझना और दुआ न करने वालों पर एतेराज़ करना दुरुस्त नहीं हाँ इन्फ़िरादन दुआ करे तो मना नहीं है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–347)

तरवीहा में वाज़ कहना

सवालः आम तौर से मसाजिद में तरावीह में हर चार रकअ़त के बाद तस्बीह पढ़ी जाती है, मगर एक मस्जिद में उसके बरख़िलाफ़ इस थोड़े वक़्त में वाज़ कहा जाता है ये दोनों अम्र जाइज़ हैं या नहीं?

जवाबः हर चार रकअ़त के बाद मशरूअ़ और मुस्तहब ये है कि तस्बीह व तह्लील और दुरूद शरीफ़ वग़ैरा पढ़ें अगर ज़रूरी वाज़ कभी हो जाए जिसकी वजह ज़रूरत हो तो कुछ मुज़ाएक़ा नहीं, मगर उसका इल्तिज़ाम कि हर तरवीहा में वाज़ ज़रूर कहा जाए ये अच्छा नहीं है, जैसा कि दुर्रेमुख़्तार में है कि चुप बैठा रहे या कलिमा पढ़े या तिलावत करे या दुरूद शरीफ़ पढ़े या नफ़्ल नमाज़ तन्हा पढ़े। (फ़तावा दारुउलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–254, बहस सलातुत्तरावीह जिल्द–1 सफ़्हा–661, बहवाला रद्दुलमुह्तार)

तरावीहों में ये कलिमात पढ़ना कैसा है

सवाल: हमारे यहां तरावीह शुरू करने से क़ब्ल एक शख़्स बुलंद आवाज़ से ये कलिमात पढ़ता है— "صَلوٰةالتراويح سنةٌ رحمكم اللّٰه لااله الااللّٰه و اللّٰه اكبر و للّٰه الحمد" इसके बाद तरावीह शुरू होती है, दो रकअ़त के बाद ये तस्बीह पढ़ता है—

"يَاكَرِيْمَ الْمَعْرُوْفِ يَاقَدِيْمَ الْإِحْسَان، اَحْسِنْ اِلَيْنَا رَبَّنَا بِاِحْسَانِكَ الْقَدِيْمِ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةٌ وَّ مَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُوَلِلّٰهِ الْحَمْدُ"

चार रकअ़त के बाद— "اَلْبَدْرُ مُحَمَّدُ نِ الْمُصْطَفٰى صلى اللّٰه عليه وسلم لا اله الا اللّٰهُ و اللّٰه اكبر اللّٰه اكبر وللّٰه الحمد" पढ़ने के बाद "ياكريم المعروف الخ" पढ़ता है और दूसरे तरवीहे में— "خَلِيْفَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ بِالتَّحْقِيْقِ اَمِيْرُالْمُؤْمِنِيْنَ سَيِّدُ نَا اَبُوْبَكْرِ الصِّدِّيْقُ رضى اللّٰه عنه لا اله الا اللّٰه الخ" पढ़ता है और फिर तीसरे तरविहा में— "مُزَيِّنُ الْمَسْجِدِ وَالْمِنْبَرِ وَالْمِحْرَابِ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ سَيِّدُنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى اللّٰه عنه لاَ اله الا اللّٰهُ الخ" पढ़त है और चौथे तरवीहे में— "جَامِعُ الْقُرْاٰن كَامِلُ الْحَيَاءِ وَالْاِيْمَان اَمِيْرُالْمُؤْمِنِيْنَ سَيِّدُنَا عُثْمَان بْنُ عَفَّانَ رضى اللّٰه عنه لا اله اللّٰهُ الخ" और पाँचवें तरवीहे में— "اَسَدُ اللّٰهُ الْغَالِبُ مَظْهَرُ الْعَجَائِبِ وَ الْغَرَائِبِ اِمَامُ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اَمِيْرُ المومِنِيْنَ سَيِّدُنَا عَلِيُّ ابْنُ ابى طَالِبِ رضى اللّٰه عنه لَا اله الا اللّٰهُ الخ" पढ़ता है और "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوس الخ" भी एक आदमी पढ़ता है और ये तमाम औराद बुलंद अवाज़ से पढ़े जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग तस्बीह वग़ैरा कुछ नहीं पढ़ सकते और वित्र से पहले "اَلْوِتْرُ وَاجِبٌ رحِمَكُمُ اللّٰهُ لااله الا اللّٰه الخ" पढ़ता है। क्या इन तमाम कलिमात का पढ़ना हदीस़ से साबित है और इनके पढ़ने का क्या हुक्म है?

जवाबः ये सब बातें सुन्नत के मुताबिक़ नहीं हैं, महज़ रस्मी और रिवाजी हैं, लिहाज़ा क़ाबिले तर्क हैं, दो रकअ़त पर तरवीहा नहीं है। अलबत्ता चार रकअ़त के बाद तरवीहा है और इस क़दर बैठने का हुक्म है कि नमाज़ियों पर बार न गुज़रे और उसमें इजतिमाई दुआ और ज़िक्र नहीं है। लोग इन्फ़िरादी तौर पर जो चाहें पढ़ें, चाहे तिलावत करें या नफ़्ल पढ़ें, या ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहें, या दुरूद शरीफ़ पढ़ते रहें या ख़ामोश बैठे रहें। सब जाइज़ है। एक चीज़ का सब को पाबंद बना देना शरीअ़त की दी हुई आज़ादी पर पाबंदी लगाना है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–391)

तरवीहे में तस्बीह आहिस्ता पढ़े या ज़ोर से?

सवालः तरावीह की हर चार रकअ़त के बाद जो तस्बीह पढ़ी जाती है यानी– "سُبْحَانَ ذِی الْمُلْکِ الخ" उसको इमाम और मुक़्तदी ज़ोर से पढ़ें या आहिस्ता या इमाम और मुक़्तदियों के हुक्म में कुछ फ़र्क़ है?

जवाबः तस्बीहे मज़कूर को अहिस्ता पढ़ना बेहतर है। ज़ोर से न पढ़ना चाहिए, इमाम भी आहिस्ता पढ़े और मुक़्तदी भी आहिस्ता पढ़ें। जैसा कि मिश्कात की हदीस में है– "يَا اَيُّهَاالنَّاسُ اِرْبَعُوْا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ فَاِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا" (الحديث) लोगो अपने ऊपर नर्मी से काम लो (दुआ ज़ोर से न मांगो) इसलिए कि तुम किसी बहरे या गैर मौजूद को नहीं पुकार रहे हो। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–263, बहवाला मिश्कात शरीफ़ सफ़्हा–201, बाब सवाबुत्तस्बीह फ़स्ल औवल)

□□□

पाँचवाँ बाब

तरावीह कब से शुरू होती है और कब तक रहती है और क्या वक़्त है?

जिस रात रमज़ान का चाँद देखा जाए उसी रात से तरावीह शुरू की जाए और ईद का चाँद नज़र आ जाए तो छोड़ दी जाए।

पूरे माह तरावीह पढ़ना सुन्नत है, अगरचे तरावीह में कुरआन शरीफ़ महीने से पहले ही ख़त्म कर दिया हो मसलन पन्द्रह बीस दिन वग़ैरा में पूरा कुरआन पढ़ दिया जाए तो बक़िया दिनों में भी तरावीह का पढ़ना सुन्नते मुअक्कदा है।

बाज़ लोगों का ख़्याल होता है कि जल्दी से किसी मस्जिद में आठ दस दिन में कुरआन शरीफ़ सुन लें फिर छुट्टी। इसलिए ये ज़ेहन में रखना चाहिए कि ये दो सुन्नतें अलग अलग हैं, तमाम कलामुल्लाह का तरावीह में पढ़ना या सुनना एक मुस्तक़िल सुन्नत है और पूरे रमज़ान शरीफ़ की तरावीह, मुस्तक़िल एक अलग सुन्नत है, पस इस सूरत में एक सुन्नत पर अमल हुआ और दूसरी सन्नत रह गई, अलबत्ता जिन लोगों को रमज़ानुलमुबारक में सफ़र वग़ैरा या किसी वजह से एक जगह तरावीह पढ़ना मुश्किल हो तो उनके लिए मुनासिब है कि औवल कुरआन शरीफ़ चंद रोज़ में जहां पर ख़त्म होता हो वहां

सुन लें ताकि कुरआन शरीफ़ नाक़िस न रहे।

फिर जहां वक़्त मिले और मौक़ा हो वहां तरावीह पढ़ ली जाए। कुरआन शरीफ़ भी इस सूरत में नाक़िस नहीं होगा और अपने काम में भी हरज न होगा। तरावीह का वक़्त इशा की नमाज़ के बाद से शुरू होता है और सुब्ह सादिक़ तक रहता है, अगर नमाज़े इशा से पहले तरावीह पढ़ ली जाए तो उसका शुमार तरावीह में न होगा।

(मज़ाहिरे हक़ जदीद तरतीब–14 व फ़ज़ाइले रमज़ान मौलाना ज़करीय्या (रह.) सफ़्हा–6)

तरावीह में एक ख़त्म से मुराद कौन सी सुन्नत है?

सवाल: रमज़ान में तरावीह में एक ख़त्म करना फुक़हा ने सुन्नत लिखा है इससे कौन सी सुन्नत मुराद है मुअक्कदा या ग़ैर मुअक्कदा?

जवाब: सही मज़हब और क़ौले असह ये है कि तरावीह में एक कुरआन ख़त्म करना सुन्नते मुअक्कदा है, क़ौम की काहिली की वजह से उसे तर्क न किया जाए और दो ख़त्म करने में फ़ज़ीलत है और तीन ख़त्म करना अफ़ज़ल है। और जहां फुक़हा ने एक ख़त्म को सुन्नत लिखा है उससे ज़ाहिरन सुन्नते मुअक्कदा मुराद है। बाज़ फुक़हा लिखते हैं कि अगर किसी जगह के लोग इतने सुस्त और बददिल और बदशौक़ हों कि पूरा कुरआन शरीफ़ सुनने की ताब न रखते हों तो इतना पढ़े कि मस्जिदें जमाअ़त से ख़ाली न पड़ जाएं। ऐसी अबतर हालत न हो तो एक ख़त्म से कम न करे क्योंकि यही सुन्नत है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–406, बहवाला बहरुर्राइक़ जिल्द–1 सफ़्हा–61)

महीने में एक ख़त्मे कुरआन सुन्नत है

महीने में एक मरतबा कुरआन मजीद का तरतीबवार तरावीह में पढ़ना सुन्नते मुअक्कदा है, मगर लोगों की काहिली या सुस्सती की वजह से उसको तर्क न करना चाहिए, लेकिन अगर ये अंदेशा हो कि पूरा कुरआन पढ़ा जाएगा तो लोग नमाज़ में नहीं आऐंगे और जमाअत टूट जाएगी या उनको बहुत ही नागवार होगा तो बेहतर है जिस क़दर लोगों को गिराँ न गुज़रे उसी क़दर पढ़ा जाए और बाक़ी "اَلَمْ تَرَ كَيْفَ" से आख़िर तक की दस रकअ़त पढ़ दी जाए। (मज़ाहिरे हक़ जदीद तरतीब–14)

आँहज़रत (स.अ.व.) से बीस रकअ़त का सुबूत

सवालः आँहज़रत (स.अ.व.) ने रमज़ान में कितनी रकआ़त तरावीह पढ़ी हैं?

जवाबः बीस रकअ़त तरावीह पर इजमाअ़ है और अहादीस से साबित है पस बीस रकअ़त तरावीह पढ़नी चाहिए। आँहज़रत (स.अ.व.) ने भी बीस रकअ़त पढ़ी हैं।

मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, तिबरानी और बैहक़ी में ये हदीस मौजूद है– "عَنْ ابنِ عَبَّاس رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِىْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ" हज़रत इब्न अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (स.अ.व.) रमज़ान में बीस रकअ़तें वित्र के अलावा पढ़ा करते थे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4, सफ़्हा–272, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़्हा–660 बहस तरावीह)

तरावीह आँहज़रत (स.अ.व.) से साबित है

सवालः तरावीह का पढ़ना रसूलुल्लाह (स.अ.व.) से साबित है या नहीं?

जवाबः तरावीह आँहज़रत (स.अ.व.) ने तीन रात पढ़ी हैं, फिर सहाबए किराम (रज़ि.) ने आप (स.अ.व.) के बाद उस पर पाबंदी फ़रमाई है, लिहाज़ा तरावीह बाजमाअ़त हो गई।(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–253, बहवाला अबूदाऊद, रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–659 बहस सलातुत्तरावीह)

तरावीह बाजमाअ़त सुन्नत है या नहीं?

सवालः क्या तरावीह बाजमाअ़त मस्जिद में पढ़ना ज़रूरी है? घर में पढ़ सकते हैं या नहीं?

जवाबः तरावीह मस्जिद में बाजमाअ़त पढ़ना सुन्नत है मगर सुन्नते किफ़ाया है, यानी मस्जिद में अगर तरावीह की जमाअ़त न होगी तो अह्ले मुहल्ला गुनहगार होंगे और तारिकीने सुन्नत भी। अगर बाज़ों ने जमाअ़त मस्जिद में अदा की और बाज़ों ने घर में अदा की तो तर्के सुन्नत का गुनाह न होगा मगर जमाअ़त और मस्जिद की फ़ज़ीलत से महरूम रहेंगे। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–353, बहवाला सग़ीरी 205)

तरावीह बिला उज़्रे शरई छोड़ना कैसा है?

सवालः तरावीह के बिला उज़्र क़स्दन छोड़ना और ये कहना कि आँहज़रत (स.अ.व.) ने खुद छोड़ी हैं इसलिए हम भी छोड़ते हैं ये जाइज़ है या नहीं?

जवाबः तरावीह सुन्नते मुअक्कदा हैं, बिला उज़्र उनको छोड़ने वाला आ़सी और गुनहगार है। ख़ुलफ़ाए राशिदीन, तमाम सहाबए (रज़ि.) और सल्फ़े सालिहीन से उसकी पाबंदी साबित है। नबी करीम (स.अ.व.) ने ख़ुद फ़रमाया है कि मुझे ख़्याल है कि कहीं फ़र्ज़ न हो जाऐं।

यही एक चीज़ है जिसकी वजह से आँहज़रत (स.अ.व.) ने मुवाज़बत नहीं फ़रमाई, हक़ीक़त में आप (स.अ.व.) का ये फ़रमाना ही ख़ुद उनके एहतेमाम की खुली दलील है। किसी शख़्स का ये उज़्र करना कि नबी करीम (स.अ.व.) ने तरावीह तर्क की हैं मैं भी छोड़ता हूं क़तअन नाक़ाबिले क़बूल और नावाक़िफ़ीयत पर मबनी है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–281 ख़ुलासा रद्दुलमुह्तार मबहसुत्तरावीह जिल्द–1 सफ़्हा–659)

तरावीह के छोड़ने वाले का हुक्म

सवालः जो लोग तरावीह नहीं पढ़ते उनका क्या हुक्म है?

जवाबः तरावीह इमाम अबूहनीफ़ा (रह.) के नज़दीक सुन्नते मुअक्कदा हैं और जमाअ़त भी तरावीह में सुन्नत है उसके छोड़ने वाले ख़ताकार और गुनहगार हैं।

(फ़ताव दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–255, बहवाला रद्दुलमुह्तार मबहसुत्तरावीह जिल्द–1 सफ़्हा–660)

तरावीह रोजे के ताबेअ़ नहीं है

सवालः ज़ैद कहता है कि जो लोग उज़्रे शरई की वजह से रोज़ा नहीं रखते, वह नमाज़े तरावीह ज़रूर पढ़ें उनको सवाब ज़रूर होगा। बकर कहता है कि माज़ूर शख़्स जो रोज़ा न रखे वह तरावीह भी न पढ़े, बल्कि जो शख़्स रोज़ा न रखे उसका तरावीह पढ़ना उलटा अज़ाब है, इन दोनों में किसका क़ौल सही है?

जवाबः ज़ैद का क़ौल सही है कि बकर ग़लत कहता है तरावीह के लिए रोज़ा शर्त नहीं है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–272, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1

सफ़्हा–659, बाबुन्नवाफ़िल मबहस फ़ित्तरावीह) नमाज़े तरावीह रोज़ा के ताबेअ़ नहीं है, जो लोग किसी वजह से रोज़ा न रख सकें उनको भी तरावीह पढ़ना सुन्नत है अगर नहीं पढ़ेंगे तो तर्के सुन्नत के गुनहगार होंगे।

(मज़ाहिरे हक़ जदीद तरतीब–14)

तरावीह पढ़े और दिन में रोज़ा न रखे तो उसका हुक्म क्या है?

सवालः जिस रोज़ रात को तरावीह पढ़े अगर सुब्ह को रोज़ा न रखे तो इसके लिए शरई हुक्म क्या है?

जवाबः अगर कोई उज़्र है मसलन मरज़ या सफ़र है तो रोज़ा न रखे मुबाह और दुरुस्त है कुछ गुनाह नहीं है। और बेउज़्र रमज़ान का रोज़ा न रखना गुनाहे कबीरा है जिसका बदला तमाम उम्र के रोज़ों से भी नहीं हो सकता।

(फ़ताव दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–286, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–661 व मिश्कात सफ़्हा–177)

वज़ीफ़ा की वजह से जमाअ़ते वित्र का तर्क करना

सवालः एक शख़्स इशा की सुन्नत और वित्र के दरमियान एक वज़ीफ़ा का आदी है, रमज़ान में चूंकि वित्र जमाअ़त से होते हैं तो वज़ीफ़ा कैसे पढ़ना चाहिए, अगर वज़ीफ़ा पढ़ता है तो बारह तरावीह छूट जाती हैं और आठ मिलती हैं। और आठ तरावीह पढ़ कर वित्र की जमाअ़त में शरीक हो जाए या क्या जमाअ़ते वित्र को छोड़ दे या वज़ीफ़ा को रमज़ान में तर्क कर दे।

जवाबः वज़ीफ़ा की वजह से जमाअ़ते वित्र को छोड़ना नहीं चाहिए और तरावीह बीस रकअ़त पढ़नी चाहिए। वज़ीफ़ा अगर पढ़ना हो तो वित्र के बाद या किसी और वक़्त पढ़ ले। ग़रज़ ये है कि वज़ीफ़ा की वजह से किसी

वाजिब व सुन्नत को तर्क न करे बल्कि वज़ीफ़ा ही को छोड़ दे या दूसरे वक़्त पढ़ ले। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–286, बहवाला रद्दुलमुह्तार सफ़्हा–660)

तरावीह के वक़्त नींद का ग़लबा हो तो क्या हुक्म है

सवालः तरावीह के वक़्त नींद का ग़लबा ज़्यादा हो, मुंह पर पानी छिड़कने के बावजूद नींद सताए तो नमाज़ छोड़ कर सोने के लिए घर जा सकता है या नहीं?

जवाबः जी हाँ! जा सकता है, इसमें कुछ हरज नहीं, नींद के ग़लबा के वक़्त नमाज़ पढ़ना मकरूह है और मना है, नींद पूरी होने के बाद बक़िया तरावीह को वक़्त के अन्दर (सुब्ह सादिक़ तक) पढ़ ले। (फ़ताव रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–355, बहवाला सग़ीरी सफ़्हा–211)

और तर्जुमा आलगीरी हिन्दीया में हैं कि अगर नींद का ग़लबा है तो जमाअ़त के साथ तरावीह पढ़ना मकरूह है, बल्कि अलाहिदा हो जाए और ख़ूब होशियार हो जाए। इसलिए कि नींद के साथ नमाज़ पढ़ने में सुस्ती और ग़फ़लत होती है और कुरआन में ग़ौर व फ़िक्र करना छूटता है। (तर्जुमा हिन्दीया फ़तावा आलमगीरी जिल्द–1 सफ़्हा–190 किताबुस्सलात)

मुक़्तदी क़अ़दा में सो जाए तो क्या हुक्म है

किसी शख़्स ने तरावीह की नमाज़ इमाम के साथ शुरू की जब इमाम साहब ने क़अ़दा किया तो वह सो गया। इस अरसा में इमाम साहब ने सलाम फेर कर दूसरा दोगाना भी पढ़ा और तशह्हुद के वासते क़अ़दे में बैठे तो उस वक़्त वह शख़्स होशियार हुआ अगर उसको ये मालूम हो गया तो सलाम फेर दे और दोबारा नीयत बाँध

कर इमाम के साथ तशह्हुद में शरीक हो जाए और जिस वक़्त इमाम सलाम फेर दे और दोबारा नीयत बांध कर इमाम के साथ तशह्हुद में शरीक हो जाए और जिस वक़्त इमाम सलाम फेरे तो खड़ा हो कर दो रकअ़तें जल्द पढ़ ले और सलाम फेर दे फिर इमाम के साथ तीसरे दोगाना में शरीक हो जाए। (तर्जुमा: हिन्दीया फ़तावा आलमगीरी जिल्द–1 सफ़्हा–190 किताबुस्सलात)

तहरीमा में मुक़्तदी की ग़लती

बाज़ मरतबा मुक़्तदी भी ऐसी ग़लती कर बैठते हैं जिससे उनकी नमाज़ फ़ासिद हो जाती है मसलन इमाम के तकबीरे तहरीमा यानी अल्लाहुअकबर कहने से पहले मुक़्तदी अल्लाहुअकबर कह देते हैं या इमाम के लफ़्ज़ अल्लाह ख़त्म होने से पहले ही लफ़्ज़ अल्लाह कह देते हैं इन दोनों सूरतों में नमाज़ का शुरू करना सही नहीं होता उन मुक़्तदियों को चाहिए कि वह फिर से दोबारा अल्लाहुअकबर कह कर इमाम के पीछे नमाज़ की नीयत बाँधें। (मसाइले सज्दए सह्व सफ़्हा–74, बहवाला सग़ीरीर सफ़्हा–143)

अक्सर मुक़्तदियों को देखा जाता है कि अगर इमाम रुकूअ़ में चला गया तो उसके साथ रुकूअ़ में शरीक होने के लिए सीधे खड़े हुए बग़ैर अल्लाहुअकबर कहते हुए रुकूअ़ में चले जाते हैं इस तौर पर कि उनकी अल्लाहुअकबर की आवाज़ रुकूअ़ में पहुंच कर ख़त्म होती है।

इस तरह नमाज़ में शरीक होना दुरुस्त नहीं, तकबीरे तहरीमा से फ़ारिग़ होने तक खड़ा होना फ़र्ज़ है, यानी सीधे खड़े हो कर अल्लाहुअकबर की आवाज़ ख़त्म हो

जाए उसके बाद रुकूअ़ के लिए झुकना चाहिए।

अगर तकबीराते तहरीमा बहालते क़याम ख़त्म न हों तो उसका नमाज़ में शुमूल सही नहीं हुआ।

(किताबुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–391)

नमाज़े तरावीह की नीयत

नमाज़े तरावीह का तरीक़ा वही है जो दीगर नमाज़ों का है और उसकी नीयत इस तरीक़ा से है कि मैं दो रकअ़त नमाज़ तरावीह पढ़ने की नीयत करता हूं जो नबी करीम (स.अ.व.) की सुन्नत है। कह कर अल्लाहुअकबर नीयत बाँध ले। (मज़ाहिरे हक़ जदीद तरतीब–14)

तकबीरे तहरीमा के वक़्त हाथ बाँधने का तरीक़ा

सवालः तकबीरे तहरीमा के वक़्त दोनों हाथ कानों तक उठा कर बाँधें या छोड़ कर फिर बाँधें सही तरीक़ा क्या है?

जवाबः तकबीरे तहरीमा के बाद और वित्र में क़ुनूत से पहले, इसी तरह नमाज़े ईद की पहली रकअ़त में तीसरी तकबीर के साथ हाथ उठा कर बाँध लिए जाएं। हाथ छोड़ कर फिर बाँधना कहीं से साबित नहीं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–3 सफ़्हा–37)

बग़ैर सना के क़िराअत शुरू करे तो क्या हुक्म है?

सवालः क्या फ़रमाते हैं उलमाए दीन व मुफ़्तियाने शरऐ मतीन मस्अला ज़ैल में कि अगर कोई हाफ़िज़ रमज़ानुलमुबारक में तरावीह की नमाज़ में तकबीरे तहरीमा के बाद फ़ौरन बग़ैर सना पढ़े सूरए फ़ातिहा शुरू कर दे तो क्या हुक्म है?

जवाबः सना न पढ़ने की आदत बना लेना तो मज़मूम

हरकत होगी, बाक़ी उससे नमाज़ में कोई कराहत नहीं आएगी। इसलिए कि क़िराअते सना महज़ मुस्तहब है और तर्के मुस्तहब से अदाएगीए सलात में क़बाहत नहीं आती।

फ़क़्त वल्लाहुआलमु

(कतबहू अल अब्दु निज़ामुद्दीन मुफ़्तीये दारुलउलूम देवबंद 26–12–1406 हिजरी)

तरावीह में एक मरतबा ही बीस रकअतों की नीयत करना

सवालः तरावीह की बीस रकअतों के लिए शुरू ही में एक मरतबा नीयत काफ़ी होगी या हर दो रकअत पर नीयत करना काफ़ी होगा।

जवाबः तरावीह के लिए शुरू में बीस रकअत की नीयत काफ़ी है हर दो रकअत पर नीयत करना शर्त नहीं मगर बेहतर है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–354)

तरावीह की नमाज़ दो दो रकअत कर के पढ़ें या?

सवालः तरावीह में दो दो रकअत कर के पढ़ें या चार चार कर के?

जवाबः तरावीह में दो दो रकअत पर सलाम फेरना बेहतर है। तरावीह अगरचे सुन्नते मुअक्कदा है लेकिन चार रकअत एक सलाम से पढ़ना ये सुन्नते मुअक्कदा नहीं है, बरख़िलाफ़ ज़ुहर की चार रकअत सुन्नत के उनका एक सलाम से पढ़ना सुन्नते मुअक्कदा है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–267, बहवाला रद्दुलमुह्तार मबहसुत्तरावीह सफ़्हा–660)

और तरावीह में अफ़ज़ल दो दो रकअत पर सलाम फेरना है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–268, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–633 बाबुत्तरावीह व नवाफ़िल)

तरावीह में किराअते मसनूना की मिक़्दार

सवाल: यकुम रमज़ान को हाफ़िज़ मेहराब सुनाने के लिए तैयार हुआ, एक मुक़्तदी ने इनकार किया कि हम कुरआन शरीफ़ नहीं सुनते, इमाम और दीगर मुक़्तदियों ने उसको जवाब दिया तुम नहीं सुनते हम सुनेंगे, इस पर शख़्से औवल ने कहा कि छोटी सूरतों से पढ़ाओ। एतेराज़ करने वाला शख़्स तवाना और तंदुरुस्त है इस सूरत में शरअन क्या हुक्म है?

जवाब: फुक़हा ने लिखा है कि अफ़ज़ल इस ज़माना में इस क़दर पढ़ना है कि तरावीह मुक़्तदियों पर भारी न हो, पस शख़्से मज़कूर के क़ौल को भी उसी पर महमूल किया जाएगा कि मुक़्तदियों के हाल के मुनासिब सूरतों से तरावीह का पढ़ना न ये कि कुरआन शरीफ़ सुनने से इनकार है बल्कि मतलब ये है कि तरावीह में पूरा कुरआन शरीफ़ ख़त्म न कराओ, बल्कि सूरतों से तरावीह पढ़ो। इसमें कुछ क़बाहत नहीं है।

(फ़तवा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–261, बहवाला रद्दुलमुह्तार बाबुलवित्र व नवाफ़िल मबहसुत्तरावीह जिल्द–1 सफ़्हा–662)

क्या तरावीह लम्बी नहीं होनी चाहिए?

सवाल: एक शख़्स जमाअ़ते तरावीह में ये एतेराज़ करता है कि लोग दिन भर के थके मांदे होते हैं इसलिए हाफ़िज़ को इतनी लम्बी रकअ़तें न करनी चाहिएं तो इस सूरत में इमाम को क्या करना चाहिए?

जवाब: इमाम को क़िराअत हल्की ही करनी चाहिए। अलबत्ता एक दफ़ा ख़त्मे कुरआन शरीफ़ तरावीह में हो

जाना सुन्नत है, एक एक पारा रोज़ हो जाया करे इससे कम न हो। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–275)

तरावीह में पूरा कुरआन शरीफ़ पढ़ना अफ़ज़ल है

सवालः तरावीह में पूरा कुरआन शरीफ़ पढ़ना अफ़ज़ल है या सूरए फ़ील से तरावीह पढ़ना बेहतर है?

जवाबः दुर्रेमुख़्तार मबहसुत्तरावीह जिल्द–1 सफ़्हा–262 का खुलासा ये है कि कुरआन का ख़त्म तरावीह में एक बार सुन्नत है और क़ौम की सुस्ती की वजह से उसको तर्क न करें, इसी पर अमल है और यही मामूल बिही है।

(इमदादुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–300)

बीस रकअ़त तस्लीम करे और फिर कमी बेशी करे तो क्या हुक्म है?

सवालः अगर कोई शख़्स बीस रकअ़त तरावीह सुन्नत होने का एतेक़ाद रखते हुए कभी ग्यारह कभी तेरह और कभी इक्तालीस रकअतें पढ़े तो क्या गुनहगार होगा? नीज़ आदादे मज़कूरा अहादीस में आए हैं या नहीं?

जवाबः तरावीह बीस रकअ़त सुन्नते मुअक्कदा है इसके ख़िलाफ़ करने वाला हनफ़ीया के नज़दीक तारिके सुन्नत है और सुन्नत के ख़िलाफ़ करना बुरा है। और आदादे मज़कूरा हदीस में आते हैं मगर हनफ़ीया के नज़दीक तमाम अहादीस पर पूरी बसीरत के साथ ग़ौर करने के बाद यही बीस रक़अत राजेह हैं। और हज़रत उमर (रज़ि.) की तहरीक से इसी पर सहाबा (रज़ि.) का इजमा हुआ है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–297, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–660)

इमाम तरावीह वग़ैरा में क़िराअत कैसी आवाज़ से करे

सवालः इमाम तरावीह वग़ैरा जेह्‌री नमाज़ों में क़िराअत किस क़दर ज़ोर से करे?

जवाबः अफ़ज़ल और बेहतर ये है कि इमाम जेह्‌री नमाज़ों में बिला तकल्लुफ़ इस क़दर ज़ोर से पढ़े कि मुक़्तदी क़िराअत सुन सके इससे ज़्यादा तकल्लुफ़ कर के पढ़ना मकरूह और मना है, इरशादे रब्बानी है– "وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا" (نبی اسرائیل ع ۱۲) और न तुम अपनी नमज़ों में ज़्यादा ज़ोर से पढ़ो और न बिल्कुल आहिस्ता पढ़ो उसके बीच दरमियानी राह इख़्तियार करो। मुफ़स्सिरीन फ़रमाते हैं कि नमाज़ में दरमियानी आवाज़ से क़िराअत करनी चाहिए, इससे क़ल्ब पर असर होता है, न इस क़दर ज़ोर से पढ़े कि क़ारी और सामेअ़ दोनों को तकलीफ़ हो कि जिससे हुज़ूरे कल्ब में ख़लल आ जाए। (ख़ुलासतुत्तफ़सीर जिल्द–3 सफ़्हा–67, तफ़सीर फ़तहुलमन्नान जिल्द–5 सफ़्हा–96)

फ़ुक़हाए किराम (रह.) ज़ोर से पढ़ने में दो बातें ज़रूरी करार देते हैं औवल ये कि पढ़ने वाला अपने ऊपर ग़ैर मामूली ज़ोर न डाले (ये मकरूह है) दूसरे ये कि दूसरों को तकलीफ़ न हो मसलन तहज्जुद के वक़्त कोई सो रहा है या कुछ लोग अपने काम में मसरूफ़ हैं आप उनके पास खड़े हो कर इतनी बुलंद आवाज़ से क़िराअत करने लगें कि उनके काम में ख़लल हो तो ये भी मकरूह है। इन दोनों बातों के बाद तीसरी बात ये है कि जमाअ़त की कमी ज़्यादती का लिहाज़ करते हुए उसके बमूजिब किराअत करें, मसलन मुक़्तदियों की तीन सफ़ें

हैं, आप इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़ें कि तीसरी सफ़ तक आवाज़ पहुंचती रहे, या इससे ज़्यादा ज़ोर से पढ़ें कि बाहर तक आवाज़ पहुंचे। फ़क़ीह अबूजाफ़र (रह.) का ये क़ौल है कि जितनी बुलंद आवाज़ से पढ़ें अच्छा है। बशर्ते कि पढ़ने वाले पर तअब (थकान) न हो और किसी को तकलीफ़ न पहुंचे। मगर दूसरे फ़ुक़हा का ये क़ौल है और राजेह यही है कि बक़द्रे ज़रूरत आवाज़ बुलंद करें यानी सिर्फ़ इतनी आवाज़ बुलंद करें कि तीसरी सफ़ तक आवाज़ पहुंचे, अलबत्ता अगर सफ़ें ज़्यादा हों तो आवाज़ को इससे बुलंद भी कर सकते हैं बशर्तेकि अपने ऊपर ज़्यादा ज़ोर न पड़े।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–351, बहवाला तहतावी अला मराक़ियुलफ़लाह सफ़्हा–137, फ़स्ल फ़ी वाजिबिस्सलवात, दुर्रेमुख़्तार सफ़्हा–497, मजमउलअनहर जिल्द–1 सफ़्हा–103, आलमगीरी जिल्द–1 सफ़्हा–72)

तन्हा नमाज़े तरावीह किस आवाज़ से पढ़ें?

सवालः मर्द तरावीह जमाअ़त से पढ़ें या अलाहिदा अलाहिदा? अगर तन्हा पढ़ें तो बुलंद आवाज़ से पढ़ें या आहिस्ता?

जवाबः मर्द जमाअ़त से पढ़ें, अगर कोई शख़्स जमाअ़त से रह जाए और तन्हा पढ़े तो आहिस्ता पढ़े, या बुलंद आवाज़ से, दोनों सूरतें दुरुस्त हैं, मगर आवाज़ से पढ़ना बेहतर है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–299, बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–556 बाबुत्तरावीह)

क्या तरावीह इस तरह भी हो जाती है?

सवालः तरावीह की नमाज़ इस तरह पढ़ना जाइज़ है

या नहीं? मसलन पहली रकअत मे सूरए तकासुर और दूसरी रकअत में सूरए इख़लास या पहली में सूरए अस्र और दूसरी में सूरए इख़लास?

जवाबः तरावीह की नमाज़ इस तरह भी हो जाती है मगर इसको लाज़िम नहीं समझना चाहिए और इसकी पाबंदी न की जाए, बित्तरतीब हर रकअत में सूरत पढ़नी चाहिए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–251, बहवाला आलमगीरी मिस्री जिल्द–1 सफ़्हा–117)

तर्जुमा आलमगीरी में है कि अलमतर कैफ़ा से आख़िरे कुरआन तक दस सूरतें दो मरतबा पढ़ना बेहतर है, हर रकअत में एक सूरत, इसलिए कि रकअतों के शुमार में भूल नहीं होती और उसके याद करने में दिल नहीं बटता।

(बहवाला आलमगीरी हिन्दीया जिल्द–1 सफ़्हा–189)

अगर याद न हो तो मजबूरी है, फिर जो सूरत भी याद हो वह पढ़ ले। (मुरत्तिब रफ़अ़त क़ासमी)

वित्र पहले पढ़ें, या तरावीह?

सवालः तरावीह वित्र से पहले पढ़नी चाहिए या वित्र के बाद? एक शख़्स पहले वित्र पढ़ कर बाद में तरावीह पढ़ता है शरई हुक्म क्या है?

जवाबः तरावीह में मशरूअ़ तरीक़ा ये है कि इशा के बाद और वित्र से पहले तरावीह पढ़ें और उसके बाद फिर वित्र पढ़ें, लेकिन अगर तरावीह वित्र के बाद पढ़ें तो ये भी सही है। दुर्रेमुख़्तार से भी यही मालूम होता है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–284, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–659)

सुन्नत पहले पढ़ें या तरावीह?

सवालः रमज़ान शरीफ़ में अगर तरावीह शुरू हो गई तो दो सुन्नत जो फ़र्ज़ के बाद हैं उसको पढ़ कर तरावीह में शरीक हों या सुन्नत बाद में पढ़ें?

जवाबः फ़र्ज़ और सुन्नत पढ़ कर तरावीह में शामिल हों। फ़तावा शामी के अन्दर है "وَقْتُهَا بَعْدَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ" यानी तरावीह का वक़्त इशा की नमाज़ के बाद है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–300, बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़्हा–659)

जो अफ़राद फ़र्ज़ होने के बाद आएँ तो जमाअत करें या नहीं?

सवालः अगर चंद आदमी फ़र्ज़ नमाज़ होने के बाद आए और नमाज़े तरावीह शुरू हो गई, तो आने वाले फ़र्ज़ बाजमाअत अदा करें या तन्हा तन्हा पढ़ कर तरावीह में शामिल हो जाऐं? नीज़ वित्र जमाअत के साथ पढ़ें या तन्हा पढ़ें?

जवाबः ये लोग अलाहिदा अलाहिदा फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ कर इमाम के साथ तरावीह की जमाअत में शामिल हो जाऐं और वित्र इमाम के साथ जमाअत से पढ़ें, अगरचे उन्होंने फ़र्ज़ नमाज़ जमाअत से नहीं पाई। दुर्रेमुख़्तार में है कि फ़र्ज़ को तन्हा पढ़ने वाला तरावीह जमाअत से पढ़ सकता है। लिहाज़ा वित्र भी जमाअत से पढ़ सकता है क्योंकि दोनों का हुक्म बराबर है, जैसा कि तरावीह को जमाअत से न पढ़ने वाला वित्र को जमाअत से पढ़ सकता है इसी तरह फ़र्ज़ को तन्हा पढ़ने वाला भी वित्र को जमाअत से पढ़ सकता है। (इमदादुलफ़तावा जिल्द–1

सफ़हाह–348, बहाशिया उस्ताज़ी हज़रज मौलाना मुफ़्ती सईद अहमद पालनपूरी)

छूटी हुई तरावीह की रकअतें कब पढ़ें

सवालः एक आदमी मस्जिद में उस वक़्त दाखिल हुआ जब इशा के फ़र्ज़ हो चुके थे और वह तरावीह में दो चार रकअ़त हो जाने के बाद शामिल हुआ अब छूटी हुई तरावीह किस तरह पूरी करे। नीज़ वित्र बाजमाअ़त पढ़े या छूटी हुई तरावीह पूरी करने के बाद वित्र पढ़े?

जवाबः अगर दरमियान में मौक़ा मिले तो इमाम के तरावीह में बैठने के वक़्त पढ़ ले, वरना इमाम के साथ वित्र जमाअ़त से पढ़ कर बाद में छूटी हुई तरावीह पूरी करे ले दुर्रेमुख़्तार में है कि तरावीह का वक़्त इशा की नमाज़ के बाद है और सुब्ह सादिक़ तक रहता है।

फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–260, बहवाला रद्दुलमुह्तार मबहसुत्तरावीह जिल्द–1 सफ़्हा–659 और वित्र पहले और बाद में दोनों तरह पढ़ सकते हैं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–260, बहवाला रद्दुलमुह्तार मबहसुत्तरावीह)

छूटी हुई आयतों को तरावीह में कहां दुहराएँ?

सवालः हमारे यहां हाफ़िज़ आ़म तौर पर मसाइल से नावाक़िफ़ हैं, वह तरावीह में कुरआन शरीफ़ पढ़ते हैं और सह्वन दरमियान से दो तीन आयतें छूट गई या ज़बर, ज़ेर, पेश छूट गया तो दूसरी रकअ़त में इन छूटी हुई आयतों को फिर पढ़ लेते हैं, लेकिन जिस दोगाना में आयतें छूट गई थीं उसका एआदा नहीं करते।

दरयाफ़्त तलब ये है कि आयात के छूट जाने से

तग़य्युरे माना के सबब फ़सादे नमाज़ लाज़िम आता है तो नमाज़ को लौटाना ज़रूरी है या नहीं? या माना बदलने की ख़बर न होने की वजह से लौटाना ज़रूरी नहीं हैं?

जवाबः अगर क़िराअत की ग़लती किसी दोगाना में ऐसे मौक़ा पर आई जो नमाज़ के फ़ासिद करने का मोजिब हो तो उस दोगाना (दो रकअ़तों) का लौटाना ज़रूरी है और अगर ऐसी ग़लती है जो मुफ़सिदे नमाज़ नहीं है तो नमाज़ के एआदा की ज़रूरत नहीं है बल्कि नमाज़ हो जाती है।

पस दरमियान में आयात के छूटने पर ज़बर, ज़ेर पेश की ग़लती करने में भी यही हुक्म है, मसलन चंद आयात के दरमियान में छूट जाने से तग़य्युरे माना नहीं हुआ तो दोगाना सही हो गया, सिर्फ़ ख़त्मे कुरआन के लिए दूसरे दोगाना में उन आयात का इआदा कर लिया जाए ये काफ़ी है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–298, बहवाला आलमगीरी मिस्री जिल्द–1 सफ़्हा–101)

छूटी हुई आयतों को अगले दिन पढ़ना कैसा है

सवालः तरावीह में हाफ़िज़ साहब से बाज़ आयतों का सह्वन छूट जाना और दूसरे या तीसरे दिन उन आयात को मुतफ़र्रिक़ तौर पर यके बाद दीगरे पढ़ देना जाइज़ है या नहीं? और पूरे ख़त्म का सवाब बिला कराहत होगा या कराहत के साथ?

जवाबः सिर्फ़ कुरआन के लिए दूसरे दोगाना में उन आयात का इआदा कर लिया जाए तो काफ़ी है। पूरे ख़त्म का सवाब हो जाएगा और जब कि भूल कर ऐसा हुआ है तो उसमें कुछ गुनाह नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–294, बहवाला आलमगीरी मिस्री जिल्द–1 सफ़्हा–101)

तरावीह से मुतअल्लिक़ यकजा तीस मसाइल

मस्अलाः (1) तरावीह की जमाअ़त इशा की जमाअ़त के ताबेअ़ है, लिहाज़ा इशा की जमाअ़त से पहले जाइज़ नहीं और जिस मस्जिद में इशा की जमाअ़त नहीं हुई वहां पर तरावीह को भी जमाअ़त से पढ़ना दुरुस्त नहीं।

(कबीरी सफ़्हा–391)

मस्अलाः (2) एक शख़्स तरावीह पढ़ चुका इमाम बन कर या मुक़्तदी हो कर अब उसी शब में उसको इमाम बन कर तरावीह पढ़ना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता अगर दूसरी मस्जिद में तरावीह की जमाअ़त हो रही है तो वहां (बनीयते नफ़्ल) शरीक होना बिला मकरूह जाइज़ है। (कबीरी)

मस्अलाः (3) कोई शख़्स मस्जिद में ऐसे वक़्त पहुंचा कि तरावीह की जमाअ़त शुरू हो गई थी, तो उसको चाहिए कि पहले फ़र्ज़ और सुन्नतें पढ़े, उसके बाद तरावीह में शरीक हो और छूटी हुई तरावीह दो तरवीहा के दरमियान पूरी करे। अगर मौक़ा न मिले तो वित्रों के बाद पढ़े और वित्रों या तरावीह की जमाअ़त छोड कर तन्हा न पढ़ें।

(कबीरी)

मस्अलाः (5) एक इमाम के पीछे फ़र्ज़ दूसरे के पीछे तरावीह और वित्र पढ़ना भी जाइज़ है।

मस्अलाः (6) अगर बाद में मालूम हुआ कि किसी वजह से इशा के फ़र्ज़ सही नहीं हुए मसलन इमाम ने बग़ैर वुज़ू पढ़ाए या कोई रुक्न छोड़ दिया तो फ़र्ज़ों के साथ तरावीह का भी इआदा करना चाहिए। अगरचे यहां

वह वजह मौजूद न हो। (कबीरी)

मस्अला: (7) क़यामे लैले रमज़ान, या तरावीह या सुन्नते वक़्त, या सलाते इमाम की नीयत करने से तरावीह अदा हो जाएगी। (ख़ानिया)

मस्अला: (8) अगर इमाम दूसरा या तीसरा शुफ़्आ पढ़ रहा है और किसी मुक़्तदी ने उसके पीछे पहले शुफ़्आ की नीयत की तो इसमें कोई हरज नहीं। (ख़ानिया)

मस्अला: (9) अगर याद आया कि गुज़श्ता शब कोई शुफ़्आ तरावीह का फ़ौत हो गया या फ़ासिद हो गया था तो उसको भी जमाअत के साथ तरावीह की नीयत से क़ज़ा करना मकरूह है।

मस्अला: (10) अगर वित्र पढ़ने के बाद याद आया कि एक शुफ़्आ मसलन रह गया था तो उसको भी जमाअत के साथ पढ़ना चाहिए।

मस्अला: (11) अगर बाद में याद आया कि एक मरतबा सिर्फ़ एक ही रकअत पढ़ी गई और शुफ़्आ पूरा नहीं हुआ और तरावीह की कुल 19 रकआत हुई तो दो रकआत और पढ़ ली जाऐं। यानी सिर्फ़ शुफ़्अए फ़ासिदा का एआदा होगा और उसके बाद की तमाम तरावीह का एआदा न होगा।

मस्अला: (12) जब शुफ़्अए फ़ासिदा का एआदा किया जाए तो उसमें जिस क़दर कुरआन शरीफ़ पढ़ा था उसका भी एआदा करना चाहिए, ताकि तमाम कुरआन सहीह नमाज़ में ख़त्म हो।

मस्अला: (13) अगर अट्ठारह रकअत पढ़ कर इमाम समझा कि बीस रकअत पूरी हो गई और वित्रों की नीयत बाँध ली मगर दो रकअत पढ़ कर याद आया कि एक

शुफ़्आ तरावीह का बाक़ी रह गया है जब ही दो रकअ़त पर सलाम फेर दिया तो ये शुफ़्आ (दो रकअत) तरावीह का शुमार न होगा।

मस्अलाः (14) अगर इमाम ने दो रकअ़त पर क़अ़दा नहीं किया, बल्कि चार पढ़ कर क़अ़दा किया तो ये आख़िर की दो रकअ़त शुमार होंगी।

मस्अलाः (15) बिला उज़्र बैठ कर पढ़ने से तरावीह अदा हो जाएगी मगर सवाब निस्फ़ मिलेगा।

मस्अलाः (16) अगर इमाम किसी उज़्र की वजह से बैठ कर पढ़ाए तब भी मुक़्तदियों को खड़े हो कर पढ़ना मुस्तहब है।

मस्अलाः (17) तरावीह को शुमार करते रहना मकरूह है क्योंकि ये उकता जाने की अलामत है।

मस्अलाः (18) मुस्तहब ये है कि शब का अक्सर हिस्सा तरावीह में ख़र्च किया जाए।

मस्अलाः (19) एक मरतबा कुरआन शरीफ़ ख़त्म करना (पढ़ कर या सुन कर) सुन्नत है दूसरी मरतबा फ़ज़ीलत है और तीन मरतबा अफ़ज़ल है, लिहाज़ा अगर हर रकअ़त में तक़रीबन दस आयतें पढ़ी जाऐं तो एक मरतबा बसहूलत ख़त्म हो जाएगा और मुक़्तदियों को भी गिरानी न होगी।

मस्अलाः (20) जो लोग हाफ़िज़ हैं उनके लिए फ़ज़ीलत ये है कि मस्जिद से वापस आ कर बीस रकअ़त और पढ़ा करें, ताकि दो मरतबा खत्म करने की फ़ज़ीलत हासिल हो जाए।

मस्अलाः (21) हर अशरा (दस दिन) में एक ख़त्म

करना अफ़ज़ल है।

मस्अला: (22) अगर मुक़्तदी इस क़दर ज़ईफ़ और काहिल हों कि एक मरतबा भी पूरा कुरआन शरीफ़ न सुन सकें, बल्कि उसकी वजह से जमाअत छोड़ दें तो जिस क़दर सुनने पर वह राज़ी हों उस क़दर पढ़ लिया जाए या "اَلَمْ تَرَ كَيْفَ" से पढ़ लिया जाए, लेकिन इस सूरत में ख़त्म की सुन्नत के सवाब से महरूम रहेंगे।

मस्अला: (23) अगर कोई आयत छूट गई और कुछ हिस्सा आगे पढ़ कर याद आया कि फ़लाँ आयत छूट गई है तो उसके पढ़ने के बाद आगे पढ़े हुए हिस्सा का एआदा भी मुस्तहब है।

मस्अला: (24) किसी छूटी हुई सूरत का फ़स्ल करना दो रकअ़त के दरमियान फ़राइज़ में मकरूह है तरावीह में मकरूह नहीं है।

मस्अला: (25) अगर मुक़्तदा ज़ईफ़ और सुस्त हों कि तवील नमाज़ का तहम्मुल न कर सकते हों तो दो दो के बाद दुआ़ छोड़ देने में मुज़ाएक़ा नहीं, लेकिन दुरूद को नहीं छोड़ना चाहिए।

मस्अला: (26) कोई शख़्स ऐसे वक़्त जमाअ़त में शरीक हुआ कि इमाम क़िराअत शुरू कर चुका था तो सना (सुब्हानकल्लाह) नहीं पढ़ना चाहिए।

मस्अला: (27) मस्बूक़ अपनी नमाज़ तन्हा पूरी करने के लिए न उठे जब तक कि इमाम की नमाज़ ख़त्म होने का यक़ीन न हो जाए। (मुहीत) क्योंकि बाज़ दफ़ा इमाम सज्दए सह्व के लिए सलाम फेरता है और मस्बूक़ उसको ख़त्म का सलाम समझ कर अपनी नमाज़ पूरी करने के

लिए खड़ा हो जाता है, ऐसी सूरत में फ़ौरन लौट कर इमाम के साथ शरीक हो जाना चाहिए।

मस्अला: (28) अगर कोई शख़्स ऐसे वक़्त आया कि इमाम रुकूअ़ में था, ये फ़ौरन तकबीरे तहरीमा कह कर रुकूअ़ में शरीक हुआ जब ही इमाम ने रुकूअ से सर उठा लिया पस अगर सीधा खड़ा हो कर तकबीरे तहरीमा कहते हुए रुकूअ़ में गया था और रुकूअ़ में झुकने से पहले अल्लाहुअकबर कह चुका था और कमर को रुकूअ़ में बराबर कर लियाथा उसके बाद इमाम ने रुकूअ़ से सर उठाने से पहले रुकूअ़ में कमर को बराबर नहीं कर सका तो रकअ़त नहीं मिली। और अगर तकबीर सीधे खड़े हो कर नहीं कही बल्कि झुकते हुए कही, और रुकूअ़ में पहुंच कर ख़त्म की तो ये शुरू करना ही सही न होगा। (मुहीत)

मस्अला: (29) अगर रुकूअ़ में इमाम के साथ आ कर शरीक हो और सिर्फ़ एक ही तकबीर कही तब भी नमाज़ सही हो गई। अगरचे इस तकबीर से रुकूअ़ की तकबीर की नीयत की और तकबीरे तहरीमा की नीयत न की हो उस नीयत का एतेबार न होगा। बशर्ते कि तकबीर खड़े हो कर कही हो रुकूअ़ में न कही हो।

मस्अला: (30) एक इमाम के पीछे फ़र्ज़ और दूसरे के पीछे तरावीह और वित्र पढ़ना भी जाइज़ है। (कबीरी)

माख़ूज़ अज़ फ़तावा महमूदिया, मजमूअए फ़तावा उस्ताज़ी हज़रत मौलाना मुफ़्ती महमूद हसन गंगोही जिल्द–2 सफ़्हा–350 ता 357)

□□□

छटा बाब

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

के ब्यान में

क्या तरावीह में बिस्मिल्लाह का ज़ोर से पढ़ना साबित है?

सवालः क्या कोई रिवायत इब्ने मसऊद (रज़ि.) से है कि बिस्मिल्लाह हर सूरत के साथ नाज़िल हुई है इसलिए एहतियातन तरावीह में जेह्र के साथ हर सूरत पर पढ़ी जाए? अगर बिस्मिल्लाह ज़ोर से न पढ़ी तो क्या गुनहगार होगा?

जवाबः अक्सर रिवायात में आया है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) क़िराअत अल्हम्द से शुरू फ़रमाते थे। इससे मालूम हुआ कि बिस्मिल्लाह का जेह्र न फ़रमाते थे, यही मज़हब है इमाम अबूहनीफ़ा (रह.) का। पस एक एक सूरत के साथ (तरावीह में) जेह्र न करना चाहिए, सिर्फ़ कुरआन शरीफ़ में एक दफ़ा किसी सूरत में ज़ोर से पढ़ दे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–268, बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द--1 सफ़्हा–457 बाब सिफ़तुस्सलात)

बिस्मिल्लाह का तरावीह में ज़ोर से पढ़ना कैसा है?

सवालः अज़लाए पेशावर वग़ैरा में पूरे कुरआन शरीफ़ में किसी सूरत पर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तरावीह में ज़ोर से नहीं पढ़ते और कहते हैं कि आँहज़रत (स.अ.व.) से साबित नहीं है और ज़ोर से पढ़ने में बिस्मिल्लाह का

कुरआन शरीफ़ का जुज़ होना लाज़िम नहीं आता? हालांकि उलमाए हिन्दुस्तान एक दफ़ा जेह्र करते हैं और फ़तावा अब्दुलहई में एक मरतबा जेह्र से पढ़ना मसनून लिखा है इसके जेह्र की क्या वजह है?

जवाबः ज़ोर से बिस्मिल्लाहिर्रमानिर्रहीम एक जगह इसलिए है कि तमाम कुरआन का जुज़ है। एक भी जगह जेह्र न होने से सामईन का कुअरान सुनना पूरा न होगा। यही वजह जेह्र की मालूम होती है। वरना ज़ाहिरन जुज़्वे कुरआन होना जेह्र से मुस्तलज़म नहीं, मगर चूंकि तमाम कुरआन शरीफ़ का ख़त्म तरावीह में मसनून है, इसलिए एक मरतबा बिस्मिल्लाह को ज़ोर से पढ़ने के लिए कहा गया है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–263, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–458, बाब सिफ़तुस्सलात)

अइम्मए क़िराअत का इत्तिबा तिलावत के अन्दर है नमाज़ में नहीं

सवालः एक मौलवी साहब हाफ़िज़े कुरआन भी हैं और क़ारी भी, वह नमाज़े तरावीह में हर सूरत पर फ़ातिहा के बाद बिस्मिल्लाह ज़ोर से पढ़ते हैं और कहते हैं कि इसमें न कोई कबाहत है न कराहत। ज़ोर से पढ़ने के सुबूत में ये फ़रमाते हैं कि तरावीह में जैसा कि तकमीले कुरआन, क़िराअतन मक़सूद और सुन्नते मुअक्कदा है वैसे ही तकमील कुरआन समाअतन भी मुक़्तदियों के हक़ में मक़सूद है। लिहाज़ा तरावीह में जब तक बिस्मिल्लाह ज़ोर से हर सूरत पर न पढ़ी जाएगी मुक़्तदियों के हक़ में इख़्तिलाफ़ दूर न होगा और इख़्तिलाफ़ भी मुजतहिदीन

का नहीं बल्कि अइम्मए क़िराअत का है।

हर सूरत में फ़ातिहा के बाद तरावीह में बिस्मिल्लाह का ज़ोर से पढ़ना कैसा है? और बिस्मिल्लाह में हनफ़ीया (रह.) को अपने मुजतहिदीन का इत्तिबा कर के आहिस्ता पढ़ना चाहिए या अइम्मए क़िराअत की पैरवी करते हुए ज़ोर से पढ़ना चाहिए?

जवाबः दुर्रेमुख़्तार बाब सिफ़तुस्सलात जिल्द–1 सफ़्ता–457 से मालूम होता है कि नमाज़ के अन्दर हनफ़ीया के नज़दीक बइत्तिफ़ाक़ बिस्मिल्लाह को आहिस्ता पढ़ना चाहिए। इसमें हनफ़ीया के नज़दीक किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं है और मुतलक़न हर नमाज़ को शामिल है, चाहे नमाज़ फ़र्ज़ हो या नफ़्ल, तरावीह वग़ैरा। और इसी इबारत से ये भी वाज़ेह होता है कि अइम्मए क़िराअत का इत्तिबा तिलावत के अन्दर है नमाज़ में नहीं और इसी पर हम ने अपने असातिज़ा उलमाए अहनाफ़ को पाया है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–265)

बिस्मिल्लाह का सूरए इख़्लास के साथ पढ़ना

बिस्मिल्लाह इमाम अबूहनीफ़ा (रह.) के नज़दीक कुरआन शरीफ़ की एक आयत है और किसी सूरत का जुज़्व नहीं उसको एक बार ख़्वाह कहीं पढ़ ले, कुलहुवल्लाह की ख़ुसूसियत नहीं है, जहां चाहे पढ़ ले, अलबत्ता ये अक़ीदा करना कि सिवाए कुलहुवल्लाह के और किसी सूरत पर दुरुस्त नहीं बिदअ़त होगा वरना कुछ हरज नहीं।

(फ़तावा रशीदिया कामिल सफ़्हा–265)

बिस्मिल्लाह के बारे में मौलाना थानवी (रह.) का फ़तवा

सवालः तरावीह में जबकि हाफ़िज़े कुरआन सुना रहा

है तो वह हर सूरत पर बिस्मिल्लाह को ज़ोर से पढ़े या किसी एक जगह पढ़नी होगी?

जवाबः बिस्मिल्लाह के सूरतों के दरमियान होने से उसकी जुज़ईयत तो लाज़िम नहीं आती, लेकिन कुतुबे मज़हब में तसरीह है कि बिस्मिल्लाह मुतलक़ कुरआन का जुज़्व है, किसी सूरत या हर सूरत का जुज़्व नहीं है। पस उसका मुक़्तज़ा ये है कि एक जगह ज़रूर ज़ोर से पढ़ ली जाए, वरना सामईन का कुरआन पूरा न होगा। क़ारी का इख़्फ़ा बिस्मिल्लाह में हो जाएगा, क्योंकि बाज़ अजज़ा का जेह्र और बाज़ का इख़्फ़ा जाइज़ है। फ़न्ने क़िराअत से तो इस मस्अला का सिर्फ़ इसी क़दर तअल्लुक़ है आगे फ़िक़्ह से तअल्लुक़ है और उसमें बिस्मिल्लाह का इख़्फ़ा है। (इमदादुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–459)

जो हनफ़ी बिस्मिल्लाह को तरावीह में हर सूरत पर जेह्र से पढ़े वह अपने मसलक की मुख़ालफ़त करता है

फ़तावा रहीमिया में बिस्मिल्लाह के बारे में तसरीह है कि– ख़ारिजे नमाज़ के अन्दर कुरआन की तिलावत में इमामे क़िराअत के मसलक का इत्तिबाअ़ किया जाए और नमाज़ में इमामे आज़म (रह.) के मसलक की पैरवी की जाए। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–385)

तकबीरे तहरीमा से ले कर सलाम फेरने तक पूरी नमाज़ इमामे आज़म (रह.) के मसलक के मुवाफ़िक़ पढ़ी जाए और बिस्मिल्लाह में मुख़ालफ़त की जाए ये मुनासिब न होगा।

बिस्मिल्लाह के बारे में मसलके इमामे आज़म (रह.)

इस पर तमाम अह्ले इस्लाम का इत्तिफ़ाक़ है कि

बिस्मिल्लाहिर्रहमार्रिहीम कुरआन में सूरए नमल का जुज़्व है और इस पर भी इत्तिफ़ाक़ हैं कि सिवाए सूरए तौबा के हर सूरए के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी जाती है। इसमें अइम्मए मुजतहिदीन का इख़्तिलाफ़ है किं बिस्मिल्लाह सूरए फ़ातिहा या तमाम सूरतों का जुज़्व है या नहीं?

इमाम आज़म अबूहनीफ़ा (रह.) का मसलक ये है कि बिस्मिल्लाह बजुज़ सूरए नमल के और किसी सूरत का जुज़्व नहीं है, बल्कि एक मुस्तकिल आयत है जो हर सूरत के शुरूअ़ में दो सूरतों के दरमियान फ़स्ल और इम्तियाज़ ज़ाहिर करने के लिए नाज़िल हुई है, उसका एहतेराम कुराआन मजीद की तरह वाजिब है उसको बेवुजू हाथ लगाना जाइज़ नहीं है।

(मआरिफुल कुरआन जिल्द–1 सफ़्हा–16)

मस्अला: नमाज़ में सूरए फ़ातिहा के बाद सूरत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए ख़्वाह जेह्‌री नमाज़ हो या सिर्री आँहज़रत (स.अ.व.) और ख़ुलफ़ाए राशिदीन से साबित नहीं है। (मआरिफुल कुरआन जिल्द–1 सफ़्हा–20 बहवाला शरह मुनिया)

ख़ुलासए कलाम

रिवायात से ये मलूम होता है कि बिस्मिल्लाह कुरआन शरीफ़ का जुज़्व है हर सूरत का जुज़्व नहीं इसलिए तरावीह में एक दफ़ा जेह्‌र के साथ पढ़ना और उसका सुनना ज़रूरी है और अगर जेह्‌र के साथ बिस्मिल्लाह न पढ़ी गई तो एक आयत की कमी समझी जाएगी। अब ये कि बिस्मिल्लाह कौन सी जगह और किस सूरत में पढ़ें तो इसमें इख़्तियार है जिस जगह चाहें पढ़ दें।

बाज़ हुफ़्फ़ाज़ ख़त्मे कुरआन के दिन बिस्मिल्लाह को सूरए इख़लास के साथ खुसूसियत से पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह का पढ़ना तो दुरुस्त हो जाएगा लेकिन किसी ख़ास सूरत का इल्लितज़ाम न करें, ताकि सामईन उसको जुज़्वे सूरत ने समझें। बेहतर है कभी किसी सूरत में और कभी किसी सूरत में पढ़ दी जाए। अहक़र की राए ये है कि तरावीह के पहले दिन कुरआन शरीफ़ शुरू करने पर सूरए बक़रा की इब्तिदा में पढ़ दी जाए, ताकि इस हदीस पर भी अमल हो जाए कि हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाए।

लेकिन इसको भी ज़रूरी न समझें, इख़्तियार है जहां चाहें पढ़ सकते हैं। नमाज़ में तो बिस्मिल्लाह के सिलसिले में इमाम आज़म (रह.) की पैरवी करें और नमाज़ से अलग जब कुरआन शरीफ़ की तिलावत की जावे तो उसमें अइम्मए क़िराअत की इत्तिबा हो, यानी हर सूरत पर बिस्मिल्लाह जेहर से पढ़ी जाए।

(मुरत्तिब मुहम्मद रफ़अत क़ासमी)

□□□

सातवाँ बाब

सज्दए सह्व

सज्दा सह्व के उसूल

सज्दए सह्व हस्बे ज़ैल वजहों से वाजिब होता है–

(1) नमाज़ के वाजिबात में से किसी वाजिब को भूल कर तर्क कर दे।

(2) किसी वाजिब को उसके महल से मुअख़्ख़र कर दे।

(3) किसी वाजिब की ताख़ीर एक रुक्न की मिक़्दार के बराबर कर दे।

(4) किसी वाजिब को दो मरतबा अदा करे।

(5) किसी वाजिब को मुतग़ैयर कर दे, जैसे जेह्री नमाज़ में आहिस्ता और आहिस्ता वाली नमाज़ में बुलंद अवाज़ से क़िराअत कर दे।

(6) नमाज़ के फ़राइज़ में से किसी फ़र्ज़ को उसके महल से मुअख़्ख़र कर दे।

(7) किसी फ़र्ज़ को उसके महल से मुक़द्दम कर दे।

(8) किसी फ़र्ज़ को मुकर्रर यानी दो मरतबा भूले से अदा कर ले।

(मसाइले सज्दए सह्व सफ़्हा–62)

सज्दए सह्व करने का तरीक़ा

सवाल: सज्दए सह्व एक तरफ़ सलाम फेर कर करना चाहिए या दोनों तरफ़ और आधी अत्तहीयात पढ़ने के बाद

सलाम फेर कर सज्दए सह्व करे या पूरी अत्तहीयात पढ़ कर और सज्दए सह्व के बाद पूरी अत्तहीयात पढ़ कर सलाम फेरे या किस तरह?

जवाबः पूरी अत्तहीयात पढ़ने के बाद एक तरफ़ सलाम फेर कर दो सज्दे सह्व के कर के फिर पूरी अत्तहीयात और दुरूद शरीफ़ वग़ैरा पढ़ कर सलाम फेर दे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–398, बहवाला आलमगीरी मिस्री जिल्द–1 सफ़्हा–117)

अगर दो सलाम फेर दिए तो क्या हुक्म है?

सवालः जो शख़्स अकेला नमाज़ पढ़ रहा हो और किसी रुक्न के भूल जाने पर सज्दए सह्व करते वक़्त दोनों जानिब सलाम फेर दे तो क्या हुक्म है?

जवाबः सिर्फ़ एक सलाम फेरे, लेकिन अगर दोनों तरफ़ सलाम फेर दिया तो कुछ हरज नहीं तब भी सज्दए सह्व करे। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–386, बहवाला रद्दुलमुहतार जिल्द–1 सफ़्हा–691 बाब सुजूदुस्सह्व)

सज्दए सह्व किया मगर सलाम नहीं फेरा

अगर किसी ने सज्दा करते वक़्त दाहिनी तरफ़ सलाम नहीं फेरा सामने ही सलाम कह कर सज्दए सह्व कर लिया जब भी दुरुस्त है।

(मसाइले सज्दए सह्व सफ़्हा–248, बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़्हा–546)

सज्दए सह्व में अगर एक सज्दा किया?

सवालः इमाम को नमाज़ में सह्व हुआ बाद में इमाम ने उसूल के मुताबिक़ सज्दए सह्व किया लेकिन सह्व का एक ही सज्दा किया अत्तहीयात दुरूद शरीफ़ और

दुआ पढ़ कर सलाम फेर दिया क्या नमाज़ हुई या नहीं?

जवाबः सज्दए सह्व के लिए दो सज्दे वाजिब हैं एक सज्दा काफ़ी नहीं है, लिहाज़ा नमाज़ क़ाबिले इआ़दा है।

(फ़तावा रहीमिय जिल्द–3 सफ़्हा–36, बहवाला नूरुलईज़ा सफ़्हा–110 व हिदाया जिल्द–1 सफ़्हा–136)

ताख़ीरे वाजिब से सज्दए सह्व

सवालः ताख़ीरे वाजिब में सज्दए सह्व के अन्दर इख़्तिलाफ़ है शरअ़न क्या हुक्म है?

जवाबः दरअस्ल सज्दए सह्व तर्के वाजिब से ही लाज़िम आता है, मगर चूंकि ताख़ीरे वाजिब में भी तर्के वाजिब लाज़िम आता है इसलिए ताख़ीरे वाजिब से सज्दए सह्व लाज़िम हो जाता है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–375, बहवाला आलमगीरी मिस्री जिल्द–1 सफ़्हा–118, बाब सुजूदुस्सह्व)

मुतअ़द्दद ग़लतियों पर कितने सज्दए सह्व?

किसी से एक ही नमाज़ में मुतअ़द्दद ऐसी ग़लतियाँ हुई जिनमें से हर एक पर सज्दए सह्व वाजिब होता है तो इस सूरत में एक मरतबा सज्दए सह्व कर लेना सब की तलाफ़ी के लिए काफ़ी है।

(मसाइले सज्दए सह्व सफ़्हा–50)

सज्दा में रुकूअ़ की तस्बीह पढ़ना

सवालः रुकूअ़ में सह्वन सज्दा की तस्बीह पढ़ना या सज्दा की रुकूअ़ में पढ़ना इससे नमाज़ में कुछ ख़राबी नहीं?

जवाबः कुछ ख़राबी न होगी। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–385, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–461)

इसी तरह से रुकूअ़ की तस्बीह के बजाए बिस्मिल्लाह पढ़ने से सज्दए सह्व लाज़िम नहीं आता, क्योंकि तस्बीह रुकूअ़ की वाजिब नहीं है।

(फ़तवा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–395)

अलबत्ता मकरूह तंज़ीही है, याद आजाए तो फिर रुकूअ़ या सज्दा की तस्बीह कह ले ताकि सुन्नत के मुताबिक़ हो जाए। (मसाइले सज्दए सह्व सफ़्हा–46)

सज्दए सह्व के वुजूब में तमाम नमाज़ें बराबर हैं

सवालः हाफ़िज़ साहब तरावीह में दो रकअ़त के बाद क़अ़दा करने के बजाए खड़े हो गए फिर लुक़्मा देने से बैठ गए। मगर सज्दए सह्व नहीं किया।

दरयाफ़्त करने पर हाफ़िज़ साहब ने कहा कि चूंकि तरावीह सुन्नत है इसमें सज्दए सह्व करने की या नमाज़ दुहराने की ज़रूरत नहीं, तो क्या नमाज़े तरावीह में इमाम से कोई ग़लती मूजिबे सज्दा हो जाए तो सज्दए सह्व करने की ज़रूरत नहीं होगी? अगर सज्दए सह्व न किया गया तो नमाज़ दुहराने की ज़रूरत है या नहीं?

जवाबः इमामे तरावीह का ये कहना कि चूंकि तरावीह सुन्नत है इसमें सज्दए सह्व करने या नमाज़ दुहराने की ज़रूरत नहीं ये सही नहीं है। नमाज़ फ़र्ज़ हो या वाजिब, सुन्नत हो या नफ़्ल, तमाम नमाज़ों में सज्दए सह्व का हुक्म यक्साँ है, अलबत्ता नमाज़े ईद और जुमा में जब कि मजमा बहुत ज़्यादा हो और सज्दए सह्व से नमाज़ियों में इंतिशार पैदा हो जाने और तशवीश में पड़ कर नमाज़ ख़राब कर लेने का ख़तरा हो तो ऐसी सूरत में सज्दए सह्व मआफ़ हो जाता है। इसी तरह अगर किसी जगह

तरावीह में भी मजमा कसीर हो और सज्दए सह्व करने से नमाज़ियों में इंतिशार और नमाज़ में फ़साद का क़वी अंदेशा हो तो सज्दए सह्व साक़ित हो जाएगा और नमाज़ के इआदा की भी ज़रूरत नहीं होगी। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–3 सफ़्हा–22, बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़्हा–705)

कौन सी ग़लती से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है?

ग़लत पढ़ने से जो लफ़्ज़ पैदा हुआ उसके मुतअल्लिक़ इमाम आज़म (रह.) और इमाम मुहम्मद (रह.) ये बहस नहीं करते कि वह लफ़्ज़ क़ुरआन पाक में है या नहीं है उनके नज़्दीक ज़ाब्ता ये है कि पढ़ने के अन्दर किसी कलिमा में ज़्यादती या कमी की वजह से बशर्तेकि माना बिल्कुल बदल जाऐं नमाज़ फ़ासिद हो जाती है, वरना नहीं जैसे "فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ" मैं "ला" छोड़ दिया। या "وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ اَجْرُهُم" की जगह "وَعَمِلَ صَالِحاً وَكُفراً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ" पढ़ा तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी।

और जिन हुरूफ़ में इम्तियाज़ मुश्किल से होता है वह अगर एक दूसरे की जगह पढ़े जाऐं तो नमाज़ फ़ासिद नहीं होती जैसे सीन, साद, और ज़ाद, ज़ो और ज़ाल वग़ैरा और जिनमें इम्तीयाज़ आसान है वह अगर एक दूसरे की जगह पढ़े जाऐं और माना बिल्कुल बदल जाऐं तो नमाज़ फ़ासिद हो जाती है, जैसे सालिहात की जगह तालिहात पढ़ा गया तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। और अगर अलफ़ाज़ की तब्दीली से माना बिल्कुल बदल जाऐं तो नमाज़ में फ़साद यक़ीनी है वरना नहीं जैसे "عَلِيْمٌ" की जगह "خَبِيْرٌ و حَفِيْظٌ" वग़ैरा पढ़ा गया तो नमाज़ दुरुस्त है और "وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ" की जगह "غَافِلِيْنَ" पढ़ने से

नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। और अगर दो जुमालों के अलफ़ाज़ बदल जाएं और माना भी बदल जाएं तो नमाज़ फ़ासिद है जैसे– "إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ" में जहीम की जगह नईम और नईम की जगह जहीम पढ़ने से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। और अगर माना न बदले जैसे "لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ – شَهِيقٌ وَزَفِيرٌ" पढ़ा तो नमाज़ दुरुस्त है।

(फ़ज़ाइले अैयाम वश्शुहूर मुअल्लिफ़ ख़लीफ़ा मौलाना थानवी (रह.) सफ़्हा–147, अशरफ़ुलईज़ाह शरह नूरुलईज़ाह सफ़्हा–132 व इमदादुलमुफ़तीन सफ़्हा–285)

नमाज़ पढ़ते वक़्त किसी लिखी हुई चीज़ पर निगाह पड़ जाना

नमाज़ पढ़ने वाला किसी मकतूब को देख ले और उसको समझ ले तो इस सूरत में उसकी नमाज़ फ़ासिद नहीं होती, क्योंकि ये नमाज़ पढ़ने वाले का फ़ेल नहीं है बल्कि ग़ैर इख़्तियारी तौर पर उसकी समझ में आ जाता है इसलिए कि आम तौर से उस पर निगाह पड़ जाती है और देखने वाला उसको समझ जाता है। इसलिए उलमा फ़रमाते हैं कि नमाज़ी के सामने ऐसी चीज़ को न रखा जाए, क्योंकि शुब्हात से बचना ज़रूरी है। और सही मज़हब के बमोजिब नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। बख़िलाफ़ इमाम मुहम्मद (रह.) के।

(बहवाला अशरफ़ुलईज़ाह शरह नूरुलईज़ाह सफ़्हा–137)

अगर एक सज्दा करे तो क्या हुक्म है?

सवाल: हाफ़िज़ साहब ने एक रकअ़त पढ़ कर एक सज्दा किया और फिर तशह्हुद पढ़ने के लिए बैठ गए दूसरे सज्दा को किस तरह मुक़्तदी याद दिलाएं, अगर

मुक़्तदी कोई अल्लाहुअकबर या सुब्हानल्लाह कहता है तो हाफ़िज़ साहब खड़े हो जाते हैं?

जवाबः याद दिलाने से मतलब ये होता है कि सुब्हानल्लाह वग़ैरा कह कर इमाम को मुतनब्बेह किया जाता है कि कुछ कमी बेशी नमाज़ में हो गई है उस पर खुद ग़ौर कर के याद करेगा कि क्या फ़ेल रह गया है। न ये कि बिऐ़निही वह फ़ेल बतलाया जाए जो छूट गया है, लिहाज़ा तंबीह के लिए सुब्हानल्लाह कहना काफ़ी है, अगर उसको याद आ गया तो ठीक है, वरना नमाज़ के बाद मालूम होने पर नमाज़ का इआ़दा किया जाएगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–162)

हाफ़िज़ का एक आयत को कई बार पढ़ना

सवालः नमाज़े तरावीह में जो कि सुन्नते मुअक्कदा है कोई हाफ़िज़ एक आयत को तीन चार मरतबा पढ़े तो सज्दए सह्व ज़रूरी है या नहीं? क्योंकि उर्दू के रिसाले मिफ़्ताहुस्सलात में लिखा है कि एक आयत को दो तीन बार पढ़ने से सज्दए सह्व लाज़िम है सही क्या है?

जवाबः एक आयत को बार बार पढ़ने से सज्दए सह्व लाज़िम नहीं आता और मिफ़्ताहुस्सलात में जो लिखा है वह समझ में नहीं आया, शायद वह उस मौक़ा में हो कि सिर्फ़ एक ही आयत को कई बार पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा, या फ़क़त सूरए फ़ातिहा पढ़ी और सूरत नहीं पढ़ी तो वाजिब के तर्क होने की वजह से इस सूरत में सज्दए सह्व लाज़िम आता है, मगर तरावीह में ऐसा नहीं होता कि और कुछ न पढ़ा हो, तरावीह में अक्सर ये पेश आता है कि अगली आयत याद न आने की वजह से एक

आयत को बार बार पढ़ा जाता है, इसमें सज्दए सह्व लाज़िम होने की कोई वजह नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–406)

मुतशाबेहा का हुक्म

सवालः हाफ़िज़ साहब नमाज़ पढ़ाते पढ़ाते भूल जाऐं या मुतशाबिहा लग जाने की वजह से दूसरी जगह की आयतें पढ़ने लगें फिर याद आने पर भूल जाने की वजह से इब्तिदा से क़िराअत शुरू कर दें तो नमाज़ हो जाएगी या नहीं? और सज्दए सह्व वाजिब होगा या नहीं?

जवाबः इस सूरत में नमाज़ सही है और सज्दए सह्व वाजिब नहीं है। और अगर ग़लती से सज्दए सह्व कर लिया तब भी नमाज़ हो गई।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–393, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–560 बाबुलइस्तिख़लाफ़)

तरावीह की पहली रकअ़त में बैठ कर खड़ा होना

सवालः इमाम ने तरावीह की पहली रकअ़त के बाद खड़े होने के बजाए बैठने का इरादा किया, पीछे से इशारा किया गया तो वह सीधा खड़े हो गए दो रकअ़त पूरी होने के बाद सलाम फेरा, सज्दए सह्व नहीं किया तो नमाज़ हुई या नहीं, अगर नहीं हुई तो इल्म होने पर जमाअ़त से अदा करें या तन्हा?

जवाबः इस सूरत में नमाज़ हो गई, लौटाने की ज़रूरत नहीं और सज्दए सह्व लाज़िम नहीं हुआ, क्योंकि एक रकअ़त के बाद अगर किसी क़दर बैठ कर खड़ा हो जाए तो उसको भी फ़ुक़हा ने जाइज़ लिखा है। चेजाएकि महज़ बैठने का इरादा किया हो और पूरे तौर बैठा भी न

हो कि खड़ा हो गया तो इस सूरत में न सज्दए सह्व लाज़िम है न नमाज़ के लौटाने की ज़रूरत है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–277, बहवाला रद्दुलमुह्तार बाब सिफ़तुस्सलात जिल्द–1 सफ़्हा–438)

पहली रकअ़त और तीसरी रकअ़त में कितनी देर बैठने से सज्दए सह्व लाज़िम आता है?

सवालः अगर पहली या तीसरी रकअ़त में सह्वन बैठ कर खड़ा हो जाए तो कितने वक़्फ़ा से सज्दए सह्व लाज़िम होगा?

जवाबः तवील बैठने से सज्दए सह्व लाज़िम आता है बक़द्रे अत्तहीयात पढ़ने के मानिन्द या उसके क़रीब हो, बाक़ी थोड़ा बैठने से सज्दए सह्व लाज़िम नहीं आता।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–277, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–438 बाब सिफ़तुस्सलात)

अगर तीन रकअ़त पढ़ लें तो क्या हुक्म है?

सवालः हाफ़िज़ साहब दूसरी रकअ़त पर नहीं बैठे और तीन रकअ़त पर क़अ़दा कर के सलाम फेर दिया तो इस सूरत में तरावीह हो जाएगी या नहीं?

जवाबः ऐसी सूरत में नमाज़ का इआदा ज़रूरी है तीन रकअ़त नफ़्ल का एतेबार नहीं होगा और जो कुरआन शरीफ़ पढ़ा गया है उसका भी लौटाना ज़रूरी है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–420, बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़्हा–652)

इमदादुलफ़तावा के हाशिया पर उस्तादे मुहतरम ने इस मस्अले की तशरीह फ़रमाई है, कि अगर दूसरी रकअ़त पर क़अ़दा भूल कर खड़ा हो गया और तीसरी रकअ़त पढ़ कर क़अ़दा कर के सज्दए सह्व कर के सलाम फेर

दिया तो तीनों रकअ़तें बेकार गईं, पहला शुफ़्आ बवज्हे फ़ासिद हो जाने के और तीनों रकअ़तों में पढ़े हुए कुरआन का इआ़दा ज़रूरी होगा।

(हाशिया इमदादुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–458)

हाफ़िज़ तीसरी रकअ़त के लिए खड़ा हो गया

सवालः अगर तरावीह में हाफ़िज़ ग़लती से तीसरी रकअ़त के लिए खड़ा हो गया और तीसरी रकअ़त में याद आने के बाद चौथी रकअ़त भी अदा की, तो ये चार रकअ़तें मानी जाऐंगी या दो? अगर दो मानी जाऐंगी तो आख़िरी दो रकअ़त में जो कुरआन शरीफ़ पढ़ा गया उसको लौटाना ज़रूरी है या नहीं?

जवाबः चार रकअ़त पढ़ने की सूरत में जो कुरआन शरीफ़ आख़िर की दो रकअ़तों में हुआ, उसको लौटाने की ज़रूरत नहीं है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–255, बहवाला आमलगीरी जिल्द–1 सफ़्हा–117)

इसकी तफ़सील इमदादुलफ़तावा के हाशिया पर उस्तादे मुहतरम हज़रत मौलाना मुफ़्ती सईद अहमद साहब पालनपूरी मद्दज़िल्लहू ने ये फ़रमाई है कि अगर दूसरी रकअत पर बक़द्रे तशह्हुद क़अ़दा कर के खड़ा हुआ है और चार रकअ़त पढ़ कर सलाम फेरा है तो चारों रकअ़तें होंगी और सब तरावीह में शुमार की जाऐंगी और सज्दा सह्व की भी ज़रूरत नहीं होगी।

(हाशिया इमदादुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–498)

चार रकअ़त तरावीह जिसमें क़अ़दए ऊला नहीं किया

सवालः इमाम नमाज़े तरावीह में तीसरी रकअ़त के वास्ते खड़ा हो गया और चारों रकअ़त पूरी कर लीं लेकिन

दो रकअ़त पर क़अ़दा नहीं किया था, ऐसी सूरत में सज्दए सह्व करने से दो रकअ़त होंगी या चार?

जवाबः दुर्रेमुख़्तार, शामी में तरावीह के ब्यान में इसकी तशरीह है कि ऐसी सूरत में दो रकअ़त तरावीह होगी।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–1 सफ़्हा–262, बहवाला रद्दुलमुह्तार जल्द–1 सफ़्हा–660, 661)

दूसरी रकअ़त में भूल कर खड़ा हो गया

सवालः अगर तरावीह की दूसरी रकअ़त के बाद बैठने के बजाए खड़ा हो गया, बाद में याद आए तो क्या करे?

जवाबः सज्दा से पहले पहले अगर याद आ जाए तो बैठ जाए और सज्दए सह्व कर ले।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–275, बहवाला रद्दुलमुह्तार बाब सुजूदुस्सह्व जिल्द–1 सफ़्हा–696)

इस मस्अला की तशरीह इमदादुलफ़तावा के हाशिया पर उस्ताज़ मुहतरम मद्दज़िल्लहू, ने इस तरह फ़रमाई है कि अगर तरावीह में दूसरी रकअ़त के बाद क़अ़दा भूल कर खड़ा हो जाए तो जब तक तीसरी रकअ़त का सज्दा न किया हो बैठ जाए और बाक़ाएदा सज्दए सह्व कर के नमाज़ पूरी कर ले। और अगर तीसरी रकअ़त का सज्दा कर लिया हो तो चौथी रकअ़त मिला कर सज्दए सह्व कर के सलाम फेर ले लेकिन ये चार रकअ़त सिर्फ़ दो शुमार होंगी। और पहले शुफ़आ में जो कुरआन शरीफ़ पढ़ा गया उसका इआदा करना होगा, क्योंकि पहला शुफ़आ क़अ़दए ऊला तर्क करने की वजह से फ़ासिद हो गया है लिहाज़ा तरावीह में शुमार नहीं होगा और उसमें पढ़े गए कुरआन शरीफ़ का इआ़दा ज़रूरी होगा और

चूंकि तहरीमा बाक़ी है इसलिए दूसरा शुफ़्आ सही हो जाएगा और इसमें पढ़ा हुआ कुरआन भी मोतबर होगा।

(हाशिया इमदादुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–497)

तरावीह में दो रकअ़त पर क़अ़्दा करना भूल गया और चार रकअ़त पर क़अ़्दा किया तो क्या हुक्म है?

सवालः तरावीह के क़अ़्दा में भूल कर खड़ा हो जाए (यानी बग़ैर बैठे हुए) और चार रकअ़त पूरी कर के सज्दए सह्व करे तो सिर्फ़ दो होंगी और ये दो रकअ़त तरावीह में गिनी जाएंगी या नहीं? क्या सुन्नत व नवाफ़िल में आख़िरी क़अ़्दा फ़र्ज़ है या नहीं? इस सूरत में फ़र्ज़ अदा करने में क्या सिर्फ़ ताख़ीर हो रही है या फ़र्ज़ फ़ौत हो रहा है। इशकाल दूर फ़रमाएं?

जवाबः नफ़्ल में हर दो रकअ़त के बाद क़अ़्दा करना ज़रूरी है, लिहाज़ा नफ़्ल नमाज़ में दो रकअ़त पर क़अ़्दा न किया गया तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। अलबत्ता चार रकअ़त और चार रकअ़त से ज़्यादा छः, आठ, दस, बारह, चौदह सोला, अट्ठारह या बीस रकअ़त पढ़ी जाएं और दरमियान में क़अ़्दा न किया जाए तो सज्दए सह्व कर लेने पर दो रकअ़त तरावीह होने के बाज़ फुक़हा क़ाएल हैं और उन हज़रात के नज़दीक क़अ़्दा मुन्तक़िल हो कर आख़िर में आ जाएगा, तो सिर्फ़ फ़र्ज़ की अदाएगी में ताख़ीर होगी, जिसकी तलाफ़ी सज्दए सह्व से हो जाएगी, तरावीह सुन्नते मुअक्कदा बाजमाअ़त अदा की जाती है, इसलिए उसका दर्जा फ़र्ज़ और वाजिब के क़रीब क़रीब है, महज़ नफ़्ल नहीं है। इसलिए तरावीह में बाज़ फुक़हा दो रकअ़त की अदाएगी के क़ाएल हैं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–421, बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़्हा–652 बाबुलवित्र व नवाफ़िल)

अगर चार रकअ़त पढ़ कर सज्दए सह्व न करे तो क्या हुक्म है?

सवालः हाफ़िज़ ने तरावीह दो रकअ़त के बजाए चार पढ़ दीं एक ही सलाम से, हाफ़िज़ साहब तीसरी रकअ़त के लिए खड़े हो रहे थे, लुक़्मा दिया मगर नहीं लिया और आख़िर में सज्दए सह्व भी नहीं किया इस सूरत में कितनी रकअ़त तरावीह अदा हुई, अगर नहीं हुई तो क़िराअत लौटाने की ज़रूरत है या नहीं?

जवाबः तीसरी रकअ़त के खड़े होने पर लुक़्मा दिया जा रहा था तो हाफ़िज़ साहब को बैठ जाना चाहिए था मगर जब नहीं बैठे और चार रकअ़तें पूरी कीं तो सज्दए सह्व कर के सलाम फेरना चाहिए था इस सूरत में दो रकअ़त तरावीह हुई और दो नफ़्ल मगर सज्दए सह्व न किया तो ग़लत किया, इस सूरत में दो रकअ़त तरावीह हुई मगर वह भी वाजिबुलइआ़दा हैं। वक़्त के अन्दर अन्दर लौटा लेना चाहिए। वक़्त निकलने के बाद उसकी क़ज़ा नहीं है। मगर उन चार रकअ़तों में जितना कुरआन पढ़ा गया है। उसका लौटाना ज़रूरी है। अगर दो रकअ़त पर क़अ़दा किया तो चार रकअ़त तरावीह अदा हो गई और क़िराअत के इआ़दा की ज़रूरत नहीं।

(फ़तावा रहीमिया जिज्द–20 सफ़्हा–414)

बगै़र क़अ़दा के चार रकअ़त के बारे में मौलाना थानवी (रह.) की राए

सवालः तरावीह में अगर दो रकअ़त की जगह इमाम

चार रकअ़त पढ़ जाए और दरमियान में क़अ़दा न करे और आख़िर में सज्दए सह्व करे तो नमाज़ होगी या नहीं? और अगर होगी तो दो रकअ़त होंगी या चार? और अगर दो होंगी तो औवल की दो या आख़िर की? और कौन सी रकअ़त के कुरआन शरीफ़ के इआ़दा की ज़रूरत होगी?

जवाबः आलमगीरी जिल्द औवल सफ़्हा–75 से मालूम होता है कि क़अ़दा न करने से शुफ़्अ़ए ऊला भी फ़ासिद न होगा अलबत्ता मजमूआ़ मोतबर भी न होगा बल्कि दोनों शुफ़्आ़ मिल कर बजाए एक शफ़ा के समझे जाऐंगे और जब मजमूअ़ए शुफ़्आ़ मोतबर न होगा तो एक शुफ़्आ़ और पढ़ा जाएगा।

रहा ये अम्र कि कौन से शुफ़्आ़ का पढ़ा हुआ कुरआन मोतबर होगा और कौन से का क़ाबिले इआ़दा तो ये इस पर मौकूफ़ है कि ये मुअैयन हो जाए कि कौन सा शुफ़्आ़ तरावीह है कि उमसें पढ़ा हुआ कुरआन मोतबर हो और कौन सा नफ़्ल कि उसमें पढ़ा हुआ क़ाबिले इआ़दा हो, तो इसमें मुझ को तरद्दुद है, दूसरे उलमा से तहक़ीक़ कर ली जाए, मेरे ख़्याल में अगर सिर्फ़ इआ़दए कुरआन के हक़ में सहूलत के लिए दूसरे क़ौल पर अमल कर लें जो दो शुफ़्ओं को मोतबर कहते हैं तो गुंजाइश है। पस शुफ़्आ़ तो एक और पढ़ लें और कुरआन का इआ़दा न करें। (इमदादुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–498)

अगर तरावीह में दूसरी रकअ़त पर क़अ़दा भूल कर खड़ा हो जाए तो जब तक तीसरी रकअ़त का सज्दा न किया हो बैठ जाए और बाक़ाएदा सज्दए सह्व कर के

नमाज़ पूरी करे। और अगर तीसरी रकअ़त का सज्दा कर लिया हो तो चौथी रकअ़त मिला कर सज्दए सह्व कर के सलाम फेरे, लेकिन ये चार रकअ़त सिर्फ़ दो रकअ़त शुमार होंगी और पहले शुफ़्आ में जो कुरआन पढ़ा गया है उसका इआ़दा करना होगा, क्योंकि पहला शुफ़्आ क़अ़्दए अख़ीरा तर्क करने की वजह से फ़ासिद हो गया। लिहाज़ा तरावीह में महसूब न होगा और उसमें पढ़े गए कुरआन का इआ़दा ज़रूरी होगा। अलबत्ता तहरीमा चूंकि बाक़ी है इसलिए दूसरा शुफ़्आ सही हो जाएगा और उसमें पढ़ा हुआ कुरआन भी मोतबर होगा। (हाशिया इमदादुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–497)

दूसरी रकअ़त में तशह्हुद के बाद खड़े हो कर बैठना

सवालः अगर दो रकअ़त में बाद तशह्हुद के खड़ा हो गया और फिर बैठ गया तो फिर तशह्हुद पढ़ कर सलाम फेद दे या तशह्हुद पढ़ कर सज्दए सह्व करे और फिर सलाम फेरे? एक ये कि क़यामे ताम के फ़ौरन बाद बैठे दूसरे कुछ पढ़ कर। तीसरे ख़त्मे सूरत के बाद हर तीन हालत का एक हुक्म है या मुख़्तलिफ़?

जवाबः हर तीन हालत में बैठ कर तशह्हुद पढ़े और सज्दए सह्व कर के फिर तशह्हुद वग़ैरा पढ़ कर सलाम फेरे। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–383, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–700)

बाज़ हुफ़्फ़ाज़ रुकूअ़ व सुजूद में कुरआन याद करते हैं

मस्अलाः (1) दरयाफ़्त तलब मस्अला ये है कि बाज़ कच्चे हाफ़िज़ तरावीह के दौरान रुकूअ़ व सुजूद और तशह्हुद वग़ैरा में तस्बीहात की जगह अपने दिल दिल में

अगली आयत पढ़ते रहते हैं।

(2) या ज़बान से भी आहिस्ता आहिस्ता दुहराते रहते हैं।

(3) या ज़बान से तो नहीं दुहराते। तस्बीहात भी पढ़ते हैं मगर दिल व दिमाग़ अगली आयत के सोचने की तरफ़ मुतवज्जेह रखते हैं। इन तीनों सूरतों का शरई हुक्म मुफ़स्सल व मुदल्लल फ़रमराऐं।

जवाब: रुकूअ़ और सुजूद की हालत में कुरआन करीम पढ़ना दुरुस्त नहीं है क्योंकि रुकूअ और सुजूद में किराअत की हदीस में मुमानअ़त आई है फिर अगर तशह्हुद के बजाए कुरआन पढ़ा जाए तो सज्दए सह्व करना लाज़िम आएगा, क्योंकि तशह्हुद पढ़ना वाजिब है और उसके तर्क से सज्दए सह्व लाज़िम आता है अगर सज्दए सह्व नहीं किया तो नमाज़ नाक़िस होगी। इआ़दा वाजिब रहेगा– "وقال فی البحر فی باب سجود السهو يجب سجود السهو بترکه ولو قليلاً فی ظاهر الروايةِ فانّه ذكرٌ واحدٌ منظومٌ فترک بعضه کترک کله شامی جلد–۱ صفحه–۳۱۳) चूंकि रुकूअ़ और सुजूद की तस्बीहात सुन्नत हैं, उनके तर्क से नमाज़ कराहते तनज़ीही के साथ अदा होगी।

(3) इस सूरत में अगरचे नमाज़ अदा हो जाएगी लेकिन ऐसा करना बेहतर नहीं। फ़क़त वल्लाहुआलम।

(हबीबुर्रहमान ख़ैरआबादी अफ़ल्लाह अन्हु मुफ़्तीये दारुलउलूम देवबंद 6–7–1406 हिजरी)

लफ़्ज़ ज़ाद को किस तरह अदा करना चाहिए

सवाल: लफ़्ज़ ज़ाद को नमाज़ में किस तरह पढ़ना चाहिए?

जवाब: ज़ाद को उसके मख़रज से पढ़ना चाहिए न

निकल सके तो जैसे भी अदा हो जाए नमाज़ हो जाती है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–91 बाब ज़ल्लतुलक़ारी बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–591)

ज़ाल्लीन को दाल्लीन पढ़ने से नमाज़ होती है या नहीं?

सवालः ज़ाल्लीन को दाल्लीन पढ़ने से नमाज़ होती है या नहीं?

जवाबः अगर ज़ाद को बसूरते दाल मुफ़ख़्ख़म (दाल पुर……) पढ़ने से नमाज़ के न होने का हुक्म किया जाएगा तो तमाम अरब कुर्रार व उलमा और अइम्मा में से भी किसी की नमाज़ न होगी और न मुक़्तदियों की नमाज़ होगी, क्योंकि वह सब दाल्लीन पढ़ते हैं पस मालूम हुआ कि ये हुक्म लगाना ग़लत है और हरज है, अलबत्ता उम्दा बेहतर यही है कि मख़रज से अदा करने की कोशिश करे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–92)

लफ़्ज़ ज़ाद के बारे में मौलाना रशीद अहमद गंगोही (रह.) का फ़तवा

दाल–ज़ो–ज़ाद के (د-ظ-ض) हर्फ़ जुदागाना और मख़ारिज अलग होने में तो शक नहीं है और इसमें भी शक नहीं है कि क़स्दन किसी हर्फ़ को दूसरे मख़रज से अदा करना सख़्त बेअदबी है और बसाऔक़ात बाइसे फ़सादे नमाज़ है मगर जो लोग माज़ूर हैं और उनसे ये लफ़्ज़ मख़रज से अदा नहीं होता वह हत्तलवुस्अ़ कोशिश करते रहते हैं। उनकी नमाज़ भी दुरुस्त है।

और दाले पुर ज़ाहिर है कि ख़ुद कोई हर्फ़ नहीं है बल्कि ज़ाद ही है, अपने मख़रज से पूरे तौर पर अदा नहीं हुआ तो जो शख़्स दाल ख़ालिस या ज़ो ख़ालिस

अमदन पढ़े उसके पीछे नमाज़ न पढें, मगर जो शख़्स दाले पुर की आवाज़ में पढ़ता है आप उसके पीछे नमाज़ पढ़ लिया करें। जो शख़्स बावजूद कुदरत के ज़ाद को ज़ाद के मख़रज से अदा न करे वह गुनहगार भी है। और अगर दूसरा लफ़्ज़ बदल जाने से माना बदल गए तो नमाज़ भी न होगी। और अगर कोशिश व सई के बावजूद ज़ाद अपने मख़रज से अदा नहीं होता तो वह माजूर है। उसकी नमाज़ हो जाती है और जो शख़्स ख़ुद सही पढ़ने पर क़ादिर है तो ऐसे माजूर के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है। मगर जो शख़्स क़स्दन ख़ालिस दाल या ज़ो पढ़े तो उसके पीछे नमाज़ न होगी।

(फ़तावा रशीदिया कामिल सफ़्हा–274, 284)

लफ्ज़ ज़ाद के बारे में मुफ्ती शफीअ़ साहब (रह.) मुफ्तीए आज़म पाकिस्तान का फ़तावा

अवाम की नमाज़ तो बिला किसी तफ़सील व तनक़ीह के बहरहाल सही हो जाती है ख़्वाह ज़ो पढ़ें या दाल या ज़ाल वग़ैरा, क्योंकि वह क़ादिर भी नहीं और समझते भी यही हैं कि हम ने असली हर्फ़ अदा किया है और क़ुर्रा व मुजौविदीन और उलमा की नमाज़ में तफ़सील मज़कूर है कि अगर ग़लती क़स्दन या बे परवाही से हो तो नमाज़ फ़ासिद है और सबक़ते लिसानी या अदमे तमीज़ की वजह से हो तो जाइज़ है।

(जवाहिरुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–338)

तंबीहः लेकिन जवाज़ और अदमे फ़साद से ये साबित नहीं होता है कि बेफ़िक्र हो कर हमेशा ग़लत पढ़ते रहना जाइज़ हो गया और पढ़ने वाला गुनहगार भी न रहेगा

बल्कि अपनी कुदरत और गुंजाइश के मुवाफ़िक़ सही पढ़ने की मश्क़ करना और कोशिश करते रहना ज़रूरी है वरना गुनहगार होगा, अगरचे नमाज़ न फ़ासिद हो जैसा कि आलमगीरी मिस्री जिल्द–1 सफ़्हा–74 बाब चहारुम में तसरीह मौजूद है।

(अहक़र मुहम्मद शफ़ीअ़ देवबन्दी ग़ुफ़िरलहू, ख़ादिम दारुलइफ़्ता दारुलउलूम देवबंद 20 जुमादिल ऊला 1351 हिजरी)

सलाम में 'अलैकुम' की जगह 'अलैतुम' निकल जाने का हुक्म

सवालः अगर अस्सलामु अलैकुम में अलैकुम के बजाए अलैतुम निकल जाए तो नमाज़ होगी या नहीं?

जवाबः नमाज़ हो गई।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–45, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–418 सिफ़तुस्सलात)

नमाज़ में 'सलाम अलैकुम' कहने का हुक्म

सवालः अगर इमाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के बजाए सिर्फ़ "सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह" कहे तो क्या हुक्म है?

जवाबः ये ख़िलाफ़े सुन्नत है, इससे नमाज़ में कराहत आएगी। ये उस वक़्त है जबकि इमाम तलफ़्फ़ुज़ ही में "सलामु अलैकुम" कहे। कभी ऐसा होता है कि अलिफ़ लोगों के सुनने में नहीं आता इमाम तो "अस्सलाम अलैकुम" कहता है लोग "सलामु अलैकुम" सुनते हैं तो ये मकरूह नहीं है।

(किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–439)

सलाम में चेहरा कितना घुमाया जाए?

"عَنْ سَعْدِ ابْنِ اَبِیْ وَقَاصٍ قَالَ کُنْتُ اَرٰی رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یُسَلِّمُ عَنْ یَمِیْنِہٖ وَ عَنْ یَسَارِہٖ حَتّٰی اَرٰی بَیَاضَ خَدِّہٖ" (رواہ مسلم)

हज़रत सअ़द बिन अबीवक़ास (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (स.अ.व.) को ख़ुद देखा था कि आप (स.अ.व.) सलाम फेरते वक़्त दाईं और बाईं जानिब रुख़ फ़रमाते थे और चेहरा मुबारक को दाहनी जानिब और बाईं जानिब इतना फेरते थे कि हम रुख़सारे मुबारक की सफ़ेदी देख लेते थे।

(मअ़रिफुलहदीस जिल्द–3 सफ़्हा–310)

❑❑❑

आठवाँ बाब

सज्दए तिलावत

सज्दए तिलावत का सुबूत व फ़ज़ाइज

सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में रिवायत आती है कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं– आँहज़रत (स.अ.व.) कुरआन की तिलावत करते थे और जब सज्दा वाली सूरत पढ़ते तो हुजूर सज्दा करते और हम भी साथ ही सज्दा करते यहां तक कि हम में बाज़ अश्ख़ास को पेशानी टेकने की जगह नहीं मिलती थी।

और आँहज़रत (स.अ.व.) ने फ़रमाया है कि इब्ने आदम जब आयते सज्दा पढ़ता है और सज्दा करता है तो शैतान एक तरफ़ हट कर रोता और कहता है हाए ग़ज़ब! इब्न आदम को सज्दा का हुक्म हुआ और उसने सज्दा किया तो उसके लिए जन्नत है और मुझे सज्दा का हुक्म हुआ और मैंने हुक्म नहीं माना तो मेरे लिए जहन्नम है।

और उम्मत का इस पर इजमा है कि कुरआन में बाज़ ख़ास ख़ास मक़ामात ऐसे हैं जिनके पढ़ने पर सज्दा करने का शरई हुक्म है।

(किताबुलफ़िक़्ह अललमज़ाहिबिलअरबआ जिल्द–1 सफ़हा–744)

सज्दए तिलावत फ़र्ज़ है या वाजिब और उसकी अदाएगी का क्या तरीक़ा है?

सवालः सज्दए तिलावत फ़र्ज़ है या वाजिब और किस तरह अदा करना चाहिए? यानी सज्दा में और सज्दा के शुरू करने से पहले या सज्दा के बाद क्या क्या पढ़ना चाहिए। और जब कोई शख़्स तिलावते कुरआन में मशगूल हो और आयते सज्दा पढ़े तो वह दोज़ानों हो कर सज्दा करे या खड़े हो कर सज्दा में आ जाए?

जवाबः सज्दए तिलावत वाजिब है तरीक़ा उसका ये है कि अल्लाहुअकबर कह कर सज्दा में जाए और तीन बार या ज़्यादा से ज़्यादा (पाँच या सात मरतबा) सुब्हानरब्बियल आला कह कर अल्लाहुअकबर कह कर उठ जाए, सज्दा अदा हो जाएगा। अगर बैठे हुए सज्दा में गया और सज्दा के बाद फिर बैठा रहा तब भी कुछ हरज नहीं है, बेहतर है कि खड़े हो कर सज्दा में जाए और सज्दा के बाद खड़ा हो जाए। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–430)

सज्दए तिलावत की नीयत

मुस्तहब ये है कि जब सज्दए तिलावत का इरादा करे तो खड़ा हो जाए और फिर सज्दा करे और सज्दा करने के बाद खड़ा हो जाए या बैठ जाए दोनों सूरतें जाइज़ हैं। जब सज्दा का इरादा करे तो उसकी नीयत दिल से करे या ज़बान से कह ले कि अल्लाह के लिए सज्दए तिलावत करता हूं "अल्लाहुअकबर" कह कर सज्दा अदा कर ले। (तर्जुमा आलमगीरी हिन्दीया जिल्द–1 सफ़्हा–217)

सज्दए तिलावत की अदाएगी का तरीक़ा

हनफ़ीया (रह.) के नज़दीक सज्दए तिलावत का तरीक़ा

या उसकी तारीफ़ ये है कि इंसान दो तकबीरों के साथ एक सज्दा कर ले, एक तकबीर तो पेशानी को सज्दा के लिए ज़मीन पर रखते वक़्त और दूसरी बार सज्दा से उठते हुए। सज्दए तिलावत में तशह्हुद और सलाम नहीं है। ये दोनों तकबीरें मसनून हैं, चुनांचे अगर बग़ैर तकबीर कहे पेशानी ज़मीन पर रख दी तो सज्दा हो जाएगा लेकिन ये मकरूह है। (किताबुलफ़िक़्ह अललमज़ाहिबिलअरबआ जिल्द–1 सफ़्हा–753)

तरावीह में सज्दए तिलावत का ऐलान करना कैसा है?

सवालः तरावीह में सज्दए तिलावत का ऐलान किया जाता है कि फ़लाँ रकअ़त में सज्दा है इसका शरअ़न क्या हुक्म है?

जवाबः ख़ैरुलक़ुरून में अरब व अजम के अन्दर कसीरुत्तादाद जोहला और नौ मुस्लिम होने के बावजूद सलफ़े सालिहीन से ऐलान साबित नहीं है, हालांकि वह इस्लामी आमाल की तबलीग़ में निहायत चुस्त और इबादात की दुरुस्तगी के बड़े हरीस थे और फ़ुक़हा ने भी इस तरह के ऐलान की हिदायत नहीं की है, अगर ज़रूरत होती तो ज़रूर ताकीद फ़रमाते, जैसा कि मुसाफ़िर इमाम के लिए ख़ुसूसी तौर पर ताकीद फ़रमाई है कि नमाज़ियों को अपने मुसाफ़िर होने की इत्तिला दे दे चाहे नमाज़ से पहले या बाद में कि मैं मुसाफ़िर हूं। क्योंकि यहां ज़रूरत है, लेकिन सज्दए तिलावत में आ़म तौर पर ज़रूरत नहीं होती, अगर बिला ज़रूरत ये तरीक़ा जारी रहा तो ये क़वी अंदेशा है कि जिस तरह बाज़ शहरों में रिवाज है कि नमाज़े जुमा के वक़्त ऐलान किया

जाता है।

"اَنْصِتُوا" या ये कहा जाता है– "اَلصَّلٰوةُ سُنَّةٌ قَبْلَ الْجُمُعَةِ" "رَحِمَكُمُ اللّٰهُ" और ये ऐलान सुन्नत या फ़ेल हसन समझा जाता है, इसी तरह सज्दए तिलावत का ये एलान भी ज़रूरी और बहुत मुम्किन है सुन्नत समझा जाने लगा। हज़रत शाह वलीयुल्लाह (रह.) ने तंबीह फ़रमाई है कि मुबाह चीज़ों को ज़रूरी समझने से दीगर ख़राबी के अलावा इस बात का भी एहतेमाल है कि मुबाह को मसनून समझ लिया जाए और ग़ैर मसनून को मसनून समझ लेना तहरीफ़े दीन है। अलबत्ता अगर मजमा कसीर हो जैसा कि बड़े शहरों में होता है कि सफ़ें दूर तक होती हैं और कुछ सफ़ें बालाई मंज़िल में होती हैं और मुग़ालता का क़वी एहतेमाल रहता है कि लोगों को सज्दए तिलावत का पता न चले और सज्दा के बजाए रुकूअ़ करने लगें तो ऐसे मौक़ा पर बमोजिब– "اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْذُوْرَاتِ" के तहत ऐलान की इजाज़त दी जा सकती है, मगर हर जगह का ये हुक्म नहीं। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–245)

अगर आयते सज्दा सूरत के ख़त्म पर आए

सवाल: तरावीह में अगर आयते सज्दा रुकूअ़ या सूरत के ख़त्म पर आए तो किस तरह अदा करना चाहिए?

जवाब: रुकूअ़ या सूरत के ख़त्म पर आयते सज्दा आए तो उसकी अदाएगी की दो सूरतें हैं एक ये कि फ़ौरन सज्दए तिलावत कर के उठे और फिर आगे से चंद आयतें पढ़ कर रुकूअ़ करे।

दूसरे ये कि रुकूअ़ में नीयत सज्दए तिलावत की करने से सज्दा अदा हो जाता है मगर फ़ौरन रुकूअ़ करे। दूसरी

सूरत मुनासिब नहीं है, इसलिए कि सिर्फ़ इमाम की नीयत काफ़ी नहीं है, मुक़्तदी का सज्दए तिलावत रह जाएगा और सलाम के बाद अदा करना होगा, फ़ौरन सज्दा मुस्तक़िल करना चाहिए। ख़त्मे सूरत पर सज्दा हो तो सज्दए तिलावत से उठ कर दूसरी सूरत की दो तीन आयतें पढ़ कर फिर रुकूअ़ करे। अगर रुकूअ़ के ख़त्म पर सज्दा हो तो सज्दा के बाद दूसरे रुकूअ़ का कुछ हिस्सा पढ़ कर नमाज़ के लिए रुकूअ़ कर ले।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़हा–287, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़हा–723)

फ़तावा महमूदिया में लिखा है कि– अगर आयते सज्दा जो कि सूरत के ख़त्म पर है पढ़ कर सज्दा किया तो अब सज्दा से उठ कर फ़ौरन रुकूअ़ न किया जाए (इस ख़्याल से कि सूरत ख़त्म हो गई) बल्कि तीन आयत की मिक़्दार पढ़ कर रुकूअ़ करना चाहिए।

(फ़तावा महममूदिया जिल्द–2 सफ़हा–358)

सज्दए तिलावत सज्दए नमाज़ के साथ अदा होगा या नहीं?

सवालः अगर हाफ़िज़ ने तरावीह में सज्दए तिलावत, सज्दए नमाज़ के साथ अदा किया, यानी तीन सज्दा किए तो नमाज़ हुई या नहीं?

जवाबः नमाज़ में जिस वक़्त आयत सज्दा की तिलावत करे उसी वक़्त सज्दए तिलावत कर लेना चाहिए और अगर मुअख़्ख़र किया और नमाज़ के सज्दों के साथ किया तो सज्दए सह्व लाज़िम है, सज्दए सह्व के बाद नमाज़ के इआदा की ज़रूरत नहीं।

क़स्दन सज्दए तिलावत मुअख़्ख़र करना दुरुस्त नहीं

है, आयते सज्दा के फ़ौरन बाद या ज़्यादा से ज़्यादा दो आयत के बाद सज्दए तिलावत कर लेना ज़रूरी है, वरना गुनहगार होगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–275, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–722 बाब सज्दतुत्तलावत)

अगर सज्दा तिलावत का कुछ हिस्सा पढ़े

सवाल: आयते सज्दा के आख़िरी अलफ़ाज़ नहीं पढ़े तो सज्दए तिलावत वाजिब है या नहीं?

जवाब: अगर वह कलिमा पढ़ा जिसमें सज्दा का लफ़्ज़ है तो सज्दए तिलावत वाजिब हो जाएगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–429, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–715, बाब सुजूदुत्तलावत)

रुकूअ़ और सज्दा में सज्दा तिलावत की नीयत करे तो कैसा है?

सवाल: हाफ़िज़ साहब ने तरावीह में सूरए आराफ़ की आयते सज्दा पढ़ कर रुकूअ़ किया और सज्दए तिलावत नहीं किया नमाज़ के बाद दरयाफ़्त करने पर हाफ़िज़ साहब ने कहा कि रुकूअ़ में या सज्दा में सज्दए तिलावत की नीयत कर ली जाए तो सज्दए तिलावत अदा हो जाता है क्या ये सही है?

जवाब: नमाज़ में सज्दए तिलावत अदा करने का एक तरीक़ा यह भी है कि आयते सज्दा पढ़ कर फ़ौरन नमाज़ का रुकूअ़ करे (जैसा कि सूरते मसऊला में हुआ है) या दो तीन छोटी आयतें पढ़ कर नमाज़ का रुकूअ़ कर ले और उसमें सज्दए तिलावत की नीयत करे तो सज्दए तिलावत अदा हो जाता है। अगर रुकूअ़ में नीयत नहीं

की तो नमाज़ के सज्दा में सज्दए तिलावत अदा हो जाएगा ख़्वाह सज्दा की नीयत की हो, या न की हो लेकिन अगर इमाम ने रुकूअ़ में सज्दए तिलावत की नीयत की और मुक़्तदियों ने नहीं की तो उनका सज्दा अदा नहीं होगा।

लिहाज़ा ऐसी सूरत में इमाम को चाहिए कि रुकूअ़ में सज्दए तिलावत की नीयत न करे, नमाज़ के सज्दा में सब का सज्दए तिलावत अदा हो जाएगा।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–396, बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–723, 724)

सूरते मज़कूरा में इमाम के साथ मुक़्तदियों ने भी रुकूअ़ में सज्दए तिलावत अदा करने की नीयत की होगी तो सब का सज्दए तिलावत अदा हो जाएगा और अगर मुक़्तदियों ने नीयत नहीं की हो और इमाम ने कर ली हो तो मुक़्तदियों का सज्दए तिलावत अदा न होगा। और अगर इमाम ने रुकूअ़ में नीयत नहीं की थी तो नमाज़ के सज्दा में कोई नीयत करे या न करे सब का सज्दए तिलावत अदा हो जाएगा। बशर्तेकि तीन आयतों से कम पढ़ा हो।

नोटः मस्अला से लोग वाक़िफ़ नहीं होते इसलिए बेहतर ये है कि सज्दए तिलावत मुस्तक़िल अदा किया जाए और नमाज़ के रुकूअ़ और सज्दा में अदा कर के लोगों को तशवीश में न डाले। मस्अला पर अगर अमल करना हो तो नमाज़ियों को पहले मस्अला समझा दे फिर अमल करे। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–379)

अगर मुक़्तदी इमाम के साथ सज्दए तिलावत न कर सके

सवालः अगर मुक़्तदी ग़लती से इमाम के साथ

तिलावत न करे तो नमाज़ होगी या नहीं?

जवाबः नमाज़ में जो सज्दए तिलावत वाजिब हो वह नमाज़ के बाद अदा नहीं होता और साकित हो जाता है। शामी से मालूम होता है कि वह सज्दा साकित हुआ और नमाज़ के लौटाने की भी ज़रूरत नहीं। अलबत्ता अगर जान बूझ कर छोड़ा तो तौबा करे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–52, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–722)

सज्दए तिलावत अदा किया फिर किसी वजह से नमाज़ लौटाई तो क्या हुक्म है?

सवालः हाफ़िज़ साहब ने आयते सज्दा पढ़ कर फिर सज्दा किया और फिर किसी वजह से नमाज़ दुहराने की ज़रूरत पेश आई फिर वही आयत पढ़ी तो दोबारा सज्दा करना चाहिए या पहला ही सज्दा काफ़ी है?

जवाबः फिर सज्दा कर लेना चाहिए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–428, बहवाला अलमगीरी मिस्री जिल्द–1 सफ़्हा–125, बाब सुजूदुत्तिलावत)

आयते सज्दा पढ़ कर कितनी देर में सज्दा करना चाहिए?

सवालः नमाज़ में सज्दए तिलावत पढ़ कर फ़ौरन सज्दए तिलावत नहीं किया, तीन आयत के बाद किया, तो अदा हुआ या नहीं और सज्दए सह्व करना होगा या नमाज़ लौटानी होगी?

जवाबः नमाज़ में आयते सज्दा की तिलावत के फ़ौरन बाद सज्दा वाजिब है या अगर तीन आयत पढ़ने के बाद किया गया तो क़ज़ा शुमार होगा और ताख़ीर की वजह से सज्दए सह्व वाजिब होगा।

सज्दए सह्व न किया तो नमाज़ वाजिबुलइआ़दा होगी। जो सज्दए तिलावत नमाज़ में वाजिब हुआ वह सलाम फेरने से पहले बल्कि फेरने के बाद जब तक कोई हरकत मुनाफ़िए नमाज़ न होगी सज्दा कर लेना चाहिए। उसके बाद बजुज़ तौबा व इस्तिग़फ़ार के मआ़फ़ी की कोई सूरत नहीं है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–394)

सज्दए तिलावत सुन कर बाज़ मुक़्तदी सज्दे में और बाज़ रुकूअ़ में चले गए

सवालः इमाम ने सज्दा की आयत पढ़ी और सज्दए तिलावत की जगह रुकूअ़ कर दिया, जो मुक़्तदी इमाम के क़रीब थे वह रुकूअ़ में चले गए और जो इमाम से दूर थे और उनको ये मालूम था कि यहां सज्दए तिलावत है वह लोग सज्दे में चले गए, जब इमाम ने "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ" कहा तब उनको पता चला कि इमाम रुकूअ़ में था उनमें से कुछ लोग खड़े हो कर रुकूअ़ में गए और फिर इमाम के साथ सज्दे में शामिल हो गए और कुछ लोग सज्दे से बैठ कर फिर इमाम के साथ सज्दे में चले गए। अब दरयाफ़्त तलब ये है कि जो लोग इमाम के रुकूअ़ करने के बाद रुकूअ़ कर के इमाम के साथ सज्दे में शामिल हो गए उनकी नमाज़ा हुई या नहीं?

जवाबः जो लोग इमाम के साथ रुकूअ़ में शामिल नहीं हुए उनकी ये रकअ़त जाती रही, फिर जब वह रुकूअ़ कर के इमाम के साथ सज्दे में मिल गए तो उनकी नमाज़ सही हो गई। और जो लोग बग़ैर रुकूअ़ अदा किए हुए सज्दे में मिले उनकी एक रकअ़त फ़ौत हो गई अगर वह इमाम के सलाम के बाद अपनी रकअ़त पूरी

कर लेते तो नमाज़ हो जाती। जब उन्होंने सलाम फेर दिया तो नमाज़ नहीं हुई। (किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़्हा–387)

नमाज़ में सज्दए तिलावत की आयत पढ़ी लेकिन सज्दा करना याद नहीं रहा

सवाल: तरावीह में हाफ़िज़ साहब ने सज्दए तिलावत की आयत पढ़ी तो सज्दा किस वक़्त करना चाहिए?

जवाब: बेहतर ये है कि उसी वक़्त सज्दा करे जिस वक़्त आयते सज्दा पढ़े। और फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर बाद में याद आया और उस वक़्त न किया तो सज्दए सह्व लाज़िम है, मगर ताख़ीर की गुंजाइश उस वक़्त है जब नमाज़ में न हों, नमाज़ में फ़ौरन अदा करना होगा। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–424, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–723, 751)

हाफ़िज़ अगर आयते सज्दा भूल जाए

सवाल: हाफ़िज़ साहब आयते सज्दा भूल गए, मुक़्तदी ने या सामेअ़ ने लुक़्मा दिया और हाफ़िज़ साहब ने आयते सज्दा पढ़ी तो एक सज्दए तिलावत होगा या दो?

जवाब: इमाम साहब सज्दा की आयत भूल गए और मुक़्तदी ने पढ़ कर लुक़्मा दिया और इमाम साहब ने वह आयत पढ़ कर सज्दा किया तो ये सज्दा काफ़ी है इस सूरत में दो सज्दे वाजिब नहीं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–3 सफ़्हा–49)

फ़ौत शुदा रकअ़त की अदाएगी के वक़्त आयते सज्दा इमाम से सुने तो क्या हुक्म है?

सवाल: हाफ़िज़ साहब और मुक़्तदी चार रकअ़त पर तरवीहा में बैठे उस वक़्त मैं फ़ौत शुदा रकअ़त की

अदाएगी के लिए खड़ा हुआ, अभी मेरी नमाज़ ना–तमाम ही थी कि इमाम साहब ने तरावीह शुरू की और आयते सज्दा पढ़ी, मैंने भी सुनी, तो मुझ पर सज्दए तिलावत लाज़िम है या नहीं?

जवाबः सूरते मस्ऊला में सज्दए तिलावत लाज़िम हो गया हाँ अगर इमाम के सज्दा करने से पहले या सज्दा करने के बाद उसी रकअ़त के आख़िर में इमाम के पीछे नीयत बाँध ली और नमाज़ में शामिल हो गए तो इमाम का सज्दा आप के लिए काफ़ी है, अलाहिदा सज्दा करना नहीं होगा। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–351, बहवाला आलमगीरी जिल्द–1 सफ़्हा–133)

आयत सज्दा सुन कर बजाए सज्दा के रुकूअ़ में चला जाए

सवालः नमाज़े तरावीह में हाफ़िज़ साहब ने आयते सज्दा पढ़ी और सज्दा में गए, मगर मुक़्तदी रुकूअ़ समझ कर रुकूअ़ में गया, तो उसकी नमाज और सज्दा अदा होगा या नहीं?

जवाबः सूरते मस्ऊला में मुक़्तदी को चाहिए कि रुकूअ़ छोड़ कर सज्दा में चला जाए। अगर रुकूअ़ कर के फिर सज्दा में गया तो नमाज़ सही हो जाएगी और सज्दए तिलावत भी अदा हो जाएगा। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ्हा–244, बहवाला शामी, दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–727)

नमाज़ में सज्दए तिलावत के बाद दोबारा वही आयत पढ़ ले

सवालः हाफ़िज़ साहब ने तरावीह में सज्दए तिलावत अदा करने के बाद खड़े हो कर बजाए अगली आयत के वही आयते सज्दा दोबारा पढ़ ली। सज्दए तिलावत के इआ़दा की ज़रूरत है या नहीं?

जवाबः सूरते मस्ऊला में पहला सज्दा काफ़ी है इआदा की ज़रूरत नहीं और सज्दए सह्व भी नहीं है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–244, बहवाला आलमगीरी जिल्द–1 सफ़्हा–135)

सज्दए तिलावत अदा करने के बाद हाफ़िज़ को अगली आयत याद न रही

सवालः ज़ैद हाफ़िज़ है, ज़ैद ने नमाज़ पढ़ी, दरमियान में आयते सज्दए तिलावत आई तो फ़ौरन सज्दए तिलावत अदा किया, सज्दा के बाद फिर खड़ा हुआ मगर उसके आगे कुरआन शरीफ़ याद नहीं आया। ज़ैद ने सज्दए तिलावत करते वक़्त रुकूअ़ भी नहीं किया, लाइल्मी या भूल से, आया ज़ैद सज्दए तिलावत से उठ कर रुकूअ़ करे या क्या करे?

जवाबः ऐसी हालत में कि नमाज़ में आयते सज्दा की तिलावत की और आगे कुछ नहीं पढ़ता है तो रुकूअ़ में ही नीयते सज्दा कर लेने से सज्दए तिलावत अदा हो जाता है। और अगर उसने सज्दए तिलावत किया तो बेहतर ये है कि उठ कर चंद आयत पढ़ कर फिर रुकूअ़ करे। और अगर उठ कर खड़े हो कर फ़ौरन रुकूअ़ में चला जाए तो इसमें भी कुछ हरज नहीं है नमाज़ सही है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–426, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–722 बाब सुजूदुत्तिलावत)

सज्दए तिलावत के बाद सूरए फ़ातिहा दोबरा पढ़े तो क्या हुक्म है?

सवालः तरावीह में सज्दए तिलावत अदा करने के बाद बजाए अगली आयत पढ़ने के सूरए फ़ातिहा पढ़ कर

उसको शुरू करे तो सज्दए सह्व है या नहीं? जबकि सूरए फ़ातिहा की तकरार हुई है?

जवाब: सूरत शुरू करने से पहले अगर सूरए फ़ातिहा को मुकर्रर पढ़ ले तब तो सज्दए सह्व होगा, क्योंकि फ़ातिहा के बाद बिला ताख़ीर सूरत शुरू करना वाजिब था, इसमें ताख़ीर हो गई और वाजिब की ताख़ीर से सज्दए सह्व लाज़िम आता है, लेकिन सूरते मस्ऊला में जब सूरए फ़ातिहा के बाद किराअत शुरू कर चुका था तो सूरत यानी क़िराअत शुरू करने में तो ताख़ीर नहीं हुई, फ़ातिहा के फ़ौरन बाद शुरू कर दी, अब अगला फ़र्ज़ रुकूअ़ का है उसकी अदाएगी क़िराअत के बाद होनी चाहिए, मगर क़िराअत की कोई हद मुऐयन नहीं जितनी चाहे क़िराअत करे और जिस सूरत की चाहे क़िराअत करे, रुकूअ़ से पहले उसको मुख़्तसर और तवील क़िराअत करने का इख़्तियार है। इसमें तवील व ताख़ीर से सज्दए सह्व लाज़िम नहीं आएगा। लिहाज़ा इस सूरत में सज्दए सह्व लाज़िम नहीं आएगा।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–348, बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़्हा–429 व आलमगीरी जिल्द–1 सफ़्हा–126)

दो रकअ़त पूरी कर के दूसरी रकअ़त में वही आयते सज्दा पढ़ दी

सवाल: तरावीह में हाफ़िज़ साहब ने दो रकअ़त की नीयत बाँधी, पहली या दूसरी रकअ़त में सज्दए तिलावत की आयत पढ़ी और सज्दा किया और दो रकअ़त पूरी कीं, फिर दूसरी रकअ़त की नीयत बाँधी और सह्वन वही सज्दए तिलावत की आयत पढ़ी, लेकिन सज्दा नहीं किया,

नमाज़ के बाद मालूम करने पर हाफ़िज़ साहब ने फ़रमाया पहली नमाज़ का सज्दए तिलावत दूसरी नमाज़ के लिए काफ़ी है क्या ये सही है?

जवाबः इस सूरत में दूसरा सज्दा करना होगा, तकबीरे तहरीमा कह कर दूसरी नमाज़ शुरू करने से हुक्मन मजलिस बदल जाती है। नीज़ मराक़ियुलफ़लाह में है कि नमाज़ में सज्दए तिलावत की आयत तिलावत कर के सज्दा किया फिर वही आयत सलाम फेरने के बाद दोबारा पढ़ी तो ज़ाहिरे रिवायत के मुताबिक़ दूसरा सज्दा करे, नमाज़ में जो सज्दा किया था वह हुक्मन भी बाक़ी न रहा।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–428, बहवाला मराक़ियुलफ़लाह सफ़्हा–286)

तरावीह में सज्दए तिलावत भूल जाए

किसी शख़्स ने एक रकअ़त में आयते सज्दा पढ़ी मगर उसमें सज्दा करना भूल गया तो दूसरी रकअ़त में जब याद आए सज्दए तिलावत अदा कर ले और फिर आख़िर में सज्दए सह्व कर ले। नमाज़ में अगर कोई शख़्स आयते सज्दा पढ़े तो फ़ौरन सज्दए तिलावत करना वाजिब है, अगर छोटी तीन आयतों या एक लम्बी आयत के बाद सज्दए तिलावत किया तो तिलावत कर के सज्दए सह्व करना वाजिब है। और अगर तीन आयतों से कम पढ़ कर ही सज्दए तिलावत कर लिया है तो फिर सज्दए सह्व वाजिब नहीं है।

(मसाइले सज्दए सह्व सफ़्हा–45 व दुर्रेमुख़्तार बर हाशिया शामी जिल्द–1 सफ़्हा–721)

सज्दए तिलावत एक करने के बजाए दो सज्दे कर लिए

सवाल: तरावीह में हाफ़िज़ साहब ने आयते सज्दए तिलावत कर के बजाए एक सज्दा के दो सज्दे किए क्या इस सूरत में दो सज्दे करने से क़याम में ताख़ीर होने की बिना पर सज्दए सह्व लाज़िम होगा या नहीं?

अगर लाज़िम होता हो और सज्दए सह्व नहीं किया तो क्या दो रकअ़त वाजिबुलइआ़दा हैं, जमाअ़त के साथ लौटाऐं या फ़रदन फ़रदन पढ़ लें?

जवाब: नमाज़े तरावीह में एक सज्दा ज़ाएद होने की वजह से ताख़ीर लाज़िम आई सज्दए सह्व कर लेना था नहीं किया गया इसलिए वक़्त के अन्दर अन्दर इआ़दा है लोग मौजूद हों तो जमाअ़त से वरना तन्हा तन्हा पढ़ लें।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–388)

सूरए हज का आख़िरी सज्दा और उसका हुक्म

सवाल: सूरए हज का आख़िरी सज्दा (पारा–18) इमाम शाफ़ई (रह.) के नज़दीक वाजिब है। शाफ़ई इमाम की इक़्तिदा में हनफ़ी मुक़्तदी ये सज्दा अदा करे या नहीं? और जब इमाम हनफ़ी हो और मुक़्तदी शाफ़ई तो मुक़्तदियों का ये सज्दा कैसे अदा होगा?

जवाब: शामी में है कि मुताबअ़ते इमाम शाफ़ईयलमज़हब की वजह से मुक़्तदी हनफ़ी भी सूरए हज का आख़िरी सज्दा अदा कर ले और जब कि इमाम हनफ़ी हो तो ये सज्दा न करे और मुक़्तदियों के ज़िम्मा भी मुवाफ़िक़े क़वाएदे हनफ़ीया ये सज्दा साक़ित है, लेकिन अगर शवाफ़ेअ़ के नज़दीक नमाज़ के सज्दा को बाद में भी अदा करना जाइज़ हो तो वह कर सकते हैं।

हनफ़ीया (रह.) के नज़दीक तो जो सज्दा नमाज़ में लाज़िम हो और उसको उस वक़्त न किया जाए तो वह अदा नहीं हो सकता।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–423, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–721 बाब सुजूदुत्तिलावत)

सूरए साद में सज्दए तिलावत की आयत कौन सी है?

सवालः सूरए साद पारा–23 में सज्दा तिलावत "اَنَابَ" पर है या "حُسْنَ مَاٰب" पर?

जवाबः मुहक़्क़क़ क़ौल की बिना पर औला ये है कि "حُسْنَ مَاٰب" पर सज्दए तिलावत किया जाए। "اَنَابَ" पर करना ख़िलाफ़े एहतियात है। अगर "اَنَابَ" पर सज्दा कर लिया तो ख़िलाफ़े एहतियात हुआ, लेकिन इआदा की ज़रूरत नहीं है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–382, 419, बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़्हा–716)

□□□

नवाँ बाब

तहज्जुद व शबीना के ब्यान में

नमाज़े तहज्जुद की जमाअत का हुक्म

सवालः माहे रमज़ानुलमुबारक में हनफ़ीयुल मज़हब होते हुए तहज्जुद की नमाज़ जो लोग जमाअत के साथ एहतिमाम से अदा करते हैं और उसको बड़ी फ़ज़ीलत समझते हैं उसके मुतअल्लिक़ शरई हुक्म क्या है?

जवाबः तहज्जुद की नमाज़ रमज़ान और गैर रमज़ान में बाजमाअत पढ़ने का एहतिमाम आँहज़रत (स.अ.व.) और आपके सहाबए किराम से मनकूल नहीं है। माहे मुबारक में आप (स.अ.व.) का मामूल एतेकाफ़ का था, लेकिन आप (स.अ.व.) ने सहाबा के साथ तहज्जुद बाजमाअत पढ़ी हो ये साबित नहीं। इसलिए फ़ुक़हा (रह.) लिखते हैं कि तहज्जुद वगैरा नफ़्ल नमाज़ बाजमाअत पढ़ना मकरूह है। अलबत्ता बगैर बुलाए एक दो मुक़्तदी के साथ मकरूह नहीं है, ये हदीस से साबित है, इससे ज़्यादा का सुबूत वारिद नहीं। लिहाज़ा फ़ुक़हा लिखते हैं कि इमाम के साथ तीन मुक़्तदी होने में इख़्तिलाफ़ है और चार मुक़्तदी हों तो बिलइजमाअ मकरूह है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–323, बहवाल। दुर्रेमुख़्तार मअ शामी जिल्द–1 सफ़्हा–664)

जमाअ़ते तहज्जुद और शाह साहब (रह.) की राए

अनवारुलबारी शरह सहीहुलबुख़ारी में अल्लामा अनवर शाह कशमीरी (रह.) के शागिर्दे रशीद मौलाना सैयद अहमद रज़ा साहब बिजनौरी दामत फ़ुयूज़ुहुम तहरीर फ़रमाते हैं– फ़ुक़हा ने लिखा है कि नवाफ़िल की जमाअ़त मकरूह है बजुज़ रमज़ान के और इससे मुराद सुनने तरावीह है। हज़रत शाह कशमीरी (रह.) ने फ़रमाया कि फ़ुक़हा की इस इबारत से जिसने मुतलक़ नवाफ़िले रमज़ान समझा ग़लती की, लिहाज़ा तहज्जुद की जमाअ़त तीन से ज़्यादा की रमज़ान में मकरूह होगी।

(अनवारुलबारी जिल्द–1 सफ़्हा–1917 हाशिया)

मबसूत सुरख़्सी में लिखा है कि– अगर नवाफ़िल बाजमाअ़त मुस्तहब होती तो तमाम क़ाइमुललैल तहज्जुद गुज़ार मुजतहिदीन का उस पर अमल होता।

वह नमाज़ जो तन्हा और बाजमाअ़त दोनों तरीक़ा से अदा करना जाइज़ है उसको बाजमाअ़त अदा करना अफ़ज़ल है हालांकि नवाफ़िल तहज्जुद वग़ैरा बाजमाअ़त अदा करना न तो आँहज़रत (स.अ.व.) के मुबारक ज़माना में मनकूल है और न सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और न ताबईन वग़ैरहुम के ज़माना में, लिहाज़ा ये क़ौल कि तरावीह की तरह तहज्जुद वग़ैरा दूसरे नवाफ़िल रमज़ानुलमुबारक में बिला कराहत जाइज़ हैं ये क़ौल तमाम फ़ुक़हा के ख़िलाफ़ है और बातिल है।

मबसूत सुरख़्सी किताबुत्तरावीह बहस रकआ़तुत्तरावीह जिल्द–2 सफ़्हा–144।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–324)

रमज़ान में तहज्जुद की जमाअत

सवालः नमाज़े तहज्जुद बाजमाअत रमज़ान शरीफ़ में पढ़ना और उसमें कुरआन शरीफ़ सुनना चाहिए या नहीं?

जवाबः नमाज़े तहज्जुद जमाअत के साथ पढ़ना बतदाई (दो से ज़्यादा अफ़राद के साथ) मकरूह है। आँहज़रत (स.अ.व.) ने जो रमज़ान की तीन रातों में बाजमाअत नमाज़ पढ़ी है वह तरावीह की नमाज़ थी।

अल्लामा शामी की तहक़ीक़ से भी यही ज़ाहिर होता है और मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने अपने रिसाला तरावीह में तहक़ीक़ फ़रमाई है कि दोनों नमाज़ें जुदागाना हैं और रसूलुल्लाह (स.अ.व.) तहज्जुद हमेशा तन्हा पढ़ते थे। कभी भी बतदाई जमाअत नहीं फ़रमाई (जमाअत के लिए नहीं बुलाया)। और ये कि तहज्जुद की नमाज़ में जमाअत नहीं है और यही अक्सर अहादीस से साबित होता है और उलमा व फुक़हाए अहनाफ़ ने यही तहक़ीक़ फ़रमाई है।

माहे रमज़ानुलमुबारक में तदाई (बुला कर) के साथ जमाअते वित्र और तरावीह जाइज़ है और मशरूअ़ व मसनून है, बाक़ी नवाफ़िल सिवाए तरावीह के रमज़ान शरीफ़ में भी तदाई के साथ मकरूह हैं। और तदाई के माना साहबे दुर्रेमुख़्तार ने ये ब्यान फ़रमाए हैं: यानी चार मुक़्तदी एक इमाम के पीछे नमाज़ अदा करें। (जमाअते तहज्जुद) बग़ैर तदाई के जाइज़ है और तदाई के साथ मकरूहे तहरीमी है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–221, 223, बहवाला रद्दुलमुह्तार बाबुलवित्र व नवाफ़िल, मबहसुत्तरावीह जिल्द–1 सफ़्हा–663)

रमज़ान में तहज्जुद में दो चार आदमी मिल जाएँ तो......?

सवालः अगर कोई शख़्स रमज़ान में तहज्जुद शुरू करे और उसके साथ सिर्फ़ दो चार आदमी आ कर इक़्तिदार करें तो क्या हुक्म है?

जवाबः एक या दो की इक़्तिदा बिला कराहत जाइज़ है और तीन में इख़्तिलाफ़ है और इससे ज़ाएद मकरूह है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–223)

तहज्जुद बाजमाअत का हुक्म

सवालः नमाज़े तहज्जुद बाजमाअत पढ़े या तन्हा। बहवालए कुतुब जवाब तहरीर फ़रमाऐं?

जवाबः अगर कभी कभार दो या तीन आदमी जो बग़ैर बुलाए और बिला किसी एहतेमाम के जमा हों वह जमाअत से पढ़ लें तो मकरूह नहीं है। इमाम के सिवा दो आदमी हों तो बिल इत्तिफ़ाक़ मकरूह नहीं, तीन हों तो इख़्तिलाफ़ है, चार हों तो बिलइत्तिफ़ाक़ मकरूह है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–117)

जमाअते नवाफ़िल और अकाबिरे उलमाए देवबंद

इस सिलसिले में सैयदुलफुक़हा रईसुलमुहद्दिसीन फ़क़ीहुन्नफ़्स हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही (रह.) का फ़तवा, फ़तावा रशीदिया के अन्दर इस तरह है– नवाफ़िल की जमाअते तहज्जुद हो या ग़ैर तहज्जुद सिवाए तरावीह व कुसूफ़ व इस्तिस्क़ा के अगर चार मुक़्तदी हों तो अहनाफ़ (रह.) के नज़दीक मकरूहे तहरीमी है, ख़्वाह ख़ुद जमा हों या बतलब आवें और तीन में इख़्तिलाफ़ है और दो में कराहत नहीं है।

(फ़तावा रशीदिया सफ़्हा–299)

हज़रत थानवी (रह.) ने इमदादुलफ़तावा के अन्दर फ़रमाया है कि– अगर मुक़्तदी एक या दो हों तो कराहत नहीं है और अगर चार हों तो मकरूह है और अगर तीन हों तो इख़्तिलाफ़ है।

(इमदादुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–377)

हज़रत थानवी (रह.) ने फ़रमाया कि जो लोग फ़ुक़हा के बाज़ अक़वाल से ये समझते हैं कि कराहत का हुक्म ग़ैर रमज़ानुलमुबारक में है और रमज़ान में जाइज़ है उन पर तरदीद करते हुए फ़रमाया कि "فی غیر شهر رمضان" की क़ैद से सिर्फ़ नवाफ़िले तरावीह को निकालना मक़्सूद है। इमदादुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–378 लिहाज़ा मालूम हुआ कि नवाफ़िल की जमाअ़त रमज़ान और ग़ैरे रमज़ान सब में मकरूह है।

हज़रत शैख़ुलहिन्द (रह.) को रमज़ानुलमुबारक में क़ुरआन नफ़्लों में सुनने का बड़ा शग़फ़ था, जब लोगों ने जमाअ़त में शिरकत की ख़्वाहिश ज़ाहिर की तो उसकी इजाज़त नहीं दी और घर का दरवाज़ा बंद कर के अन्दर हाफ़िज़ किफ़ायतुल्लाह की इक़्तिदा में क़ुरआन मजीद सुनते थे। फिर जब लोगों का इसरार बढ़ा तो ये मामूल बना लिया कि फ़र्ज़ नमाज़ के बाद मस्जिद से बाहर तशरीफ़ ले आते थे, कुछ देर आराम करने के बाद तरावीह में पूरी रात क़ुरआन मजीद सुनते थे। जिसमें चालीस पचास आदमी शिरकत करते थे और घर में जमाअ़त होती थी, लेकिन नफ़्लों की जमाअ़त को ग्वारा नहीं फ़रमाया। हज़रत अल्लामा अनवर शाह कशमीरी (रह.) की भी यही राए है अनवारुलबारी जिल्द–2 सफ़्हा–88 में पूरी तफ़सील के

साथ बहस मौजूद है।

हज़रत शैख़ुलमशाइख़ मौलाना ख़लील अहमद साहब (रह.) हाफ़िज़े कुरआन थे और तहज्जुद में कुरआन मजीद तिलावत फ़रमाते थे और दो हाफ़िज़ हज़रत के पीछे कुरआन करीम सुना करते थे, हज़रत मौलाना असअदुल्लाह साहब (रह.) का ब्यान है कि एक रात मैं भी मुक़्तदी बन गया तो हज़रत ने नमाज़ के बाद मेरा कान पकड़ कर अलग कर दिया।

(अनवारुलबारी जिल्द–2 सफ़्हा–87)

मौलाना मदनी (रह.) ने अकाबिरे देवबंद के ख़िलाफ़ अमल क्यों अपनाया?

हज़रत शैख़ुलअरब वल अजम मरजउलख़लाइक़ हज़रत शैख़ुलइस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी कुद्दसा सिर्रहुलअज़ीज़ का तहज्जुद बाजमाअत का मामूल सब अकरबिरे उलमए देवबंद से अलग था, सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत मदनी (रह.) अपने वक़्त के बुलंद पाया आलिम और तक़्वा व तसौवुफ़ के अन्दर बड़ा मुक़ाम रखते थे। उन्होंने फ़ुक़हा और अकाबिरे देवबंद के ख़िलाफ़ अमल क्यों अपनाया?

इसके जवाब में हम को दो बातें समझ में आती हैं–

(1) जिन ख़ुश नसीब बुज़ुर्गों को अल्लाह तआला ने इल्म में पूरा उबूर अता फ़रमाया है उनको बाज़ मसाइले जुज़्ई के अन्दर इन्फ़िरादी राए क़ाइम करने का हक़ होता है, लेकिन वह अमल दूसरों के लिए क़ाबिले हुज्जत नहीं होता, सिर्फ़ उन्हीं तक महदूद रहता है, जैसा कि हज़रत अल्लामा जमालुद्दीन इब्न हुमाम के तफ़र्रुदात के सिलसिला

में मशहूर है कि उनके शागिर्दे ख़ास अल्लामा क़ासिम बिन क़तलूबग़ा ने फ़रमाया कि हमारे उस्ताज़ के वह तफ़र्रुदात जो इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ हैं वह क़ाबिले अमल नहीं हैं।

चुनांचे बाज़ हज़रात के अर्ज़ करने पर कि आप के इस अमल (जमाअ़ते तहज्जुद) को लोग सनद बनाऐंगे तो इस पर हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैहि ने फ़रमाया कि– मैं ख़ुद तो करता हूं दूसरों को तो नहीं कहता।"

(अनवारुलबारी शरह बुख़ारी)

(2) एक होता है बाबे अहकाम और एक होता है बाबे तरबियत और बाबे तरबियत में ऐसी बातों की गुंजाइश होती है, जो बज़ाहिर बाबे अहकाम के ख़िलाफ़ हों तो हमारा हुस्ने ज़न भी मौलाना मदनी (रह.) के सिलसिला में यही है कि आप सालिकीन को तहज्जुद का आदी बनाने के लिए बतौरे तरबियत तहज्जुद की नमाज़ जमाअ़त से अदा फ़रमाया करते होंगे और ये अमल किसी दूसरे के लिए बाइसे हुज्जत नहीं हो सकता। बहरहाल मस्अला अपनी जगह पर है, कि एक मुक़्तदी हो तो जाइज़ है और दो में भी जवाज़ है और अगर तीन मुक़्तदी हों तो उसमें बाज़ फ़ुक़हा का ख़्याल अदमे कराहत का है और बाज़ का ख़्याल कराहत का है।

(शामी मतबअ़ माजिदीया पाकिस्तानी जिल्द–1 सफ़्हा–524)

और अगर मुक़्तदी चार तक हो जाऐं तो बिलइत्तिफ़ाक़ मकरूहे तहरीमी है।

(तहतावी अला मराक़ियुलफ़लाह सफ़्हा–211)

तहज्जुद में अगर कुछ लोग इमाम की इक़्तिदा कर लें तो कराहत का ज़िम्मादार कौन है?

सवालः इमाम साहब हाफ़िज़े कुरआन हैं, एतेकाफ़ में बैठते हैं, इस वक़्त तहज्जुद में तन सिपारे पढ़ते हैं और दूसरे दो मोतकिफ़ मुक़्तदी होते हैं मगर कभी कभी दूसरे और लोग भी शरीक हो जाते हैं तो कोई हरज नहीं? अगर है तो इसका ज़िम्मादार कौन हैं?

जवाबः अगर इमाम साहब की सराहतन या किनायतन या इशारतन इजाज़त के बग़ैर लोग शरीक हो गए तो कराहत के वह ज़िम्मादार हैं, लेकिन इमाम साहब को चाहिए कि मस्अला बतला कर शरीक होने से रोक दें वरना इमाम साहब कराहत की ज़िम्मादारी से सुबुकदोश न होंगे।

शामी में है कि नफ़्ल पढ़ने वाले की एक दो आदमियों ने इक़्तिदा की, फिर दूसरे लोग शरीक हो गए तो अल्लमा रहमतुल्लाह अलैहि फ़रमाते हैं कि कराहत के ज़िम्मादार पीछे आने वाले हैं। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–325 बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़्हा–664)

शबीना यानी एक रात में कुरआन ख़त्म करना कैसा है?

सवालः शबीना की तरकीब क्या है, यानी कुरआन पाक एक रात में ख़त्म किया जाए या तीन रातों में, और कितनी रकअ़तों में ख़त्म किया जाए, बीस रकअ़तों में या इससे ज़ाएद रकअ़तों में?

जवाबः इस ज़माना में शबीनए मरव्वजा कराहत और मफ़ासिद से ख़ाली नहीं है, एक ख़राबी ये है कि नफ़्ल बाजमाअ़त में पढ़ा जाता है, हालांकि बाजमाअ़त नफ़्ल में

अगर दो तीन मुक़्तदियों से ज़ाएद हों तो मकरूहे तहरीमी है, अलबत्ता तरावीह में दुरुस्त है, बशर्तेकि कुरआन साफ़ और सेहत के साथ पढ़ा जाए और शोहरत मक़्सूद न हो और मुक़्तदी सुस्त न हों, अगर कुछ लोग बैठे रहें और बातें करते रहें और खाने पीने के इंतिज़ाम में लगे रहें और नतीजतन उनकी तरावीह फ़ौत हो जाए तो जाइज़ नहीं। इस ज़माना में ऐसे हुफ़्फ़ाज़ कहां कि पूरा कुरआन साफ़ और सेहत के साथ एक रात में ख़त्म करें "यालमून" "तालमून" के अलावा कुछ समझ में न आएगा। इस क़िस्म के हुफ़्फ़ाज़ का तीन रोज़ से कम में कुरआन ख़त्म करना कराहत से ख़ाली नहीं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–387)

शबीना जाइज़ है या नहीं

सवाल: एक रोज़ में चंद हुफ़्फ़ाज़ का कुरआन शरीफ़ शबीना में ख़त्म करना दुरुस्त है या नहीं?

जवाब: कुरआन शरीफ़ को ऐसी जल्दी पढ़ना कि हुरूफ़ समझ में न आऐं और मख़ारिज से अदा न हों नाजाइज़ है, पस अगर शबीना में ऐसी जल्दी होगी तो वह भी नाजाइज़ है, जैसा कि दुर्रेमुख़्तार में है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–256, बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–663)

अफ़ज़ल ये है कि एक या दो (हाफ़िज़) मिल कर तरावीह पढ़ाऐं, अगर जैयद और बाहिम्मत हाफ़िज़ न हों तो मुतअद्दद हुफ़्फ़ाज़ तरावीह पढ़ाऐं तो ये भी दुरुस्त है तरावीह हो जाएगी।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–389)

शबीना जमाअ़ते नफ़्ल में करना कैसा है?

सवालः अगर शबीना में ख़त्मे कुरआन शरीफ़ नफ़्लों में जमाअ़त के साथ किया जाए तो जाइज़ है या नहीं?

जवाबः अगर शबीना यानी ख़त्मे कुरआन नफ़्ल जमाअ़त के साथ हो तो ये मकरूह है यानी नाजाइज़ है क्योंकि नफ़्ल की जमाअ़त तदाई के साथ मकरूह है और मकरूह से मुराद मकरूहे तहरीमी है जो क़रीब हराम के है, पस इसका नाजाइज़ कहना सही हो गया और तफ़्सीर तदाई की ये है कि चार मुक़्तदी हों और तीन में इख़्तिलाफ़ है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–284, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–663)

शबीना का क़ाएदए कुल्लिया

सवालः शबीना एक हाफ़िज ख़त्म करें या चंद मिल कर ख़त्म करें?

जवाबः अगर शबीना में कुरआन साफ़ पढ़ा जाए और हाफ़िज़ को रिया (दिखावा) मक़्सूद न हो कि फ़लाँ ने इस क़दर पढ़ा और फ़लाँ ने इस क़दर पढ़ा और जमाअ़त में कसल मंद लोग न हों और हाजत से ज़्यादा रौशनी में तकल्लुफ़ न करें और मक़्सूद हुसूले सवाब हो तो जाइज़ है। और अगर क़िराअत इतनी जल्दी करें कि हुरूफ़ तक समझ में न आऐं, न ज़ेर की ख़बर न ज़बर की, न ग़लती का ख़्याल न मुतशाबिहात का और फ़क़त रियाकारी मक़्सूद हो और जमाअ़त भी मुनतशिर हो या हाजत से ज़्यादा रौशनी हो या तरावीह पढ़ कर नफ़्ल की जमाअ़त पढ़ें तो ये बेशक मकरूह है।

”لقوله تعالی: وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِیْلًا ط

ولقوله: وَاِذَاقَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ.

ولقوله: اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

ولقول الفقهاء: اِنَّ جماعة النوافل مكروهة.

शबीना तीन शर्तों के साथ जाइज़ है– (1) तरतील न छूटे (2) तरावीह में पढ़ें (3) जमाअ़त के वक़्त तख़ल्लुफ़ न करें। (इमदादुल फ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–487, 489)

शबीना के सिलसिले में हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही (रह.) का फ़तावा

कुरआन शरीफ़ का एक रात में ख़त्म करना बसूरते तसहीहे अल्फ़ाज़ वग़ैरा जाइज़ है। और हज़रत उस्मान (रज़ि.) से एक रात में ख़त्म करना साबित है। और अगर कुरआन तरतील के साथ न पढ़ कर लफ़्ज़ सही पढ़े गए तो इस तरह पढ़ने में सवाब कम होगा। और अगर शोहरत की नीयत से पढ़े तो रिया तो फ़राइज़ में भी ममनूअ़ है, तरावीह पर क्या मौकूफ़ है। और अगर मुक़्तदियों को इस तरह पढ़ना दुश्वार हो तो न पढ़े।

(फ़तावा रशीदिया कामिल सफ़्हा–304)

नफ़्ल की जमाअ़त तहज्जुद हो या ग़ैर तहज्जुद सिवाए तरावीह के और कुसूफ़ व इस्तिसक़ा (गहन और बारिश की दुआ) के अगर चार मुक़्तदी हों तो हनफ़ीया (रह.) के नज़दीक मकरूहे तहरीमी है, ख़्वाह (अफ़राद) पहले से जमा हों या उन्हें बुलाया गया हो और तीन में इख़्तिलाफ़ है और दो में कराहत नहीं है।

(फ़तावा रशीदिया कामिल सफ़्हा–299)

❑❑❑

दसवाँ बाब

ख़त्म के दिन मुख़्तलिफ़ रिवाज के ब्यान में

कौन सी तारीख़ में ख़त्म करें

सही मज़हब के बमोजिब माहे रमज़ान में एक मरतबा ख़त्म करना सुन्नत है, नीज़ सत्ताईसवीं शब में ख़त्म करना मुस्तहब है। (अशरफुलईज़ाह शरह नूरुलईज़ाह सफ़्हा–116)

सत्ताईसवीं शब में ख़त्म करना अफ़ज़ल व मुस्तहब है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–355)

ख़त्म के दिन तीन मरतबा कुलहुवल्लाह पढ़ना कैसा है?

सवाल: बाज़ हुफ़्फ़ाज़ ख़त्म के दिन सूरए इख़्लास को तीन मरतबा पढ़ते हैं, क्या ये जाइज़ है, अगर नहीं है तो कराहत की क्या वजह है तकरारे सूरत या रिवाज?

जवाब: तीन मरतबा "कुलहुवल्लाह" का पढ़ना मकरूह नहीं है, मगर उसको लाज़िम समझना मकरूह है। इस पर इल्तिज़ाम न होना चाहिए, ये इल्तिज़ाम व इसरार जो लोगों ने इख़्तियार कर लिया है ये भी कराहत की मुस्तक़िल दलील है कि अवाम ने उसको लाज़िमे ख़त्म (ज़रूरी) समझ लिया है, जैसा कि तर्ज़ से ज़ाहिर है, लिहाज़ा मकरूह है। न ये कि इआदए सूरत फ़ी नफ़्सिही मकरूह है। इआदए सूरत ख़्वाह फ़ी नफ़्सिही जाइज़ हो या मकरूह लेकिन ये रस्म क़ाबिले तर्क है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–290, 291 व हाशिया इमदादुल फ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–292)

सूरए इख़्लास के बारे में मौलाना थानवी का फ़तावा

सवाल: "कुलहुवल्लाह" का तीन मरतबा आख़िरी तरावीह में पढ़ना कैसा है? कराहत की क्या वजह है, यानी मुकर्रर पढ़ने की वजह से कराहत है या रिवाज की वजह से?

जवाब: आलमगीरी की रिवायत से मालूम होता है कि तकरारे सूरत और तकरारे आयत एक हुक्म में हैं और नवाफ़िल में आयत को मुकर्रर पढ़ने में कराहत नहीं है। "اَلَّذِىْ يُصَلِّىْ وَحْدَهٗ" से मुक़ैयद किया है जिससे वाज़ेह होता है कि नवाफ़िल में सूरत को मुकर्रर पढ़ने से कराहत न होने में भी वही नवाफ़िल मुराद हैं जो तन्हा पढ़े जाएं। और नमाज़े तरावीह जो फ़राइज़ की तरह जमाअ़त से पढ़ी जाती है वह फ़र्ज़ के हुक्म में है, लिहाज़ा फ़र्ज़ की तरह तरावीह में भी सूरत की तकरार मकरूह होगी। अलावा बरीं ये इल्तिज़ाम व इसरार जो लोगों ने इख़्तियार कर लिया है ये भी कराहत की मुस्तक़िल दलील है, पहली दलील का मुक़्तज़ा कराहते तंज़ीही है और दूसरी का कराहते तहरीमी है।

(इमदादुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–493)

बाज़ सूरतों के बाद ग़ैर क़ुरआनी अलफ़ाज़ पढ़ना कैसा है?

सवाल: नमाज़े तरावीह में हाफ़िज़ साहब बाज़ सूरतों के इख़्तिताम पर नमाज़ ही में बाज़ अलफ़ाज़े ग़ैर क़ुरआनी अरबी में पढ़ते हैं, मसलन सूरए मुरसलात की आख़िरी आयत "فَبِاَىِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ" के बाद "اٰمَنَّا بِاللّٰهِ" कहते हैं इससे नमाज़ फ़ासिद होती है या नहीं?

जवाबः अहनाफ़ इस क़िस्म की दुआवों को नमाज़ में पढ़ने को मना फ़रमाते हैं, लेकिन अगर नवाफ़िल में ऐसा किया तो नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–278, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–509 बाब सिफ़तुस्सलात)

<u>ख़त्म पर दूसरी आयतों का पढ़ना कैसा है?</u>

सवालः रमज़ान शरीफ़ में ख़त्मे क़ुरआन में हाफ़िज़ साहब उन्नीस रकअ़तों में क़ुरआन पाक ख़त्म करते हैं और बीसवीं रकअ़त में "الٓمّٓ" से "مُفْلِحُوْنَ" तक पढ़ कर उसी रकअ़त में ये आयात पढ़ते हैं– "اِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ" और "دَعْوٰهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ الخ" पढ़ कर रुकूअ़ करते हैं ये जाइज़ है या बिदअ़त?

जवाबः ये तो बाज़ रिवायात में आया है कि ख़त्मे क़ुरआन के बाद "الٓمّٓ" से शुरू कर के चंद आयात मसलन "مُفْلِحُوْنَ" तक पढ़ दिया जाए और फ़ुक़हा ने भी इसकी इजाज़त दी है और ये मुस्तहब है और इसके अलावा दीगर आयात का उस वक़्त पढ़ना मनक़ूल नहीं है, लिहाज़ा उसका तर्क कर देना मुनासिब है। फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–265 हाशिया पर दुर्रेमुख़्तार के हवाला से इस सूरत को मकरूह बताया है और लिखा है कि बीस रकअ़त में फ़ातिहा के बाद सूरए बक़रा का कुछ हिस्सा मुफ़्लिहून तक पढ़े क्योंकि आप का फ़रमान है–

"خَيْرُ النَّاسِ الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ اَىِ الْخَاتِمُ الْمُفْتَتِحُ"

लोगों में सब से बेहतर वह है जो ठहर कर फिर आगे चल पड़े, यानी क़ुरआन ख़त्म कर के फिर शुरू कर दे। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–265)

ख़त्म के दिन 'मुफ़्लिहून' तक पढ़ना कैसा है?

सवालः हज़रत मौलाना अब्दुलहई साहब (रह.) ने तरावीह में "مُفْلِحُوْنَ" तक ख़त्म करने को जाइज़ लिखा है, यानी जब कुरआन शरीफ़ ख़त्म करे तो आख़िरी रकअ़त में "الٓمّٓ" से "مُفْلِحُوْنَ" तक पढ़े। और फ़तावा आलमगीरी में भी तरतीब ख़त्म की मुफ़्लिहून तक लिखी है?

सही इस बारे में क्या है। और एक आयत से दूसरी तरफ़ मुन्तक़िल होने का क्या हुक्म है। बाज़ लोगों ने मुफ़्लिहून तक पढ़ने को मकरूह कहा है?

जवाबः जो कुछ मौलाना अब्दुलहई साहब ने इस बारे में लिखा है वही सही है, फ़ुक़हाए अहनाफ़ ने भी ख़त्म में सिर्फ़ इसी को मुस्तहब लिखा है कि सूरए बक़रा की शुरू की आयात पर ख़त्म करे। क्योंकि ये हदीस से साबित है इसके अलावा मुतफ़र्रिक़ जगह से आयतों के पढ़ने को मकरूह लिखा है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–260, बहवाला शरह मुनया कबीरी व रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–510 बाब सिफ़तुस्सलात)

ख़त्म के दिन किस तरह पढ़ें?

सवालः तरावीह में ख़त्मे कुरआन के मौक़ा पर आख़िरी दो रकअ़तों में से पहली रकअ़त में सूरए फ़लक़ और दूसरी रकअ़त में सूरए नास और अलिफ़–लाम–मीम से मुफ़्लिहून तक सूरए फ़ातिहा से पढ़ते हैं क्या इसका सुबूत है?

जवाबः तरावीह में ख़त्मे कुरआन के वक़्त उन्नीसवीं रकअ़त में सूरए फ़ातिहा मुऔवज़तैन, सूरए फ़लक़ और सूरए नास पढ़ना और बीसवीं रकअ़त में सूरए फ़ातिहा

और सूरए बक़रा का कुछ हिस्सा (मुफ़्लिहून तक) पढ़ना मुस्तहब है, ये हदीस से भी साबित है आपका इरशाद है– "خَيْرُ النَّاسِ الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ اَى الْخَاتِمُ الْمُفْتَتِحُ....." तर्जुमाः लोगों में सब से बेहतर वह है जो ठहर कर फिर आगे चल पड़े, यानी कुरआन ख़त्म कर के फिर शुरू करे। ये जो बाज़ जगह रिवाज है बीसवीं रकअत में तीन मरतबा सूरए इख़लास, सूरए नास और सूरए बक़रा मुफ़्लिहून तक और दूसरी दुआऐं पढ़ते हैं ये सही तरीक़ा से साबित नहीं है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़हा–384)

हज़रत मौलाना मुफ़्ती किफ़ायतुल्लाह साहब का फ़तवा

ख़त्मे कुरआन मजदी के बाद सूरए बक़रा की इब्तिदाई आयतें पढ़ना मसनून है, ख़्वाह बीसवीं रकअत में सूरए नास के बाद पढ़ ले या उन्नीसवीं रकअत में नास तक पढ़ कर बीसवीं में आख़िर से पढ़ ले। बीसवीं रकअत में अलहम्दु और मुऔवज़तैन पढ़ कर फिर सूरए फ़ातिहा पढ़ना और अलिफ़लाममीम की आयतें पढ़ना नहीं चाहिए, यानी अलहम्दु की तकरार के कोई माना नहीं हैं।

(किफ़ायतुलमुफ़्ती जिल्द–3 सफ़हा–348)

सुन्नत वा नवाफ़िल के बाद दुआ इन्फ़िरादी तौर पर है या इज्तिमाई तौर पर

सवालः सुन्नत और नवाफ़िल के बाद दुआ करनी चाहिए या नहीं? या सलाम फेर कर चला जाना चाहिए, अगर कोई शख़्स सुन्नत व नवाफ़िल के बाद दुआ न करे और यूं ही चला जाए तो क़ाबिले मलामत है या नहीं?

जवाबः फ़राइज़ के बाद दुआ कर के मुतफ़र्रिक़ हो जाना चाहिए, सुनन व नवाफ़िल के बाद इज्तिमाअ़न दुआ

का पाबंद मुक़्तदी को न करना चाहिए। फ़राइज़ के बाद कोई शख़्स मसलन घर जा कर सुन्नतें पढ़ना चाहता है तो उसको क्यों पाबंद किया जाए।

अलग़रज़ जो ऐसा करे वह मलामत के लाइक़ नहीं है। सुनन व नवाफ़िल के बाद बतौरे ख़ुद हर एक शख़्स जिस वक़्त फ़ारिग़ हो दुआ कर के चला जाए, या फ़राइज़ के बाद घर जा कर सुनन पढ़े इसमें कोई तंगी न होनी चाहिए। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–212)

ख़त्मे कुरआन के बाद दुआ

सवालः जमाअत के साथ कुरआन ख़त्म होने के वक़्त दुआ मकरूह है इस वास्ते कि इस तरह दुआ करना रसूलुल्लाह (स.अ.व.) से मनकूल नहीं है क्या ये सही है?

जवाबः सही ये है कि ख़त्मे कुरआन के बाद और हमेशा नमाज़े तरावीह के बाद दुआ मसनून व मुस्तहब है, और हदीस में है कि ये वक़्त इजाबते दुआ का है, इसलिए हमारे अकाबिर और मशाइख़ का मामूले दुआ बाद तरावीह और बाद ख़त्मे कुरआन है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–271, बहवाला मिश्कात शरीफ़ सफ़्हा–88)

हज़रत अरबाज़ बिन सारिया (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने फ़रमाया– जो बंदा फ़र्ज़ नमाज़ पढ़े और उसके बाद दिल से दुआ करे तो उसकी दुआ क़बूल होगी। इसी तरह जो आदमी कुरआन मजीद ख़त्म करे और दुआ करे तो उसकी दुआ भी क़बूल होगी।

(मआरिफुल हदीस जिल्द–5 सफ़्हा–138)

तरावीह और वित्र के बाद दुआ करना कैसा है?

सवालः नमाज़े तरावीह के बाद दुआ मांगना जाइज़

है या नहीं? और रमज़ान शरीफ़ में वित्र पढ़ कर दुआ मांगना साबित है या नहीं?

जवाबः तरावीह के ख़त्म पर दुआ मांगना दुरुस्त और मुस्तहब है और सलफ़ व ख़लफ़ का मामूल है, फिर वित्र के बाद दुआ ज़रूरी नहीं है, एक बार काफ़ी है, यानी ख़त्मे तरावीह के बाद।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–253)

सलाम के बाद बग़ैर दुआ के मुक़्तदी जा सकता है

सवालः मुक़्तदी को इमाम की दुआ का साथ देना चाहिए या वक़्त का लिहाज़ रखा जाए?

जवाबः अगर मुक़्तदी को कुछ ज़रूरत है और कोई ज़रूरी काम है तो सलाम के फ़ौरन बाद चले जाने में कुछ गुनाह नहीं है और उस पर तअ़न न करना चाहिए और अगर दुआ के ख़त्म का इंतिज़ार करे और इमाम के साथ दुआ में शरीक हो तो ये अच्छा है और इसमें ज़्यादा सवाब है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–103, बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–495 बाब सिफ़तुस्सलात)

नमाज़ के बाद दुआ आहिस्ता मांगने या ज़ोर से?

सवालः फ़र्ज़ नमाज़ बाजमाअ़त के बाद दुआ आहिस्ता मांगे या ज़ोर से, अगर आहिस्ता का हुक्म है तो किस क़दर और अगर ज़ोर से मांगने का हुक्म है तो किस क़दर, दोनों में कौन सा अफ़ज़ल तरीक़ा है?

जवाबः आहिस्ता दुआ करना अफ़ज़ल है। नमाज़ियों का हरज न होता हो तो कभी कभी ज़रा आवाज़ से दुआ कर ले तो जाइज़ है हमेशा ज़ोर से दुआ करने की आदत

बनाना मकरूह है। दुआवों की रिवायतों से भी जेह्र साबित नहीं है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–183)

इमाम अगर ज़ोर से दुआ करे तो अपने लिए अल्फ़ाज़ को ख़ास न करे

इमाम दुआ के अल्फ़ाज़ को अपने साथ मख़सूस न करे और अगर वह दुआ को ज़ोर से कर रहा है जैसे कि ऐ अल्लाह मुझ पर और नबी करीम (स.अ.व.) पर रहम फ़रमा और मेरे साथियों में से किसी पर रहम न करना।

इस क़िस्म की दुआ करना ख़्यानत है, अहादसी में जो मुन्फ़रिदन अलफ़ाज़ आए हैं वह इसमें दाख़िल नहीं हैं क्योंकि नमाज़ में जो इमाम से फ़ाएदा पहुंचता है उसमें मुक़्तदियों को भी हिस्सा मिलता है, क्योंकि इमाम मुक़्तदियों का नुमाइंदा होता है। और अगर आहिस्ता दुआ कर रहे हैं तो इमाम को इजाज़त है कि अपने लिए ख़ास दुआ करे (औरों के लिए बददुआ न करे) क्योंकि मुक़्तदी भी अपने लिए दुआ कर रहे हैं, इस तरह नफ़्से दुआ में सब शरीक हो जाऐंगे।

(मआरिफ़े मदनीया जिल्द–6 सफ़्हा–100)

क्या दुआ नमाज़ का जुज़्व है?

सवालः इमाम को दुआ आहिस्ता मांगना चाहिए या बुलंद अवाज़ से नीज़ दुआ नमाज़ का जुज़्व है या नहीं?

जवाबः दुआ आहिस्ता मांगना अफ़ज़ल है, अगर दुआ की तालीम मक़्सूद हो तो बुलंद आवाज़ में भी मुज़ाएक़ा नहीं, मगर इस बुलंद आवाज़ से दूसरे नमाज़ियों की नमाज़ में ख़लल म हो। नमाज़ सलाम पर ख़त्म हो जाती है उसके बाद दुआ नमाज़ का जुज़्व नहीं है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–173)

दुआ के वक़्त निगाह कहां रखी जाए

दुआ मांगने के वक़्त आसमान की तरफ़ नज़र उठाना और तकना दुआ की वह नापसंदीदा सुरत है जिससे आँहज़रत (स.अ.व.) ने मना फ़रमाया है, इसलिए कि ये सूरत अल्लाह के अदब व एहतेराम और दुआ मांगने वाले के लिए मुनासिब नहीं है। हो सकता है ये हरकत बेअदबी या गुस्ताख़ी बन कर दुआ को क़बूलियत से महरूम कर दे इसलिए इससे बचना चाहिए। (हिस्ने हसीन सफ़्हा–27)

दुआ यक़ीन के साथ करनी चाहिए

हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया कि जब अल्लाह से मांगो और दुआ करो तो इस यक़ीन के साथ करो कि वह ज़रूर क़बूल फ़रमाएगा और जान लो और याद रखो अल्लाह उसकी दुआ क़बूल न करेगा जिसका दिल (दुआ के वक़्त) अल्लाह से ग़ाफ़िल और बेपरवाह हो।

(मआरिफ़ुलहदीस जिल्द–5 सफ़्हा–123, बहवाला जामेअ़ तिरमिज़ी व सहीह बुख़ारी व मुस्लिम)

आप (स.अ.व.) ने फ़रमाया हमारी दुआऐं उस वक़्त क़ाबिले कबूल होती हैं जब तक जल्दबाज़ी से काम न लिया जाए और जल्द बाज़ी ये है कि बंदा ये कहने लगे कि मैंने दुआ की थी मगर क़बूल ही नहीं हुई है।

(मआरिफ़ुलहदीस जिल्द–5 सफ़्हा–125)

दुआ का तरीक़ा

आँहज़रत (स.अ.व.) का फ़रमान हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास (रज़ि.) नक़्ल करते हैं कि आप (स.अ.व.) ने

फ़रमाया— अल्लाह से इस तरह हाथ उठा कर मांगा करो कि हथेलियों का रुख़ सामने हो, हाथ उलटे कर के न मांगा करो। और जब दुआ कर चुको तो उठे हुए हाथ चेहरे पर फेर लो।

आँहज़रत (स.अ.व.) का दस्तूर था कि जब आप (स.अ.व.) हाथ उठा कर दुआ मांगते तो आख़िर में अपने हाथ चेहरए मुबारक पर फेर लेते थे।

(मआरिफ़लहीदस जिल्द—5 सफ़्हा—131)

दुआ में हाथ कहां तक बुलंद करें?

एक शख़्स को दुआ में सीना से ऊपर हाथ उठाता हुआ देख कर हज़रत इब्न उमर (रज़ि.) ने बिदअ़त होने का फ़तवा दिया। दलील में फ़रमाया कि आँहज़रत (स.अ.व.) को दुआ के वक़्त सिवाए किसी ख़ास मौक़ा पर सीने से ऊपर तक उठाते नहीं देखा। इससे मालूम हुआ कि हाथ को बिला वजह बाज़ हज़रात सीने से ऊंचा कर लेते हैं, ये ख़िलाफ़े सुन्नत है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द—1 सफ़्हा—306, बहवाला मिश्कात शरीफ़ सफ़्हा—196)

दुआ के बाद आमीन कहना

हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि एक रात हम रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के साथ बाहर निकले, हमारा गुज़र अल्लाह के एक नेक बंदा पर हुआ जो बड़ी इल्तिजा के साथ अल्लाह से दुआ मांग रहा था। आँहज़रत (स.अ.व.) खड़े हो कर उसकी दुआ और अल्लाह के हुज़ूर में उसका मांगना, गिड़गिड़ाना सुनने लगे, फिर आप (स.अ.व.) ने हम लोगों से फ़रमाया अगर उसने दुआस का ख़ात्मा सही किया और मुहर ठीक लगाई तो जो उसने मांगा उसका

फ़ैसला करा लिया। हम में से एक ने पूछा हुज़ूर सही ख़ात्मा का और मुहर लगाने का तरीक़ा क्या है? आप (स.अ.व.) ने फ़रमाया आख़िर में आमीन कह कर दुआ ख़त्म करे (तो अगर उसने ऐसा किया तो बस अल्लाह से तय करा लिया)। (मआरिफ़ुल हदीस जिल्द–5 सफ़्हा–133)

दुआ के बाद मुंह पर हाथ फेरना कैसा है?

सवालः दुआ ख़त्म करने के बाद हाथ मुंह पर फेरते हैं। मुंह पर हाथ फेरने की क्या वजह है?

जवाबः दुआ के ख़त्म के बाद मुंह पर हाथ फेर लेना दुरुस्त और साबित है और हुसूले बरकत के लिए ये फ़ेल किया जाता है। (फ़तावा रशीदिया कामिल सफ़्हा–210)

माहे रमज़ान में मस्जिद को सजाना

सवालः रमज़ानुलमुबारक में शब को ज़रूरत से ज़ाएद चराग़ वग़ैरा से रौशनी करते हैं और उसको ज़्यादा सवाब का काम समझते हैं। इसका क्या हुक्म है?

जवाबः रमज़ानुलमुबारक में तरावीह के वक़्त नमाज़ी हमेशा से ज़ाएद होते हैं, उनकी राहत व सहूलत के लिहाज़ से हस्बे ज़रूरत रौशनी में कुछ इज़ाफ़ा किया जाए तो जाइज़ और मुस्तहब है। हाँ सिर्फ़ मस्जिद की रौनक़ अफ़ज़ाई के लिए हद से ज़ायद रौशनी करना नाजाइज़ और सख़्त मना है कि इसमें फ़ुज़ूल ख़र्ची के साथ साथ दीवाली (हिन्दुस्तानी तेवहार) से मुशाबहत होती है। और मजूसियों के शिआर का इज़हार और उसकी ताईद लाज़िम आती है। मस्जिद तमाशागाह बन जाती है। ख़िलाफ़े शरअ़ उमूर से मस्जिद की रौनक़ नहीं बढ़ती, बल्कि बेहुरमती होती है। मस्जिद की ज़ीनत और

रौनक़ उसकी सफ़ाई, ख़ुशबू, नीज़ नमाज़ियों की ज़्यादती, अच्छी पौशाक पहन कर, ख़ुशबू लगा कर, ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ से नमाज़ पढ़ने और बाअदब बैठने में है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–2 सफ़्हा–160)

ख़त्मे कुरआन की शब में हाफ़िज़ को हार पहनाना

सवालः हमारी मस्जिद में जिस रात तरावीह में ख़त्म होता है उसी रात हाफ़िज़ साहब की इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए फूलों का हार पहनाया जाता है, ये फ़ेल कैसा है क्या इसका किसी किताब से सुबूत है? मैं हाफ़िज़ हूं और इमसाल मैंने तरावीह पढ़ाई है और एतेकाफ़ भी किया है मुझे ये पसंद नहीं है, क्या मैं ये कह दूं कि हार पहनने से मेरा एतेकाफ़ फ़ासिद हो जाएगा। इस तरह झूटी बात कह कर हार पहनने से इनकार कर सकता हूं या नहीं?

जवाबः ख़त्मे कुरआन की शब में हाफ़िज़ को फूलों का हार पहनाया जाता है, ये रिवाज बुरा और क़ाबिले तर्क है, और इसमें इस्राफ़ भी है अगर, हाफ़िज़ की इज़्ज़त अफ़ज़ाई मक़सूद है तो उनको अरबी रूमाल या शाल क्यों नहीं पहनाते? आप हार पहनना नहीं चाहते तो उसके लिए झूट बोलने की इजाज़त नहीं, बल्कि साफ़ साफ़ कह दिया जाए कि हमें ये रिवाज पसंद नहीं है और ये ख़िलाफ़े शरअ़ है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–426)

तरावीह ख़त्म होने पर मिठाई तक़सीम करना

सवालः (1) रमज़ानुलमुबारक में तरावीह ख़त्म होने पर शीरीनी तक़सीम करना कैसा है?

(2) क्या शीरीनी सिर्फ़ एक ही तरफ़ से होनी चाहिए

और मिठाई मस्जिद में तक़्सीम कर सकते हैं?

जवाब: मिठाई तक़्सीम करना ज़रूरी नहीं है, लोगों ने इसे ज़रूरी समझ लिया है और बड़ी पाबंदी के साथ अमल किया जाता है। लोगों को चंदा देने पर मजबूर किया जाता है। मसिज्दों में बच्चों का इज्तिमा और शोर व गुल वग़ैरा ख़राबियों के पेशे नज़र इस दस्तूर को मौकूफ़ कर देना ही बेहतर है। इमामे तरावीह या और कोई ख़त्मे कुरआन की ख़ुशी में कभी कभी शीरीनी तक़्सीम करे और मस्जिद की हुरमत का लिहाज़ा रखा जाए तो दुरुस्त है। मस्जिद का फ़र्श ख़राब न हो, खुश्क चीज़ हो और मस्जिद की बेहुरमती लाज़िम न आए तो दुरुस्त है। बेहतर ये हे कि दरवाज़े पर तक़्सीम किया जाए।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–389)

ग्यारहवाँ बाब

इशा की नमाज़ के मसाइल

अगर किसी ने बग़ैर वुज़ू इशा की नमाज़ पढ़ी

अगर किसी शख़्स ने इशा की नमाज़ बग़ैर वुज़ू के पढ़ी थी और तरावीह और वित्र वुज़ू से पढ़े तो इशा के साथ तरावीह का इआदा कर ले, और वित्र का इआदा न करे इसलिए कि तरावीह इशा के ताबेअ़ है। इमाम आज़म (रह.) के नज़दीक वित्र अपने वक़्त में इशा के ताबेअ़ नहीं है और इशा की नमाज़ का उस पर मुक़द्दम करना तरतीब की वजह से वाजिब है और भूलने के उज़्र से तरतीब साक़ित हो जाती है। पस अगर भूल कर वित्र इशा से पहले पढ़ ले तो सही हो जाएंगे और तरावीह अगर इशा से पहले पढ़ी तो सही न होगी इसलिए कि तरावीह का वक़्त इशा के अदा होने के बाद है, पस जो इशा से पहले अदा किया उसका एतेबार नहीं होगा।

(तर्जुमा फ़तावा आलमगीरी हिन्दिया जिल्द–1 सफ़हा–185)

इशा के फ़र्ज़ बेवज़ू पढ़े और सुन्नत व वित्र बावज़ू तो क्या सुन्नतों का इआदा करे?

सवालः अगर इशा के फ़र्ज़ भूल कर बेवुज़ू पढ़ लिए और सुन्नत और वित्र बावुज़ू और वक़्त के अन्दर अन्दर याद आ जाएं तो फ़रज़ों के साथ सुन्नतों का इआदा

करना चाहिए न वित्र का, इमाम साहब के नज़दीक और साहिबैन (इमाम मुहम्मद व इमाम अबू यूसुफ़) के नज़दीक वित्र का भी इआदा करेगा इसकी क्या वजह है?

जवाब: ये मस्अला वक़्त के अन्दर पढ़ने का है और वजह सुन्नतों के लौटाने की और वित्र को न लौटाने की इमाम साहब अबूहनीफ़ा (रह.) के नज़दीक ये है कि इशा के फ़र्ज़ न हुए तो फ़र्ज़ के इआदा के साथ सुन्नतों का भी इआदा करे, क्योंकि सुन्नतें फ़र्ज़ के ताबेअ़ हैं। और वित्र चूंकि मुस्तक़िल वाजिब है और वह वुज़ू से हुए लिहाज़ा उसके इआदा की ज़रूरत नहीं है। और साहिबैन चूंकि वित्र को सुन्नत फ़रमाते हैं इसलिए वह फ़र्ज़ के साथ वित्र के इआदा का भी हुक्म करते हैं। और सूरत इस मस्अला की ये है कि नमाज़ के बाद वक़्त के अन्दर याद आ गया और अगर वक़्त गुज़र जाने के बाद याद आया तो सिर्फ़ इशा के फ़र्ज़ पढ़ ले।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–64, बहवाला हिदाया बाब क़जाउलफ़वाइत जिल्द–1 सफ़्हा–139)

बिला ज़रूरत लुक़्मा देना

सवालः इमाम तीसरी रकअ़त के बाद चौथी रकअ़त के लिए खड़ा हुआ, एक मुक़्तदी ने ये ख़्याल करते हुए कि चार रकअ़तें हो गईं हैं "سبحان الله" कह कर इमाम को बिठाना चाहा, मगर चूंकि इमाम को यक़ीन था इसलिए उसने मुक़्तदी की बात की तरफ़ तवज्जोह न की और चौथी रकअ़त पढ़ कर नमाज़ पूरी की। इस सूरत में उस मुक़्तदी की जिसने बिला ज़रूरत लुक़्मा दिया नमाज़ हुई या नहीं?

जवाबः सूरते मस्ऊला में "سبحان الله" कहना इमाम को बतलाने की वजह से है और ख़ुद कलामे नास नहीं है, लिहाज़ा इमाम व मुक़्तदी दोनों की नमाज़ सही हो गई।

(इमदादुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–452)

कोई नफ़्ल की नीयत से इशा की नमाज़ पढ़ कर जमाअ़त में शामिल हुआ

सवालः अगर कोई शख़्स इशा की नमाज़ अदा कर चुका, फिर जमाअ़त होते देखी तो उसमें शामिल हो गया अब वह सुन्नत या वित्र लौटाए या नहीं?

जवाबः सुन्नत और वित्र न पढ़े, चूंकि वह पहले अदा कर चुका है और ये नफ़्ल के हुक्म में है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–320)

इशा की नमाज़ की सिर्फ़ एक रकअ़त मिली तो बक़िया किस तरह पूरी करे?

सवालः तीन रकअ़त पूरी हो जाने के बाद एक शख़्स इमाम के पीछे नमाज़ में शामिल हुआ, वह इमाम के सलाम के बाद बक़िया नमाज़ किस तरह पूरी करे? यानी किस किस रकअ़त में सुरए फ़ातिहा के बाद सूरत मिलाएगा और किस रकअ़त पर क़अ़दा करेगा?

जवाबः इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़े हो कर सना पढ़े और फिर अऊज़ और बिस्मिल्लाह पढ़ कर सूरए फ़ातिहा और सूरत पढ़े और रुकूअ़ सज्दा कर के क़अ़दा करे, दूसरी रकअ़त में भी सूरए फ़ातिहा और सूरत पढ़े मगर उस रकअ़त के बाद क़अ़दा न करे और तीसरी रकअ़त में सिर्फ़ सूरए फ़ातिहा पढ़े और फिर दस्तूर के

मवाफ़िक़ क़अदए अख़ीरा कर के नमाज़ पूरी करे।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–344)

तीन रकअ़त पढ़ कर सज्दए सह्व कर लिया तो क्या नमाज़ हो गई?

सवाल: इमाम साहब इशा की नमाज़ में तीन रकअ़त पर सह्वन बैठ गए, इस ख़्याल से कि चार पूरी हो गईं लेकिन उनको फ़ौरन यक़ीन हो गया कि तीन रकअ़त हुई हैं उन्होंने अत्तहीयात को पूरा कर के सज्दए सह्व किया और तीन ही रकअ़त पर सलाम फेर दिया, नमाज़ हो गई या नहीं? अगर किसी ने अपनी नमाज़ दुहराई तो अच्छा हुआ या नहीं?

जवाब: (1) इस हालत में नमाज़ नहीं हुई।

(2) नमाज़ का दुहराना सब पर ज़रूरी है जिसने तन्हा दुहराई उसकी नमाज़ सही हो गई।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–61, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–693 बाब सजुदुस्सह्व, बाबुलइमात)

इशा की तीसरी रकअ़त पर सह्वन बैठना

सवाल: इमाम साहब इशा की तीसरी रकअ़त पर सह्वन बैठ गए, मुक़्तदी के अलहम्दुल्लिाह कहने पर फ़ौरन खड़े हो गए और बैठने में शक की वजह से और अलहम्दुल्लिाह कहने की वजह से कुछ नहीं पढ़ा था बाद में सज्दए सह्व नहीं किया नमाज़ हो गई या नहीं?

जवाब: अगर बैठना बहुत ही कम हुआ, देर तक नहीं बैठा तो सज्दए सह्व वाजिब नहीं था नमाज़ हो गई।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–414)

इशा की तीन रकअ़त पर सलाम फेरने के बाद एक रकअ़त और मिला ली

सवालः इमाम साहब तीन रकअ़त पढ़ कर सह्वन सलाम फेर कर क़िब्ला रुख़ बैठे रहे। मुक़्तदियों में तज़किरा हुआ कि तीन रकअ़त हुई, ये सुन कर इमाम साहब अल्लाहुअकबर कह कर खड़े हो गए और चौथी रकअ़त पूरी कर के सज्दए सह्व कर के सलाम फेरा, क्या नमाज़ इमाम साहब और मुक़्तदियों की हुई या नहीं?

जवाबः अगर इमाम साहब कुछ नहीं बोले थे तो उनकी नमाज़ हो गई और मुक़्तदियों में जो नहीं बोले उनकी भी नमाज़ हो गई और जो मुक़्तदी बोले उनकी नमाज़ नहीं हुई वह अपनी अपनी नमाज़ का इआ़दा कर लें।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–410, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–691)

अगर इमाम भूल कर पहली या तीसरी रकअ़त में बैठ गया, पीछे से किसी मुक़्तदी ने लुक़्मा दिया या ख़ुद ही याद आया तो इमाम को खड़े होते वक़्त तकबीर कहते हुए खड़ा होना चाहिए। (मसाइले सज्दए सह्व सफ़्हा–71, बहवाला कबीरी सफ़्हा–313)

जो पाँचवीं रकअ़त में शामिल हो उसकी नमाज़ हुई या नहीं?

सवालः इमाम साहब पाँचवीं रकअ़त में खड़े हो गए और छः रकअ़त पूरी कर के सज्दए सह्व कर के सलाम फेर दिया। पाँचवीं रकअ़त में एक आदमी और शरीक हो गया तो उसकी नमाज़ हुई या नहीं?

जवाबः इमाम अगर चौथी रकअ़त में बक़द्रे तशह्हुद

बैठ कर सह्वन खड़ा हो गया और पाँचवीं रकअ़त का सज्दा भी कर लिया तो छटी रकअ़त और मिला ले और सज्दए सह्व करे, फ़र्ज़ उसके पूरे हो गए। अगर कोई शख़्स पाँचवीं या छटी रकअ़त में उस इमाम का मुक़्तदी हुआ तो भुक़्तदी की नमाज़ न होगी, क्योंकि इममा की वह दो रकअ़त नफ़्ल है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–411, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–701, बाब सुजूदुस्सह्व)

इशा की पाँच रकअ़त पढ़ने का क्या हुक्म है?

सवालः इशा की नमाज़ में चार रकअ़त होने पर इमाम साहब को ये ख़्याल रहा कि तीन रकअ़त हुई हैं इसलिए खड़े हो गए, बाज़ मुक़्तदी बैठ गए और इमाम साहब को इशारा किया मगर इमाम साहब नहीं बैठे, बल्कि पाँचवीं रकअ़त का रुकूअ़ सज्दा कर के और सज्दए सह्व कर के नमाज़ ख़त्म की इस सूरत में इमाम साहब की नमाज़ हुई या नहीं और जो मुक़्तदी क़अ़दए अख़ीरा की ग़रज़ से औवल बैठ गए थे और फिर इमाम साहब के साथ पाँचवीं रकअ़त के रुकूअ़ में शामिल हो गए उनकी भी नमाज़ हो गई या नहीं?

जवाबः इमाम साहब जब कि चौथी रकअ़त में न बैठे और पाँचवीं रकअ़त में खड़े हो कर सज्दा कर के बैठे तो क़अ़दए अख़ीरा के फ़ौत हो जाने की वजह से इमाम साहब की नमाज़ नहीं हुई, जब इमाम साहब की नमाज़ नहीं हुई तो मुक़्तदियों में से किसी की नमाज़ नहीं हुई न मस्बूक़ की न मुदरिक की। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–405, बहवाला हिदाया बाब सज्दुस्सजूद जिल्द–1

सफ़्हा—142)

इमाम अगर भूल कर दो रकअ़त पर सलाम फेर दे?

सवाल: इमाम ने पहले क़अ़दा में भूल कर दोनों तरफ़ सलाम फेर दिया तो अब बाक़ी नमाज़ पढ़ सकता है या नहीं और दोनों सलाम फेरने से नमाज़ हो जाती है या नहीं?

जवाब: सह्वन दोनों तरफ़ सलाम फेर देने से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती, बाक़ी रकअ़त पढ़ कर आख़िर में सज्दए सह्व करे। नमाज़ सही हो जाऐगी।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द—4 सफ़्हा—412, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द—1 सफ़्हा—575)

इशा की नमाज़ में क़िराअत अगर आहिस्ता करे तो उसका क्या हुक्म है?

सवाल: इमाम साहब ने जेह्री नमाज़ में क़िराअत आहिस्ता की, बाद में इमाम साहब को याद आया कि नमाज़ जेह्री है, वह थोड़ी सी क़िराअत कर चुके थे उन्होंने फिर शुरू से ही पढ़ा तो उनकी नमाज़ हो गई या नहीं? सज्दए सह्व करें या नहीं? और अगर सज्दए सह्व भी नहीं किया तो नमाज़ हो गई या नहीं?

जवाब: उनकी नमाज़ हो गई, लौटाने की ज़रूरत नहीं और बक़द्रे तीन आयत के अगर आहिस्ता पढ़ी थी तो सज्दए सह्व लाज़िम है, वरना नहीं। और बावजूद सज्दा के अगर सज्दए सह्व न किया तो नमाज़ में नुक़सान आया लौटाना वाजिब है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द—4 सफ़्हा—208)

इशा की आख़िरी रकअ़तों में जेह्र करने से सज्दए सह्व

सवाल: अगर इमाम इशा की आख़िरी रकअ़तों में

क़िराअत ज़ोर से कर ले तो सज्दए सह्व वाजिब है या नहीं?

जवाबः इस सूरत में सज्दए सह्व लाज़िम होगा जैसा कि शामी में लिखा है कि इशा की आख़िरी दो रकअ़तों में अगरचे क़िराअत वाजिब नहीं लेकिन अगर क़िराअत करे तो आहिस्ता पढ़ना लाज़िम है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–389, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–497, फ़स्ल फ़िलक़िरात)

इशा की क़ज़ा में क़िराअत कैसे करे?

सवालः इशा की क़ज़ा में ज़ोर से क़िराअत कर सकता है या नहीं?

जवाबः अगर उन्ही औक़ात में क़ज़ा करे तो ज़ोर से पढ़ सकता है, अगर दिन को क़ज़ा करे तो नहीं कर सकता। (ये हुक्म मुन्फ़रिद के लिए लिखा गया है।)

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–345, बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–497 फ़स्ल फ़िलक़िराअत)

इशा की नमाज़ में क़अ़दए ऊला सह्वन छूट गया फिर खड़े होने के बाद लौटा

सवालः तीन या चार रकअ़त वाली फ़र्ज़ या वाजिब नमाज़ में क़अ़दए ऊला सह्वन छूट जाने और सीधे खड़े हो जाने के बाद क़याम को (जो कि फ़र्ज़ है) तर्क कर के क़अ़दा में (जो कि वाजिब है) बैठे तो नमाज़ फ़ासिद होगी या नहीं?

जवाबः क़अ़दए ऊला छोड़ कर सीधा खड़ा हो जाए या सीधे खड़े होने के क़रीब हो जाए फिर अत्तहीयात पढ़ने के लिए बैठे इससे फ़र्ज़ तर्क कर के वाजिब की तरफ़ लौटना लाज़िम नहीं आता, मगर फ़र्ज़ की अदाएगी

में ताख़ीर लाज़िम आती है जिसका तदारुक सज्दए सह्व से हो जाता है, लिहाज़ा राजेह और हक़ ये है कि नमाज़ फ़ासिद नहीं हुई, सज्दए सह्व करना पड़ेगा, अलबत्ता ऐसा करना नहीं चाहिए। क़स्दन करेगा तो गुनहगार होगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–1 सफ़्हा–159, बहवाला दुर्रेमुख़्तार मआ शामी जिल्द–1 सफ़्हा–697 व फ़तहुलक़दीर जिल्द–1 सफ़्हा–445)

इशा तन्हा पढ़ने के बाद जमाअ़त में शामिल हुआ तो क्या जमाअ़त वाली चार रकअ़त तरावीह में शुमार हो जाएंगी

सवालः रमज़ान में एक बीमार आदमी ने घर पर इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर कुछ हिम्मत हुई तो मस्जिद में गया, जमाअ़त हो रही थी वह तरावीह की नीयत से इशा की जमाअ़त में शामिल हुआ, तो ये चार रकअ़त तरावीह में शुमार होंगी या नहीं?

(2) नीज़ क्या जमाअ़त वाली नमाज़ क़ज़ा में शुमार की जा सकेगी? अगर क़ज़ा की नीयत से शामिल हो तो वह सही है या नहीं?

जवाबः सही ये है कि तरावीह में शुमार नहीं होगी क्योंकि तरावीह का दर्जा अगरचे फ़र्ज़ों से कम है मगर वह एक मख़सूस और मुस्तक़िल सुन्नते मुअक्कदा है उसकी ख़ुसूसियत का लिहाज़ ज़रूरी है।

(2) सूरते मस्ऊला में क़ज़ा सही नहीं कि इमाम की नमाज़ वक़्ती अदा है और मुक़्तदी की क़ज़ा है, दोनों की नमाज़ सिफ़त में मुत्तहिद नहीं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–395, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–557 बाबुलइमामत)

अगर मस्बूक़ इमाम के साथ सलाम फेर दे

सवालः जिसकी कुछ रकअत बाक़ी रह गई हों, अगर वह इमाम के साथ सहवन सलाम फेर दे तो सज्दए सह्व लाज़िम होगा या नहीं?

जवाबः इमाम से अगर कुछ भी बाद में सलाम फेरा तो सज्दा मस्बूक़ पर लाज़िम हो जाता है। शामी में है कि इमाम के बिल्कुल साथ साथ सलाम फेरना दुश्वार और शाज़ो नादिर है, इसलिए उमूमन वुजूबे सज्दए सह्व का हुक्म किया जाता है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–399, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–560)

अगर भूल कर इमाम से पहले या बिल्कुल साथ साथ सलाम फेरे तो उस पर सज्दए सह्व लाज़िम नहीं है, लेकिन चूंकि हक़ीक़ी माना में साथ होना दुश्वार है इसलिए सज्दए सह्व वाजिब होने का हुक्म किया जाता है।

(हवाला मज़कूरा बाला)

❑❑❑

बारहवाँ बाब

वित्र का सुबूत और मसाइल

वित्र के फ़ज़ाइल व मसाइल

"عَنْ خَارِجَةَ ابْنِ حُذَافَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَمَدَّكُمْ بِصَلٰوةٍ خَيْرٌلَّكُمْ مِنْ حُمُرِالنَّعَمِ اَلْوِتْرُجَعَلَهُ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلٰى اَنْ يَّطْلَعَ الْفَجْرُ"

(رواه الترمذی و ابوداؤد)

हज़रत ख़ारजा बिन हुज़ाफ़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह (स.अ.व.) (काशानए नुबूवत से) बाहर तशरीफ़ लाए, हम से मुख़ातब हो कर फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने एक और नमाज़ तुम्हें मज़ीद अता फ़रमाई है, वह तुम्हारे लिए सुर्ख़ ऊंटों से भी बेहतर है (जिनको तुम दुनिया की अज़ीज़ तरीन दौलत समझते हो) वह नमाज़े वित्र है, अल्लाह तआ़ला ने उसको तुम्हारे वास्ते नमाज़े इशा के बाद से तुलूए सुब्ह सादिक़ तक मुकर्रर किया है। यानी वह इस वसीअ़ वक़्त के हर हिस्सों में पढ़ी जा सकती है।

मआरिफुल हदीस जिल्द–3 सफ़्हा–327 बहवाला जामेअ़ तिरमिज़ी व सुनन अबूदाऊद।

"عَنْ بُرَيْدَةَ الْاَسْلَمِيْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، اَلْوِتْرُ حَقٌّ

فَمَنْ لَّمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا"

(रवाहु अबूदाऊद)

हज़रत बरीदा असलमी (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (स.अ.व.) से खुद सुना आप (स.अ.व.) ने फ़रमाया नमाज़े वित्र हक़ है, जो वित्र अदा न करे वह हम में से नहीं है, वित्र हक़ है जो वित्र अदा न करे वह हम से नहीं है, वित्र हक़ है जो वित्र अदा न करे वह हम में से नहीं है। ये बात आप (स.अ.व.) ने तीन दफ़ा इरशाद फ़रमाई। (सुनन अबूदाऊद)

तशरीह: ज़ाहिर है कि वित्र के बारे में तशदीद और तहदीद के ये आख़िरी अलफ़ाज़ हैं, इस क़िस्म की हदीसों से हज़रत इमाम अबूहनीफ़ा (रह.) ने ये समझा है कि वित्र सिर्फ़ सुन्नत नहीं है, बल्कि वाजिब है, यानी उसका दर्जा फ़र्ज़ से कम और मुअक्कदा सुन्नतों से ज़्यादा है।

(मआरिफ़ुल हदीस जिल्द–3 सफ़हा–328)

वित्र वाजिब है और उसका तरीक़ा

वित्र वाजिब है और उसकी तीन रकअतें हैं एक सलाम से और वित्र की हर रकअत में फ़ातिहा और सूरत पढ़े। वित्र की पहली दो रकअतों के आख़िर में बैठ जाए और सिर्फ़ अत्तहीयात पढ़े और तीसरी रकअत के लिए खड़े होने के वक़्त "سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ" न पढ़े और जब तीसरी रकअत में सूरत के पढ़ने से फ़ारिग़ हो जाए तो दोनों हाथों को कानों के बराबर उठाए और रुकूअ से पहले दुआए कुनूत पढ़े, फिर रुकूअ कर के नमाज़ पूरी कर ले।

(नूरुलईज़ाह सफ़्हा–93)

वित्र की नमाज़ तीन रकअत मिस्ले मग़रिब के है

इसमें क़अदए ऊला वाजिब है, लिहाजा अगर वित्र की नमाज़ में क़अदए ऊला तर्क कर दिया तो सज्दए सह्व वाजिब होगा। (मसाइले सज्दए सह्व सफ़्हा–69, बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़्हा–623)

वित्र की इमामत

सवालः क्या वित्र की नमाज़ का इमाम फ़र्ज़ नमाज़ के इमाम के अलावा हो सकता है?

जवाबः वित्र की जमाअत का इमाम फ़र्ज़ नमाज़ के इमाम के अलावा हो सकता है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–158)

ये जो मशहूर है कि जो शख़्स फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ाए वही वित्र पढ़ाए, अगर दूसरा शख़्स वित्र पढ़ाए तो जाइज़ नहीं, ये ग़लत है दूसरा शख़्स वित्र पढ़ा सकता है दुरुस्त है। (फ़तावा रशीदिया कामिल सफ़्हा–328)

अगर इमाम का मस्लक रुकूअ़ के बाद कुनूत पढ़ने का हो तो मुक़्तदी किया करे?

अगर वित्र किसी ऐसे शख़्स के पीछे पढ़े जो रुकूअ़ के बाद खड़े हो कर कुनूत पढ़ता है और मुक़्तदी का मज़हब ये नहीं हो तो मुक़्तदी उसमें इमाम की मुताबअ़त करे। (तर्जुमा फ़तावा आलमगीरी हिन्दीया जिल्द–1 सफ़्हा–178)

अगर रमज़ान शरीफ़ में तमाम लोगों ने तरावीह को तर्क कर दिया तो वित्र कैसे पढ़ें?

सवालः रमज़ान शरीफ़ में अगर इशा की नमाज़ जमाअ़त के साथ पढ़ी और तरावीह को तमाम आदमियों ने बिल्कुल तर्क कर दिया तो इस सूरत में वित्र बाजमाअ़त जाइज़ है या नहीं?

जवाबः दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–471 की इबारत से मालूम होता है कि लोगों का ये गिरोह वित्र भी अलाहिदा अलाहिदा पढ़े। (इमदादुलफ़तावा सफ़्हा–456)

फ़र्ज़ जमाअ़त से नहीं पढ़े तो क्या वित्र जमाअ़त से पढ़ सकता है?

सवालः एक शख़्स ने फ़र्ज़ अलाहिदा पढ़ी और तरावीह की तमाम या अक्सर रकआ़त इमाम के साथ अदा कीं या बिल्कुल न पढ़ीं, तीनों सूरतों में वित्र की जमाअ़त में शरीक हो सकता है या नहीं?

जवाबः तीनों सूरतों में वित्र की जमाअ़त में शरीक हो सकता है। तरावीह इमाम के साथ कुल या बाज़ न पढ़ने की सूरत में भी जमाअ़ते वित्र में शरीक होने का जवाज़ दुर्रेमुख़्तार में मज़कूर है, क्योंकि वित्र मुस्तकि़ल नमाज़ है न इशा के ताबेअ़ है न तरावीह के। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–155)

इमाम सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ाए और हाफ़िज़ तरावीह व वित्र

सवालः इमाम साहब अगर इशा के फ़र्ज़ और वित्र पढ़ाऐं या सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ाऐं और हाफ़िज़ साहब तरावीह और वित्र पढ़ाऐं तो क्या हुक्म है?

जवाबः इसमें मुज़ाएक़ा नहीं। हज़रत उमर (रज़ि.) फ़र्ज़ नमाज़ और वित्र पढ़ाते थे और हज़रत उबैय बिन कअ़ब (रज़ि.) तरावीह पढ़ाते थे। इसी तरह से इमाम सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ाए और हाफ़िज़ साहब तरावीह और वित्र पढ़ाऐं तो इसमें भी कोई हरज नहीं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–394, बहवाला आलमगीरी जिल्द–1 सफ़्हा–74)

रमज़ान के बाद वित्र की जमाअत दुरुस्त है या नहीं?

सवालः रमज़ान के अलावा वित्र बाजमाअत पढ़ी जाए तो कराहते तहरीमी होगी या तंज़ीही इसमें तदाई (बुलाना) और ग़ैर तदाई (न–बुलाना) में फ़र्क़ होगा या नहीं?

जवाबः इत्तिफ़ाक़न कभी ऐसा हो जाए तो कराहते तंज़ीही है और अगर मुवाज़बत (हमेशगी व पाबंदी) इस पर की जाए तो कराहते तहरीमी है। तदाई के साथ हो या बिला तदाई।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–223, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–663, बाबुलवित्र व नवाफ़िल)

रमज़ान के अलावा अगर इत्तिफ़ाक़िया तौर पर एक या दो आदमी पीछे खड़े हो जाऐं तो कराहत नहीं है लेकिन अगर बाक़ाएदा दावत दे कर जमाअत की या इत्तिफ़ाक़िया तौर पर ही दो से ज़्यादा मुक़्तदी हो गए तो मकरूह है। (अशरफ़ुलईज़ाह शरह नूरुलईज़ाह सफ़्हा–147)

रमज़ान में वित्र बाजमाअत अफ़ज़ल है

रमज़ानुलमुबारक में वित्र बाजमाअत अदा करना अफ़ज़ल है और इस पर तमाम मुसलमानों का इजमाअ है इसके अलावा में नहीं, क्योंकि वह एक तरह से नफ़्ल है और तरावीह के अलावा नफ़्ल की जमाअत नहीं बल्कि मकरूह है, लिहाज़ा एहतियात जमाअत न करने में है, अलबत्ता अगर नफ़्ल में एक या दो की जमाअत हो तो कोई मुज़ाएक़ा नहीं है। (अशरफ़ुलईज़ाह शरह नूरुलईज़ाह सफ़्हा–147)

तहज्जुद गुज़ार फ़र्ज़ के साथ वित्र पढ़ सकते हैं या नहीं?

सवालः जो नमाज़ी तहज्जुद गुज़ार हैं वह तहज्जुद के वक़्त वित्र अदा करते हैं, अगर वित्र पहले ही इशा के

वक़्त पढ़ लें तो इसमें हरज है या नहीं? अक्सर आदमी कहते हैं कि वित्र के बाद सुब्ह तक कोई नमाज़ नहीं होती?

जवाबः इसमें कुछ हरज नहीं है कि जो लोग तहज्जुद गुज़ार हैं वह भी वित्र को इशा के बाद पढ़ लें, बल्कि ये अह्वत है (ज़्यादा एहतियात इसी में है) फिर अगर उठें तो तहज्जुद पढ़ लें।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–165, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–342 किताबुस्सलात)

ये बात ग़लत है कि वित्र के बाद फिर नफ़्लें न पढ़ी जाऐं, वित्र रमज़ान में जमाअ़त से पढ़े जाऐं, क्योंकि जमाअ़त की फ़ज़ीलत ज़्यादा मुह्तमबिश्शान है वक़्त की फ़ज़ीलत से। (इमदादुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–455)

कुछ तरावीह छूट जाने पर पहले तरावीह पूरी करे या वित्र?

सवालः तरावीह की चार रकअ़त होने के बाद एक शख़्स आया और फ़र्ज़ पढ़ कर इमाम के साथ जमाअ़ते तरावीह में शामिल हो गया। जब इमाम की तरावीह पूरी हो जाऐं तो वह शख़्स इमाम के साथ वित्र की जमाअ़त में शामिल हो या अपनी बक़िया तरावीह पूरी करे?

जवाबः आलमगीरी में है कि ये शख़्स वित्र की जमाअ़त में शरीक हो जाए और बाद में बक़िया तरावीह पूरी कर ले। (इमदादुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–496)

वित्र पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि तरावीह की दो रकअ़त वाजिबुलइआ़दा हैं

सवालः रमज़ानुलमुबारक में तरावीह की बीस रकअ़त अदा होने और वित्र पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि तरावीह

की दो रकअ़त में ग़लती होने की वजह से वाजिबुलइआ़दा हैं, दो रकअ़त दुहराई गईं। इस ख़्याल से कि वित्र की नमाज़ तरावीह की बीस रकअ़त के बाद ही पढ़ी जा सकती है। लिहाज़ा वित्र की नमाज़ सही और मोतबर नहीं हुई। इसलिए वित्र दोबारा जमाअ़त से पढ़ी तो ये ठीक हूआ या नहीं?

जवाब: पहले पढ़ी हुई नमाज़े वित्र सही और मोतबर थी, दुहराने की ज़रूरत न थी, दुहराई तो ठीक नहीं हुआ। नूरुलईज़ाह से मालूम होता है कि वित्र को तरावीह से पहले पढ़ना भी सही है और बाद में भी पढ़ना सही है। लिहाज़ा तरावीह की बीस रकअ़त से पहले पढ़े हुए वित्र मोतबर और सही हैं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–157)

वित्र की नीयत

सवाल: वित्र की नीयत में वाजिबुल्लैल कहना कैसा है?

जवाब: वित्र की नीयत में ये कहना चाहिए कि नीयत करता हूं मैं नमाज़े वित्र की। और अगर वाजिबुल्लैल भी कह दिया तो कुछ हरज नहीं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–160, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–389, बाब शुरूतुस्सलात)

हनफ़ी के लिए वित्र की नीयत में लफ़्ज़ वाजिब कहना मुनासिब है लेकिन ज़रूरी नहीं है अलबत्ता ये तअय्युन ज़रूरी है कि ये वित्र है।

(हाशिया इमदादुल फ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–457)

वित्र को वाजिब कहना चाहिए या नहीं

सवाल: वित्र अदा करते वक़्त वित्र को वाजिब कहना

चाहिए या नहीं, बाज़ मौलवी मना करते हैं, यानी वाजिब न कहना चाहिए?

जवाबः वित्र को वाजिब कहना चाहिए। वित्र इमाम आज़म (रह.) के नज़दीक वाजिब है, लिहाज़ा वित्र अदा करते वक़्त वाजिब का लफ़्ज़ कहने में कुछ हरज नहीं है। और अगर न कहा जाए तब भी वित्र अदा हो जाएगी।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–163, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–388, बाब शुरूतुस्सलात)

वित्र पढ़े मगर नीयत सुन्नत की, की

सवालः तरावीह के बाद जब वित्र पढ़ने के लिए खड़े हुए तो एक शख़्स ने भूल कर सुन्नत की नीयत कर के वित्र पढ़े मगर दुआए कुनूत के वक़्त उसको वित्र का ख़्याल आया। इस सूरत में हो गए या नहीं?

जवाबः उसके वित्र हो गए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–152, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–387, 388 बाब शुरूतुस्सलात)

तरावीह समझ कर वित्र में इक़्तिदा करना

सवालः इमाम के वित्र शुरू करने के बाद एक नमाज़ी ने तरावीह समझ कर उसकी इक़्तिदा की अब उसके वित्र होंगे या नहीं?

जवाबः सूरते मस्ऊला में इमाम के सलाम फेरने के बाद चौथी रकअ़त शामिल कर के नमाज़ को तमाम करे और ये चार रकअ़त नफ़्ल हो जाएंगी और वित्र उसके जिम्मा बाक़ी रहेंगे उनको अदा करना होगा।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–353, बहवाला सफ़्हा–211)

वित्र की नमाज़ में तरावीह की नीयत करना

सवालः तरावीह की भूल से दो रकअ़त रह गई और नमाज़े वित्र शुरू कर दी, क़अ़दए ऊला में तरावीह की छूटी हुई रकअ़त याद आई अब तरावीह की नीयत कर के दो रकअ़त पर सलाम फेरे तो क्या हुक्म है?

जवाबः ये दो रकअ़त नमाज़े तरावीह में शुमार न की जाऐंगी। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–347, बहवाला क़ाज़ी ख़ाँ सफ़्हा–243)

वित्र पढ़ने वाले के पीछे तरावीह पढ़ने वाला

सवालः हाफ़िज़ साहब ने ग़लती से सोला रकअ़त तरावीह के बाद वित्र शुरू कर दिए, मुक़्तदी तरावीह की नीयत से शामिल थे। सलाम के बाद मुक़्तदियों ने कहा कि हाफ़िज़ साहब से भूल हुई, उन्होंने बक़िया चार रकअ़त तरावीह पढ़ाई। दरयाफ़्त तलब ये है कि वित्र हुए या नहीं? हाफ़िज़ कहते हैं कि वित्र एहतियातन लौटा लो इस सूरत में पहले वित्र मोतबर ने थे, दोबारा हाफ़िज़ साहब ने वित्र पढ़ाए।

जवाबः सूरते मस्ऊला में हाफ़िज़ साहब की पहली वित्र की नमाज़ मोतबर है, मगर मुक़्तदियों की न पहली नमाज़े वित्र मोतबर और न दूसरी, क्योंकि पहली मरतबा नमाज़े वित्र की नीयत न थी और दूसरी मरतबा में अगरचे नीयत वित्र की थी, मगर वित्र पढ़े हुए की इक़्तिदा की गई इसलिए ये भी मोतबर नहीं है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–346)

वित्र में रुकूअ़ से पहले रफ़ए यदैन और दुआ़ए क़ुनूत का सुबूत

सवालः हमारे यहां चंद अश्ख़ास ग़ैर मुक़ल्लिद हैं वह

वित्र की रकअ़त तो तीन ही पढ़ते हैं मगर कुनूत रुकूअ़ के बाद पढ़ते हैं। एक उनमें मामूली इल्म वाला है वह कहता है कि अगर हदीस से ये साबित कर दो कि आँहज़रत (स.अ.व.) रुकूअ़ से पहले हाथ उठा कर फिर कुनूत पढ़ते थे तो हम मानने को तैयार हैं, हदीस से ये साबित नहीं है। आप एक हदीस इस अम्र के सुबूत के लिए फ़रमा दें।

जवाब:

(۱) اَخرج ابونعیم فی الحلیۃ عطاء بن مسلم ثنا علاء بن المسیّب عن حبیب بن ابی ثابت عن ابن عباس قال اَوْتَرَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ بِثَلٰثٍ قنت فیھا قَبْلَ الرُّکُوْعِ (۲) عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِیَّ صَلّٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کَانَ یُوْتِرُ بِثَلٰثِ رَکَعَاتٍ وَیَجْعَلُ الْقُنُوْتَ قَبْلَ الرُّکُوْعِ.

(۳) وَقَدْرُوِیَ عَنِ ابْنِ عُمَرؓ کَانَ اِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَۃِ کَبَّرَ وفی الذخیرۃِ رَفَعَ یَدَیْہِ حِذاءَ اُذُنَیْہِ وھومروی عن ابن مسعود و ابن عمر و ابن عباس وابی عبیدۃ و اسحٰق و قد تقدم . (کبریٰ شرح منیہ)

इन रिवायात से सराहतन वित्र का तीन होना और कुनूत का रुकूअ़ से पहले होना और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, अब्दुल्लाह इब्न उमर (रज़ि.), अब्दुल्लाह इब्न अब्बास (रज़ि.) वग़ैरहुम से तकबीरे कुनूत के वक़्त हाथ उठाना साबित हो गया।

और ज़ाहिर है कि इन सहाबए किरामे ने रुकूअ़ से पहले कुनूत और तकबीर मआ़ रफ़ए यदैन (दोनों हाथ उठाना) आँहज़रत (स.अ.व.) को देख कर ही क्या है, लिहाज़ा ये हुज्जत काफ़ी है। और अगर लामज़हब लोग इसको न मानें तो उन से कहो कि जो मज़हब अब्दुल्लाह इब्न मसऊद (रज़ि.) व अब्दुल्लाह इब्न उमर (रज़ि.) व

अब्दुल्लाह इब्न अब्बास (रज़ि.) वग़ैरा सहाबा का था वही हमारा है। जिस दलील से ये हज़रात रफ़ए यदैन फ़ी तकबीराते कुनूत। यानी कुनूत के वक़्त तकबीर के लिए हाथ उठाते थे वही हमारी दलील है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–157, बाब मसाइले नमाज़े वित्र, कबीरी शरह मुनया गुनयतुलमुस्तमिली बाबुलवित्र सफ़्हा–396)

दुआए कुनूत में "मुलहिक़" की "हा" को ज़बर देकर पढ़ें या ज़ेर देकर

सवालः दुआए कुनूत में जो लफ़्ज़ "मुलहिक़" है उसकी हा को ज़ेर है या ज़बर?

जवाबः दुआए कुनूत में "मुलहिक़" की हा को ज़बर और ज़ेर दोनों पढ़ा गया है और दोनों जाइज़ हैं, अगरचे मशहूर ज़ेर है और ज़ेर ही बेहतर है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–153, 163, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–624 बाबुलवित्र व नवाफ़िल)

दुआए कुनूत सूरए फ़ातिहा के बाद पढ़ी

अगर कोई शख़्स वित्र की तीसरी रकअ़त में सूरए फ़ातिहा पढ़ कर दुआए कुनूत पढ़ गया और सूरत मिलाना भूल गया फिर रुकूअ़ में पहुंच कर उसको याद आया तो खड़ा हो गया और सूरत मिलाई उसके बाद दुआए कुनूत पढ़ी फिर दोबारा रुकूअ़ किया तो आख़िर में सज्दए सह्व करे। अगर अलहम्दु के बाद कुनूत पढ़ कर रुकूअ़ कर दिया और सूरत छोड़ दी और रुकूअ़ में याद आया तो सर उठाए और सूरत पढ़े और कुनूत और रुकूअ़ का इआ़दा करे और सज्दए सह्व करे। और अगर अलहम्दु छोड़ दी थी तो अलहम्दु के साथ सूरत का भी मआ़

कुनूत के इआदा करे और रुकूअ़ भी दोबारा करे। और अगर दोबारा रुकूअ़ न करे तब भी जाइज़ है।

(तर्जुमा फ़तावा आलमगीरी हिन्दीया जिल्द–1 सफ़्हा–176)

वित्र की तीसरी रकअ़त में तकबीर कहना भूल गया

वित्र की नमाज़ में अगर कोई शख़्स तीसरी रकअ़त में तकबीर कहने के बजाए रुकूअ़ में चला गया, फिर याद आया तो लौट आया और तकबीर कह कर दुआए कुनूत पढ़ी तो बाद में दोबारा रुकूअ़ न करे और नमाज़ पूरी करे। और अगर दुआए कुनूत के लिए नहीं लौटा जब भी नमाज़ दुरुस्त है, दोनों सूरतों में सज्दए सह्व करना वाजिब है। (मसाइले सज्दए सह्व सफ़्हा–72 बहवाला दुर्रेमुख़्तार बरहाशिया जिल्द–1 सफ़्हा–627)

हदीस से दुआए कुनूत साबित है या नहीं

सवालः एक शख़्स कहता है कि दुआए कुनूत हदीस से साबित नहीं है, रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने वित्र में दुआए कुनूत नहीं पढ़ी, ये क़ौल सही है या ग़लत?

जवाबः उस शख़्स का क़ौल ग़लत है। मुरव्वजा दुआए कुनूत तिरमिज़ी की हदीस से साबित है और वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना अहादीस में वारिद है।

(फ़तवा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–162)

दुआए कुनूत के याद होते हुए दुसरी दुआ पढ़ना

सवालः अगर दुआए कुनूत याद हो तो दूसरी दुआ मसलन "रब्बना आतिना" पढ़ सकता है या नहीं?

जवाबः दुआए कुनूत याद हो तो "रब्बना आतिना" वग़ैरा नहीं पढ़ सकता, दुआए कुनूत ही पढ़ना चाहिए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–162, बहवाला

रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–624) बाबुल वित्र व नवाफ़िल)

दुआए कुनूत याद न हो तो क्या पढ़े?

सवालः जिस शख़्स को दुआए कुनूत न आती हो वह "رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً" अख़ीर तक पढ़े और फ़क़ीह अबुल्लैस फ़रमाते हैं कि "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ" तीन बार पढ़े। बाज़ उलमा ने फ़रमाया है कि "يَارَبِّ" तीन बार कहे और चूंकि ये महल दुआ का है लिहाज़ा सूरए इख़्लासा उसके क़ाइम मक़ाम न होगी, मगर नमाज़ हो जाती है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–164, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–624 बाबुलवित्र व नवाफ़िल)

कुनूत अगर रुकूअ़ से पहले पढ़ ले तो रुकूअ़ का इआ़दा न करे

इमाम को रुकूअ़ में याद आया कि कुनूत नहीं पढ़ी तो उसको क़याम की तरफ़ नहीं लौटना चाहिए। और अगर क़याम की तरफ़ लौटा और कुनूत पढ़ी तो रुकूअ़ का इआ़दा नहीं करना चाहिए। और अगर उसने रुकूअ़ का भी इआ़दा कर लिया और जमाअ़त के लोग ने पहले रुकूअ़ में उसकी मुताबअ़त नहीं की थी दूसरे रुकूअ़ में मुताबअ़त की या पहले रुकूअ़ में मुताबअ़त की थी और दूसरे में नहीं की तो उनकी नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी।

(तर्जुमा फ़तावा आलमगीरी हिन्दीया जिल्द–1 सफ़्हा–177)

बग़ैर तकबीर कहे हुए कुनूत पढ़ने का हुक्म क्या है?

सवालः इमाम साहब वित्र की रकअ़त में बिला तकबीर कहे हुए और बिला हाथ उठाए हुए दुआए कुनूत पढ़ने लगे किसी मुक़्तदी ने उनको अल्लाहुअकबर कह कर बताया, चुनांचे उन्होंने अल्लाहुअकबर कह कर और रफ़ए यदैन

कर के फिर कुनूत पढ़ी और नमाज़ तमाम कर के सज्दए सह्व किया तो नमाज़ में कोई ख़राबी आई या नहीं?

जवाबः नमाज़ सही हो गई। जैसे क़िराअत में बिला ज़रूरत बतलाने से नमाज़ सही हो जाती है, अगरचे इमाम लुक़्मा ले ले। और चूंकि कोई अम्र मूजिबे सज्दए सह्व का नहीं पाया गया इसलिए सज्दए सह्व वाजिब नहीं होगा।

(इमदादुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–451)

कुनूत के लिए लौटना नहीं चाहिए, सज्दए सह्व करने से तलाफ़ी हो जाती है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–161)

अगर पहली या दूसरी रकअ़त में कुनूत पढ़ ली

अगर भूल से पहली या दूसरी रकअ़त में कुनूत पढ़ ली तो उसका कुछ एतेबार नहीं है, तीसरी रकअ़त में फिर पढ़नी चाहिए और सज्दए सह्व भी करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर किसी को शक हो गया कि ये दूसरी रकअ़त है या तीसरी तो उसको चाहिए कि उस रकअ़त में दुआए कुनूत पढ़े और अत्तहीयात के लिए बैठे फिर उसके बाद दो रकअ़त पढ़े, उसमें दोबरा दुआए कुनूत पढ़े। (बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा दोम सफ़्हा–280, बहवाला तहावी सफ़्हा–166 व मसाइले सज्दए सह्व सफ़्हा–59, बहवाला आलमगीरी जिल्द–1 सफ़्हा–67)

इमाम साहब वित्र का क़अ़दए ऊला भूल गए

सवालः इमाम साहब वित्र की दूसरी रकअ़त के बाद बजाए बैठने के तीसरी रकअ़त के लिए खड़े हो गए मुक़्तदियों के लुक़्मा देने से फिर बैठ गए, अग तीसरी रकअ़त पूरी कर के तशह्हुद के बाद सज्दए सह्व किया

तो नमाज़ वित्र हो गई या नहीं?

जवाबः इमाम साहब वित्र का क़अ़दए ऊला भूल गए तो अब न बैठते, महज़ सज्दए सह्व से वित्र सही हो जाते खड़े होने के बाद बैठे ये ग़लत किया, मगर नमाज़ फ़ासिद नहीं हुई। अब सज्दए सह्व किया तो नमाज़ सही है इआ़दा की ज़रूरत नहीं।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–1 सफ़्हा–346)

वाजिब और सुन्नत के क़अ़दए ऊला में अत्तहीयात के बाद दुरूद पढ़ने का क्या हुक्म है?

सवालः सुन्नत और वाजिब नमाज़ों के क़अ़दए ऊला में अत्तहीयात के बाद दुरूद शरीफ़ वग़ैरा पढ़ा जाए तो सज्दए सह्व वाजिब होगा या नहीं? और वैसे ही सुन्नत और वाजिब में क़अ़दए ऊला भूल कर खड़ा हो जाए तो तीसरी रकअ़त का सज्दा करने से पहले पहले बैठ जाए या नहीं?

जवाबः नमाज़े वाजिब मसलन वित्र में वही हुक्म है जो नमाज़े फ़र्ज़ में है, पस उसके क़अ़दए ऊला में दो क़ौल हैं, लेकिन अहवत (ज़्यादा एहतियात) वुजूबे सज्दए सह्व है और क़अ़दए ऊला के तर्क करने में वही अहकाम हैं जो फ़र्ज़ के हैं, चुनांचे क़अ़दए ऊला के तर्क करने में ये हुक्म है कि अगर बैठने के ज़्यादा क़रीब हो तो बैठ जाए और अगर क़याम की तरफ़ ज़्यादा क़रीब हो तो न बैठे और आख़िर में सज्दए सह्व कर ले।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–349, बहवाला रद्दुलमुह्तार बाब सिफ़तुस्सलात जिल्द–1 सफ़्हा–476, 697 बाब सुजूदुस्सह्व)

इमाम बग़ैर कुनूत पढ़े रुकूअ़ में चला गया और मुक़्तदियों में से बाज़ ने रुकूअ़ किया बाज़ ने नहीं किया तो क्या हुक्म है?

सवालः इमाम साहब ने वित्र की तीसरी रकअ़त में बग़ैर कुनूत पढ़े रुकूअ़ कर लिया, मुक़्तदियों ने लुक़्मा दिया फिर भी इमाम साहब रुकूअ़ ही में रहे और तज़बज़ुब की वजह से रुकूअ़ में ज़्यादा ताख़ीर हुई, उसके बाद इमाम साहब ने सज्दए सह्व किया। बाज़ मुक़्तदियों ने न रुकूअ़ किया न दुआए कुनूत पढ़ी और बाज़ों ने रुकूअ़ कर दिया तो इस सूरत में किन की नमाज़ सही हुई और अगर सब की नमाज़ फ़ासिद हो गई तो इसका क्या हुक्म है?

जवाबः इस सूरत में इमाम साहब की नमाज़ सही हुई और जिसने इमाम साहब के साथ या इमाम के रुकूअ़ करने के बाद रुकूअ़ किया उनकी नमाज़ भी हो गई लौटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन मुक़्तदियों ने बिल्कुल रुकूअ़ नहीं किया उनकी नमाज़ फ़र्ज़ के छूटने की वजह से सही नहीं हुई इआ़दा ज़रूरी है। कुनूत के लिए रुकूअ़ से क़याम की तरफ़ लौटने की ज़रूरत नहीं है। दुआए कुनूत सह्वन छूटने पर सज्दए सह्व से तलाफ़ी हो जाती है और दुआए कुनूत सह्वन छूटने की चार सूरतें हैं।

(1) रुकूअ़ में दुआए कुनूत पढ़ ली। (2) या रुकूअ़ छोड़ कर क़याम की तरफ़ लौट गया और दुआए कुनूत पढ़ कर दोबरा रुकूअ़ किया। (3) या दोबारा रुकूअ़ नहीं किया। (4) दुआए कुनूत न रुकूअ़ में पढ़ी न रुकूअ़ के बाद खड़े हो कर पढ़ी। इन चारों सूरतों में सज्दए सह्व कर लें तो नमाज़ हो जाएगी। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–4

सफ़्हा–398, बहवाला आलमगीरी जिल्द–1 सफ़्हा–71, दुर्रेमुख़्तार शामी जिल्द–1 सफ़्हा–627)

दुआए कुनूत छोड़ कर इमाम रुकूअ़ में चला जाए तो मुक़्तदी क्या करे?

अगर इमाम दुआए कुनूत छोड़ कर रुकूअ़ में चला गया तो मुक़्तदियों को चाहिए कि अगर वह दुआए कुनूत पढ़ कर इमाम के साथ रुकूअ़ में शरीक हो सकते हैं तो दुआए कुनूत पढ़ कर उनको रुकूअ़ में जाना चाहिए। और अगर ये अंदेशा है कि दुआए कुनूत पढ़ कर रुकूअ़ में शरीक नहीं हो सकते तो वह भी दुआए कुनूत छोड़ कर रुकूअ़ में चले जाऐं। अगर इमाम को रुकूअ़ कर के दुआए कुनूत याद आई और उसने खड़े हो कर दुआए कुनूत पढ़ी तो उसको अब दोबारा रुकूअ़ करने की ज़रूरत नहीं और अगर दोबारा रुकूअ़ किया और कोई शख़्स आ कर उस रुकूअ़ में शरीक हुआ तो उस रकअ़त का पाने वाला नहीं समझा जाएगा और मज़कूरा बाला हर सूरत में सज्दए सह्व करना वाजिब होगा। (मसाइले सज्दए सह्व सफ़्हा–81)

इमाम ने कुनूत ख़त्म कर के रुकूअ़ कर लिया मगर मुक़्तदियों की दुआए कुनूत बाक़ी है

सवालः जमाअ़ते वित्र में इमाम दुआए कुनूत ख़त्म कर के रुकूअ़ में चला गया, मगर मुक़्तदियों की कुनूत ख़त्म नहीं हुई तो क्या वह मुताबअ़ते इमाम की ग़रज़ से बग़ैर ख़त्मे कुनूत रुकूअ़ में चला जाए?

जवाबः अगर थोड़ी बाक़ी है कि उसको पूरा कर के रुकूअ़ में इमाम के साथ शरीक हो सकता हो तो पूरा कर के रुकूअ़ करे वरना छोड़ दे। अगर कुनूत का कुछ

हिस्सा पढ़ लिया था और कुछ बाक़ी रह गया तो इस सूरत में अब ये इमाम की इत्तिबा करेगा, क्योंकि कुनूत का मक़्सद दुआ है और दुआ कम हो या ज़्यादा दोनों पर शामिल है। इमाम की इत्तिबाअ़ वाजिब है और तर्के वाजिब से तर्के मन्दूब बेहतर है, इसलिए तर्के मन्दूब किया जाए, यानी कुनूत का पढ़ना छोड़ दे और इमाम की इत्तिबाअ़ करे। इसी तरह अगर मुक़्तदी ने कुनूत का पढ़ना शुरू भी न किया था कि इमाम रुकूअ़ में चला गया, तो अगर मुक़्तदी को रुकूअ़ के छूट जाने का ख़ौफ़ हो तो वह कुनूत को छोड़ दे और इमाम की इत्तिबा करते हुए रुकूअ़ में चला जाए। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–154, बहवाला आलमगीरी जिल्द–1 सफ़्हा–104, अशरफुलईज़ाह शरह नूरुलईज़ाह सफ़्हा–110)

अगर वित्र की दूसरी या तीसरी रकअ़त मिले तो कुनूत कब पढ़े?

सवालः रमज़ान में वित्र की जमाअ़त में तीसरी रकअ़त में शामिल हुआ, दो रकअ़त जो बाक़ी हैं उनमें दुआए कुनूत पढ़ी जाएगी या नहीं?

जवाबः रमज़ान शरीफ़ में वित्र की जमाअ़त में अगर कोई शख़्स तीसरी रकअ़त में आ कर शरीक हुआ पस अगर तीसरी रकअ़त पूरी पा ली है तो इमाम के साथ दुआए कुनूत पढ़े, बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर तीसीर रकअ़त में रुकूअ़ में शरीक हुआ जब भी बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। (तर्जुमा फ़तावा आलमगीरी हिन्दीया जिल्द–1 सफ़्हा–178)

इमाम के साथ तीसरी रकअ़त मिली तो अब उस तीसरी रकअ़त में इमाम की इत्तिबा करते हुए वह तीसरी

रकअ़त में दुआए कुनूत पढ़े, गोया कि ये तीसरी रकअ़त में है और जब ये अपनी फ़ौत शुदा नमाज़ को पूरा करेगा तो दुआए कुनूत न पढ़े। इस पर इजमाअ़ है।

(अशरफुलईज़ाह शरह नूरुलईज़ाह सफ़्हा–151)

निस्फ़ सूरत पढ़ना और निस्फ़ छोड़ देना कैसा है

सवालः वित्र की पहली रकअ़त में सूरए "اِذَازُلْـزِلَـتْ" पढ़ी, दूसरी में आधी "وَالْعَادِيَاتِ" पढ़ी और तीसरी में आधी "اَلْـقَـارِعَـات" पढ़ी तो क्या इस सूरत में कोई ख़राबी आई या नहीं?

जवाबः ऐसा करना अच्छा नहीं है। पूरी पूरी (छोटी) सूरत हर एक रकअ़त में पढ़ना अफ़ज़ल और बेहतर है लेकिन नमाज़े वित्र इस सूरत में भी हो गई।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–161, बहवाला रद्दुलमुह्तार फ़स्ल फ़िलक़िराअ़त जिल्द–1 सफ़्हा–505)

वित्र की नमाज़ में कौन सी सूरत मसनून है

सवालः वित्र की रकअ़तों में कौन कौन सी सूरतें पढ़ना सुन्नत हैं?

जवाबः वित्र की पहली रकअ़त में सूरए आला "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى" दूसरी में काफ़िरून और तीसरी में सूरह इख़लास पढ़ना मसनून व मुस्तहब है। आँहज़रत (स.अ.व.) से इस तरह पढ़ना साबित है, लेकिन आप ने इस पर मवाज़बत नहीं फ़रमाई, लिहाज़ा हमेशगी करना ज़्यादती है।

वित्र की तीनों रकअ़तों में दूसरी सूरतें पढ़ना भी मसनून है चुनांचे पहली रकअ़त में "اِذَازُلْزِلَتِ الْاَرْضُ" दूसरी रकअ़त में "اِنَّـا اَعْـطَيْـنٰكَ الْـكَوْثَرَ" और तीसरी में "قُلْ هُوَاللّٰهُ" और तिरमिज़ी कि रिवायत से ये भी मालूम होता है कि पहली

रकअत में "اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ" या "اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ" या "اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ" दुसरी रकअत में "وَالْعَصْرِ" या "اِذَا جَآءَ" या "اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ" तीसरी में "قُلْ يَااَيُّهَاالْكَافِرُوْنَ" या "تَبَّتْ يَدَا" या "قُلْ هُوَاللّٰه"। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–414, बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़्हा–508, 623)

सूरतों का तअय्युन करना कैसा है?

हज़रत शाह वलीयुल्लाह (रह.) अपनी किताब हुज्जतुल्लाहिलबालिग़ा में तहरीर फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने बाज़ नमाज़ों में कुछ मसालेह और फ़वाएद के पेशे नज़र बाज़ ख़ास सूरतें पढ़ना पसंद फ़रमाई लेकिन क़तई तौर पर न उनकी तअ़यीन की और न दूसरों को ताकीद फ़रमाई कि ऐसे ही करें, पस इस बारे में अगर कोई आप (स.अ.व.) की इत्तिबा करे और इन नमाज़ों में वही सूरतें अक्सर व बेशतर पढ़े तो अच्छा है और जो ऐसा न करे उसके लिए कोई मुज़ाएक़ा और हरज नहीं है।

नबी करीम (स.अ.व.) जुमा व ईदैन के अलावा दूसरी तमाम नमाज़ों में सूरतें मुतऐयन कर के नहीं पढ़ा करते थे, फ़र्ज़ नमाज़ों में छोटी बड़ी सूरतों में से कोई ऐसी सूरत नहीं है जो आप (स.अ.व.) ने न पढ़ी हों और नवाफ़िल में एक रकअ़त में दो सूरतें भी आप (स.अ.व.) पढ़ते थे लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ों में नहीं, मामूलन आप (स.अ.व.) की पहली रकअ़त दूसरी रकअ़त से बड़ी हुआ करती थी। (मआरिफ़ुल हदीस जिल्द–3 सफ़्हा–261)

वित्रों के बाद "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْس" न कहने वाले का हुक्म क्या है?

सवालः एक शख़्स वित्रों के बाद बुलंद आवज़ से

"سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوس" तीन बार नहीं कहता ये सुन्नत की इत्तिबा करने वाला है या नहीं?

जवाब: वित्र के बाद बुलंद अवाज़ से "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوس" तीन बार पढ़ना मुस्तहब है। और बाज़ रिवायात में तीसरी मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ना आया है। पस इससे तीसरी मरतबा "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوس" को बुलंद आवाज़ से पढ़ना साबित होता है।

बहरहाल ऐसा करना मुस्तहब और बेहतर है और न पढ़ने वाले पर कुछ तअ़न व मलामत न करनी चाहिए क्योंकि मुस्तहब फे़ल को अगर कोई न करे तो उस पर कुछ तअ़न नहीं है, अलबत्ता इत्तिबाए सुन्नत का मुक़्तज़ा ये है कि जैसा आँहज़रत (स.अ.व.) ने किया है वैसा ही करे, यानी ख़्वाह तीनों मरतबा या एक मरतबा आख़िर में "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوس" को बुलंद आवाज़ से कह लिया करें। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–164, बहवाला मिश्कात शरीफ़ बाबुलवित्र सफ़्हा–112)

"سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوس" कब पढ़े?

सवाल: वित्र के सलाम के बाद जो "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوس" तीन मरतबा वारिद है ये सज्दा कर के पढ़े या क़अ़दा में। और अहनाफ़ के नज़दीक जाइज़ है या नहीं?

जवाब: वित्र का सलाम जब फेर कर बैठे उस वक़्त पढ़े और ये अहनाफ़ के नज़दीक भी जाइज़ और मुस्तहब है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–157, बहवाला मिश्कात बाबुलवित्र फ़स्ल सानी सफ़्हा–112)

□□□

तेरहवाँ बाब

सुनन व नवाफ़िल क्या हैं

वित्र के बाद नफ़्ल का सुबूत औ तरीक़ा

शब व रोज़ में पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं और वह गोया इस्लाम की रुक्ने रकीन और जुज़्वे ईमान हैं इनके अलावा इन्हीं के आगे पीछे और दूसरे औक़ात में भी कुछ रकअ़तें पढ़ने की ताकीद व तरग़ीब और तालीम रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने दी है।

फिर इनमें से जिन के लिए आप (स.अ.व.) ने ताकीदी अलफ़ाज़ फ़रमाए या दूसरों को तरग़ीब देने के साथ साथ आप (स.अ.व.) ने अमलन बहुत ज़्यादा एहतिमाम फ़रमाया है उनको उर्फ़े आम में सुन्नत कहा जाता है और उनके अलावा को नवाफ़िल। नवाफ़िल के असली माना "ज़वाइद" के हैं और हदीसों में फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा बाक़ी सब नमाज़ों को "नवाफ़िल" कहा गया है।

फिर जिन सुन्नतों या नफ़्लों को फ़र्ज़ से पहले पढ़ने की तालीम दी गई है बज़ाहिर उनकी ख़ास हिकमत और मसलिहत ये है कि फ़र्ज़ नमाज़ा जो अल्लाह तआला के दरबारे आली की ख़ासुलख़ास हुज़ूरी है। (इसी वजह से वह इज्तिमाई तौर पर मस्जिद में अदा की जाती है।) उसमें मशगूल होने से पहले इन्फ़िरादी तौर पर दो चार

रकअतें पढ़ कर दिल को उस दरबार से आशना और मानूस कर लिया जाए और मलए आला से एक कुर्ब और मुनासबत पैदा कर ली जाए। और जिन सुन्नतों और नफ़्लों को फ़र्ज़ों के बाद पढ़ने की तालीम दी गई है उनकी हिकमत और मसलिहत बज़ाहिर ये मालूम होती है कि फ़र्ज़ नमाज़ की अदाएगी में जो कुसूर रह गया हो उसका तदारुक बाद वाली इन सुन्नतों और नफ़्लों से हो जाए, इसकी ताईद हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) की हदीस से होती है। आप (स.अ.व.) फ़रमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह (स.अ.व.) से सुना कि क़यामत के दिन बंदे के आमाल में सब से पहले नमाज़ का हिसाब होगा और उसकी नमाज़ की जांच की जाएगी, पस अगर वह ठीक निकलीं तो बंदा फ़लाहयाब और कामियाब हो जाएगा और अगर वह ख़राब निकलीं तो बंदा नामुराद रह जाएगा। फिर अगर उसके फ़राइज़ में कोई कसर हुई तो रब्बे करीम फ़रमाएगा कि देखो क्या मेरे बंदे के ज़ख़ीरए आमाल में फ़राइज़ के अलावा कुछ नेकियाँ (सुन्नतें या नवाफ़िल) हैं ताकि उनसे उसके फ़राइज़ की कमी व कसर को पूरा कर सकें। फिर नमाज़ के बाक़ी आमाल का हिसाब भी इसी तरह होगा। सुनन व नवाफ़िल की इफ़ादियत और अहमियत के लिए तन्हा ये हदीस काफ़ी है।

(मआरिफ़ुलहदीस जिल्द–3 सफ़्हा–374, बहवाला जामेअ़ तिरमिज़ी व निसाई)

वित्र के बाद नफ़्ल का सुबूत

"عَنْ اُمِّ سَلْمَةَ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کَانَ یُصَلِّی بَعْدَ الْوِتْرِ رَکْعَتَیْنِ"

तर्जुमा: हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से रिवायत है कि

रसूलुल्लाह (स.अ.व.) वित्र के बाद दो रकअ़त और पढ़ते थे।

इस हदीस को इब्ने माजा ने भी रिवायत किया है इसमें ये इज़ाफ़ा है कि आप वित्र के बाद की दो रकअ़तें हल्की हल्की पढते थे। इसके अलावा हज़रत आएशा और अबू उमामा (रज़ि.) ने भी रिवायत किया है इन्हीं अहादीस की बिन पर बाज़ उलमा वित्र के बाद की दो रकअ़तों को बैठ कर पढ़ना ही अफ़ज़ल समझते हैं, लेकिन दसूरे हज़रात फ़रमाते हैं कि इस बारे में आम उम्मतियों को रसूल (स.अ.व.) पर क़यास नहीं किया जा सकता। सहीह मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने एक दफ़ा आँहज़रत (स.अ.व.) को बैठ कर नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो दरयाफ़्त किया कि मुझे तो किसी ने आप (स.अ.व.) के हवाले से बताया था कि बैठ कर पढ़ने वाले को खड़े हो कर पढ़ने वाले से आधा सवाब मिलता है और आप (स.अ.व.) बैठ कर पढ़ रहे हैं? आप (स.अ.व.) ने इरशाद फ़रमाया हाँ मस्अला वही है, यानी बैठ कर नमाज़ पढ़ने का सवाब खड़े हो कर पढ़ने के मुक़ाबिले में आधा होता है, लेकिन इस मआ़मले में मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं मेरे साथ अल्लाह का मआ़मला अलग है, यानी मुझे बैठ कर पढ़ने का सवाब पूरा मिलता है। इस हदीस की बिना पर अक्सर उलमा इसके क़ाएल हैं कि वित्र के बाद की इन दो रकअ़तों के लिए कोई अलग उसूल नहीं है, बल्कि वही आम उसूल और क़ाएदा है कि बैठ कर पढ़ने का सवाब खड़े हो कर पड़ने के मुक़ाबिले में आधा होगा।

(मअ़रिफुल हदीस जिल्द–3 सफ़्हा–335)

क्या वित्र के बाद नवाफ़िल दुरुस्त हैं?

सवाल: बाज़ लोग कहते हैं कि वित्र के बाद कोई सज्दा नहीं और नफ़्ल जो कि वित्र के बाद पढ़े जाते हैं उनका पढ़ना जाइज़ नहीं। ये कहां तक दुरुस्त है?

जवाब: वित्र के बाद नवाफ़िल का पढ़ना जाइज़ है, चुनांचे बाज़ सहाबा (रज़ि.) जो इशा के बाद वित्र पढ़ लेते थे वह आख़िर रात में तहज्जुद पढ़ते थे, तो मालूम हुआ कि वित्र के बाद नवाफ़िल ममनूअ़ नहीं हैं। नीज़ आँहज़रत (स.अ.व.) ने वित्र के बाद दो रकअ़त नफ़्ल पढ़ी हैं।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–220)

नफ़्ल का वक़्त कब तक रहता है?

सवाल: फ़र्ज़ों के बाद जो नफ़्ल हैं वह फ़र्ज़ों के बाद फ़ौरन पढ़ें या जब तक वक़्त बाक़ी है पढ़ सकते हैं?

जवाब: जब तक वक़्त उस नमाज़ का है उन नवाफ़िल का वक़्त भी उस वक़्त तक है, मगर मुत्तसिलन पढ़ना बेहतर है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–207, बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–494 बाब सेफ़तुस्सलात)

तरावीह के बाद नफ़्ल की जमाअ़त का क्या हुक्म है?

सवाल: क्या तीन आदमी तरावीह के बाद नफ़्ल की जमाअ़त कर के सवाब हासिल कर सकते हैं? या नमाज़े नफ़्ल जमाअ़त के साथ तरावीह के बाद मुतलक़न दुरुस्त नहीं ख़्वाह तादाद में अदा करने वाले तीन हों या ज़ाएद?

जवाब: नफ़्ल की जमाअ़त सिवाए तरावीह के सुन्नत व मुस्तहब नहीं है, बल्कि बाज़ सूरतों में मकरूह और बाज़ में मुबाह है इसलिए फ़ज़ीलत जमाअ़त की और सवाब जमाअ़त का इसमें हासिल नहीं है, दो तीन मुक़्तदी हों तो

जमाअ़त की इजाज़त है, मगर जमाअ़त न करना ही अच्छा है, लिहाज़ा मुतलक़न नफ़्ल की जमाअ़त न करनी चाहिए। दुर्रेमुख़्तार से मालूम होता है कि सिवाए तरावीह के और कोई नफ़्ल जमाअ़त से न पढ़ी जाए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–229, बहवाला रद्दुलमुह्तार बाबुलवित्र व नवाफ़िल जिल्द–1 सफ़्हा–663)

फ़र्ज़ जहां पढ़े वहां से अलग हो कर नफ़्ल पढ़ना कैसा है?

सवाल: अहादीस से फ़र्ज़ों के बाद जगह बदल कर सुन्नत व नफ़्ल पढ़ना मस्जिद में साबित होता है या नहीं?

जवाब: शामी और दुर्रेमुख़्तार की इबारत से मालूम होता है कि हनफ़ीया के नज़दीक भी जगह बदल कर आगे पीछे हट कर सुन्नत व नफ़्ल पढ़ना मुस्तहब है और शामी की इबारत से मालूम होता है कि तन्हा मकान में नमाज़ पढ़ने वाले के लिए भी जगह बदल कर सुन्नत व नफ़्ल पढ़ना बेहतर है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–230 बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–495 बाब सिफ़तुस्सलात)

दो नफ़्ल हमेशा पढ़े या कभी कभी छोड़ दे?

सवाल: जुहर मग़रिब और इशा में दो रकअ़त सुन्नत के बाद दो रकअ़त नफ़्ल पढ़ते हैं, ये दोनों नवाफ़िल हमेशा पढ़ना और कभी कभी न पढ़ना कैसा है?

जवाब: नवाफ़िल में इख़्तियार है, ख़्वाह कभी तर्क कर दे या हमेशा नफ़्ल समझ कर पढ़ता रहे। इसमें ये अंदेशा नहीं है कि कोई उनको फ़र्ज समझ लेगा और फिर भी बेहतर है कि कभी कभी तर्क कर दे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–240, बहवाला

रद्दुलमुह्तार बाबुलवित्र व नवाफ़िल जिल्द–1 सफ़्हा–635)

क्या नफ़्ल नमाज़ शुरू करने से वाजिब हो जाती है?

सवालः किसी ने नफ़्ल शुरू की; जब एक रक्अत पढ़ ली तो मालूम हुआ कि कपड़ा नापाक है, नमाज़ शुरू करने के बाद तोड़ दी तो क्या उस नमाज़ का इआ़दा वाजिब है?

जवाबः मस्अला ये है कि नफ़्ल शुरू करने से वाजिब हो जाती है। पस जब किसी ने नफ़्ल नमाज़ शुरू करने के बाद किसी वजह से तोड़ दी तो उस पर उस नमाज़ का लौटाना ज़रूरी है, कुतुबे फ़िक़्ह में ऐसा ही लिखा है लेकिन दुर्रेमुख़्तार में है कि अगर शुरू ही सही न हो तो इआ़दा वाजिब नहीं हुआ, इसलिए कि मुसल्ली के कपड़े औवल ही से नापाक थे, लिहाज़ा उस नमाज़ का इआ़दा वाजिब न होगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–235, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–645 बाबुलवित्र व नवाफ़िल)

सुन्नत व नवाफ़िल घर में में पढ़ना अफ़ज़ल है या मस्जिद में?

सवालः सुनन व नवाफ़िल अपने अपने घरों में जा कर पढ़ने चाहिएं या मस्जिद ही में?

जवाबः अहादीस में सुनन व नवाफ़िल के मकान में पढ़ने की जो कुछ फ़ज़ीलत वारिद हुई है वह मशहूर व मारूफ़ है और फुक़हा ने भी सिवाए तरावीह के दीगर सुनन व नवाफ़िल को मकान में पढ़ने को अफ़ज़ल फ़रमाया है। और हज़रात अकाबिरे देवबंद मसलन हज़रत मुहद्दिस फ़क़ीह मौलाना रशीद अहमद गंगोही (रह.) का अमल इस पर देखा गया है।

दुर्रेमुख़्तार से मालूम होता है कि सुनन व नवाफ़िल के लिए घर ही अफ़ज़ल है, लेकिन अगर रास्ता में या घर में ये ख़ौफ़ हो कि दिल परेशान हो जाएगा और खुशूअ हासिल न होगा या गै़र ज़रूरी बातों की वजह से नुक़्सान सवाब में होगा तो ऐसी सूरत में मस्जिद में पढ़ना अफ़ज़ल है। अगर मस्जिद में पढ़ने में खुशूअ ज़्यादा है और इख़लास ज़्यादा है और घर जा कर पढ़ने में ख़ौफ़े ताख़ीर वगै़रा है, तो फिर मस्जिद में ही पढ़ना अफ़ज़ल है इसलिए कि ज़्यादा तर लिहाज़ खुशूअ व खुज़ूअ का है जिस जगह ये हासिल हो वह अफ़ज़ल है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–211, 227, बहवाला रद्दुलमुह्तार बाबुलवित्र व नवाफ़िल जिल्द–1 सफ़्हा–638)

वित्र के बाद नफ़्ल बैठ कर पढ़े या खड़े हो कर?

सवालः वित्र के बाद दो नफ़्ल बैठ कर पढ़ें या खड़े हो कर और आप (स.अ.व.) से किस तरह साबित है?

जवाबः नवाफ़िल को बैठ कर पढ़ना और खड़े हो कर पढ़ना दोनों तरह दुरुस्त है। मगर खड़े हो कर पढ़ने में दुगना सवाब है, बनिस्बत बैठ कर पढ़ने के। और आँहज़रत (स.अ.व.) ने उनको बैठ कर पढ़ा है, लेकिन आप (स.अ.व.) को बैठ कर पढ़ने में पूरा सवाब था, दूसरों को निस्फ़ सवाब मिलता है, अहादीस से ये साबित है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–331, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–653, बाबुलवित्र व नवाफ़िल)

बैठ कर पढ़ने का जवाज़ उस सूरत में होगा कि बैठ कर पढ़ने में कोई ऐसा इल्तिज़ाम न हो, जिससे देखने वालों को बैठ कर पढ़ने की सुन्नीयत या वुजूब का गुमान

हो जाए, जैसा कि बाज़ मक़ामात में जुहर और मग़रिब के बाद लोगों में दो रकअ़त का बैठ कर पढ़ना राइज हो गया है, वहां के अवाम इस नफ़्ल को बैठ कर पढ़ने को शरअन लाज़िम समझते हैं, ऐसे मक़ामात में बैठ कर पढ़ना बेशक मकरूह है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़हा–216)

हज़रत मौलाना मुहम्मद क़ासिम नानौतवी (रह.) की राए

हज़रत मौलाना क़ासिम नानौतवी बानिये दारुलउलूम देवबंद (रह.) से मनकूल है कि नफ़्ल अगर इस नीयत से बैठ कर पढ़ेगा कि आप (स.अ.व.) से यूंहि मनकूल है तो इस नीयत से इंशा अल्लाह तआ़ला अजब नहीं कि सवाब में कुछ कमी न रहे। (इमदादुल फ़तावा जिल्द–1 सफ़हा–457)

माज़ूर की रिआ़यत

क़याम पर कुदरत रखेत हुए बैठ कर नफ़्ल नमाज़ पढ़ना जाइज़ है, लेकिन इसका सवाब खड़े हो कर नमाज़ पढ़ने वाले के सवाब के मुक़ाबिला में निस्फ़ होगा, मगर उज़्र के बाइस यानी माज़ूर को खड़े हो कर पढ़ने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। बैठ कर पढ़ने का सही तरीक़ा ये है कि जैसे अत्तहीयात पढ़ने के लिए बैठते हैं उस तरह बैठे। खड़े हो कर नफ़्ल-शुरू करने के बाद बैठ कर उसको तमाम करना बिला कराहत जाइज़ है।

(नूरुलईज़ाह सफ़्हा–97)

हुज़ूर (स.अ.व.) का नफ़्ल बैठ कर पढ़ना उम्मत की तालीम के लिए है

सवालः वित्र के बाद दो नफ़्ल खड़े हो कर पढ़ें या बैठ कर? आँहज़रत (स.अ.व.) का अमल क्या था? आप (स.अ.व.) खड़े हो कर पढ़ते थे या बैठ कर?

जवाबः वित्र के बाद दो नफ़्ल खड़े हो कर पढ़ना अफ़ज़ल है। आँहज़रत (स.अ.व.) का इरशाद है कि बैठ कर नफ़्ल पढ़ने वाले के लिए निस्फ़ सवाब है और आप (स.अ.व.) से दोनों तरह साबित है लेकिन आँहज़रत (स.अ.व.) को बैठ कर पढ़ने में पूरा अज्र व सवाब मिलता था, ये आप के साथ ख़ुसूसियत थी, क्योंकि इसमें भी उम्मत की तालीम थी कि खड़े होना फ़र्ज़ नहीं है।

उम्मत को तालीम देना नुबूवत के वाजिबात में से है पस आप (स.अ.व.) के बैठ कर नफ़्ल पढ़ने में भी वाजिब की अदाएगी है। जिसका सवाब नफ़्ल से ज़्यादा होता है, अलबत्ता बाज़ बुर्जुगों से मनकूल है कि अगर कोई मुत्तबेअ़ सुन्नत वित्र के बाद की दो रकअ़त कभी कभी इस नीयत से बैठ कर पढ़े कि आँहज़रत (स.अ.व.) बैठ कर अदा फ़मराते थे मैं भी इत्तिबाअ़न बैठ कर पढूं तो अजब नहीं कि उसको उसकी नीयत के मुताबिक़ पूरा सवाब मिले, लेकिन अज़ रूए हदीस खड़े हो कर पढ़ने वाला पूरे सवाब का और बैठ कर पढ़ने वाला निस्फ़ सवाब का हक़दार है। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–3 सफ़्हा–25)

नफ़्ल आज भी बैठ कर पढ़ सकते हैं

सवालः एक मस्अला किताब में देखा है, कि नमाज़े वित्र के बाद की नफ़्ल बैठ कर पढ़ना मसनून है, क्योंकि आँहज़रत (स.अ.व.) का ये तरीक़ा था, क्या यही मस्अला है?

जवाबः "حامداً ومصلّياً" हुज़ूर (स.अ.व.) ने फ़रमाया कि खड़े हो कर पढ़ने से दुगना सवाब मिलता है और बैठ कर पढ़ने से निस्फ़ मिलता है फिर हुज़ूर (स.अ.व.) को देखा गया कि बैठ कर पढ़ते हैं तो दरयाफ़्त किया गया,

इस पर इरशाद फ़रमाया मुझ को उतना ही सवाब मिलता है कम नहीं होता। वित्र के बाद की दो नफ़्लें आप से बैठ कर पढ़ना साबित है। आम्मतन मामूल ये था कि तहज्जुद की बहुत तवील नमाज़ पढ़ते थे, यहां तक कि पैरों पर वर्म आ जाता था। उसके बाद सुब्हे सादिक़ के क़रीब वित्र पढ़ते थे, फिर बैठ कर दो नफ़्ल पढ़ते थे। अब भी अगर कोई शख़्स यही तरीक़ा इख़्तियार करे कि तवील तहज्जुद में पाँच छः पारे पढ़ने के बाद वित्र पढ़े और थक कर दो नफ़्ल बाद में बैठ कर पढ़े तो इसमें इत्तिबाअ़ ज़्यादा है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–175 बहवला अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द–1 सफ़्हा–137)

फ़तावा महमूदिया में है कि नफ़्ल बिला उज़्र बैठ कर पढ़ना दुरुस्त है लेकिन खड़े हो कर पढ़ने में सवाब ज़्यादा है वित्र के बाद दो नफ़्ल पढ़ना हदीस व फ़िक़्ह से साबित है जो पढ़ेगा वह सवाब पाएगा, नहीं पढ़ेगा तो गुनहगार नहीं इस पर एतेराज़ न किया जाए तरग़ीब देना दुरुस्त है। (फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–168, बहवाला तहतावी अलामराक़ियुलफ़लाह सफ़्हा–327)

बैठ कर नमाज़ पढ़ने में नज़र कहाँ रखें

सवाल: नफ़्ल नमाज़ बैठ कर पढ़ने में निगाह सज्दा की जगह बेहतर है या गोद में?

जवाब: "حامداً ومصلّیا" गोद में मुनासिब है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–2 सफ़्हा–157, बहवाला शामी जिल्द–1 सफ़्हा–321)

❑❑❑

ज़मीमा

तरावीह बीस रकअत भी सुन्नत हैं

बीस रक़अत के सुन्नते मुअक्कदा होने पर इजमाअ़ हो चुका है और इजमाअ़ की मुख़ालफ़त नाजाइज़ है और ये इजमाअ़ अलामत है उन अहादीस के मनसूख़ होने की और अगर इजमाअ़ में शुब्हा है कि बाज़ उलमा ने सिर्फ़ आठ को सुन्नते मुअक्कदा लिखा है तो जवाब ये है कि इजमाअ़ इस क़ौल से पहले मुनअ़क़िद है, बस इसके मुक़ाबिला में शाज़ क़ौल क़ाबिले एतेबार नहीं होगा। जब ताकीदन साबित हो गया तो उसके तर्क करने से मौरदे एताब होगा।

एक शख़्स दिल्ली के नए मुजतहिदीन से आठ तरावीह सुन कर मौलाना शैख़ मुहम्मद साहब (रह.) के पास आए थे और उन्हें तरद्दुद था कि आठ हैं या बीस। नए मुजतहिदीन अपने को आमिल बिलहदीस कहते हैं क्यों साहब, हदीस में भी बीस आई हैं उन पर क्यों अमल न किया कि उनके ज़िम्न में आठ पर भी अमल हो जाता है। बात क्या है कि नफ़्स को सुहूलत तो आठ ही में है। बीस क्यों कर पढ़ें। अस्ल ये है कि जो उनके जी में आता है करते हैं और शाज़ और ज़ईफ़ हदीस को भी अपना लेते हैं।

इसी तरह उन्होंने भी तरावीह की तमाम अहादीस में सिर्फ़ आठ वाली हदीस पसंद की, हालांकि बारह भी आई

हैं और वित्र की तमाम अहादीस में से एक रकअ़त वाली हदीस पसंद की, हालांकि तीन रकअतें भी आई हैं, पाँच भी आई हैं, सात भी आई हैं। ख़ैर वह तो बेचारे उनके बहकाने से तरद्दुद में पड़ गए थे तो मौलाना से पूछा। मौलाना ने फ़रमाया कि भई सुनो मुहकमए माल से इत्तिला आए कि माल गुज़ारी दाख़िल करो और तुम्हें मालूम नहीं कि कितनी है। तुम ने एक नम्बरदार से पूछा कि मेरे ज़िम्मा कितनी मालगुज़ारी है, उसने कहा अट्ठारह रुपये। फिर तुम ने दूसरे नम्बरदार से पूछा। उसने कहा बीस रुपये तो अब बताओ तुम्हें कचेहरी कितनी रक़म ले कर जाना चाहिए, उन्होंने कहा साहब बीस रुपये लेकर जाना चाहिए, अगर इतनी हुई तो किसी से मांगना न पड़ेगी। और कम हुई तो रक़म बच जाएगी। और अगर मैं कम ले कर गया और वहां ज़्यादा हुई तो किस से मांगता फिरूंगा। मौलाना ने फ़रमाया बस ख़ूब समझ लो कि अगर वहां बीस रकअ़तें तलब की गईं और हैं तुम्हारे पास आठ तो कहां से ला कर दोगे। और अगर बीस हैं और तलब कम की हैं तो बच रहेगी और तुम्हारे काम आएंगी। कहने लगे ठीक है समझ में आ गया।

अब मैं हमेशा बीस रकअ़तें पढ़ा करूंगा, बस बिल्कुल तसल्ली हो गई। सुब्हानअल्लाह क्या तर्ज़ है समझाने का हक़ीक़त में ये लोग हुकमाए उम्मत होते हैं।

(ब) इस वक़्त उसके इस्बात से हम को बहस नहीं, अमल के लिए हम को इतना काफ़ी है कि हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माना में बीस रकअ़त तरावीह और तीन वित्र जमाअ़त के साथ पढ़े जाते हैं। ये रिवायत मुअत्ता इमाम

मालिक में गो मुनक़तअ़ है, मगर अमलन मुतवातिर है, उम्मत के अमल ने उसको मुतवातिर कर दिया है। बस अमल के लिए इतना काफ़ी है। देखिए अगर कोई पंसारी के पास दवा लेने के लिए जाए तो उससे ये नहीं पूछता कि दवा कहां से आई और उसका क्या सुबूत है कि ये वही दवा है जो मैं लेना चाहता हूं, बल्कि अगर उसमें शुब्हा होता है तो एक दो जानने वालों को दिखला कर इत्मीनान कर लिया जाता है, अब अगर कोई पंसारी से ये कहे कि मेरा इत्मीनान तो उस वक़्त होगा जब तुम बेचन वाले के दस्तख़त दिखा दोगे कि तुम ने उससे ये दवा ख़रीदी है, तो लोग ये कहेंगे कि इसको दवा की ज़रूरत नहीं, लेते हो लो नहीं लेते हो मत लो। इसी तरह मुहक़्क़िक़ीने सलफ़ का तर्ज़ ये है कि वह मुद्दई के लिए मग़ज़ ज़नी नहीं करते थे बस मस्अला बतला दिया। और अगर किसी ने उसमें हुज्जतें निकालीं तो साफ़ कह दिया कि किसी दूसरे से तहक़ीक़ कर लो जिस पर तुम को एतेमाद हो हमें बहस की फ़ुरसत नहीं।

इस जवाब का हासिल वही झगड़े को ख़त्म करना है कि फ़ुज़ूल बहस को ये हज़रात पसंद न करते थे, हां अगर अवाम को बतला दिया जाए कि हदीस में ये है तो उनको तरीक़े इस्तिंबात का इल्म किस तरह होगा, इसमें फ़िर वह फ़ुक़हा के मुहताज़ होंगे, तो पहले ही फ़ुक़हा के ब्यान में एतेमाद क्यों नहीं करते।

अलग़रज़ अमल के लिए तो तरावीह का इतना सुबूत काफ़ी है कि हुज़ूर (स.अ.व.) ने क़ौलन उसको मसनून फ़रमाया है। और हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माना में

सहाबा (रज़ि.) अमलन तरावीह की बीस रकअ़तें पढ़ते थे, अवाम के लिए इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा तहक़ीक़ उलमा का मनसब नहीं है। (अशरफुलजवाब हिस्सा दोम सफ़हा—145)

सज्दए तिलावत की शरई हैसियत

मस्अला: सज्दए तिलावत (आयते सज्दा) के पढ़ने वाले और सुनने वाले पर वाजिब हो जाता है, अगर कोई शख़्स सज्दए तिलावत के वाजिब होने पर सज्दए तिलावत न करे तो गुनाहगार होगा। अब इस वाजिब के अदा करने में कहीं वक़्त की गुंजाइश है और कहीं तंगी है। पस अगर सज्दए तिलावत नमाज़ से बाहर वाजिब हुआ तो उसकी अदाएगी के वक़्त में गुंजाइश है, यानी ज़िन्दगी के आख़िरी वक़्त तक उसके अदा करने की इजाज़त है और सज्दा न करने का गुनहगार मरते दम तक नहीं कहा जा सकता। ताहम सज्दए तिलावत में ताख़ीर करना मकरूहे तंज़ीही है, लेकिन अगर सज्दए तिलावत नमाज़ में वाजिब हो यानी नमाज़ के अन्दर आयते सज्दा पढ़ी गई तो फ़ौरन सज्दा करना वाजिब है। फ़ौरन का मतलब ये है कि आयते सज्दा के पढ़ने और सज्दा करने के दरमियान इससे ज़्यादा वक़्फ़ा न हो जिसमें तीन आयतें पढ़ी जा सकें। अगर सज्दए तिलावत में इतना वक़्फ़ा न हो तो वह फ़ौरन अदा करना न होगा।

मस्अला: सज्दा की आयत या तो सूरत के दरमियान होगी या आख़िर में, अगर दरमियान में हो तो अफ़ज़ल ये है कि आयते सज्दा पढ़ते ही यानी सूरत ख़त्म करने से पहले सज्दए तिलावत कर के खड़ा हो और सूरत को

पूरा करे और फिर रुकूअ़ में जाए।

मस्अला: अगर आयते सज्दा पढ़ कर सज्दा न किया, लेकिन फ़ौरन की मीआदे मुतज़क्किरह गुज़रने से पहले ही रुकूअ़ किया और रुकूअ़ में सज्दा की नीयत भी कर ली तो जाइज़ है, जिस तरह नमाज़ के अन्दर बग़ैर नीयत के भी सज्दा जाइज़ होता है, जबकि फ़ौरन की मीआद के अन्दर हो। फ़ौरन की मीआद गुज़र जाने पर नमाज़ का रुकूअ़ या सज्दा करने से सज्दए तिलावत साक़ित (ख़त्म) नहीं होता और नमाज़ के अन्दर अन्दर उसकी क़ज़ा उस आयत के लिए ख़ास सज्दा कर के अदा करना होगी।

मस्अला: अगर नमाज़ ख़त्म हो गई और सज्दए तिलावत नहीं किया तो अब उसकी क़ज़ा नहीं है, क्योंकि क़ज़ा का वक़्त निकल गया। अलबत्ता अगर सलाम फेर कर नमाज़ को ख़त्म किया और उसके बाद कोई अम्र मुनाफ़िए नमाज़ सरज़द न हुआ तो (यानी कोई ऐसा काम या फ़ेल नहीं किया जिससे नमाज़ टूट जाती है) सलाम के बाद ही सज्दए तिलावत कर लिया जाए और उस सूरत में जबकि आयते सज्दा सूरत के आख़िर में वाक़ेअ़ हो तो बेहतर ये है कि उस को पढ़ कर रुकूअ़ करे और उसके साथ ही सज्दए तिलावत की नीयत भी करे, लेकिन अगर सज्दए तिलावत किया और रुकूअ़ नहीं किया, बल्कि फिर क़याम (खड़ा हो गया) में आ गया तो मुस्तहब ये है कि अगली सूरत की चंद आयात पढ़ कर रुकूअ़ करे और नमाज़ पूरी कर ले।

(किताबुलफ़िक़्ह जिल्द–1 सफ़्हा–746 व फ़तावा दारुलउलूम सफ़्हा–422 व आप के मसाइल जिल्द–3

सफ़्हा–84 व इल्मुलफ़िक़्ह जिल्द–2 सफ़्हा–179)

मस्अला: सज्दए तिलावत करने के बाद खड़े हो कर एक दो आयतें पढ़ कर रुकूअ़ करना बेहतर है। फुक़हा के नज़दीक दो तीन आयतें पढ़े बग़ैर रुकूअ़ कर लेना कराहत से ख़ाली नहीं है, अगरचे नमाज़ हो जाती है।

(फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–402 व आलमगीरी जिल्द–1 सफ़्हा–85 व बह्रुर्राइक़ जिल्द–2 सफ़्हा–122)

सज्दए तिलावत की शर्तें

मस्अला: सज्दए तिलावत की भी वही शर्तें हैं जो नमाज़ की हैं बजुज़ तकबीरे तहरीमा और नीयत तअ़ैयुने वक़्त के, कि ये दोनों उमूर इसमें शर्त नहीं हैं। इसमें नीयत नहीं बांधी जाती।

सज्दए तिलावत के वाजिब होने की शराइत ये हैं: मुसलमान होना, बालिग़ होना, अक़्ल का सही होना, हैज़ व निफ़ास से पाक होना, वही हैं जो नमाज़ की शर्तें हैं, लिहाज़ा सज्दए तिलावत काफ़िर, बच्चे, मजनून को या हैज़ व निफ़ास की हालत में जाइज़ नहीं है, इस मस्अला में आयते सज्दा के पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों में फ़र्क़ नहीं है, अलबत्ता अश्ख़ासे मन्दरजा बाला में से अगर कोई शख़्स सज्दा की आयत सुने और उसका सज्दा बजा लाने का बतौर अदा या बतौर क़ज़ा अह्ल हो तो उस पर सज्दा वाजिब हो जाता है। चुनांचे जो शख़्स नशा या नापाकी की हालत में हो, उस पर सज्दए तिलावत वाजिब हो जाता है, क्योंकि वह बतौर क़ज़ा उसके बजा लाने का अह्ल है। हां अगर पढ़ने वाला कोई मजनून है तो उसके मुंह से सुन कर सज्दए तिलावत वाजिब नहीं

होता।

मस्अला: यही हुक्म उस बच्चे से सुनने का है जो हद्दे शुऊर को न पहुंचा हो, क्योंकि तिलावत के सही होने के लिए तमीज़ यानी शुऊर का होना शर्त है।

मस्अला: इसी तरह अगर आयते सज्दा आदमी के अलावा किसी और से सुनी गई मसलन तोता ये आयते सज्दा पढ़े या आलए ज़ब्तुस्सौत (टेप रिकार्ड वग़ैरा) से सुनाई दे तो सज्दए तिलावत वाजिब न होगा, क्योंकि बेशुऊर अशिया की तिलावत ही दुरुस्त नहीं है।

मस्अला: हनफ़ीया और शाफ़ईया के नज़दीक इसमें इरादा की शर्त नहीं है यानी सज्दए तिलावत की आयत सुनने का इरादा न भी हो तब भी सज्दए तिलावत का हुक्म होगा। (किताबुलफ़िक़्ह जिल्द–1 सफ़्हा–747 व इल्मुफ़िक़्ह जिल्द–2 सफ़्हा–178)

मस्अला: मशीन या परिंदा से आयते सज्दा सुनने पर सज्दए तिलावत वाजिब नहीं होता। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–2 सफ़्हा–425)

मस्अला: बैग़ैर नीयते तिलावत भी आयते सज्दा पढ़ी तो भी सज्दा वाजिब होगा।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–425)

मस्अला: सज्दए तिलावत की नीयत में आयत की तअ़यीन शर्त नहीं कि ये सज्दा फ़लाँ आयत की सबब है।

(इल्मुलफ़िक़्ह जिल्द–2 सफ़्हा–178)

मस्अला: जिन चीज़ों से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है उन चीज़ों से सज्दए तिलावत में भी फ़साद आ जाता है और फिर उसका लौटाना वाजिब हो जाता है, हाँ इस

क़द्र फ़र्क़ है कि नमाज़ में क़हक़हा से वुज़ू जाता रहता है और इसमें यानी सज्दए तिलावत में क़हक़हा से वुज़ू नहीं जाता, औरत की मुहाज़ात (बराबर खड़ा होना) भी यहाँ मुफ़्सिद नहीं। (इल्मुलफ़िक़्ह जिल्द–2 सफ़्हा–179)

मस्अला: आयते सज्दा अगर फ़र्ज़ नमाज़ों में पढ़ी जाए तो उसके सज्दा में मिस्ल नमाज़ के सज्दे के "سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی" कहना बेहतर है और नफ़्ल नमाज़ों में या ख़ारिज नमाज़ों अगर पढ़ी जाए तो उसके सज्दे में इख़्तियार है कि "سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی" कहें या और तस्बीहें जो अहादीस में वारिद हुई हैं वह पढ़ें मिस्ल इस तस्बीह के "سَجَدَ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ خَلَقَهٗ وَصَوَّرَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ بِحَوْلِهٖ وَقُوَّتِهٖ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ" अगर "سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی" और उसको यानी दोनों को जमा कर लें तो और भी बेहतर है।

(इल्मुलफ़िक़्ह जिल्द–2 सफ़्हा–181 व किताबुलफ़िक़्ह जिल्द–1 सफ़्हा–753)

सज्दए तिलावत के वाजिब होने के असबाब

मस्अला: सज्दए तिलावत के वाजिब होने के तीन असबाब हैं: औवल तिलावत लिहाज़ा कुरआन हकीम की तिलावत करने वाले पर सज्दए तिलावत वाजिब है अगरचे उसने खुद सज्दए तिलावत की आयत को न सुना हो जैसे कोई बहरा हो। इससे फ़र्क़ नहीं पड़ता कि सज्दए तिलावत नमाज़ के अन्दर पढ़ा गया हो या नमाज़ से बाहर, इमाम ने पढ़ा हो या मुन्फ़रिद (तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले) ने, लेकिन मुक़्तदी अगर सज्दए तिलावत नमाज़ के अन्दर यानी इमाम के पीछे जमाअत में पढ़े तो उस पर सज्दए तिलावत वाजिब न होगा, क्योंकि इमाम के पीछे

कुरआन शरीफ़ पढ़ना ममनूअ़ है, लिहाज़ा इस हाल में तिलातवे आयते सज्दा से सज्दा वाजिब नहीं होता, हां अगर ख़तीब जुमा या ईदैन के मौक़ा पर ख़ुतबा में आयते सज्दा पढ़े तो सज्दए तिलावत उस पर और सुनने वाले पर वाजिब होगा। ऐसी सूरत में ख़तीब को चाहिए कि मिम्बर से उतर कर सज्दा करे और सामईन (सुनने वाले हज़रात) भी उसके साथ सज्दा करें, ताहम इमाम का मिम्बर पर ख़ुतबा के दौरान आयते सज्दा तिलावत करने मकरूह है, लेकिन नमाज़ के अन्दर सज्दए तिलावत मकरूह नहीं है, जबकि उसको (सज्दए तिलावत करने को) रुकूअ़ व सुजूद के ज़िम्न में अदा किया जाए। अगर सिर्फ़ सज्दए तिलावत अकेला किया तो मकरूह होगा क्योंकि ऐसा करने से पीछे नमाज़ पढ़ने वालों में गड़बड़ पैदा होगी। (किताबुलफ़िक़्ह जिल्द–1 सफ़्हा–751)

यानी इमाम ईदैन या जुमा की क़िराअत में सज्दए तिलावत पढ़े तो अलग से अदा न करे, बल्कि सज्दा में सज्दए तिलावत की भी नीयत कर ले। अगर अलग से करेगा तो मजमए कसीर में इंतिशर पैदा हो जाएगा। अवाम को मालूम नहीं होगा कि ये सज्दए तिलावत है, क्योंकि मस्अला ये है कि अगर जुमा या ईदैन में मजमए कसीर है तो बेहतर ये है कि सज्दए सह्व को न किया जाए ताकि नमाज़ियों के लिए बाइसे तशवीश न हो।

(किताबुलफ़िक़्ह जिल्द–1 सफ़्हा–742)

दूसरा सबब आयते सज्दा का किसी और से सुनना है। अब ये सुनने वाला या तो नमाज़ की हालत में होगा या न होगा। इसी तरह आयते सज्दा पढ़ने वाला या तो

नमाज़ के अन्दर होगा या नमाज़ से बाहर। अगर सुनने वाला नमाज़ की हालत में है ख़्वाह वह मुन्फ़रिद हो या इमाम, उस पर बक़ौले सही सज्दए तिलावत मुक़्तदी से सुना तो सज्दए तिलावत कर ले, लेकिन अगर सिसी ने सज्दए तिलावत मुक़्तदी से सुना तो सज्दए तिलावत वाजिब न होगा। यही हुकम उस सूरत में है जबकि किसी मुक़्तदी ने अपने इमाम के अलावा बाहर से सज्दए तिलावत सुना। अगर इमाम से सुना और मुक़्तदी पहली रकअ़त से शरीक है तो सज्दए तिलावत में इमाम की पैरवी लाज़िम है और अगर मस्बूक़ है यानी कुछ रकअ़त होने के बाद शरीके जमाअ़त होने वाला है और सज्दए तिलावत से पहले इमाम के साथ शरीके नमाज़ हो गया था तब भी उसे इमाम के साथ सज्दा करना चाहिए, इमाम की पैरवी करना चाहिए। और अगर कोई शख़्स इमाम के सज्दए तिलावत करने के बाद उस रकअ़त में शामिल हुआ जिसमें आयते सज्दा पढ़ी गई तो क़तअ़न सज्दए तिलावत न करे। हां उससे अगली किसी रकअ़त में शामिल हुआ तो नमाज़ के बाद सज्दए तिलावत कर ले।

तीसरा सबब मुक़्तदी होना है कि अगर इमाम ने सज्दए तिलावत किया तो मुक़्तदी पर उसका अदा करना वाजिब है अगरचे उसने सुना न हो। (किताबुलफ़िक़्ह जिल्द–1 सफ़्हा–752 व इल्मुलफ़िक़्ह जिल्द–2 सफ़्हा–177)

मस्अला: बाज़ औरतें हैज़ या निफ़ास की हालत में भी आयते सज्दा सुनने से अपने ज़िम्मा सज्दए तिलावत वाजिब समझती हैं, ये ग़लत है, अगर हैज़ या निफ़ास की हालत में किसी से आयते सज्दा सुन ली तो उन पर

सज्दा वाजिब नहीं है। (बहिश्ती ज़ेवर जिल्द–2 सफ़्हा–42)

सज्दए तिलावत से मुतअ़ल्लिक़ मसाइल

मस्अला: एक आयत की तिलावत पर एक ही सज्दा वाजिब होता है, अलबत्ता मजलिस बदलने पर वही आयत फिर पढ़ी तो उसका सज्दा अलग वाजिब होगा।

(आप के मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–84)

मस्अला: अगर चारपाई (पलंग) सख़्त हो कि उस पर पेशानी धंसे नहीं और उस पर पाक कपड़ा भी बिछा हुआ हो (जबकि पलंग नापाक हो) तो सज्दए तिलावत अदा हो सकता है वरना नहीं।

मस्अला: तिलावत के दौरान आयते सज्दा को आहिस्ता पढ़ना बेहतर है, ताकि किसी दूसरे के ज़िम्मा सज्दा वाजिब न हो। (आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–86)

मस्अला: उस्ताद कई बच्चों को एक ही आयते सज्दा अलाहिदा अलाहिदा पढ़ाता है तो एक ही सज्दा करना पड़ेगा। बशर्तेकि मजलिस एक ही हो। लेकिन उस्ताद जितने बच्चों से सज्दा की आयत सुनेगा उतने ही सज्दे सुनने की वजह से वाजिब होंगे।

मस्अला: दो आदमी एक ही आयते सज्दा पढ़ें तो दोनों पर दो सज्दे वाजिब होंगे। एक ख़ुद पढ़ने का और दूसरा सुनने का। (आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–87)

मस्अला: जिसने सज्दा की आयत तिलावत की हो उसी के अदा करने से सज्दए तिलावत अदा होगा, कोई दूसरा शख़्स उसकी जगह अदा नहीं कर सकता।

(आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–89)

मस्अला: जिन लोगों के कान में सज्दा की आयत

पड़े, ख़्वाह उन्होंने सुनने का क़स्द किया हो या न किया हो, उन पर सज्दए तिलावत वाजिब हो जाता है। बशर्तेकि उनको मालूम हो जाए कि सज्दए तिलावत की आयत पढ़ी गई। अगर तरावीह की रिकार्डिंग दोबारा रेडियो और टी0 वी0 से ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट की जाए और सज्दए तिलावत की आयत सुनी जाए तो सज्दा वाजिब नहीं होगा। नीज़ औरतें अगर ख़ास अैयाम में आयते सज्दा सुनें (किसी से) तो उन पर सज्दा वाजिब नहीं है।

(आप के मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–88)

मस्अलाः टेप रिकार्डर पर आयते सज्दा सुनने से सज्दा वाजिब नहीं होता है। (आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–88)

मस्अलाः अगर किसी ने लाउडस्पीकर पर तिलावते कुरआन सुन ली और उसमें सज्दा आए तो सुनने वाले पर जबकि सुनने वाले को मालूम हो कि ये सज्दा की आयत है, उस पर सज्दा वाजिब है।

(आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–87)

मस्अलाः रेडिया पर आयते सज्दा सुनने से सामईन पर सज्दए तिलावत वाजिब होगा क्योंकि ये क़ारी (पढ़ने वाले) ही की आवाज़ है और ग्रामोफून से जो आवाज़ निकलती है उसको नक़्ल और अक्स तिलावत लिखा है।

(फ़तावा महमूदिया जिल्द–12 सफ़्हा–22)

मस्अलाः अगर किसी परिंदे को आयते सज्दा रटा दी गई तो उसके पढ़ने से भी सुनने वालों पर सज्दए तिलावत वाजिब नहीं क्योंकि परिंदा का पढ़ना तिलावते सहीहा नहीं, इसी तरह अगर किसी ने आयते सज्दा की तिलावत की, किसी शख़्स ने ख़ुद उसकी तिलावत तो नहीं सुनी

मगर उसकी आवाज़ पहाड़ या दीवार या गुम्बद से टकरा कर उसके कान में पड़ी तो उस सदाए बाज़गश्त के सुनने से भी सज्दए तिलावत वाजिब नहीं होगा।

अलग़र्ज़ उसूल ये है कि तिलावते सहीहा के सुनने से सज्दए तिलावत वाजिब होता है, टेप रिकार्डर की आवाज़ तिलावत नहीं इसलिए उसके सुनने से सज्दए तिलावत वाजिब नहीं है। (तिलावते सहीहा नहीं है) और लाउडस्पीकर आवाज़ को दूर तक पहुंचाता है और जो आवाज़ मुक़्तदियों तक पहुंचती है वह जूं का तूं इमाम की तिलावत व तकबीर की आवाज़ होती है। बरख़िलाफ़ टेप रिकार्डर के क्योंकि टेप आवाज़ को महफ़ूज़ कर लेता है। अब जो टेप रिकार्डर बजाया जाएगा ये उस तिलावत का अक्स होगा जो उस पर की गई वह बज़ाते ख़ुद तिलावत नहीं। इसलिए एक को दूसरे पर क़यास करना सही नहीं है।

(आप के मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–231)

मस्अला: दिल दिल में आयते सज्दा पढ़ने से सज्दा वाजिब नहीं होता क्योंकि तिलावत करना ज़रूरी है, बग़ैर तिलावत के सज्दा वाजिब नहीं होता। (ज़बान से पढ़ने से होता है)। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–446, बहवाला दुर्रेमुख़्तार जिल्द–1 सफ़्हा–55 व फ़तावा महमूदिया जिल्द–6 सफ़्हा–22)

मस्अला: मजमए आम में अगर आयते सज्दा वाज़ (तक़रीर करने वाले) से सुनी जाए तो सब सुनने वाले अलाहिदा अलाहिदा सज्दा करें, क्योंकि आयते सज्दा सुनने और पढ़ने से वाजिब हो जाता है। (फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–426, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1

सफ़्हा–717)

मस्अला: तमाम कुरआन मजीद के सज्दा हाए तिलावत यानी चौदह सज्दे अख़ीर में एक साथ करे तो ये भी जाइज़ है और बेहतर ये है कि उसी वक़्त करे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–427, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–721)

मगर ताख़ीर की गुंजाइश जब है जब कि सज्दए तिलावत नमाज़ में न हो, क्योंकि नमाज़ में फ़ौरन अदा करेगा। (रफ़अत क़ासमी गुफ़िरलहू)

मस्अला: तुलूअ़ और गुरूब और ज़वाले आफ़ताब के वक़्त सज्दए तिलावत भी हराम है, मगर जब कि आयते सज्दा उन्हीं औक़ात में पढ़े तो सज्दा भी उन औक़ात में दुरुस्त है और सुब्ह की नमाज़ के बाद ता तुलूए आफ़ताब और बाद नमाज़े अस्र ता गुरूब और सुब्हे सादिक़ पर सज्दए तिलावत दुरुस्त है, जबकि उन्हीं औक़ात में सज्दए तिलावत किया जाए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–431 व आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–85)

मस्अला: सुनने वालों पर सज्दा करना वाजिब होता है, अगर उन्होंने न किया यानी सुनने वालों ने, तो पढ़ने वाले पर कुछ गुनाह नहीं है और पढ़ने वाला सुनने वालों की तरफ़ से सज्दए तिलावत नहीं कर सकता है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–431)

मस्अला: बिला वुज़ू सज्दए तिलावत जाइज़ नहीं है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–427)

मस्अला: अगर किसी ने नमाज़ में सज्दा की आयत

पढ़ी और सज्दा किया, फिर किसी वजह से दोबारा नमाज़ दुहराने की ज़रूरत पेश आ गई और फिर वह ही आयते सज्दा पढ़ी तो दोबारा सज्दा करना चाहिए।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–428)

मस्अलाः आयते सज्दा पढ़ कर सज्दा किया और उठ कर कुछ आगे याद न आए और रुकूअ में चला जाए तो इसमें भी कुछ हरज नहीं है नमाज़ सही है।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–426)

मस्अलाः अगर कोई शख़्स आयते सज्दा लिखे या दिल दिल में पढ़े ज़बान से न कहे या एक एक हुरूफ़ कर के यानी हिज्जे से पढ़े पूरी आयत एक साथ न पढ़े या इसी तरह किसी से सुने तो इन सब सूरतों में सज्दए तिलावत वाजिब न होगा। (इल्मुलफ़िक़्ह जिल्द–2 सफ़्हा–178)

मस्अलाः सज्दए तिलावत जिनको अदा नहीं किया उनकी अदाएगी की सूरत ये है कि अंदाज़ा कर के सज्दए तिलावत पूरा करे। रोज़ाना जिस क़दर हो सके सज्दे बनीयते क़ज़ा कर लिया करे, उसका कफ़्फ़ारा यही है कि सज्दे करे।

(फ़तावा दारुलउलूम जिल्द–4 सफ़्हा–429, बहवाला रद्दुलमुह्तार जिल्द–1 सफ़्हा–721)

मस्अलाः जुमा और ईदैन और आहिस्ता आवाज़ की नमाज़ों में आयते सज्दा न पढ़ना चाहिए। इसलिए कि सज्दा करने में मुक़्तदियों के इश्तिबाह का ख़ौफ़ है।

(इल्मुलफ़िक़्ह जिल्द–2 सफ़्हा–181)

मस्अलाः सज्दए तिलावत उन्हीं लोगों पर वाजिब है जिन पर नमाज़ वाजिब है। अदाअन या क़ज़ाअन, नीज़

हैज़ व निफ़ास वाली औरतों पर वाजिब नहीं, नाबालिग़ पर और ऐसे मजनून पर वाजिब नहीं है जिसका जुनून एक दिन रात से ज़्यादा हो गया हो, ख़्वाह उसके बाद ज़ाइल हो या नहीं। और जिस मजनून का जुनून एक दिन रात से कम रहे उस पर वाजिब है। इसी तरह मस्त और जुनुबी यानी जिसको नहाने की हाजत हो उस पर भी वाजिब है। (इल्मुलफ़िक़्ह जिल्द–2 सफ़्हा–178)

मस्अलाः अगर कोई शख़्स सोने की हालत में आयते सज्दा तिलावत करे उस पर भी सज्दए तिलावत वाजिब है, बाद इत्तिला के यानी जबकि सोने वाले को मालूम हो जाए कि मैंने सज्दा की आयत पढ़ी थी।

(इल्मुलफ़िक़्ह जिल्द–2 सफ़्हा–177)

मस्अलाः आयते सज्दा का किसी इंसान से सुनना, ख़्वाह पूरी आयत सुने या सिर्फ़ लफ़्ज़े सज्दा मआ़ एक लफ़्ज़ मा क़ब्ल या बाद के सुने और ख़्वाह वह अरबी ज़बान में से या किसी और ज़बान में और ख़्वाह सुनने वाला जानता हो कि ये तर्जुमा आयते सज्दा का है या न जानता हो लेकिन न जानने की सूरत में अदाए सज्दा में जिस क़दर ताख़ीर होगी उसमें वह माज़ूर समझा जाएगा।

(इल्मुलफ़िक़्ह जिल्द–2 सफ़्हा–177)

मस्अलाः मुक़्तदी से अगर आयते सज्दा सुनी जाए तो सज्दा वाजिब न होगा, न उस पर न उस इमाम पर न उन लोगों पर जो उस नमाज़ में शरीक हैं, हाँ जो लोग उस नमाज़ में शरीक नहीं ख़्वाह वह लोग नमाज़ ही न पढ़ते हों या कोई दूसरी नमाज़ पढ़ रहे हों तो उन पर सज्दा वाजिब होगा। (इल्मुलफ़िक़्ह जिल्द–2 सफ़्हा–178)

यानी किसी मुक़्तदी ने अपने इमाम के पीछे ज़ोर से सज्दा की आयत पढ़ दी तो सज्दए तिलावत वाजिब न होगा, सिर्फ़ जमाअ़त से अलग लोगों पर होगा।

(मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी गुफ़िरलहू)

मस्अला: सज्दए तिलावत में नीयत नहीं बांधी जाती, बल्कि सज्दा की नीयत से अल्लाहुअकबर कर सज्दा में चला जाए और अल्लाहुअकबर कह कर उठ जाए, सलाम फेरने की भी ज़रूरत नहीं है, नीज़ बैठे बैठे सज्दए तिलावत कर लेना जाइज़ है और खड़े हो कर सज्दा में जाना अफ़ज़ल है। (आपके मसाइल जिल्द–3 सफ़्हा–84)

मस्अला: बाज़ लोग सज्दए तिलावत कर के दोनों तरफ़ सलाम फेरते हैं ये ग़लत है यानी सलाम फेरने की ज़रूरत नहीं है। (अग़लातुलअ़वाम सफ़्हा–74)

मस्अला: उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख़्स तमाम आयाते सज्दा की तिलावत एक ही मजलिस में करे तो हक़ तआ़ला शानहू, उसकी मुश्किल को दफ़ा फ़रमाता है और ऐसी हालत में इख़्तियार है कि सब आयतें एक दफ़ा पढ़ लें, उसके बाद चौदह सज्दे कर लें, या हर एक को पढ़ कर उसका सज्दा करते जाऐं।

(इल्मुलफ़िक़्ह जिल्द–2 सफ़्हा–181)

मस्अला: ख़ारिजे नमाज़ का सज्दा नमाज़ में और नमाज़ का ख़ारिज में बल्कि दूसरी नमाज़ में भी नहीं अदा किया जा सकता, पस अगर कोई शख़्स नमाज़ में आयते सज्दा पढ़े और सज्दा करना भूल जाए तो उसका गुनाह उसके ज़िम्मा होगा, जिसकी तदबीर इसके सिवा कोई नहीं कि तौबा करे या अरहमुर्राहिमीन अपने फ़ज़्ल

से मआफ़ फ़रमा दे।

मस्अला: अगर कोई शख़्स नमाज़ की हालत में किसी दूसरे से आयते सज्दा सुने, ख़्वाह दूसरा भी नमाज़ में हो तो ये सज्दा ख़ारिजे नमाज़ का समझा जाएगा, नमाज़ के अन्दर न अदा किया जाएगा, बल्कि ख़ारिजे नमाज़ में अदा करे। (इल्मुलफ़िक़्ह जिल्द–2 सफ़्हा–179)

मस्अला: नमाज़ का सज्दा ख़ारिजे नमाज़ में उस वक़्त अदा नहीं हो सकता जबकि नमाज़ फ़ासिद न हो, अगर फ़ासिद हो जाए और उसका मुफ़्सिद ख़ुरूजे हैज़ यानी हैज़ का आना न हो तो वह सज्दा ख़ारिज में अदा कर लिया जाए। और अगर हैज़ की वजह से नमाज़ में फ़साद आया हो तो वह सज्दा मआफ़ हो जाता है।

मस्अला: सारी सूरत की तिलावत करना और सज्दा की आयत को छोड़ देना ग़लत है। सिर्फ़ सज्दा से बचने के लिए आयते सज्दा न छोड़े, क्योंकि इसमें सज्दा करने से गोया इनकार है। (बहिश्ती ज़ेवर जिल्द–2 सफ़्हा–25 व इल्मुलफ़िक़्ह जिल्द–2 सफ़्हा–181)

मस्अला: तरावीह में इमाम ने दो रकअ़त की नीयत बांधी, पहली या दूसरी रकअ़त में सज्दए तिलावत की आयत पढ़ी और सज्दा किया और दो रकअ़त पूरी कीं, फिर दो रकअ़त की नीयत बांधी और सह्वन (ग़लती से) वही सज्दए तिलावत की आयत पढ़ी तो इस सूरत में दूसरा सज्दा करना होगा, क्योंकि तकबीरे तहरीमा कह कर दूसरी नमाज़ शुरू करने से हुकमन मजलिस बदल जाती है। (मराक़ियुलफ़लाह सफ़्हा–686, फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–428)

मस्अलाः इमाम ने सूरहए "अलिफ़, लाम, मीम सज्दा" तिलावत की और सज्दा किया और फिर उसी जगह नमाज़े फ़ज्र वगैरा में उसी सूरत को दोबारा पढ़ा, तो दूसरा सज्दा लाज़िम होगा। (फ़तावा रहीमिया जिल्द–4 सफ़्हा–404, अलअशबाह सफ़्हा–191)

मस्अलाः बाज़ औरतें कुरआन शरीफ़ पर ही सज्दा कर लेती हैं, ये ग़लत है। क्योंकि इससे सज्दए तिलावत अदा नहीं होता। (बहिश्ती ज़ेवर जिल्द–2 सफ़्हा–42)

मस्अलाः अगर एक आयते सज्दा की तिलावत एक ही मजलिस में कई बार की जाए तो एक ही सज्दा वाजिब होगा। और अगर एक आयत सज्दा की पढ़ी जाए, फिर वही आयत मुख़्तलिफ़ लोगों से सुनी जाए जब भी एक ही सज्दा वाजिब होगा। अगर सुनने वाले मजलिस न बदलें तो एक ही सज्दा वाजिब होगा, ख़्वाह पढ़ने वाले की मजलिस बदल जाए या न बदले। और अगर सुनने वाले की मजलिस बदल जाए तो उस पर मुतअद्दद सज्दे वाजिब होंगे, ख़्वाह पढ़ने वाले की मजलिस बदले या न बदले। अगर पढ़ने वाले की मजलिस बदल जाएगी तो उस पर भी मुतअद्दद सज्दे वाजिब होंगे। मजलिस बदलने की दो सूरतें हैंः एक हक़ीक़ी दूसरी हुक्मी।

अगर मकान (जगह) बदल जाए तो हक़ीक़ी, और अगर मकान न बदले बल्कि कोई ऐसा फ़ेल सादिर हो जिससे ये समझा जाए कि पहले फ़ेल को क़तअ़ (पहले काम को ख़त्म) कर के अब ये दूसरा फ़ेल शुरू किया है तो हुक्मी है।

हक़ीक़त की मिसाल (1) दो घर जुदा जुदा हों और

एक घर से दूसरे घर में चला जाए बशर्तेकि एक दो कदम से ज़्यादा चलना पड़े। (2) सवार हो और उतर पड़े।

हुक्मी की मिसाल आयते सज्दा की तिलावत कर के दो एक लुक़्मा से ज़्यादा खाना खा लिया या किसी से दो एक कलिमे से ज़्यादा बातें करने लगा, या लेट कर सो गया, या ख़रीद व फ़रोख़्त में मशगूल हो गया, अगर एक दो लुक़्मा से ज़्यादा न खाए, किसी से एक दो कलिमा से ज़्यादा बातें न करे, लेट कर न सोये बल्कि बैठे बैठे सोये, तो इन सब सूरतों में मजलिस न बदलेगी। इसी तरह कोई तस्बीह पढ़ने लगे या बैठे से खड़ा हो जाए तब भी मजलिस मुख़्तलिफ़ न होगी।

मस्अलाः अगर एक आयते सज्दा कई मरतबा एक ही मजलिस में पढ़ी जाए तो इख़्तियार है कि सब के बाद सज्दा किया जाए या पहली ही तिलावत के बाद, क्योंकि एक ही सज्दा अपने माक़ब्ल और माबाद की तिलावत के लिए काफ़ी है, मगर एहतियात इसमें है कि सब के बाद सज्दा किया जाए। (इल्मुलफ़िक़्ह जिल्द–2 सफ़्हा–180)

मस्अलाः अगर एक ही जगह सज्दा की आयत को कई बार दुहरा कर पढ़े तो एक ही सज्दा वाजिब है, चाहे सब दफ़ा पढ़ कर अख़ीर में सज्दा करे या पहली दफ़ा पढ़ कर सज्दा कर ले फिर उस सज्दा की आयत को दुहराता रहे। (जैसा कि हिफ़्ज़ करने वालों को ज़रूरत पेश आती है)। और अगर जगह बदल गई तब उसी को दुहराया, फिर तीसरी जगह जाके वही आयत फिर पढ़ी, इसी तरह बराबर जगह बदलती रही तो जितनी दफ़ा दुहराए यानी पढ़े उतने ही मरतबा सज्दा करे।

(बहिश्ती ज़ेवर जिल्द–2 सफ़हा–43 बहवाला मजमउल अन्हर सफ़हा–158)

मस्अला: अगर एक ही जगह बैठे बैठे सज्दा की कई आयतें पढीं तो जितनी भी आयतें पढ़ीं उतने ही सज्दा करे।

मस्अला: बैठे बैठे सज्दा की कोई आयत पढ़ी, फिर उठ कर खड़ा हो गया, लेकिन चला फिरा नहीं, जहां बैठा था वहीं खड़े खड़े वही आयत फिर दुहराई तो एक ही सज्दा वाजिब है।

मस्अला: एक जगह सज्दा की आयत पढ़ी, फिर उठ कर किसी काम को चला गया और फिर उसी जगह आ कर दोबारा वही आयत पढ़ी तब भी दो सज्दे करे।

(क्योंकि मजलिस बदल गई)

मस्अला: एक जगह बैठे बैठे सज्दा की कोई आयत पढ़ी फिर जब कुरआन शरीफ़ की तिलावत कर चुका तो उसी जगह बैठे बैठे किसी और काम में मशगूल हो गया जैसे खाना खाने लगा या औरत बच्चे को दूध पिलाने लगी, उसके बाद फिर वही आयत उसी जगह पढ़ी, तब भी दो सज्दे वाजिब होंगे, क्योंकि जब कोई और काम करने लगे तो ऐसा समझेंगे कि जगह बदल गई।

मस्अला: घर के कमरा या दालान के एक कोने में सज्दा की कोई आयत पढ़ी, फिर दूसरे कोने में जा कर वही आयत पढ़ी, तब भी एक ही सज्दा काफ़ी है, चाहे जितनी मरतबा पढ़े। अलबत्ता अगर दूसरे काम में लग जाने के बाद वही आयत फिर पढ़े तो दूसरा सज्दा करना पड़ेगा, फिर तीसरे काम में लगने के बाद अगर पढ़े तो तीसरा सज्दा वाजिब होगा।

मस्अलाः अगर बड़ा घर हो तो दूसरे कोने में जा कर दुहराने से दूसरा सज्दा वाजिब होगा और तीसरे कोने पर तीसरा सज्दा वाजिब होगा।

मस्अलाः मस्जिद का भी यही हुक्म है, जो एक कोठरी का हुक्म है, अगर सज्दा की एक आयत कई दफ़ा पढ़े तो एक ही सज्दा वाजिब है, चाहे एक ही जगह बैठे बैठे दुहराया करे या मस्जिद में इधर उधर टहल–टहल कर पढ़े।

मस्अलाः अगर नमाज़ में सज्दा की एक ही आयत को कई दफ़ा पढ़े तब भी एक ही सज्दा वाजिब है, चाहे सब दफ़ा पढ़ कर आख़िर में सज्दा करे या एक दफ़ा पढ़ कर सज्दा कर लिया, फिर उसी रकअ़त या दूसरी रकअ़त में वही आयत पढ़ी। (बहिश्ती ज़ेवर जिल्द–2 सफ़्हा–45)

मस्अलाः पढ़ने वाले की जगह नहीं बदली, एक ही जगह बैठे बैठे एक आयत को बार बार पढ़ता रहा, लेकिन सुनने वाले की जगह बदल गई कि पहली दफ़ा और जगह सुनना था और दूसरी दफ़ा और जगह तो पढ़ने वाले पर एक ही सज्दा वाजिब है और सुनने वाले पर कई सज्दे वाजिब हैं जितनी दफ़ा सुने उतने ही सज्दे करे।

मस्अलाः अगर सूरत में कोई शख़्स आयत न पढ़े बल्कि फ़क़त सज्दा की आयत पढ़े तो उसका कुछ हरज नहीं है। और अगर नमाज़ में ऐसा करे तो उसमें ये शर्त है कि वह इतनी बड़ी हो कि छोटी तीन आयतों के बराबर हो, लेकिन बेहतर ये है कि सज्दा की आयत को दो एक आयत के साथ मिला कर पढ़े। (बहिश्ती ज़ेवर जिल्द–2 सफ़्हा–45, बहवाला मजमउल अन्हर जिल्द–1 सफ़्हा–158 व शरह वक़ाया जिल्द–1 सफ़्हा–233)

मस्अला: अगर किसी के सज्दा हाए तिलावत रह गए हों। (अदा न कर सका इंतिक़ाल हो गया) तो एहतियात इसमें है कि हर सज्दा के बदले पौने दो सेर गेहूं या उसकी क़ीमत का सदक़ा करे।

(जवाहिरुलफ़िक्ह जिल्द–1 सफ़्हा–393)

उन आयात का ब्यान जिन पर सज्दए तिलावत वाजिब है

कुरआन मजीद में चौदह आयतें ऐसी हैं जिनके पढ़ने और सुनने से एक सज्दा वाजिब होता है, तफ़सील उन आयतों की ये है–

(1) सूरए आराफ़ के अख़ीर में ये आयत– "اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ (پ–٩)

(2) सूरए रअ़द के दूसरे रुकूअ़ में ये आयत–

"وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ط(پ–١٣)"

(3) सूरए नहल के पाँचवें रुकूअ़ के अख़ीर की ये आयत– "وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَافِي السَّمٰوٰتِ وَمَافِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُوْنَ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ (پ–١٤)

(4) सूरए बनी इस्राईल के बारहवें रुकूअ़ में ये आयत– "وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ط (پ–١٥)

(5) सूरए मरयम के चौथे रुकूअ़ में ये आयत–

"وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ط (پ–١٦)"

(6) सूरए हज के दूसरे रुकूअ़ में ये आयत–

"اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَالَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ط اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَايَشَآءُ ط (پ–١٧)

(7) सूरए फ़ुरक़ान के पाँचवें रुकूअ़ की ये आयत–

"وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَامُرُنَا وَ زَادَهُمْ نُفُوراً ط (پ–١٩)"

(8) सूरए नमल के दूसरे रुकूअ़ में ये आयत–

"اَلا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِیْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّاهُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ط (پ–١٩)"

(9) सूरए सज्दा के दूसरे रुकूअ़ में ये आयत–

"اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّداً وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ" (پ–٢١)"

(10) सूरए साद के दूसरे रुकूअ़ में ये आयत–

"وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ط فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ وَ اِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ط (پ–٢٣)"

(11) सूरए हामीम सज्दा के पाँचवें रुकूअ़ में ये आयत–

"فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ ط (پ–٢٤)"

(12) सूरए नज्म के आख़िर में ये आयत–

"فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا (پ–٢٧)"

(13) सूरए इंशिक़ाक़ में ये आयत–

"فَمَا لَهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ وَاِذَاقُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ط (پ–٣٠)"

(14) सूरए इक़रा में ये आयत–

"وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ط (پ–٣٠)"

नोट: मालिकीया और हनफ़ीया सूरए हज की आख़िरी आयत को उन मक़ामात में शुमार नहीं करते जिनमें सज्दए तिलावत किया जाता है।

(किताबुलफ़िक़्ह जिल्द–1 सफ़्हा–755)

□□□

ख़त्मे तरावीह पर हाफ़िज़ का नज़राना लेना

मुअर्रख़ा 2 रमज़ानुलमुबारक 1406 हिजरी
12—5—1986 ई0

सवालः क्या फ़रमाते हैं उलमाए दीन व मुफ़्तियाने शरओ़ मतीन दर्ज ज़ैल मस्अला में—

कि रमज़ानुलमुबारक में हुफ़्फ़ाज़े किराम तरावीह सुनाते हैं और ख़त्मे तरावीह के बाद लोग हाफ़िज़ साहब को कुछ नज़राना देते हैं, आम तौर से यही है कि कोई रक़म उसके लिए तैय नहीं होती है। बल्कि बरवक़्त कपड़े वग़ैरा या सिर्फ़ रुपये जितना होता है लोग देते हैं। क्या हाफ़िज़ साहब के लिए नज़राना लेना जाइज़ नहीं है? अगर हाफ़िज़ साहब ने नज़राना लिया तो क्या इस कुरआन के सुनने, सुनाने वालों को कोई सवाब मिलेगा या नहीं? क्या नज़राना लेने वाले हाफ़िज़ साहब के पीछे तरावीह पढ़ने से तरावीह सही नहीं और क्या उसका सवाब नहीं मिलेगा?

जवाब जल्द इनायत किया जाए, यहां सख़्त इंतिशार है।

अलमुस्तफ़्ती
एम. मुख़्तार अहमद
डूमेस्टिक स्टोर्स, सरय्या गंज, मुज़फ़्फ़रपूर

।बास्मल्लिाहहिर्रहमार्निरहीम

अलजवाब न0 – 1162

कुरआन पढ़ना और सुनना भी ताअ़त व इबादत है। हज़रत इमाम आज़म अबूहनीफ़ा अलैहिर्रहमा का मस्लक ये है कि ताअ़त पर उजरत लेना जाइज़ नहीं। लेने वाला और देने वाला दोनों गुनहगार होगा। मुतक़द्दिमीन का यही मस्लक है लेकिन मुतअख़्ख़िरीन हनफ़ीया ने इमाम आज़म और मुतक़द्दिमीन के मस्लक में वक़्त की ज़रूरीयात और हालात के पेशे नज़र कुछ सहूलत पैदा की और तौसीअ़ बतलाया। तालीमे कुरआन के ख़त्म हो जाने के ख़तरा की बुनियाद पर तालीमे कुरआन पर उजरत को जाइज़ क़रार दिया। मस्जिदों की आबादी और जमाअ़त के मतरूक हो जाने के ख़तरा की बिन पर अज़ान व इक़ामत व इमामत पर उजरत को दुरुस्त कहा गया। रमज़ान की तरावीह में कुरआन सुनाने पर मुतक़द्दिमीन की राए हमें मालूम नहीं, ग़ालिबन इस जुज़्ईया पर मुतक़द्दिमीन साकित (ख़ामोश) हैं। इस वक़्त भी हज़रत मौलाना थानवी (रह.) और दारुलउलूम देवबंद का फ़तावा यही है कि रमज़ान शरीफ़ में कुरआन सुनाने पर उजरत लेना जाइज़ नहीं और पहले से उजरत मुक़र्रर करना दुरुस्त नहीं। और अगर ये बात पहले से जानी बूझी हो कि हम कुरआन सुनाऐंगे और उसमे रुपये मिलेंगे और सुनने वाले ये समझते हों कि हम कुरआन सुनेंगे और हम कुछ देंगे तो

इस हालत में भी कुरआन सुनाने पर कुछ लेना या कुछ देना जाइज़ नहीं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हमारी राए ये है कि अगर तरावीह के मौक़ा पर कुछ लेना और कुछ देना हराम क़रार पाए तो कुछ दिनों के बाद तदरीजन हुफ़्फ़ाज़ की तादाद में कमी आती जाएगी और थोड़े अरसे के बाद मस्जिदों में तरावीह के अन्दर कुरआन ख़त्म करने का सिलसिला मस्दूद हो जाएगा। रमज़ान के दो अरकान में ये एक रुक्न यानी क़यामे लैल कमज़ोर पड़ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता मस्जिदों से तरावीह की जमाअ़त बंद हो जाएगी। और जहां जहां सूरए तरावीह होगी उसमें बहुत थोड़े लोग शरीक हुआ करेंगे। और रमज़ान में रात की रौनक़ जिसे इस दौर में इस्लाम का शिआ़र कहा जा सकता है कम से कमतर हो जाएगी। दरजाते हिफ़्ज़ में बच्चों की तादाद घटने लगेगी और हुफ़्फ़ाज़ जब तरावीह पढ़ाना छोड़ देंगे तो कुरआन भूल जाऐंगे। इस तरह हिफ़्ज़े कुरआन ख़तरा में पड़ जाएगा। तरावीह के सिलसिले में जो सूरतेहाल है उससे हम नज़री और फ़र्ज़ी तरीक़ों से उहदा बर आ नहीं हो सकते। बल्कि हमें वाक़ई और अमली सूरतों पर ग़ौर करना होगा। हमारे ख़्याल में वाक़ई शक्ल वही है जिसका नक़्शा ऊपर खींचा गया। इसलिए हमारी राए है कि तरावीह में कुरआन सुनाने से मुतअल्लिक़ भी वही तौसीअ़ पैदा की जाए जो तालीमे कुरआन, तालीमे हदीस, तालीमे फ़िक़्ह, इमामत, अज़ान व इक़ामत के मुतअल्लिक़ दी गई है। बाज़ाब्ता भाव बट्टा करना तो मुनासिब नहीं मालूम होता। चूंकि कुरआन सामने है और उसके अदब का तक़ाज़ा ये है कि

उसकी तालीम और उसके सुनाने पर मोल तोल न किया जाए। लेकिन सुनने वालों का ये फ़रीज़ा है कि वह कुरआन सुनाने वाले की ख़िदमत अपनी हैसियत से बढ़ कर करे। क्योंकि उसने अपना क़ीमती वक़्त सुनने वालों को दिया। अपने अैयाम व औक़ात को उसने महबूस किया। लिहाज़ा हाफ़िज़े कुरआन के लिए नज़राना लेना जाइज़ है और नज़राना लेने वाले हाफ़िज़ के पीछे तरावीह पढ़ना बिल्कुल सही है और उसका पूरा सवाब भी मिलेगा।

जवाब सही है वल्लाहु तआ़ला अलमु

○ मुहम्मद शम्सुल हक़, मदरसा जामिआ रहमानी, मूंगेर शैख़ुल हदीस जामिआ रहमानी (मूंगेर)

12—9—1406 हिजरी

○ मिन्नतुल्लाह रहमानी गुफ़िरलहू

12 रमज़ानुलमुबारक 1406 ई0

○ उजरत का मस्अला तो ज़ेरे बहस आ सकता है मगर नज़राना के जवाज़ में क्या शुब्हा है।

ज़ुबैर अहमद क़ासमी, उस्ताज़े फ़िक़्ह जामिआ रहमानी (मूंगेर) 12—9—1406 हिजरी

○ हालाते ज़माना के पेशे नज़र जो गुंजाइश दी गई है वह फ़िक़्ह के मुताबिक़ है।

मौलाना मुहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन गुफिरलहू, मुक़ीम ख़ानक़ाहे रहमानी (मूंगेर)

मुफ़्तिये दारुलउलूम देवबंद, ज़िला—सहारनपूर।

○ अलमुजीबु मुसीबुन (जवाब देने वाले ने सही जवाब दिया)

मुहम्मद सद्रे आलम गुफ़िरलहू, साबिक़ मुफ़्ती इमारते शरईया बिहार व उड़ीसा। 12—9—1406 हिजरी

○ मौलाना मुहम्मद शहाबुद्दीन कौसरी, मुहल्ला वलीपूर वार्ड–12, वाहिद रोड, सुपोल सहरसा (बिहार)

13 रमज़ान 1406 हिजरी

○ हज़रत अमीरे शरीअ़त मद्दा ज़िल्लहू की राए हालात के पेशे नज़र अन्सब है।

नसरुल्लाह, दारुलइफ़्ता इमारते शरईया, ख़ानक़ाह (मूंगेर)

12–9–1406 हिजरी

○ अलजवाबु सहीहुन

(मौलाना) सग़ीर अहमद रहमानी, उस्ताज़ जामिआ रहमानी (मूंगेर) 14 रमज़ान 1406 हिजरी।

○ अलजवाबु सहीहुन

(मौलाना) मुहम्मद तस्लीम (साहब)

नाइब नाज़िम जामिआ रहमानी, ख़ानक़ाह (मूंगेर)

12 रमज़ानुलमुबारक 1406 हिजरी

○ जवाब दुरुस्त हैं

(मौलाना) अब्दुलमजीद मिफ़्ताही, जामिआ रहमानी (मूंगेर)

11 रमज़ानुलमुबारक 1406 हिजरी

○ अलमुजीबु मुसीबुन

मुहम्मद नेमतुल्लाह क़ासमी

मुफ़्ती इमारते शरईया बिहार व उड़ीसा, ख़ानक़ाह रहमानी (मूंगेर) 12 रमज़ानुलमुबारक 1406 हिजरी।

❑❑❑

मुहतरम व मुकर्रम उलमाए दीन व मुफ़्तियाने शरअ़े मतीन

अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू
बाद सलाम मसनून!

दरयाफ़्त तलब अम्र ये है कि रमज़ान 1406 हिजरी में दारुलइफ़्ता मुंगेर से एक फ़तवा शाए हुआ है (जो इस इस्तिफ़्ता के साथ मुन्सलिक है) उसमें तरावीह में ख़त्मे कुरआन पर जो लेन देन होता है उसको उजरत के बजाए नज़राना का नाम दे कर, नीज़ बहुत सी अक़्ली इल्लतें और ख़दशात का इज़हार कर के और दूसरे फ़िक़्ही जुज़्ईयात पर क़यास कर के जाइज़ क़रार दिया गया है।

क्या ये क़वाएदे फ़िक़्हीया के मुवाफ़िक़ और दुरुस्त है? क्या इसमें मज़कूर इल्लतें सही हैं? और क्या इस तरह की गुंजाइश निकाली जा सकती है? बराहे करम वज़ाहत फ़रमाऐं। फ़क़्त, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

अलमुस्तफ़्ती
मुहम्मद मुस्तफ़ा अलमनसूरी
राजपूर (मध्य प्रदेश)

बिइस्मिही सुब्हानहू तआला

अलजवाबु—
"و بسم الله العصمة والتوفيق"
:حامدا ومصليا و مسلما، و بعد" मूंगेर बिहार के फ़तावा 1162 मुजरीया 12 रमज़ानुलमुबारक 1406 हिजरी की इब्तिदाई सुतूर में तो ख़्वाह उजरत के नाम से हो या

नज़राना के इस लेन देन को नाजाइज़ ही होने की सराहत की गई है। हज़रत थानवी नौवरल्लाहु मरक़दहू ने इमदादुलफ़तावा जिल्द औवल में इस पर बस्त व तफ़्सील से ‍ ग्लाम फ़रमाया है, जिसका हासिल मूंगेर के फ़तवा में बसूरते अदमे जवाज़ तहरीर कर दिया गया है और यही दलाइल की रू से सही है। बाक़ी आगे चल कर हज़रते अक़्दस मौलाना अलहाज मिन्नतुल्लाह रहमानी (रह.) ने अपनी राए ज़ाहिर फ़रमाई है, बहुत मुम्किन है कि हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह नौवरल्लाहू मरक़दहू और उनके फ़तवा की तस्हीह फ़रमाने वाले हज़रात के सामने उस वक़्त किसी मख़सूस एलाक़ा के ऐसे नजुक हालात हों कि जिन का फ़तवा में ज़िक्र है और उन्हीं मजबूर कुन हालात की वजह से फ़तवा में गुंजाइश लिखी है, ताहम इस सिलसिले में ये अर्ज़ है कि तजरबा और मुशाहदा हम लोगों का ये है कि बाज़ मदारिस और हुफ़्फ़ाज़ ऐसे हैं कि जिनके यहां लेने देने को बहुत सख़्ती के साथ ममनूअ़ क़रार दे दिया गया और बेशुमार हुफ़्फ़ाज़ हर साल बग़ैर कुछ लिए दिए तरावीह में क़ुरआने करीम सुनने सुनाने का एहतिमाम करते हैं और उसकी बरकात का मुशाहदा ये है कि हुफ़्फ़ाज़ की तादाद में अलहम्दुलिल्लाह हर साल इज़ाफ़ा होता जाता है। बाज़ एलाक़ों में ऐसा जुमूद तारी था कि बच्चों को हिफ़्ज़े कुरआन कराने का नाम ही न लेते थे, बस इतना हक़ कुरआन शरीफ़ का समझते थे कि रमज़ान शरीफ़ में दूर दराज़ एलाक़ा से किसी हाफ़िज़ साहब को बुला कर सुन लिया जाए और इस पर उनको मुआवज़ा या नज़राना दे दिया जाए, लेकिन

जब लेन देन बंद हुआ तो अलहम्दुलिल्लाह उस एलाक़ा में ख़ुद वहां के मुसलमान बच्चों में हिफ़्ज़े कुरआन की अहमियत पैदा हुई और बग़ैर कुछ लेन देन आज वह एलाक़ा इस मआमला में ख़ुदकफ़ील है। हासिल ये है कि तरावीह सुनने सुनाने पर उजरत या नज़राना के नाम पर लेन देन शरअन नाजाइज़ है और यही दलाइल के एतेबार से हक़ है। कुरआन करीम के अदब व एहतेराम की यही सूरत मुनासिब है। बल्कि ख़ुद हुफ़्फ़ाज़े किराम के भी एज़ाज़ व इकराम का सबब है और ये उमूर ऐसे ज़ाहिर हैं कि जिन पर किसी दलील के क़ाइम करने की हाजत नहीं। जो शख़्स जब चाहे मुशाहदा कर ले।

फ़क़त

वल्लाहु सुब्हानहु व तआला आलमु।

अहक़र महमूद गुफ़िरलहू बुलंद शहरी

दारुलउलूम देवबंद

22–8–1418 हिजरी

अलजवाबु सहीहुन

हबीबुर्रहमान गुफ़िरलहू

अलजवाबु सहीहुन

मुहम्मद अब्दुल्लाह कश्मीरी गुफ़िरलहू

□□□

"باسمه سبحانه وتعالى"

सवालः (1) रमज़ान में हुफ़्फ़ाज़े किराम कुरआन सुनाने की उजरत को जाइज़ करने के लिए ये हीला

करते हैं कि एक दो फ़र्ज़ नमाज़ों की इमामत अपने ज़िम्मे ले लेते हैं तो क्या इस तरह हीला करने से उजरत लेना जाइज़ होगा?

जाइज़ की सूरत में हज़रत थानवी (रह.) की मुन्दर्जा ज़ैल इबारत की क्या तौजीह होगी।

यहां मक़सूद इमामत नहीं है, बल्कि तरावीह में कुरआन सुनाना है "इसलिए ये भी जाइज़ नहीं" इमदादुल फ़तावा, मतबूआ देवबंद जिल्द–1 सफ़्हा–485। नीज़ इसी सफ़्हा के हाशिया में लिखा हुआ है कि दियानात में हीला जाइज़ नहीं है।

सवाल: (2) सामेअ़ (सुनने वाला) का उजरत मुतऐयन कर के उजरत लेना शरअन कैसा है?

नोट: सामेअ़ को अह्ले मुहल्ला इस बात का पाबंद बनाते हैं कि तुम को हमारी मस्जिद ही में नमाज़ पढ़नी होगी, तो क्या इस सूरत में सामेअ़ को अपने हब्से वक़्त की उजरत लेना जाइज़ होगा।

अल मुस्तफ़्ती
मुहम्मद रौशन शाह अकोलवी

"باسمه سبحانه وتعالى"

अलजवाब
व बिल्लहित्तौफ़ीक़

(1) तौजीह की क्या ज़रूरत है? हज़रत थानवी (रह.) ने जो फ़तवा तहरीर फ़रमाया वह दुरुस्त है।

(2) इसकी गुंजाइश है। मुलाहज़ा हो इमदादुलफ़तावा जिल्द–1 सफ़्हा–496।

फ़क़त
वल्लाहु तआ़ला आलमु
अहक़र महमूद–हसन गुफ़िरलहू, बुलंद शहरी
दारुलउलूम देवबंद

2–9–1413 हिजरी

अलजवाबु सहीहुन
हबीबुर्रहमान

अलजवाबु सहीहुन
कफ़ीलुर्रहमान

□□□

नफ़्ल की नमाज़ जमाअत से पढ़ना

मख़दूमी व मुकर्रमी हज़रत मुफ़्ती साहब दारुलउलूम देवबंद दामत बरकातुहुम

अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू

गुज़ारिश ख़िदमते अक़्दस में है कि क्या फ़रमाते हैं उलमाए दीन इस मस्अला में कि अगर कोई हाफ़िज़े कुरआन मजदी बाद नमाज़े इशा, या तहज्जुद में नफ़्लों में कुरआन करीम पढ़ता है और उस हाफ़िज़ के पीछे कसीर तादाद में नमाज़ी कुरआन सुनने के लिए सवाब की नीयत से शरीक हो जाएं तो क्या इस तरीक़ा से नफ़्लों में कुरआन सुनना और सुनाना जाइज़ है या नजाइज़। और इमाम अबूहनीफ़ा (रह.) के नज़दीक ज़्यादा तादाद में नफ़्लों की जमाअत कर सकते हैं कि नहीं? और क्या उन लोगों को इस तरीक़ा से सवाब होगा या नहीं? नवाज़िश फ़रमा कर जवाब से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाएं, ऐन करम होगा।

फ़क़त वस्सलाम

(अलमुस्तफ़्ती) मुहम्मद मुस्तक़ीम देवबंद, मुहल्ला ज़ियाउल हक़

23—रमज़ानुलमुबारक 1408 हिजरी

❑❑❑

باسمہ تعالیٰ

"الجواب باللّٰہ التوفیق"

दुर्रेमुख़्तार में है–

"ان یکرہ ذلک لو علی سبیل التداعی بان یقتدی اربعة بواحدٍ (کمافی الدرر) ولا خلاف فی صحة الاقتداء اذلا مانع (الیٰ قولہ) ولو لم ینوی الامامة لا کراھة علی الامام."

और इसी के तहत शामी में है–

"لو اقتدی بہ واحد او اثنان ثم جائت جماعة اقتدوا بہ قال الرحمتی ینبغی ان تکون الکراھة علی المتاخرین ۱۲."

इन इबारात से मालूम हुआ कि दो तीन मुक़्तदियों से ज़्यादा को जमाअ़त में लेकर इमामत करे तो अहनाफ़ के नज़दीक मकरूह है। अलबत्ता अगर सिर्फ़ दो तीन मुक़्तदियों को लेकर जमाअ़त शुरू कर दे और बाद में आने वाले ख़ुद आ कर शरीके जमाअ़त हो जाऐं और इमाम उनके इमामत की नीयत न करे तो इमाम पर और उन दो तीन मुक़्तदियों पर जो शुरू से शरीके जमाअ़त थे कराहत न आएगी। बल्कि कराहत सिर्फ़ बाद में आने वालों पर होगी।

"ھٰکذا فی الفتاویٰ المحمودیة" जिल्द–2. सफ़हा–161, "وفی الفتاویٰ دارالعلوم دیوبند"

"واللّٰہ تعالیٰ اعلم"

कतबहू अल अब्दु!

निज़ामुद्दीन आज़मी, मुफ़्तिये दारुलउलूम, देवबंद

24–9–1408 हिजरी

अलजवाबु सहीहुन

हबीबुर्रहमान ख़ैरआबादी मुफ़्तिये दारुलउलूम देवबंद

14–9–1408 हिजरी

तंबीहः मकरूह से मुराद मकरूहे तहरीमी है।

वल्लाहु आलमु बिस्सवाब

24–9–1408 हिजरी

❑❑❑

एक इल्तिमास

आख़िर में एक इल्तिमास है कि रमज़ानुलमुबारक में जहां आप हज़रात अपने लिए दुआ़ फ़रमाऐं, मुरत्तिब और उसके मरहूम वालिदैन को भी अपनी दुआवों में याद फ़रमा कर इन्दल्लाह माजूर हों।

"رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ"

मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी

मुदर्रिस दारुलउलूम, देवबंद

23–रजबुलमुरज्जब 1406 हिजरी

मुताबिक़ 4 अप्रैल 1986 ई0 (बरोज़ जुमा)

मआख़िज़े किताब

नाम किताब	मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़	मतबअ़
मुअ़रिफ़ुल कुरआन	मुफ़्ती मु० शफ़ीअ़ साहब (रह.) मुफ़्तिये आज़म पाकिस्तान	रब्बानी बुक डिपो, देवबंद
मुआ़रिफ़ुल हदीस	मौलाना मंजूर नोमानी साहब दामत बरकातुहुम	अलफ़ुरक़ान बुक डिपो ३१ नया गाँव लखनऊ
फ़तावा दारुलउलूम	मुफ़्ती अज़ीज़ुर्रहमान साबिक़ मुफ़्तिये आज़म दारुलउलूम, देवबंद	मकतबा दारुलउलूम, देवबंद
फ़तावा रहीमिया	मुफ़्ती सैयद अब्दुर्रहीम साहब (रह.)	मक्तबा मुनशी स्टेट रांदेर, ज़िला सूरत
फ़तावा रशीदिया कामिल	मौलाना रशीद अहमद गंगोही (रह.)	कुतुब ख़ाना रहीमिया, देवबंद
फ़तावा महमूदिया	मुफ़्ती महमूदुलहसन (रह.) मुफ़्तिये आज़म दारुलउलूम, देवबंद	मकतबा महमूदिया जामा मस्जिद, शहर मेरठ
इमदादुल फ़तावा	मौलाना अशरफ़ अली थानवी (रह.)	इदारा तालीफ़ाते औलिया, देवबंद
इमदादुलमुफ़्तीयीन	अज़ इफ़ादात मुफ़्ती मु० शफ़ीअ़ साहब (रह.)	इदारा अलमआरिफ़ डाक ख़ाना, दारुलउलूम कराची
फ़तावा आलमगीरी तर्जुमा हिन्दीया	अल्लामा सैयद अमीर अहमद (रह.)	मतबअ़ नवलकिशोर, लखनऊ
किफ़ायतुल मुफ़्ती	मुफ़्ती किफ़ायतुल्लाह (रह.) देहवली	कुतुब ख़ाना एज़ाज़िया, देवबंद
इल्मुलफ़िक़्ह	मौलाना अब्दुश्शकूर (रह.) साहब लखनऊ	कुतुब ख़ाना एज़ाज़िया, देवबंद
जवाहिरुलफ़िक़्ह	मुफ़्ती मु० शफ़ीअ़ (रह.) मुफ़्तिये आज़म पाकिस्तान	आरिफ़ कपनी, देवबंद
किताबुलफ़िक़्ह अलल-मज़ाहिबिलअरबआ़	अल्लामा अब्दुर्रहमान अल ज़ज़ीरी	मतबूआते मोह्कमए औक़ाफ़ पंजाब लाहौर, पाकिस्तान

बदाऐ सनाऐ	अलाउद्दीन अबीबक्र	सैयद एच. एम. अदब मंज़िल, कराची
शामी		पाकिस्तान
दुर्रेमुख़्तार व रद्दुलमुख़्तार, क़ाज़ी ख़ाँ		पाकिस्तान
आलमगीरी		मिस्री
सग़ीरी कबीरी		लखनऊ
सिहाहेसित्ता		कुतुबख़ाना रशीदिया, दिल्ली
हिदाया		कुतुबख़ाना रशीदिया, दिल्ली
नूरुलईज़ाह व अशरफ़ुलईज़ाह		मक्तबा थानवी, देवबंद
मज़ाहिरे हक़ जदीद	इफ़ादाते अल्लमा नवाब कुतुबुद्दीन (रह.)	इदारा इस्लामियात, देवबंद
रकआ़ते तरावीह	मौलाना हबीबुर्रहमान साहब मद्दाज़िल्लहू	मदरसा मिफ़्ताहुलउलूम, मऊ, आज़म गढ़
अनवारुलमसाबीह	मौलाना क़ासिम नानौत्वी (रह.) बानिये दारुलउलूम, देवबंद	मक्तबा दारुलउलूम, देवबंद
हिस्ने हसीन	बइज़ाफ़ा हवाशी व फ़वाइद मौलाना इदरीस साहब मदरसा इस्लामिया, कराची	नसीर बुक डिपो, बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन, दिल्ली-13
मसाइले सज्दए सह्व	मौलाना हबीबुर्रहमान ख़ैरआबादी मुफ़्तिये दारुलउलूम, देवबंद	हिरा एकेडमी, देवबंद
फ़ज़ाइले रमज़ान	हज़रत मौलाना मुहम्मद ज़करया साहब (रह.)	बस्ती निज़ामुद्दीन देहलवी
बहिश्ती ज़ेवर	मौलाना अशरफ़ अली थानवी (रह.)	मक्तबा थानवी, देवबंद
मआ़रिफ़े मदनीया	इफ़ादात मौलाना हुसैन अहमद मदनी (रह.)	मदरसा इमदादुलइस्लाम, सदर बाज़ार, मेरठ
अनवारुलबारी शरह बुख़ारी	अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी (रह.)	मक्तबा अनवरीया बिजनौर
अशरफ़ुलजवाब	मौलाना थानवी (रह.)	कुतुब ख़ाना महमूदिया, देवबंद